वार्षिक रिपोर्ट | Annual Report 2012-2013

शक्तियों को एकजुट करे, ताकि ऊंची उड़ान मिले

Bringing together strengths to fly higher

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

www.centralbankofindia.co.in

सफलता के सोपान

'लोगो' किसी भी संगठन के वैशिष्ट्य को समाहित करता है और बाहरी दुनिया के समक्ष इसे प्रतिबिम्बित करता है. उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के परिप्रेक्ष्य में, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का समग्र स्वरूप भी वर्ष-दर-वर्ष रूपांतरित होता रहा है, जो समय के साथ सामंजस्य बनाये रखने की इसकी क्षमता का सूचक है.

THE MARK OF SUCCESS

The logo captures the personality of an organization and projects it to the outside world. In keeping with the shifting paradigms and the evolving Indian Economy, Central Bank of India's personality has also morphed through the years to represent the Bank's ability to keep up with the times.

1911

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग का शानदार बाह्य स्वरूप दर्शाने वाला यह 'लोगो' विश्वसनीयता और मजबूती को चित्रित करता है.

Logo in the form of magnificent Central Bank of India building structure depicted dependability and solidity.

1956

बैंक की पहचान दर्शाने वाले आद्याक्षरों को चित्रित करने के लिए 'लोगो' को संशोधित किया गया.

Logo was revised to depict its initials identifiable with the Bank

1973

'लोगो' को नया बनाया गया, जिससे और अधिक कॉर्पोरेट एवं सम-सामायिक छवि प्रस्तुत की जा सके.

Logo was given a make-over to give it a more corporate and contemporay look.

1982

'लोगो' में पट्टियों सहित चार वर्ग व्यक्ति, वित्त, उद्योग एवं राष्ट्र के बीच परस्पर प्रभावी अंतर्सम्बंधों को उजागर करते हुए बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा देश की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को प्रतिबिंबित करता है.

The four Squares in the logo with bars that represent the Man, Finance, Industry and Nation evolving their two way effective interrelationship reflects the services rendered by the bank and its role in the economy.

विषय-सूची /Contents

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश 2
निदेशक मंडल / Board of Directors 4
नोटिस 5
कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य 8
निदेशक रिपोर्ट 2012-13 11
प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श तथा विश्लेषण 16
कॉर्पोरेट गवर्नेंस 50
भारत के राष्ट्रपति को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 68
दिनांक 31 मार्च, 2013 का तुलन पत्र 70
दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता 71
तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां 72
मुख्य लेखांकन नीतियां 78
लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां 82
दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण 102
दिनांक 31 मार्च, 2013 का समेकित तुलन पत्र 120
प्रॉक्सी फॉर्म 145
उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र 146
Chairman & Managing Director's Message 148
Notice 150
Performance Highlights 153
Directors' Report 2012-2013 156
Management Discussion and Analysis 160
Corporate Governance 195
Auditors' Report to the President of India 212
Balance Sheet as on 31st March, 2013 214
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2013 215
Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account 216
Principal Accounting Policies 223
Notes Forming Part of the Accounts 227
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2013 246
Consolidated Balance Sheet as on March 31, 2013 264
Proxy Form 289
Attendance Form, Entry Form 290
ईसीएस आदेश / ECS Mandate 291

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे प्रसन्नता है कि हमारा बैंक राष्ट्र की सेवा के 101 वर्ष पूर्ण कर चुका है एवं मैं 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं.

जैसाकि मैंने पिछली वार्षिक सामान्य सभा में यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हमारा बैंक सशक्त बैंक है और हम में अपने आपको पुनर्स्थापित करने की क्षमता है और हमने अपने समग्र कार्य निष्पादन में सर्वांगी परिवर्तन कर दिखाया है.

आपके महान बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2013 को ₹ 4,00,000 करोड़ के व्यवसाय मिश्र के लक्ष्यांक को हासिल करने पर हार्दिक बधाई! वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने लाभप्रदता में अत्यंत सुदृढ़ता दर्शायी है. बैंक ने शुद्ध लाभ में 31 मार्च, 2013 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 90.43% की शानदार वृद्धि दर्ज की है. प्रति कर्मचारी व्यवसाय वर्ष 2011-12 के ₹ 862 लाख से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2013 को ₹ 973 लाख हो गया है. प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ वर्ष 2011-12 के ₹ 1.51 लाख से बढ़कर इस वर्ष ₹ 2.83 लाख हो गया है.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर घरेलू व वैश्विक कारकों ने प्रभाव डाला है. भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनेक समस्याओं जैसे मामूली जीडीपी वृद्धि, उच्च मुद्रस्फीति, उच्च राजकोषीय एवं चालू खाता घाटे (सीएडी) में वृद्धि का सामना किया है. सीएसओ के नवीनतम अनुमान के अनुसार वर्ष 2012-13 में जीडीपी दर में 5% की वृद्धि आकलित की गई है, जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान यह दर 6.2% थी. इस मंदी की वजह सभी मुख्य क्षेत्रों - कृषि, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में परिलक्षित मंदी थी.

निर्माण क्षेत्र की वृद्धि विशेष रूप से प्रभावित हुई है. पूंजीगत माल के क्षेत्र में निराशाजनक प्रदर्शन के कारण वर्ष 2011-12 के 2.9% की तुलना में वर्ष 2012-13 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में केवल 1% वृद्धि दर्ज हुई है. गत कुछ वर्षों से चिन्ता का विषय रही मुद्रास्फीति में कुछ राहत नजर आई है. थोक सूचकांक, जो कि वित्त वर्ष के प्रारंभ में 7.5% पर था, मार्च 2013 में घट कर 5.96% के स्तर पर आ गया है. वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति, ने संतुलित प्रगति एवं मुद्रास्फीति नियंत्रण के संदर्भ में समन्वित दृष्टिकोण दर्शाया है. इस वर्ष के दौरान तरलता की स्थिति कुल मिलाकर तंग ही रही है. बाह्य फ्रंट पर निर्यात वृद्धि दर भी गत वर्ष की तुलना में 2% कम रही है. परिणामस्वरूप, व्यापार घाटे एवं चालू खाता घाटे (सीएडी) में अंतर बढ़ गया. इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा रुपये में अत्यधिक अस्थिरता रही एवं यूएस डॉलर की तुलना में इसका काफी अवमूल्यन हुआ है.

इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद आपके बैंक ने समग्र व्यवसाय एवं लाभप्रदता इन दोनों स्तरों पर शानदार निष्पादन दर्शाया है. बैंक का व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 15.96% की वृद्धि के साथ वर्ष 2011-12 के ₹ 3,46,898 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,02,272 करोड़ हो गया है. जमा व ऋण क्षेत्र में वृद्धि क्रमशः 15.22% तथा 16.92% रही है. कुल जमा में कासा का शेयर 32.55% है, जो बैंकिंग उद्योग की दृष्टि से काफी अच्छा है. व्यवसाय में निरंतर स्वाभाविक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए **उच्च लागत जमा** में कमी की गई है. कुल जमा में उच्च लागत जमा का अंश, जो कि मार्च 2012 में 32% था, मार्च 2013 में 24.37% रह गया है, जो सकल कोर जमा में वर्ष-दर-वर्ष 27.84% की सुदृढ़ वृद्धि में भलीभांति दृष्टिगोचर हो रहा है. आगे, वर्ष 2013-14 के दौरान उच्च लागत जमा का अनुपात निरन्तर कम करने पर ध्यान दिया जाएगा और इसे 15% तक लाया जाएगा.

बैंक के परिचालन लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 12.72% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो वर्ष 2011-12 में ₹ 2815 करोड़ से बढ़कर ₹ 3173 करोड़ हो गया है तथा बैंक के शुद्ध लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 90.43% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि ₹ 533 करोड़ से बढ़कर ₹ 1015 करोड़ हो गया है.

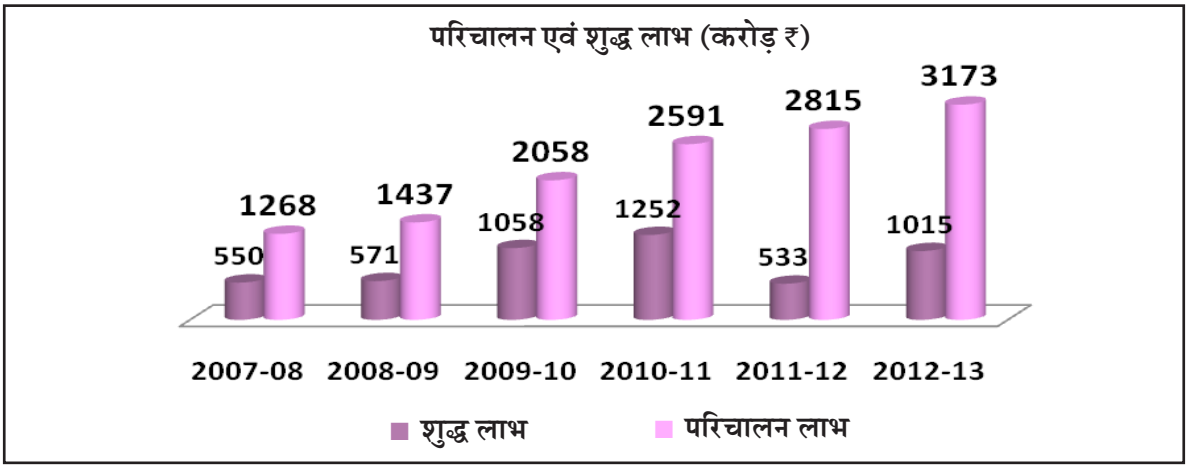

बैंक में जमाओं की लागत वर्ष 2011-12 के 7.20% से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 7.42% हो गई है. निधियों की लागत में वृद्धि के बावजूद शुद्ध ब्याज आय में वर्ष-दर-वर्ष 11.01% की वृद्धि दर्ज हुई है, जो कि वर्ष 2011-12 में ₹ 5169 करोड़ से बढ़कर ₹ 5738 करोड़ हो गई है. बैंक की अन्य आय अथवा शुल्क आधारित आय में वर्ष-दर-वर्ष 19.50% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2011-12 के ₹ 1395 करोड़ से बढ़कर यह ₹ 1667 करोड़ हो गई है.

गत कुछ वर्षों से **आस्ति गुणवत्ता** बैंक के लिए चिन्ता का विषय रहा है, परंतु वसूली में सुधार एवं कड़े एनपीए प्रबंधन के साथ आपका बैंक वर्ष 2011-12 के 4.83% सकल एनपीए को वर्ष 2012-13 में 4.80% तक कम करने तथा शुद्ध एनपीए को वर्ष 2011-12 के कुल अग्रिम के 3.09% से 2.90% तक कम करने में कामयाब रहा है. तथापि सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए के स्तर में निरपेक्षत: वृद्धि हुई. ऐसा सूखा आदि के कारण प्रमुखत: छोटे व कृषि ऋणों तथा कुछ क्षेत्रों जैसे फार्मा, दूरसंचार, डायमंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर, टैक्सटाइल व भूसंपत्ति में रही प्रतिकूलताओं की वजह से हुए स्लिपेज के कारण हुआ है. आपके बैंक ने एनपीए प्रबंधन में स्वस्फूर्त सक्रियता दर्शायी है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 मे सकल एनपीए को 4% से कम तथा शुद्ध एनपीए को 2.5% से कम रखने का प्रयास किया जाएगा.

आपके बैंक ने महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए 77 क्षेत्रीय समन्वयकों के साथ केन्द्रीय कार्यालय में 'महिला उद्यमी कक्ष' की स्थापना की है. बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केवल महिला उद्यमियों के लिए सीजीटीएमएसई कवर के साथ **सेन्ट कल्याणी** योजना प्रारम्भ की है

बैंक विभिन्न वित्तीय समावेशन अवधारणाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था के "अंतिम छोर" तक पहुंचने के लिए पूर्णतया प्रयासरत है. सरकार के **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** कार्यक्रम को बैंक द्वारा चरण - I में चयनित 43 जिलों में लागू किया है, जिनमें से हमारा बैंक 2 जिलों में अग्रणी बैंक है तथा चरण - II में इसे 78 जिलों में लागू किया है, जिनमें से हमारा बैंक 6 जिलों में अग्रणी बैंक है. इन जिलों में तथा अन्य नए जिलों में इस संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान आगे भी प्रगति होगी. यह कार्यक्रम हमारे बैंक में कासा जमा संग्रहण तथा ऋण विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगा.

मार्च 2013 में अपनी 4294 शाखाओं, जिनमें से दो तिहाई शाखाएं ग्रामीण व अर्द्धशहरी हैं तथा 3612 अति लघु शाखाओं के साथ बैंक अपनी "रिटेल बैंक" की स्थिति को बरकरार रखेगा. आपका बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि रिटेल तथा प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलियो में अब तक हुई वृद्धि की तुलना में अधिक तीव्रता से वृद्धि हो. मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने राष्ट्र की एक सशक्त एवं महान संस्था का नेतृत्व किया है. मुझे प्रतीत हो रहा है कि जब मैं 31 जुलाई, 2013 को सेवानिवृत्ति पर आपसे विदा लूंगा, तब प्रसन्नता एवं संतोष महसूस करने के लिए मेरे पास पर्याप्त प्रामाणिक कारण होंगे. जब मैंने 29 जून, 2011 को कार्यभार संभाला था, मैंने सभी स्टेकहोल्डर्स के मूल्य संवर्धन का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो कि कुछ हद तक हासिल करने में, मैं कामयाब रहा हूं, बैंक द्वारा प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कारों से भी यह परिलक्षित होता है. इस वर्ष के दौरान बैंक को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए; जैसे - सर्वोत्तम एच.आर. प्रैक्टिस के लिए '**गोल्डन पीकॉक एच. आर. एक्सेलेन्स अवार्ड 2012**', ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा '**बेस्ट एच.आर. स्ट्रैटिजिज एण्ड इनोवेशन इन एम्प्लॉइज रिटेंशन स्ट्रेटिजिज**', इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़, हैदराबाद में '**आउटस्टैण्डिंग लीडरशीप अवार्ड**', '**स्कॉच गोल्ड अवार्ड**' - '**इनोवेटिव अर्बन फाइनेंशियल इन्क्लूजन**', एवं '**रीचिंग लास्ट माईल**', '**ब्रैण्ड इक्विटी - टॉप 100 मोस्ट ट्रस्टेट ब्रैण्ड के अंतर्गत** 'भारत में 4था सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक'.साथ ही, बैंक ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधाविहीन एवं चुनौतीयुक्त बच्चों को सहायता, गो ग्रीन नीति के तहत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता कर सामाजिक उत्थान का दायित्व निभाया है. यह आपके निरंतर समर्थन के बगैर संभव नहीं था, जिसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं.

शुभकामनाओं के साथ,

आपका

(हस्ताक्षर)

मोहन वी.टांकसाले

स्थान: मुंबई
दिनांक: 31 मई, 2013

निदेशक मंडल श्री मोहन वी. टांकसाले श्री मलय मुखर्जी श्री आर.के.गोयल श्री आलोक टंडन श्री सलीम गंगाधरन श्री गुमान सिंह प्रो. एन. बालकृष्णन श्री एम.पी.शोरावाला श्री कृष्ण सेठी श्री एस. डी. रोड़े (दिनांक 02.04.2013 से प्रभावी)	**BOARD OF DIRECTORS** SHRI M.V. TANKSALE SHRI MALAY MUKHERJEE SHRI R.K. GOYAL SHRI ALOK TANDON SHRI SALIM GANGADHARAN SHRI GUMAN SINGH PROF. N. BALAKRISHNAN SHRI M.P. SHORAWALA SHRI KRISHAN SETHI SHRI S. D. RODE (w.e.f. 02.04.2013)
लेखापरीक्षक गण मेसर्स के.एस. अय्यर एण्ड कं. मेसर्स डी. रंगास्वामी एण्ड कं. मेसर्स घिया एण्ड कं. मेसर्स सैमसंद एण्ड असोशिएट्स मेसर्स कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स मेसर्स पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.	**AUDITORS** M/s K.S. Aiyar & Co. M/s D. Rangaswamy & Co. M/s Ghiya & Co. M/s Samsand & Associates M/s Kumar Chopra & Associates M/s P.K. Subramaniam & Co.
रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम) मुंबई-400 078 टेलीफोन : 022-25946970 फैक्स : 022-25946969 ईमेल आईडी : rnt.helpdesk@linkintime.co.in	**REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS** Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound LBS Marg, Bhandup (West) Mumbai-400078 Tel: 022-25946970 Fax: 022-25946969 Email Id: rnt.helpdesk@linkintime.co.in
बैंक के साथ पत्राचार हेतु पता सहायक महाप्रबंधक - एमबीडी / कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9वीं मंजिल, चन्दरमुखी नरीमन पॉइंट, मुंबई -400 021 संपर्क नंबर 022-66387818 फैक्स नंबर 022-22835198 ईमेल आईडी : 1. agmcompsec@centralbank.co.in 2. investors@centralbank.co.in	**ADDRESS FOR CORRESPONDENCE WITH THE BANK** AGM-MBD / Company Secretary and Compliance Officer Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai-400 021 Contact No.022-66387818 Fax No. 022-22835198 Email Id: 1) agmcompsec@centralbank.co.in 2) investors@centralbank.co.in

सूचना

एतद द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की छठी वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार, दिनांक 29 जून 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/ रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (प.), मुंबई 400056 में निम्नलिखित कारोबार के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

1. दिनांक 31 मार्च 2013 का लेखापरीक्षित तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता, लेखों द्वारा आवृत अवधि में बैंकों के कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं लेखों तथा तुलनपत्र पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा इन्हें स्वीकार करना.

2. वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश की घोषणा करना.

निदेशक मंडल के आदेश से

(हस्ताक्षर)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 10.05.2013

(ए. के. दास)

सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/ कंपनी सचिव

नोट :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक, अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है.

प्रॉक्सी को नियुक्त करने संबंधी लिखत, चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट मुंबई, 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 24 जून, 2013 को सायं: 5.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जाना चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की प्रति चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई, 400021 में स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात दिनांक 24 जून, 2013 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक प्रस्तुत न कर दी जाए.

3. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक का प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया गया है. शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर इसे सौंप दें. शेयरधारकों के प्रॉक्सी/ प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची-सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" अथवा "प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करना चाहिए तथा उन्हें, शेयरधारक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करा कर अपनी पहिचान का साक्ष्य साथ में रखना चाहिए.

5. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना :

शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता तय करने के लिए शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण बहियां, दिनांक 22 जून, 2013 (शनिवार) से दिनांक 29 जून, 2013 (शनिवार) (दोनों दिन शामिल है) तक बंद रहेगी. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रखे गए शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान शुक्रवार, दिनांक 21 जून, 2013 को डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार एवं उन शेयरधारकों, जिनके पास भौतिक रूप में शेयर है, को लाभांश का भुगतान, बैंक की वार्षिक साधारण बैठक की तारीख को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार किया जाएगा. लाभांश बैठक की तारीख से एक माह के अंदर प्रेषित किए जाएंगे.

6. लाभांश अथवा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (इसीएस) के लिए बैंक-अधिदेश:

सेबी ने बैंक सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश के वितरण हेतु डिविडेंट वारंट में शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक खाते के विवरण का उल्लेख करना एवं उपलब्धता पर इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उपयोग अनिवार्य कर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार ईसीएस/ एनईसीएस के माध्यम से शेयरधारक के खाते में सीधे जमा दी जाती है. कुछ केन्द्रों पर ईसीएस/ एनईसीएस की सुविधा उपलब्ध न होने तथा कुछ शेयरधारकों द्वारा यह सुविधा न लिए जाने की स्थिति में बैंक डिविडेण्ट वारंट पर अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण छपवाएगा.

6.1 भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक :

जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक स्वरूप में शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता, अत: शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर लें. आप बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा जो डीमेट सेवा प्रदान करती हो, में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं या निम्नलिखित से सीधे संपर्क कर सकते हैं:

कैपिटल मार्केट सेवा शाखा
आधार तल, एमएमओ बिल्डिंग
फोर्ट, मुंबई-400 001
ई-मेल: centraldemat@centralbank.co.in
टेलिफोन: 022 22623148
फैक्स: 022 22623150

शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित करने के अनेक फायदे हैं जैसे क्षति अथवा गलत सुपुर्दगी से बचाव, तीव्र निपटान, कागजरहित लेन-देन आदि. साथ ही पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन एवं लेनदेन के अनुरोध की सूचना भी एक ही स्थान पर अर्थात वह शाखा, जहां आपने अपना डीमेट खाता खोला है, में ही देनी होती है, चाहे आपके पास एक से अधिक कंपनियों/ संस्थाओं के शेयर हों.

तदापि, यदि आप शेयरों को डीमेट स्वरूप में परिवर्तित न कर उन्हें भौतिक स्वरूप में ही रखने हेतु इच्छुक हैं तो कृपया हमें निम्नलिखित बैंक विवरण प्रदान करें, ताकि हम लाभांश को (जब भी घोषित किया जाए) सीधे आपके खाते में जमा कर सकें.

- बैंक का नाम
- शाखा का पता
- बैंक खाता संख्या
- शाखा का 9 अंकीय एमआईसीआर कोड
- शाखा का आईएफएससी कोड

(अधिमानत: हमें एक निरस्त चेक/ चेक पत्रे की प्रतिलिपि प्रेषित करें).

कृपया नोट करें कि बैंक खाता, शेयरों के प्रथम धारक के नाम से होना चाहिए. पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसकी सूचना रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को दें.

यदि शनिवार, 29 जून 2013 को प्रस्तावित 6वीं वार्षिक सामान्य बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश घोषित किए जाते हैं, तो उसे प्राप्त करने हेतु प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा फोलियो नं या डीपीआईडी नं एवं क्लाइंट आईडी नं तथा धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए उपर्युक्त विवरण दिनांक 21.06.2013 को अथवा उसके पूर्व सीधे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट/डीपी को प्रस्तुत किए जाए.

6.2 डीमेट स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक :

हमारा सदैव प्रयास रहा है कि अपने सम्माननीय शेयरधारकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं. हमने पाया है कि कुछ शेयरधारक ऐसे हैं, जिनके पास डीमेट स्वरूप में शेयर्स हैं; परंतु उन्होंने अपने बैंक खातों में सीधे लाभांश राशि प्राप्त करने के लिए, उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपने बैंक खाते सम्बंधी विवरण पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं. तदनुसार, पूर्व में घोषित किए गए लाभांश उन्हें, उनके द्वारा डिपॉजिटरीज़ के पास दर्ज कराए गए पते पर लाभांश वारंट (डी.डब्लू.) के द्वारा भेजे गए हैं.

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यदि ऐसे शेयरधारकों ने उनके डीपी के पास उनके बैंक खाते के विवरण पंजीकृत/अद्यतन कराए होते तो लाभांश की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करा दी गई होती, इससे नियत तिथि पर लाभांश की द्रुतगति से प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती और इससे डाक द्वारा

लाभांश वारंट प्राप्त करने में लगे समय की बचत होती तथा लाभांश वारंट जमा करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती तथा लाभांश वारंट मार्ग में गुम/चोरी हो जाने की आशंका से अथवा उसके कपटपूर्ण नकदीकरण की संभावना से बचा जा सकता था.

तदनुसार, हम इन शेयरधारकों को उनके बैंक खाता विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार, उनके बैंक द्वारा जारी चेक पर विद्यमान नौ अंकीय एमआईसीआर कोड सं. को उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां वे डीमेट खाता रखते हों, के पास पंजीकृत/अद्यतन करने का सुझाव देते हैं, ताकि नियत तिथि पर उनके बैंक खाते में लाभांश राशि सीधे जमा की जा सके. इसके अतिरिक्त, वे बैंक या अपने आरटीए, जो कि लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. है, को सभी भावी लाभांश राशि, वापसी राशि या अन्य प्रेषणों, यदि कोई हो, को लाभांश वारंट, चेक, मांग ड्राफ्ट आदि द्वारा भेजे जाने के स्थान पर उनके बैंक खाते में जमा किए जाने हेतु अधिदेश उपर्युक्त बैंक विवरण के साथ सीधे भेज सकते हैं.

पते में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अभिलेख में अद्यतन करें.

यदि शेयरधारक उक्तानुसार अपने बैंक विवरणों को रजिस्टर/अद्यतन करने में इच्छुक न हो तो रजिस्ट्रार से पूर्व में प्राप्त बैंक अधिदेश या एनएसडीएल/सीडीएसएल से दिनांक 21 जून 2013 को डाउनलोड किए गए डाटा के अनुसार डिविडेण्ड वारंट प्रिंट किए जाएंगे.

7. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है:

वे शेयरधारक, जिन्होंने अपने लाभांश नहीं भुनाए हैं या जिन्हें पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे भुगतान किए जाने या डुप्लीकेट लाभांश जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण), अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के अनुसार अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि तक यदि लाभांश की राशि अदत्त अथवा अदावाकृत रहती है तो वह राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दी जाएगी और

तत्पश्चात इस भुगतान के संदर्भ में कोई दावा न तो बैंक और न ही आईईपीएफ पर लागू होगा.

8. शेयरधारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की संलग्न प्रति अपने साथ लाएं.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

(हस्ताक्षर)

ए.के. दास

सहायक महाप्रबंधक - एमबीडी/ कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10.05.2013

कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

कुल व्यवसाय (₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13
कुल व्यवसाय	1,36,265	1,84,607	2,18,012	2,69,225	3,10,763	3,46,898	4,02,272
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		35.48%	18.10%	23.49%	15.43%	11.63%	15.96%
कुल जमाराशि	82,776	1,10,320	1,31,272	1,62,107	1,79,356	1,96,173	2,26,038
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		33.28%	18.99%	23.49%	10.64%	9.38%	15.22%
कुल ऋण एवं अग्रिम	53,489	74,287	86,740	1,07,118	1,31,407	1,50,725	1,76,234
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.88%	16.76%	23.49%	22.67%	14.70%	16.92%
निवेश	29,037	32,646	44,445	52,008	54,847	59,577	72,662
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		12.43%	36.14%	17.02%	5.46%	8.62%	21.96%
ऋण जमा अनुपात	64.62%	67.34%	66.08%	66.08%	73.27%	76.83	77.97
आस्तियों पर प्रतिफल	0.62%	0.54%	0.45%	0.66%	0.70%	0.26%	0.44%

लाभप्रदता (₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 07	मार्च 08	मार्च 09	मार्च 10	मार्च 11	मार्च 12	मार्च 13
सकल आय	6,710	8,787	11,525	13,799	16,486	20,545	23,528
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		30.94%	31.17%	19.73%	19.47%	24.62%	14.52%
सकल व्यय	5,444	7,518	10,088	11,741	13,895	17,730	20,355
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		38.10%	34.18%	16.38%	18.35%	27.60%	14.81%
परिचालन लाभ	1,266	1,268	1,437	2,058	2,591	2,815	3,173
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		0.20%	13.28%	43.24%	25.90%	8.65%	12.72%
शुद्ध लाभ	498	550	571	1,059	1,252	533	1,015
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		10.47%	3.83%	85.36%	18.24%	(57.43%)	90.43%
निम (%)	3.28	2.53	1.97	1.86	3.31%	2.78	2.65
शुद्ध ब्याज आय	2,474	2,223	2,228	2,545	5,326	5,169	5,738
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		(10.16%)	0.22	14.23%	109.27%	(2.95%)	11.01%
गैर ब्याज आय	476	791	1,070	1,735	1,265	1395	1,667
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि		66.31%	35.26%	62.15%	(27.09%)	10.28%	19.50%

कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

जमा राशियाँ (₹ करोड़ में)

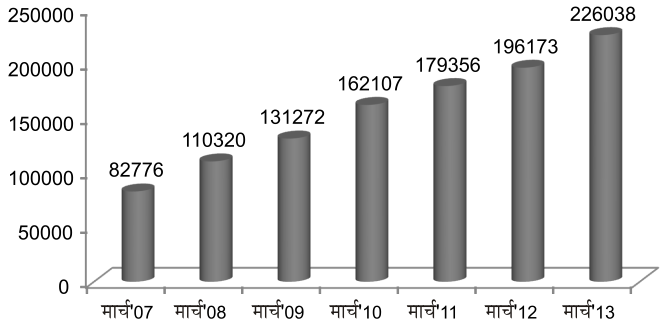

शुद्ध अग्रिम (₹ करोड़ में)

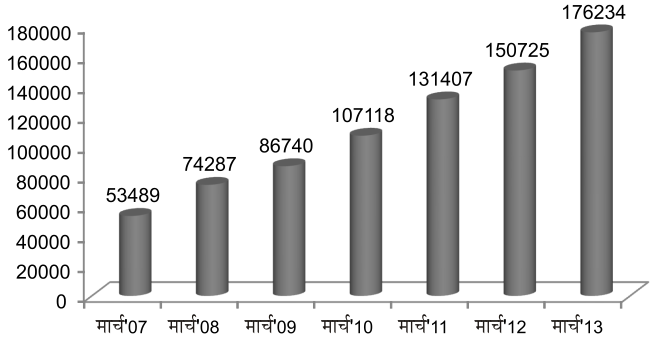

प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹ लाख में)

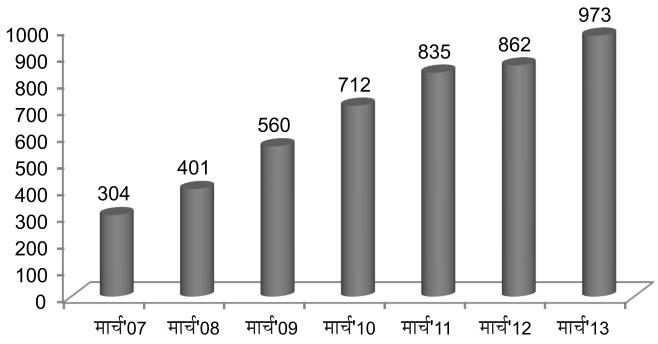

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (₹ करोड़ में)

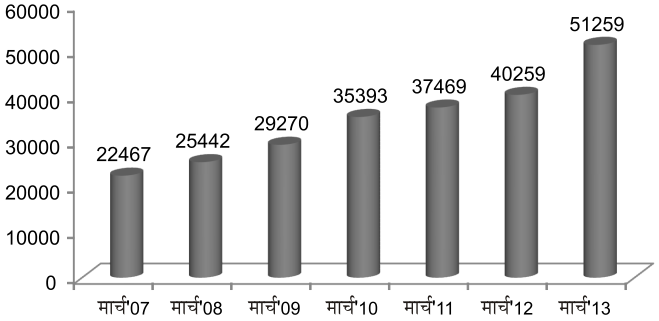

परिचालन लाभ (₹ करोड़ में)

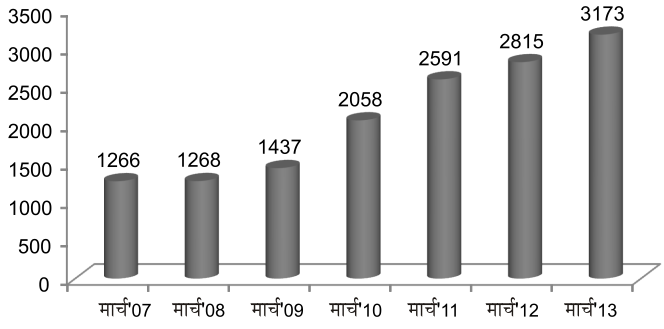

शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)

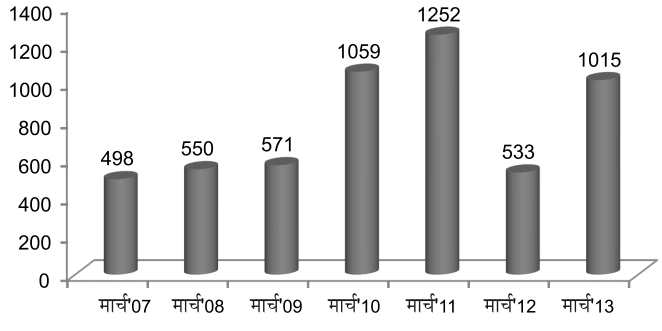

कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

ऋण जमा अनुपात (% में)

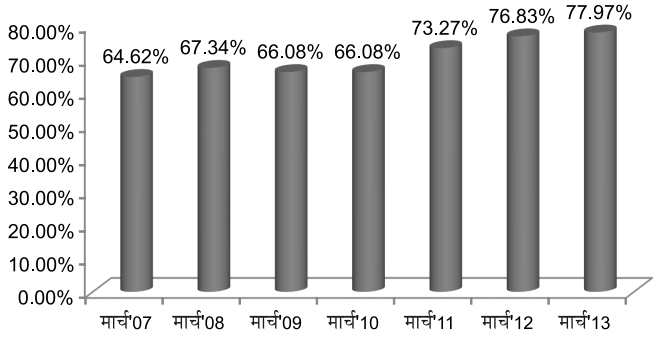

लागत आय अनुपात (% में)

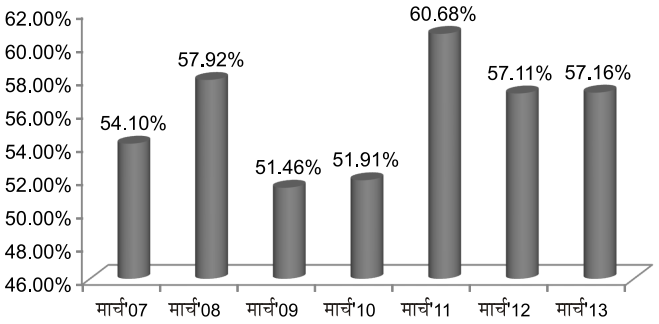

सकल एनपीए (% में)

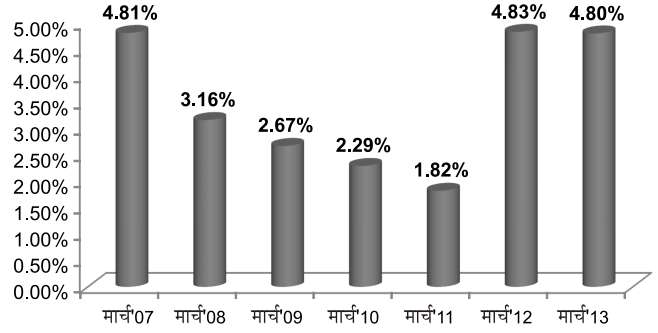

शुद्ध एनपीए (% में)

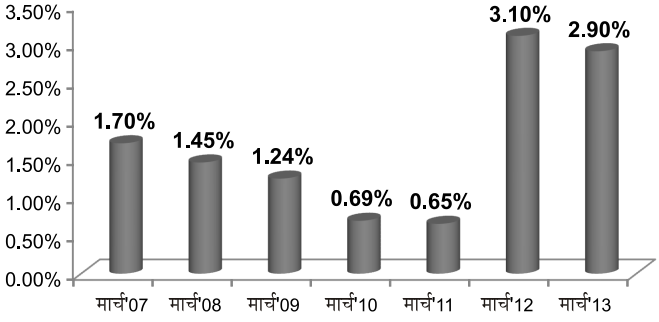

प्रावधान कवरेज अनुपात (% में)

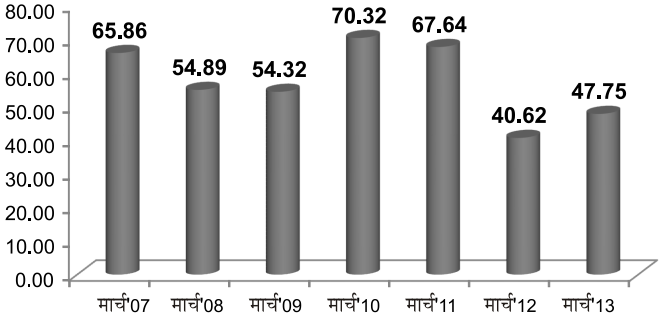

निदेशक रिपोर्ट 2012-13

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखा विवरण लाभ एवं हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है.

1. कार्यनिष्पादन वैशिष्ट्य

- बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 55374 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 4,02,272 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹ 3,46,898 करोड़ था, यह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.96% की वृद्धि दर्शाता है;
- कुल जमाराशियां ₹ 29,865 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 2,26,038 करोड़ हो गईं, जो 15.22% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्शाता है.
- बैंक के सकल अग्रिम ₹ 25,509 करोड़ की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 1,76,234 करोड़ हो गए, जो 16.92% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है.
- बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर ₹ 3173 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2011-12 में ₹ 2815 करोड़ था. यह 12.72% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है.
- वित्त वर्ष 2012-13 में शुद्ध लाभ ₹1015 करोड़ हुआ, जो वित्त वर्ष 2011-12 में ₹ 533 करोड़ था. यह 90.43% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल- II के अनुसार) 11.49 प्रतिशत रहा, जबकि गत वर्ष यह 12.40 प्रतिशत था.
- शुद्ध मालियत ₹ 10550.44 करोड़ से बढ़कर ₹ 13443.12 करोड़ हो गई.
- बैंक का सकल एनपीए ₹ 1183 करोड़ बढ़कर ₹ 8456 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष 7273 करोड़ था. प्रतिशतता की दृष्टि से सकल एनपीए वित्त वर्ष 2012-13 में घटकर 4.80 प्रतिशत हो गया, जबकि गत वर्ष यह 4.83 प्रतिशत था.
- शुद्ध एनपीए गत वर्ष के ₹ 4557 करोड़ से बढ़कर ₹ 4988 करोड़ हो गया. शुद्ध एनपीए प्रतिशत गत वर्ष के 3.10 प्रतिशत से घटकर 2.90 प्रतिशत रह गया.
- प्रावधान कवरेज अनुपात बढ़कर 47.75% हो गया, जो मार्च 2012 में 40.62% था.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (निम) वित्त वर्ष 2011-12 के 2.78 प्रतिशत से घटकर 2.65 प्रतिशत रह गया.
- प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय बढ़कर ₹ 973 लाख हो गया, जो गत वर्ष ₹ 862 लाख था.
- प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ बढ़कर ₹ 2.83 हो गया, जो मार्च 2012 में ₹ 1.51 लाख था.
- **आस्तियों का प्रतिफल (आरओए) मार्च 2012 के 0.26 प्रतिशत से बढ़कर 0.44 प्रतिशत हो गया.**
- प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण वर्ष-दर-वर्ष 27.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, गत वर्ष के ₹ 40259 करोड़ से बढ़कर ₹ 51252 करोड़ हो गए.
- कृषि ऋण वर्ष-दर-वर्ष 30.84% की वृद्धि के साथ ₹ 24,660 करोड़ हो गया, जो वर्ष 2011-12 में ₹ 18,848 करोड़ था.
- सूक्ष्म ऋण एवं अन्य (प्रति उधारकर्ता ₹ 50,000 तक ऋण) के अंतर्गत, बैंक ने ₹ 233 करोड़ का ऋण प्रदान किया है.
- समीक्षा वर्ष के दौरान, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) को अग्रिम बढ़कर ₹ 17289 करोड़ हो गया, जबकि गत वर्ष यह ₹ 13161 करोड़ था.
- वर्ष के दौरान, 13957 नए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए, जिनमें से 12397 एसएचजी को ऋण संबंद्ध किया गया.
- सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत, बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान, 15047 एसजीएसवाय लाभार्थियों, 11384 एसजेएसआरवाय लाभार्थियों एवं उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान की,
- बैंक ने समाज के कमजोर वर्ग से सम्बंधित उधारकर्ताओं को ₹ 15521 करोड़ के ऋण प्रदान किए.

- वर्ष के दौरान, शैक्षणिक ऋण 19.01 प्रतिशत से बढ़कर कुल ऋण ₹ 2567 करोड़ हो गया.
- बैंक ने पूरे देश में 46 ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित किए.
- वर्ष के प्रारंभ में, बैंक के पास 7 राज्यों के 57 जिलों को कवर करते हुए 1806 शाखाओं के नेटवर्क के 7 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) थे, इनमें से 2 आरआरबी का अन्य आरआरबी में विलय हो गया और 2 अन्य बैंकों केआरआर बी का हमारे सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में विलय हो गया. दिनांक 31.03.2013 को हमारे पास 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जो 5 राज्यों के 54 जिलों में 1799 शाखाओं के साथ फैले हैं.
- बैंक को 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले 3728 गांव आवंटित किए गए थे. बैंक ने इन सभी गांवों को 116 शाखाओं एवं 3612 बीसी एजेन्टों के माध्यम से कवर कर लिया है. बैंक ने अपनी सभी 3612 अतिसूक्ष्म शाखाएं खोल दी हैं.
- बैंक का कॉर्पोरेट ऋण वर्ष-दर-वर्ष 21.59% की वृद्धि दर्ज करते हुए, गत वर्ष के ₹ 98960 करोड़ से बढ़कर ₹ 120328 करोड़ हो गया.
- रिटेल ऋण 31.30% बढ़कर वित्त वर्ष 2011-12 के ₹ 16915 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2012-13 में ₹ 22209 करोड़ हो गया.
- **"सेन्ट कॉम्बो"** आवास ऋण एवं वाहन ऋण का संयुक्त स्वरूप है, जिसमें आकर्षक ब्याज दरों तथा झंझटमुक्त स्वीकृति प्रक्रिया का संयोजन है. 30 वर्ष तक की अवधि के ₹ 896/- प्रति लाख की न्यूनतम ईएमआई वाले आवास ऋण और 84 माह तक की अवधि के ₹ 1673/- प्रति लाख की न्यूनतम ईएमआई वाले वाहन ऋण स्वीकृति प्रक्रिया के साथ इसका शुभारंभ किया गया. कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार की गई है.
- वर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने जीवन बीमा में ₹ 15.23 करोड़ एवं गैर बीमा व्यवसाय में ₹ 9.02 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.
- एलआईसी द्वारा सभी 77 क्षेत्रों को बीमा रीज़न एवं 835 शाखाओं को बीमा बैंक घोषित किया गया है.
- दिनांक 31 मार्च, 2013 को बैंक के पास देश भर में 4294 शाखाओं का नेटवर्क विद्यमान है. वर्ष के दौरान, 283 शाखाएं खोली गईं, जिसमें 13 विस्तार पटलों को संपूर्ण शाखाओं में परिवर्तित करना शामिल है.
- बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2013 तक 2529 एटीएम स्थापित किए.
- संगठनात्मक पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतर्गत, बैंक ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्णय-प्रक्रिया में तीव्रगति सुनिश्चित करने के लिए और अधिक अधिकार प्रत्यायोजित किए तथा आंचलिक प्रबंधकगण कॉर्पोरेट लक्ष्यों को हासिल करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बिजनेस फेसिलिटेटर के रूप में कार्य करेंगे.

2. आय एवं व्यय

वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए आय एवं व्यय के विवरण निम्नानुसार दिए जा रहे हैं :

					(₹ करोड़ में)
		31.03.2013	**31.03.2012**	**परिवर्तन**	**%**
1	**ब्याज आय**	21861	19150	2711	14.16
	-अग्रिम	16922	14421	2501	17.34
	-निवेश	4779	4347	432	9.94
	-अन्य	160	382	(222)	(58.12)
2	**अन्य आय**	1667	1395	272	19.50
	(निवेशों की बिक्री पर लाभ)				
3	**कुल आय (1+2)**	23528	20545	2983	14.52
4	**प्रदत्त ब्याज**	16123	13981	2142	15.32
	-जमाराशियां	14940	12996	1944	14.96

	-अन्य	1183	985	198	20.10
5	**परिचालन व्यय**	4232	3749	483	12.88
	-स्थापना	2891	2506	385	15.36
	-अन्य	1341	1243	98	7.88
6	**कुल व्यय (4+5)**	20355	17730	2625	14.81
7	स्प्रैड (1-4)	5738	5169	569	11.01
8	परिचालन लाभ (3-6)	3173	2815	358	12.72
9	प्रावधान-एनपीए/निवेश/अन्य	1853	2169	(316)	(14.57)
10	कर के लिए प्रावधान	305	113	192	169.91
11	शुद्ध लाभ	1015	533	482	90.43

- वर्ष के दौरान, ब्याज आय में 14.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- जमाओं पर प्रदत्त ब्याज 14.96% से बढ़कर मार्च 2013 में ₹ 14940 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष ₹.12996 करोड़ था.
- वर्ष के दौरान, प्रत्याशित वेतन पुनरीक्षण के लिए ₹ 100 करोड़ के वांछित प्रावधान के कारण कर्मचारियों पर व्यय ₹ 385 करोड़ बढ़कर ₹ 2891 करोड़ हो गया, जो गत वर्ष ₹ 2506 करोड़ था.

3. प्रावधान

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित ₹ 2158 करोड़ के कुल प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

			(₹ करोड़ में)
	31.03.2013	**31.03.2012**	**परिवर्तन**
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	91	54	37
एनपीए के लिए प्रावधान	1930	1962	(32)
निवेश पर मूल्यह्रास/प्रावधान	(163)	151	(314)
करों के लिए प्रावधान	305	113	192
अन्य	(5)	2	(7)
कुल	2158	2282	(124)

4. लाभप्रदता अनुपात

		(प्रतिशत में)
	31.03.2013	**31.03.2012**
जमाओं की लागत	7.42	7.20
निधियों की लागत	7.53	7.28
अग्रिमों पर आय	11.14	11.36
निवेशों पर आय	7.60	7.53
शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.65	2.78
लागत आय अनुपात	57.16	57.11

- जमाओं की लागत वर्ष 2013 में 7.42 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष 2012 में 7.20 प्रतिशत थी.
- वर्ष 2012-13 में अग्रिमों पर आय का प्रतिशत 11.14 रहा तथा निवेश पर आय का प्रतिशत 7.60 रहा, जो वर्ष 2011-12 में 7.53% था.
- शुद्ध ब्याज मार्जिन गत वर्ष के 2.78 प्रतिशत से घटकर 2.65 प्रतिशत रहा.
- समीक्षा वर्ष में लागत आय अनुपात बढ़कर 57.16 प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 2012 में 57.11 प्रतिशत था.

5. बैंकिंग अनुपात

	(प्रतिशत में)	
	2012-13	**2011-12**
ब्याज आय-औसत कार्यशील निधि (ए डब्ल्यू एफ)	9.46	9.22
गैर ब्याज आय - ए डब्ल्यू एफ	0.72	0.67
परिचालन लाभ - ए डब्ल्यू एफ	1.37	1.36
औसत आस्तियों पर प्रतिफल	0.44	0.26
प्रति कर्मचारी ब्यावसाय (₹ लाख में)	973	862
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	2.83	1.51

6. जोखिम भारित आस्तियां एवं पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)

पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संविभाग निम्नानुसार हैं :

	31.03.2013		**31.03.2012**	
	बेसल-I	**बेसल-II**	**बेसल-I**	**बेसल-II**
जोखिम भारित आस्तियां (रु. करोड़ में)	**18253035**	**17765807**	**147958**	**140823**
पूंजी निधियां (प्रतिशत में)				
टियर-I	**7.95**	**8.09**	**7.50**	**7.79**
टियर-II	**3.38**	**3.40**	**4.46**	**4.61**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	**11.33**	**11.49**	**11.96**	**12.40**

7. शुद्ध लाभ एवं लाभांश

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 1015 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया. निदेशक मंडल को इक्विटी शेयर पूंजी पर 25 प्रतिशत की दर से अर्थात प्रत्येक ₹ 10/-के इक्विटी शेयर पर ₹ 2.50/- लाभांश घोषित करने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता है.

8. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- श्री मलय मुखर्जी को दिनांक 05.11.2012 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें दिनांक 05.11.2012 को श्रीमती वी. आर. अय्यर का कार्यकाल समाप्त होने पर नियुक्त किया गया है.
- दिनांक 11.01.2013 को श्री आर.के.दुबे का कार्यकाल समाप्त होने पर, श्री आर.के.गोयल को दिनांक 11.01.2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है.
- श्री बृजलाल क्षत्रिय का शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यकाल दिनांक 20.03.2013 को समाप्त हो गया.
- श्री रोमेश सभरवाल एवं मेजर (सेवानिृत्त) वेद प्रकाश, अंशकालीन बैंक केगैर सरकारी निदेशकगण का कार्यकाल क्रमश: दिनांक 06.10.2012 एवं दिनांक 20.10.2012 को समाप्त होने से वे निदेशक के पद पर नहीं रहे.
- श्री एम.पी.शोरावाला एवं श्री कृष्ण सेठी को बैंक के अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशकगण के पद पर क्रमश: दिनांक 03.01.2013 एवं दिनांक 28.02.2013 को नियुक्त किया गया.
- श्री बी.एस.रामबाबू का बैंक के कर्मकार निदेशक के रूप में कार्यकाल दिनांक 15.03.2013 को समाप्त हो गया.

निदेशक मंडल, श्रीमती वी.आर.अय्यर, श्री आर.के.दुबे, श्री बृजलाल क्षत्रिय, श्री रोमेश सभरवाल, मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश एवं श्री बी.एस. रामबाबू, जो वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक पद पर नहीं रहे हैं, द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य योगदान की सराहना करते हुए रेखांकित करता है.

9. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय ;

- महत्त्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हैं, के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार तैयार लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप में लागू किया गया है;
- समुचित एवं विवेकसम्मत निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कारोबारी मामलों का तथा दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के अंत में बैंक के लाभ का सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया जा सके;
- भारत में बैंकों को अधिशासित करने वाले नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने में समुचित एवं पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं; एवं
- लेखे, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किए गए हैं.

10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को अक्षरश: अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सुस्पष्ट लिखित प्रणाली तथा प्रथाओं को अक्षरश: अपनाया है.

11. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता है; निदेशक मंडल अपने ग्राहकों एवं शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त निर्बाध समर्थन एवं विश्वास के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों के योगदान एवं समर्पित सेवाओं की प्रशंसा करता है.

निदेशक मंडल की ओर से

(हस्ताक्षर)
मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2013

प्रबंधतंत्र विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

भाग ए - आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक गतिविधियां

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2012 में वैश्विक विकास दर 3.2% आकलित की है और वर्ष 2013 के लिए यह दर 3.3% रहने का अनुमान लगाया है तथा अमेरिका में तीव्र सुधरती परिस्थितियों को देखते हुए, वर्ष 2014 में विकास दर 4.0% तक पहुंचना अनुमानित है. वर्ष 2012 में उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईडीई) 5.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है तथा वर्ष 2013 व 2014 में ये दरें क्रमश: 5.3% व 5.7% हो जाने का अनुमान है.
- विकसित अर्थव्यवस्था में वित्तीय मितव्ययिता उपायों के नाम से मौद्रिक स्थिरता की राहत में वर्ष 2012 की अंतिम तिमाही से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों की मनोदशा को बल मिला है. विशेषतौर पर जापान द्वारा हाल ही में लागू की गईं प्रोत्साहक नीतियों एवं अमेरिका में सुधरते आर्थिक आंकड़ों के दम पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हांसिल की हैं.
- आईएमएफ की अप्रैल 2013 की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मौद्रिक एवं तरलता की स्थिरता में सुगमता के कारण पिछले छ: माह में वैश्विक वित्तीय बाजारों की परिस्थितियाँ काफी अनुकूल बनी हैं और ये अनुकूल होती परिस्थितियां वर्ष 2013 में आर्थिक विकास की संभावनाओं को और बल प्रदान कर रही हैं.

घरेलू अर्थव्यवस्था

1. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि

वर्ष 2012-13 के दौरान, घरेलू एवं वैश्विक दोनों ही घटकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को प्रभावित किया है. इस वर्ष अर्थव्यवस्था को उच्च मुद्रास्फीति, वित्तीय घाटे में बढ़ोतरी एवं चालू खाते में घाटे (सीएडी) के निरंतर बढ़ने जैसी विविध चुनौतियों का सामना करना पड़ा है.

- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर, जो वर्ष 2011-12 में 6.2% थी, उसके वित्त वर्ष 2012-13 में 5% रहने की संभावना है. तीनों प्रमुख क्षेत्रों यथा; कृषि, उद्योग एवं सेवा में वृद्धि की दर सामान्य ही रही है.
- वर्ष 2012-13 में कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों में 1.8% की वृद्धि दर्ज हुई, जबकि वर्ष 2011-12 में यह 2.8% थी. विलंबित मानसून ने खरीफ उत्पादन को अवश्य प्रभावित किया है; लेकिन रबी फसल की संभावनाएं बेहतर हुई हैं. नवीनतम प्राक्कलनों के अनुसार, वर्ष 2012-13 में खाद्यान्नों का उत्पादन 250 मिलियन टन होने का अनुमान है.
- वर्ष 2012-13 में, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में हुई कमी के कारण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि दर वर्ष 2011-12 के 2.9% की तुलना में गिरकर 1% रही.
- वर्ष 2012-13 में सेवा क्षेत्र (निर्माण क्षेत्र को छोड़कर) में पिछले वित्त वर्ष के 8.5% की तुलना में 6.5% की वृद्धि होना संभावित है.

2. मुद्रास्फीति

- थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) द्वारा मापी गई मुख्य मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2011-12 के 8.9% की तुलना में वर्ष 2012-13 में औसतन 7.3% के सामान्य स्तर पर रही.
- मानसून में विलंब और धान के न्यूनतम समर्थ मूल्य में वृद्धि के कारण, खाद्यान्न मुद्रास्फीति वर्ष भर उच्च स्तर पर बनी रही, जिसकी थोक मूल्य सूचकांक में भारिता लगभग 24% है. ईंधन के नियंत्रण मूल्यों में वृद्धिशील संशोधन एवं डीज़ल की कीमतों में क्रमवद्ध बढ़ोतरी के कारण ईंधन स्फीति वर्ष के दौरान लगभग दुगुनी हो गई.
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खुदरा स्फीति, जो मौटेतौर पर खाद्यान्न स्फीति से प्रभावित होती है. वह वर्ष के दौरान वर्ष 2012-13 में औसतन 10.2% रही.

3. बाह्य क्षेत्र

- बाह्य क्षेत्र में, वर्ष 2012-13 में पण्य निर्यात 2% घटकर यूएस डॉलर 301 बिलियन रह गए, जो निर्देशात्मक लक्ष्यों यूएस डॉलर 350 बिलियन से बहुत कम है. दूसरी ओर, आयात में 0.44% की मामूली बढ़त के साथ यूएस डॉलर 491 बिलियन हो गए.
- इससे व्यापार घाटा एवं चालू खाता घाटा (सीएडी) और बढ़ गया. ऐसे समय जब निर्यात घटते रहे और आयातों (तेल एवं स्वर्ण) में जबरदस्त वृद्धि होने से, माह अप्रैल-दिसम्बर 2012-13 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 5.4% रहा, जो वर्ष 2011-12 की समान अवधि में 4.1% था.

- वर्तमान वित्त वर्ष में, यूएस डॉलर के सापेक्ष रुपये की विनिमय दर में भारी अस्थिरता देखी गई. कुल मिलाकर, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान यूएस डॉलर के सापेक्ष रुपया तेजी से गिरा. नियंत्रित निवेश के वातावरण में, उच्च चालू खाता घाटा एवं पूंजी प्रवाह की गिरती प्रवृति ने रुपये को सतत दवाब में बनाए रखा.
- भारत में माह अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का प्रवाह यूएस डॉलर 22.2 बिलियन रहा, जो माह अप्रैल-दिसम्बर 2011 के दौरान यूएस डॉलर 28.5 बिलियन की अपेक्षा 22.1% था.

4. मौद्रिक गतिविधियां

- वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति ने संतुलित विकास एवं स्फीति गत्यामकता में संतुलन बनाने के लिए सही मापन प्रतिबिम्बित किया. वर्ष 2012-13 के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 बार में रेपो रेट को 100 आधार बिंदु किया.
- वर्ष के दौरान, समग्र तरलता की स्थिति तंगी के अधीन रही. वर्ष 2012-13 के दौरान, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के माध्यम से तरलता का औसत दैनिक अंतर्प्रवाह लगभग रु.81,678 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के रु.78,686 करोड़ के औसत से काफी अधिक था.
- तरलता स्थिति को सुगम बनाने की दृष्टि से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सीआरआर 75 आधार बिंदु कम करते हुए 4.75% से घटाकर 4.00% कर दिया और सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को 100 आधार बिंदु कम करते हुए 24% से घटाकर 23% कर दिया. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, स्थूल मुद्रा (एम3) में 13.3% की आंशिक वृद्धि देखी गई और यह पिछले वर्ष 2011-12 में 13.2% थी.

5. बैंकिंग उद्योग की गतिविधियां

- वित्त वर्ष 2011-12 में समेकित जमाराशियों में 13.4% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 में यह वृद्धि 13.5% रही. वित्त वर्ष 2012-13 में ऋणों की वृद्धि घटकर 14.1% रही, जो वर्ष 2011-12 में 17% थी. ऋण की वृद्धि दर में गिरावट का मुख्य कारण ऋण-सघनता वाले विनिर्माणी क्षेत्रों में मंदी तथा सुस्त निवेश मांग होना था.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में नए बैंक खोलने के लिए अंतिम दिशानिर्देश हाल ही में जारी किए हैं. वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र का मार्जिन बढ़ती हुई पूंजी आवश्यकता, व्ययों के लिए उच्चतर प्रावधानीकरण और बढ़ते वेतन संबंधी खर्च जैसी चुनौतियों के कारण दवाबग्रस्त है तथा नए बैंकों का प्रवेश विद्यमान बैंकों के मार्जिन पर और दबाव डालेगा. साथ ही, उच्च एवं संशोधित प्रकृति के साथ पूंजी आवश्यकता वाली बेसल III संरचना के कारण अतिरिक्त पूंजी जुटाने की चुनौती बैंकों के समक्ष सदैव बनी रहेगी.

भाग बी- बैंक का कार्य-निष्पादन

व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च, 2013, को बैंक का कुल व्यवसाय रु.402272 करोड़ था, जो पिछले वर्ष के रु.346898 करोड़ की तुलना में 15.96% की वृद्धि दर्शाता है. परिचालन लाभ पिछले वर्ष के रु.2815 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 12.72% की वृद्धि दर्शाते हुए रु.3171 करोड़ हो गया. बैंक ने वर्ष 2012-13 में रु.1015 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष में रु.533 करोड़ था.

संसाधन संग्रहण

दिनांक 31 मार्च, 2013 को कुल जमा राशियाँ पिछले वर्ष की राशियों में 15.22% की वृद्धि के साथ रु.226038 करोड़ हो गई. बचत जमा राशियाँ पिछले वर्ष के रु.52595 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में रु.59090 करोड़ हो गयी है. चालू जमा राशियाँ, वर्ष 2012-13 में बढ़कर रु.14491करोड़ हो गई जो वर्ष 2011-12 में रु.12680 करोड़ थीं. कुल जमा राशियों में कासा की हिस्सेदारी 32.55% थी. मीयादी जमा राशियाँ 16.47% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ वर्ष 2011-12 के रु.130898 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में रु.152457 करोड़ हो गई, जबकि स्थायी मीयादी जमा में 42.25% की वृद्धि हुई और यह वर्ष 2011-12 के रु.68451 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में रु.97372 करोड़ हो गई.

बैंक के द्वारा जमाओं में वृद्धि के लिए अनेक नए उत्पादों एवं पहलों का शुभारम्भ किया गया था, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

1) नए उत्पाद -

- हमारे महत्त्वपूर्ण ग्राहकों के लिए नई स्वागत किट के साथ बचत खाते का नया स्वरूप "सेन्ट प्रीमियम" प्रारम्भ किया गया है.
- चालू खाते के प्रीमियम स्वरूप "सेन्ट सिल्वर", "सेन्ट गोल्ड" एवं "सेन्ट डायमंड" प्रारम्भ किए गए हैं.
- प्रीमियम के ग्राहकों की पहचान के लिए एक नए प्रकार की चेक बुक प्रारम्भ की गई है.
- स्थायी जमाओं में सुदृढ़ वृद्धि के लिए फ्लैक्सी आरडीएस योजना "सेन्ट स्वशक्ति" प्रारम्भ किया गया.
- हमारे ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आरडीएस योजना में एक और प्रकार "सेन्ट लाखपति" को समाविष्ट कर योजना की नई पैकेजिंग की गई है.

- अल्पावधि जमाएं हासिल करने के लिए "सेन्ट 101" के नाम से एक अल्पावधि योजना प्रारंभ की गई थी और एक महीने में ही इस योजना के समाप्त होने से पूर्व इसके अंतर्गत रु.1500 करोड़ का संग्रहण हुआ.
- वैतनिक वर्ग के लिए "सेन्ट सैलरी" बचत योजना प्रारम्भ की गई है.
- बड़ी राशियों के खाते आकर्षित करने के लिए चालू खातों एवं बचत खातों के साथ में भी दैनिक स्वीप सुविधा उपलब्ध करा कर सेन्ट संवृद्धि योजना को एक सर्वथा नया स्वरूप प्रदान किया गया है.

2) नई पहलें -

- वर्षभर चलाए गए विभिन्न प्रकार के कासा अभियान एवं प्रतियोगिताओं के आयोजन के परिणामस्वरूप प्रति शाखा प्रतिदिन खोले गए नए खातों की संख्या का औसत 2.54 से बढ़कर 3.62 खाते प्रति शाखा प्रतिदिन हो गया.
- सेन्ट प्रीमियम ग्राहकों को उनके जन्म दिवस पर पुष्प-गुच्छ से सम्मानित करने के लिए "ग्राहक प्रसन्नता" कार्यक्रम की शुरुआत की गई है.

3) आगामी योजनाएं -

- ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन में वृद्धि के लिए बचत खातों में रिवॉर्ड पॉइंट योजना प्रारंभ की जा रही है.
- अधिक-से-अधिक 'नेट सेवी" ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा प्रारंभ की जा रही है.
- एफआरएफडी(परिवर्तनीय सावधि जमा) योजना शीघ्र प्रारंभ की जा रही है.

ऋण

दिनांक 31.03.2013 को बैंक के सकल ऋण पिछले वर्ष के रु.150725 करोड़ से बढ़कर रु.176234 करोड़ हो गए हैं, जो 16.92% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाता है. ऋणों में यह वृद्धि विभिन्न खंडों में निम्नानुसार विभक्त है :

₹ करोड़ में

	31.03.2012 को	31.03.2013 को	वृद्धि (%)
कॉर्पोरेट ऋण	98960	120328	21.59
कृषि	18848	24660	30.84
एमएसई	13161	17289	31.36
रिटेल ऋण	16915	22209	31.30

ऋण निगरानी विभाग

- बैंक ने एक सुपरिभाषित निगरानी नीति लागू की है, जिसमें एसएमए प्रबंधन के सभी पहलु, प्रारंभिक चेतावनी संकेतक, निगरानी तथा अनुवर्तन उपायों एवं सूचना प्रणाली सहित, एसएमए (विशेष उल्लेखित खाते) प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश समाविष्ट हैं.
- यह नीति मई, 2011 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई थी तथा दिनांक 1 जुलाई, 2011 को पूरे बैंक में लागू की गई थी. इस नीति की मई, 2012 में समीक्षा की गई थी.
- दिनांक 1 अगस्त, 2011 से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के स्वतन्त्र प्रभार में स्वतन्त्र ऋण निगरानी विभाग बनाया गया है.
- निगरानी नीति दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अनियमित/एसएमए खातों की प्रत्येक महीने समीक्षा तथा निगरानी हेतु केन्द्रीय कार्यालय के साथ-साथ फील्ड स्तर पर भी निगरानी समिति का गठन किया गया है.
- निगरानी कौशल/जागरूकता में अभिवृद्धि के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रमुखों/उप क्षेत्रीय प्रबंधकों/ऋण समीक्षा अधिकारियों सहित फील्ड पदाधिकारियों हेतु विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है.
- दबावग्रस्त खातों के आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन की कार्ययोजना बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक कार्यालयों में स्थानीय बैठकों के अथवा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से एसएमए ग्राहकों के साथ बैठकें की गईं.
- कॉर्पोरेट, एसएमई, रिटेल तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों की रियल टाइम निगरानी के लिए बैंक द्वारा केंद्रीकृत ऋण मूल्यांकन प्रणाली तथा पर्यवेक्षण (क्लास) सॉफ्टवेयर को भी क्रियान्वित किया गया है.
- गहन ऋण निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए परोक्ष निगरानी पर्यवेक्षण व्यवस्था प्रारम्भ किए जाने संबंधी कदम उठाये गए हैं.

- सीबीएस प्रणाली में पुनर्संरचना संबंधी संपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं.
- वर्ष के दौरान सिबिल उपभोक्ता आंकड़ों का स्वीकार्यता स्तर सुधर कर 23% से 70% हो गया है.
- बैंक ने पिछली सभी वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों का बिंदुवार अनुपालन प्रस्तुत कर दिया है तथा वर्ष 2011 तक की रिपोर्टें बंद की जा चुकी हैं एवं वार्षिक वित्तीय निरीक्षण 2012 के सभी अवलोकनों का प्रत्युत्तर दे दिया गया है.

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, बैंक के लिए एक विशेष ध्यान देने योग्य कार्य क्षेत्र रहा है और तदनुसार कृषि, एमएसई जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में पर्याप्त जोर दिया गया है. परिणामस्वरूप, प्राथमिक क्षेत्र में हमारी प्रगति पर्याप्त प्रभावी रही है.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण प्रत्यायोजन रु.40259 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में रु.51252 करोड़ हो गया, जिससे इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.76% की वृद्धि दर्ज की गई. दिनांक 31.03.2013 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विविध अनुभागों के अंतर्गत बैंक का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार रहा :-

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	विवरण	मार्च 2012	मार्च 2013	वृद्धि (%)
	समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी)	131277	151116	
1	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम एएनबीसी का प्रतिशत	40259 30.67	51259 33.92	27.31
2	कुल कृषि ऋण एएनबीसी का प्रतिशत	18848 14.36	24660 16.32	30.84
3	प्रत्यक्ष कृषि ऋण एएनबीसी का प्रतिशत	15047 11.46	18881 12.49	25.48
4	अप्रत्यक्ष कृषि ऋण एएनबीसी का प्रतिशत	3801 2.90	5779 3.82	52.04
5	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी	13161	17289	31.36
6	शैक्षिक ऋण	2057	2525	22.75
7	आवास ऋण (रु. 25.00 लाख तक)	5981	6545	9.43
8	सूक्ष्म ऋण एवं अन्य	212	233	9.91

प्राथमिकता क्षेत्र

₹ करोड़ में

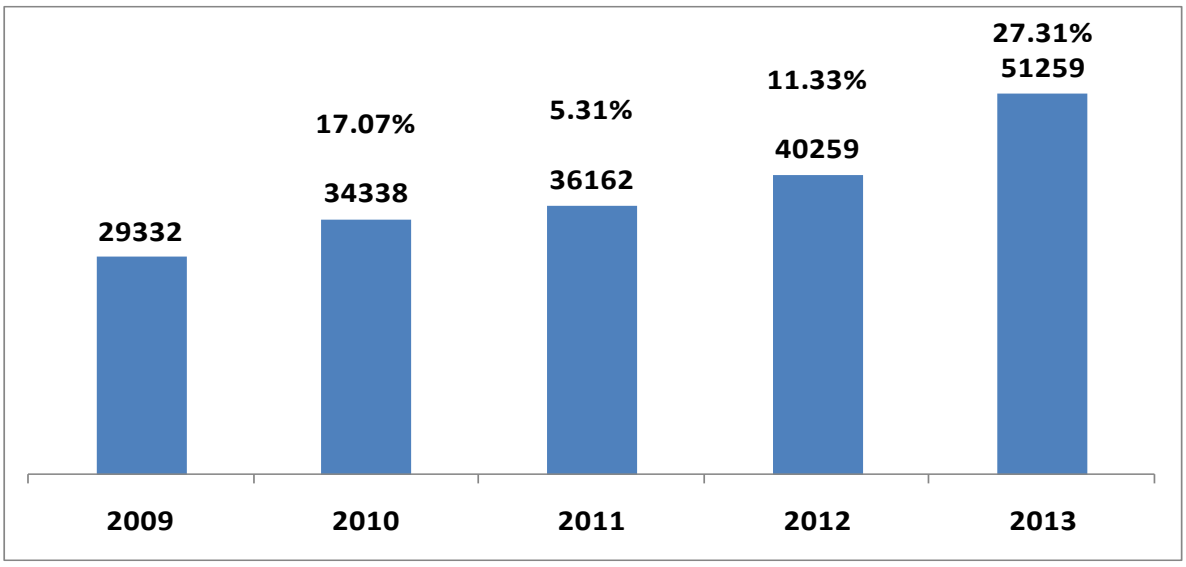

कृषि

कुल कृषि ऋण, दिनांक 31.03.2012 के रु.18848 करोड़ के स्तर से बढ़कर दिनांक 31.03.2013 को रु.24660 करोड़ हो गया और इनमें 30.84% की वृद्धि दर्ज हुई. समायोजित शुद्ध बैंक ऋण(एएनबीसी) में इनकी हिस्सेदारी 14.36% से बढ़कर 16.32% हो गई है.

₹ करोड़ में

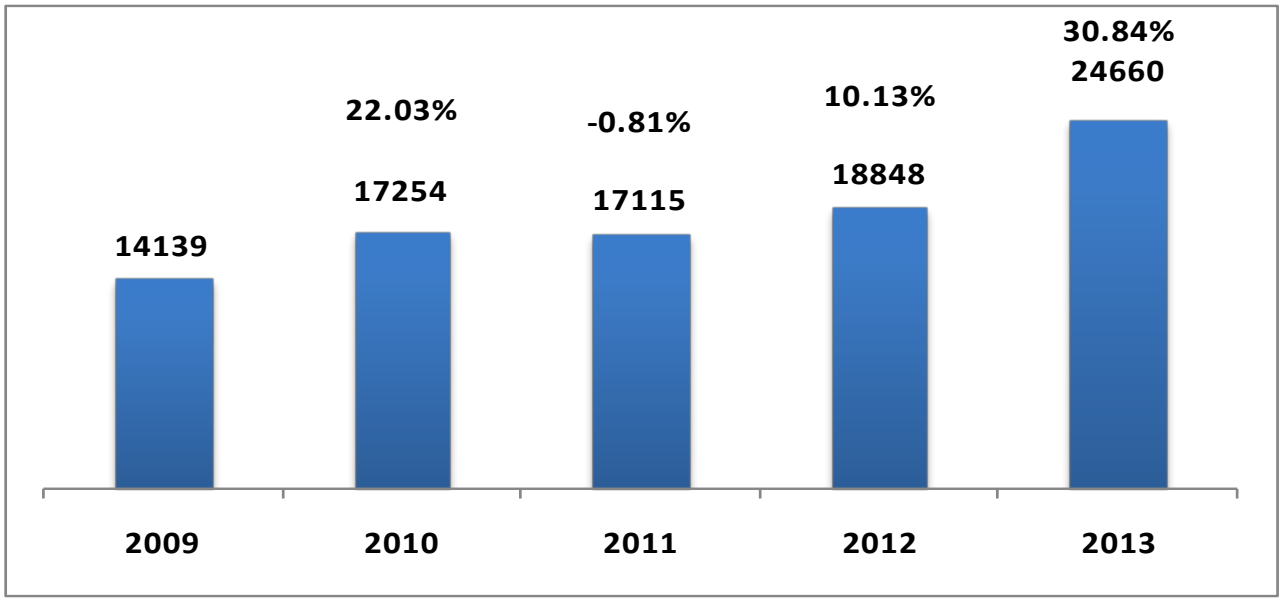

कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु की गई नई पहलें :

ग्रामीण ऋण हेतु विशिष्ट अभियान

- ऋण शिविरों का कैलेण्डर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को उपलब्ध कराया गया. हमारी सभी ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं द्वारा प्रत्येक माह में कम-से-कम एक विशाल ऋण शिविर का आयोजन किया गया.
- हमारे बैंक के संस्थापक सर सोराबजी पोचखानवाला की जयंती मनाते हुए दिनांक 09.08.2012 को हमारी इन शाखाओं द्वारा विशेष ऋण शिविर का आयोजन भी किया गया.
- इन ऋण शिविरों के दौरान कुल 90034 लाभार्थियों को रु.866.73 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत एवं वितरित की गई.

नए उत्पादों का शुभारंभ :

- परंपरागत फसलों के पौधारोपण हेतु भू-क्षेत्र की खरीद योजना.
- किसानों हेतु सेन्ट किसान तत्काल योजना.

क्षेत्र विशेष योजनाओं का शुभारंभ :

- महाराष्ट्र में चीनी उद्योग के ठेकेदारों के लिए फसल कटाई तथा माल ढुलाई के खर्च हेतु वित्तपोषण योजना.
- गुजरात राज्य में अमूल के साथ अनुबंधित व्यावसायिक डेयरी उत्पादों हेतु वित्तपोषण योजना.

गोदाम रसीद के विरुद्ध ऋणों में वृद्धि हेतु कार्य-योजना :

- किसानों का वेयर हाऊसों द्वारा जारी रसीदों के विरुद्ध वित्तपोषण के लिए संपार्श्विक प्रबंधकों, यथा-स्टार वेयर हाउस एंड कोलेटरल मैनेजमेंट लि. (एसटीएआरएजीआरआई), एनबीएचसी, एनसीएमएल एवं एनसीडीईएक्स के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है.
- वेयर हाऊस रसीदों के विरुद्ध ऋण प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष लक्ष्य आवंटित किए गए.
- सेन्ट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन एवं नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड द्वारा जारी गोदाम-रसीदों के विरुद्ध वित्तपोषण हेतु इन कंपनियों के साथ एमओयू को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
- हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की विशेष सिफारिशों के आधार पर मामले-दर-मामले आधार पर ब्याज तथा अन्य शुल्कों में छूट दी जा रही है.

- कृषि क्षेत्र में वृद्धि हेतु शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत स्टाफ सदस्यों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना बनाई गई है.

अतिरिक्त श्रमशक्ति सहयोग :

- वित्त वर्ष 2012-13 में 400 कृषि वित्त अधिकारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिनमें से 368 अधिकारियों ने रिपोर्ट किया. वर्ष 2013-14 के लिए 650 कृषि वित्त अधिकारियों की आवश्यकता निर्धारित की गई है एवं नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है.
- नए व्यवसाय के संग्रहण हेतु हमारे ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाओं को मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं.

वेब पोर्टल/इन्टरनेट पोर्टल/क्लास मॉड्यूल

- हमारी सभी कृषि ऋण योजनाओं को समाहित करते हुए बैंक की वेबसाइट पर कृषि बैंकिंग पोर्टल प्रारंभ किया गया है.
- हमारी पांच कृषि ऋण उत्पादों के आसान एवं त्वरित निपटान के लिए केंद्रीकृत ऋण मूल्यांकन स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण(क्लास) मॉड्यूल से सीधे जोड़ दिया गया है.
- सभी योजनाओं को अद्यतन कर 01.01.2013 को मास्टर परिपत्र के रूप में प्रचालित किया गया है.

कृषि कर्ज़ माफ़ी एवं ऋण राहत योजना 2008

कर्ज़ माफ़ी एवं ऋण राहत योजना 2008 के अंतर्गत आरबीआई को दावा प्रस्तुतीकरण

कैग द्वारा एडीडब्ल्यूडीआर-2008 के अंतर्गत 417 खातों की निष्पादन लेखा परीक्षा कर रिपोर्ट सौंपी गई है.

रिपोर्ट के अनुसार, हमें 59 खातों में रु.17.18 लाख का लाभ देना है तथा 346 खातों में से रु.68.38 लाख की राशि उधारकर्त्ताओं से वसूल करनी है जो अतिरिक्त दी गई थी. अब तक हमने दिनांक 12.03.2013 तक रु.68.38 लाख की वसूली दिनांक 12.03.2013 को भेज दी थी. डीएफएस/आरबीआई के निर्देशानुसार दिनांक 29.02.2008 की स्थिति का कृषि खातों के सत्यापन का कार्य हमारे बैंक अधिकारियों/आतंरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जा रहा है. अब तक 10.33 लाख खातों में से 4.05 लाख खातों का सत्यापन किया जा चुका है. इस प्रक्रिया के जून 2013 के अंत तक पूरी होना अपेक्षित है.

सूक्ष्म ऋण

प्रति उधारकर्ता रु.50000 तक की ऋण राशि वाले लाभार्थियों को रु.233 करोड़ के ऋण प्रदान किए गए हैं.

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी (एमएसई)

एमएसई समन्वित विकास का एक प्रमुख संचालक है. एमएसई क्षेत्र, 26.1 मिलियन से अधिक उद्यमों में फैले लगभग 60 मिलियन लोगों को रोजगार देता है. विनिर्माण उत्पाद में लगभग 45% इस क्षेत्र की एवं देश के कुल निर्यात में 40% हिस्सेदारी है. जीडीपी में 8% योगदान एमएसई क्षेत्र का है, जिसके 10% के स्तर तक पहुँचने की उम्मीद है.

- चालू वर्ष में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों ने 31.36% की वृद्धि दर्ज की है. इसप्रकार चालू वर्ष के अंत तक एमएसई के कुल ऋण रु.13161 करोड़ से बढ़कर रु.17289 करोड़ हो गए हैं. मध्यम उद्यमों के ऋण 49.26% की वृद्धि के साथ रु.1837 करोड़ से बढ़कर चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक रु.2742 करोड़ हो गए हैं.
- एमएसएमई पर ध्यान केन्द्रित करने एवं समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए 535 विशेषीकृत एसएमएसई शाखाएँ नामित की हैं. बैंक ने इन सभी नामित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के लिए दो दिनों की कार्यशाला का आयोजन किया.
- एमएसएमई पर और अधिक बल देने के लिए पृथक एमएसएमई विभाग बनाया गया है.
- बैंक द्वारा महिला उद्यमियों की सहायता हेतु 77 क्षेत्रीय समन्वयकों के साथ केन्द्रीय कार्यालय में "महिला उद्यमी कक्ष" की स्थापना की है.
- "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के अवसर पर बैंक द्वारा सिर्फ महिला उद्यमियों सीजीटीएमएसई कवर युक्त "सेन्ट कल्याणी योजना" प्रारंभ की है. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक एक वर्ष के लिए गारंटी शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाएगा.
- पूर्णतः महिला उद्यमियों के लिए "सेन्ट कल्याणी", सिविल/विनिर्माण क्षेत्र के ठेकेदारों के वित्तपोषण के लिए "सेन्ट कांट्रेक्टर", खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों के वित्तपोषण हेतु "सेन्ट फूड प्रोसेसिंग प्लस", अल्पसंख्यक समुदाय हेतु "सेन्ट प्रॉस्पेरिटी", व्यवसाय संवर्धन हेतु "सेन्ट प्रोत्साहन", व्यावसायिक उद्देश्य के लिए "सेन्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस", "सेन्ट बिजनेस गोल्ड लोन स्कीम", बुनकरों के लिए "सेन्ट वीवर क्रेडिट कार्ड", "सेन्ट लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड", ट्रांसपोर्टरों के लिए एसआरटीओ योजना है.
- एमएसएमई के सुनिश्चित लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा विभिन्न नई योजनाएं भी प्रारंभ की हैं.
- बैंक ने बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड, टीवीएस मोटर्स, अशोक लैलैंड, टाटा मोटर्स इत्यादि जैसे कई कॉर्पोरेट्स के साथ गठबंधन किया है.
- हमारे बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन एमएसएमई आवेदन उपलब्ध है. वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर कोई भी एमएसई उद्यमी ऋण के लिए आवेदन कर सकता है.

एमएसई पोर्टल

सभी ऋण योजनाओं एवं सरलीकृत कॉमन आवेदन फॉर्म समाविष्ट कर बैंक की वेबसाइट पर यह पोर्टल प्रारंभ किया गया है.

स्वयं सहायता समूह

इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा वर्तमान वर्ष के दौरान 13957 समूह गठित किए गए. जिनमें से 12397 समूह ऋण से संबद्ध किए गए हैं. योजना के प्रारंभ से अब तक बैंक ने 166147 समूहों की स्थापना की है, जिसमें से 107364 समूह ऋण संबद्ध हैं एवं वर्ष के अंत में इनमें रु.863.51 करोड़ का बकाया ऋण शेष था. ऋण-संबद्ध समूहों में से 88267 महिला समूह हैं, जिनकी कुल स्वीकृत ऋण सीमा रु.681.91 करोड़ हैं, जो कुल ऋण संबद्ध समूहों का 82.21% है. वाम चरमपंथ प्रभावी जिलों में भी कुल 2875 समूहों का गठन किया गया है, जिनमें से 617 समूह ऋण संबद्ध है.

अग्रणी बैंक के तहत प्रदर्शन

- हम सात राज्यों के 48 जिलों में अग्रणी बैंक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहे हैं यथा मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महराष्ट्र(7), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), राजस्थान(3) एवं छतीसगढ़(2). हमारी कुल शाखाओं में से क्रमश: 50% एवं 25% शाखाएं इन राज्यों एवं अग्रणी जिलों में स्थित हैं.
- अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, अग्रणी जिला प्रबंधकों के कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाओं से युक्त बनाया गया है तथा सही प्रकार का स्टाफ प्रदान किया गया है. बुनियादी सुविधाएँ, यथा-पृथक/अच्छा परिसर, वाहन, कंप्यूटर/लैपटॉप(स्काइप सुविधायुक्त) तथा प्रिंटर, टेलीफोन, इन्टरनेट सुविधा, ई-मेल आईडी, मोबाइल, फैक्स, वेबसाइट की स्थापना इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं.
- आम जनता/लोगों में हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों सम्बन्धी जानकारी देने के लिए, हमने ग्रामीण इलाकों के लोगों से सम्बंधित-किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट्रल अर्टिजन क्रेडिट कार्ड, स्वाभिमान/आधार इत्यादि को एलडीएम को प्रदत्त गाड़ियों पर प्रदर्शित किए हैं.
- वार्षिक ऋण योजना के तहत अग्रणी जिलों में स्थित सभी बैंकों की 81% की उपलब्धि की तुलना में हमारी शाखाओं की समग्र उपलब्धि 84% रही है. मार्केट शेयर 12.23% (मार्च-12) से बढ़कर 14.74% (मार्च-13) हो गया जबकि मार्च 13 में शाखा शेयर 13.45% था. इसीप्रकार अग्रणी जिलों में ऋण जमा अनुपात 42% से बढ़कर 46% हो गया है. सभी बैंकों की ऋण अनुपात 49% से बढ़कर 50% हो गया है.
- विभिन्न कार्य परिचालन क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर अग्रणी बैंक प्रबंधकों के समीक्षा सम्मेलन भी हम आयोजित करते हैं.
- प्रति वर्ष बेहतर कार्य-निष्पादक अग्रणी जिला प्रबंधकों को ट्रॉफी एवं नकद राशि के पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए हमने वार्षिक कार्य-निष्पादन के आधार पर विशेष पुरस्कार/प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है.
- हमारे बैंक द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत फील्ड अधिकारियों से गहन संपर्क तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता क्षेत्र/वित्तीय समावेशन गतिविधियों के समग्र निर्धारण हेतु सभी 48 अग्रणी जिलों में केन्द्रीय कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालय से महाप्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक द्वारा आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है.
- हमने सशक्तीकरण, चुवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ऋण संबद्धता के माध्यम से समन्वित विकास के लिए प्रत्येक मुख्य जिलों में एक गांव चुना है. सम्पूर्ण समाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए सभी विकासपरक गतिविधियों जैसे वित्तीय शिक्षा/वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का पूर्ण क्रियान्वयन, आरसेटी में ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह/कृषक क्लब/जेएलजी का गठन, ऋण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है. अग्रणी जिले के अन्य गांवों में भी इन्हें प्रतिबिम्बित किया जा रहा है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति :

- मध्य प्रदेश राज्य में हमारा बैंक एसएलबीसी का समन्वयक है. वर्ष 2012-13 के दौरान, अलग-अलग विकास एजेन्सियों द्वारा सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों सहित विभिन्न पैरामीटरों के अंतर्गत राज्य में की गई प्रगति की समीक्षा तथा उस पर निगरानी रखने हेतु 4 एसएलबीसी बैठकें आयोजित की गईं.
- इस राज्य के लिए हमारा विजन है कि "राज्य का ऐसा सर्वांगीण एवं समन्वित विकास कि जिससे सभी नागरिकों का जीवन समृद्ध बने तथा उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठ प्रयास करने के अवसर प्राप्त हों और वे देश के विकास में योगदान दे सकें".
- राज्य के 50 में से 18 जिलों में अग्रणी बैंक का दायित्व हम पर है तथा राज्य स्थित 3377 शाखाओं में से हमारे बैंक की 415 शाखाएं कार्यरत है.
- एसीपी के लक्ष्यों को हासिल करने में विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा करने हेतु राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों की समीक्षा सम्मेलन/कार्यशाला के आयोजन, वित्तीय समावेशन तथा उद्देश्य प्राप्ति में इनकी एकीकृत भूमिका तथा दायित्वों की कार्य-योजना तैयार करने में हम निरंतर अग्रगामी रहे हैं.
- हमारा पहला ऐसा बैंक है, जिसने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू का आरम्भ किया है.
- कुछ जिलों में विभिन्न अवरोधकों के बावजूद, हमारा राज्यों में सीडी दर 60% से अधिक हो चुका है.
- बैंकों को आवंटित सभी उप-कार्य क्षेत्रों को बैंकिंग आउटलेट जैसे-शाखा, बीसीए अथवा सीएससी द्वारा पहुँच बनाते हैं.

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम (2012-13)

वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नानुसार ऋण स्वीकृत किए हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष 2012-13 के दौरान संवितरण	
		खाता	राशि
1	एसजीएसवाई	20394	199.25
2	एसजेएस	47544	283.78
3	पीएमईजीपी	8441	140.84

कमजोर वर्गों को अग्रिम

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा कमजोर वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लोगों को रु. 15521.36 करोड़ के ऋण संवितरित किए, जो एएनबीसी का 10.27% है एवं जो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य (10%) से अधिक है.

अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए अपने नए 15 सूत्री प्रधानमंत्री कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदायों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों का 15% ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. बैंक ने विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के 597781 लाभार्थियों को रु. 7698.00 करोड़ की विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की है, जो दिनांक 31.03.2013 को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों का 15.02% है.

महिला लाभार्थियों को अग्रिम

महिला लाभार्थियों के ऋण संवितरण में पिछले वर्षो में काफी सुधार हुआ है, परिणामस्वरूप, दिनांक 31 मार्च 2013 को महिलाओं के बकाया ऋण रु. 7564.80 करोड़ थे. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य एएनबीसी के 5% के मुकाबले 5.06% है.

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई)

डीआरआई योजना के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को संवितरित ऋण रु. 39.89 करोड़ थे.

सेन्ट्रल किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी)

बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2013 तक 1619020 लाभार्थियों को रु. 12594.71 करोड़ की राशि के किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं. इस वर्ष के दौरान रु. 7095.39 करोड़ की राशि के 250595 नये सीकेसीसी कार्ड जारी किए गए है. वर्तमान में, 1038878 कार्ड सक्रिय व्यवहार में है.

रुपे केसीसी डेबिट कार्ड का शुभारंभ :

दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को, दिल्ली में भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री द्वारा हमारे प्रथम रुपे केसीसी कार्ड का शुभारंभ किया गया था. 31 मार्च 2013 तक पात्र सीकेसीसी खाते धारकों को 67348 रुपे केसीसी डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं. हमारा लक्ष्य दिनांक 30 जून 2013 तक सभी पात्र खातों में रुपे केसीसी डेबिट कार्ड जारी करना है.

सामाजिक सुरक्षा योजना

- **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**
  इस योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि जैसी अनिवारणीय जोखिमों के कारण किसानों को होने वाले नुकसान के प्रति रक्षण प्रदान किया जाता है. उपर्युक्त योजना देश भर के अधिसूचित राज्यों/क्षेत्रों में अनाज, तिलहन के लिए उपलब्ध है.

- **ग्रामीण गोदाम तथा वेयर हाउस/शीत-गृह**
  मार्च, 2013 को ग्रामीण गोदामों एवं वेयर हाउस/शीत-गृहों के निर्माण के लिए 2210 खातों में राशि रु.450.72 करोड़ का अग्रिम शेष था, ताकि किसानों को पीक सीजन के दौरान अपने उत्पाद हड़बड़ाहट न बेचने पड़ें. बैंक द्वारा विभिन्न खातों में वेयर हाउस एवं शीत-गृहों के लिए अग्रिम प्रदान किए गए हैं तथा किसान इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. वेयर हाउस रसीद के विरुद्ध 1928 खातों में रु.65.44 करोड़ अग्रिम के रूप में दिए जा चुके हैं.

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी)

- हमने 7 राज्यों में 50 एफएलसीसी खोले हैं जिनमें मध्य प्रदेश(18), बिहार(10), महाराष्ट्र(8), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल (4), राजस्थान(3) एवं छत्तीसगढ़(2).

- इन सभी केन्द्रों द्वारा 1664 आउटडोर विजिट की गई जिसमें 125619 व्यक्तियों को साक्षरता/परामर्श प्रदान किया गया. इनके अंतर्गत जन अभियान एवं व्यक्तिगत परामर्श दोनों ही शामिल है.

- लोगों में जागरूकता लाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति और जीवनयापन स्तर में सुधार के अवसर प्रदान करने के लिए बैंक ने उन्हें जन सम्पर्क प्रणाली युक्त गाड़ियां एवं बैंक द्वारा आरम्भ किये गए विभिन्न उत्पादों/योजनाओं को प्रचारित करने के लिए एलसीडी प्रदान किए है. इसके आलावा गांव के दौरों एवं परामर्श प्रदान करते समय शिक्षण सामग्री, किट, किताबें इत्यादि भी उपलब्ध कराई है.

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

- बैंक ने देश के 9 राज्यों में 46 आरसेटी की स्थापना की है अर्थात मध्य प्रदेश(18), बिहार(9), महाराष्ट्र(6), उत्तर प्रदेश(5), पश्चिम बंगाल(3), छत्तीसगढ़(2), राजस्थान(1), ओडिसा(1) एवं असम(1).
- 2012-13 वर्ष के दौरान, आरसेटी ने 514 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिसमें 16103 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया. इनमें से, 8696 (54%) प्रशिक्षु बैंक ऋण से संबद्ध थे. ऋण संबद्धता में हमारे बैंक की हिस्सेदारी भी 55% (2011-12) से बढ़कर 74% (2012-13)तक हो गई है.
- देश में आरसेटी की स्थापना में अग्रसक्रिय भूमिका अदा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हमारे बैंक को "सेंटर ऑफ एक्सलेंस" पुरस्कार प्रदान किया गया है.
- हमारे बैंक के 102 वें स्थापना दिवस के अवसर पर, हम ने विशिष्ट कदम उठाते हुए 21 आरसेटी केन्द्रों की स्थापना की. वर्तमान में 24 स्थान भवन निर्माण के लिए तैयार है एवं मार्च 2014 तक इनके पूर्ण होने के सम्भावना है.

हमारी पहलें

- हमारे बैंक द्वारा आरसेटी तथा एफएलसीसी के प्रचालनों तथा कार्य-प्रणाली पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने के लिए "सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया सामाजिक उत्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान" (सीबीआई-एसयूएपीएस) नाम से एक सोसाइटी/ट्रस्ट की स्थापना की गई है.
- आरसेटी तथा एफएलसीसी के मामलों तथा कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु हमने एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय परिषद का गठन किया है, जिसके संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक; अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक एवं सदस्य, महाप्रबंधकगण हैं.
- केन्द्रीय कार्यालय के स्तर पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी-आरसेटी/एफएलसीसी के तौर पर कार्य करने के लिए हमने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव एवं एक्सपोजर प्राप्त सेवानिवृत्त महाप्रबंधक को नियुक्त किया है.
- हमने पर्याप्त आवश्यक दक्षता प्राप्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को आरसेटी निदेशक तथा एफएलसीसी परामर्शदाता के रूप में कार्य करने हेतु अनुबंधित करना प्रारम्भ कर दिया है तथा उन्हें आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं.
- जिला स्तर पर सभी स्थानीय विकास संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर स्थानीय सलाहकार समितियों तथा प्रशिक्षण समितियों का गठन किया गया है.
- सभी 46 आरसेटी के लिए भवन निर्माण हेतु एक मॉडल योजना तैयार की है. आरसेटी प्रशिक्षुओं के रोजगार की स्थिति की जानकारी रखने के लिए लाभार्थियों के वेब आधारित आंकड़ों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है.
- निदेशकों के नियमित सम्मलेन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें इनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा के साथ-साथ बेहतर कार्य-संपादन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जाता है.

वित्तीय समावेशन

- बैंक को 2000 से अधिक की आबादी वाले 3728 गांव आवंटित हुए थे. बैंक ने इन सभी गांवों को 116 शाखाओं एवं 3612 बीसी एजेंटों द्वारा आवृत कर लिया है.

1. बैंक ने 1482 बेस शाखाओं से संबद्ध अपनी सभी 3612 अति सूक्ष्म शाखाएं खोल दी है.
2. 1482 बेस शाखाओं में से, 800 बेस शाखाओं में लेपटॉप द्वारा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है.
3. उपरोक्त के अलावा बैंक ने स्वयं आगे बढ़ते हुए 4956 अतिरिक्त गांवों को भी कवर कर दिया है.बैंक द्वारा कुल 8684 बैंक रहित गांवों को कवर किया है.
4. हम ने एनसीआर क्षेत्र में 7 शहरी वित्तीय समावेशन केन्द्र खोले है.
5. 2000 से अधिक जनसंख्या वाले आवंटित गांवों में वित्तीय समावेशी खातों की संख्या वित्त वर्ष 2011-12 के 3.88 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2012-13 में 17.11 लाख हो गए हैं. वित्त वर्ष 2011-12 में कार्ड की संख्या 11.94 लाख थी, जो वित्त वर्ष 2012-13 में 15.52 लाख हो गए. इस प्रकार इनमें क्रमश: 341% व 30% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई.
6. बैंक ने 73.64 लाख मूल बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले हैं. शाखा एवं बीसी आउटलेट को मिलाकर इन खातों में कुल शेष 332.62 करोड़ हैं.
7. हमारे सभी एफआई खातों को बैंक के सीबीएस में अंतरित कर दिया गया है.

- हमने एफआई ग्राहकों के लिए भारिबैं द्वारा निर्धारित सभी पांच मूल वित्तीय उत्पाद प्रदान किये हैं अर्थात सेन्ट बचत खाता, सेन्ट विकास खाता, सेन्ट स्मार्ट किसान क्रेडिट कार्ड, सेन्ट स्मार्ट जनरल क्रेडिट कार्ड, सेन्ट वैरिएवल रेकरिंग जमा योजना प्रारम्भ कर दिये हैं.
- हमारे बैंक को वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दो बार प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुआ है. प्रथम पुरस्कार 18 सितम्बर 2012 को "इनोवेटिव अरबन फाइनेंशियल इनक्लूजन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल" के लिए और दूसरा वित्तीय समावेशन दिवस 5 जनवरी 2013 को "रीचिंग लास्ट माइल" के लिए प्राप्त हुआ.

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रभावी करने में हमारा अमरावती जिला सर्वप्रथम रहा है जहाँ 01.01.2013 को ही निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त भुगतानों को प्रत्यक्ष लाभांतरण के अंतर्गत प्रभावी कर दिया.

1. बाल श्रम कामगार योजना

2. इंदिरा गांधी मातृत्व सुरक्षा योजना

- बैंक में 235187 लाख खातों को समर्थित कर दिये गए हैं.
- डीबीटी के लिए प्रायोगिक तौर पर 43 जिलों में 139435 खाते आधार समर्थित किये गये हैं. इन 43 जिलों में से अर्थात अमरावती एवं होशंगाबाद दो जिलों में हमारा बैंक अग्रणी बैंक है.
- डीबीटी के द्वितीय चरण के लिए चिन्हित 78 जिलों में, 27270 खाते आधार समर्थित किए गए हैं इन 78 जिलों में से 6 जिलों इटावा, जलगांव, कोटा, कूचबिहार, कोरिया एवं जबलपुर में हमारा बैंक अग्रणी बैंक है.

वित्तीय समावेशन (एफआई) की अभिनव पहलें

एक अभिनव पहल के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक ने एक साथ दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2012 को बैंक के 48 अग्रणी जिलों में आउटरीच कार्यक्रम किए. इसे देखते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को निर्देश जारी किए गए कि वे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करें.

आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस)

हमारा बैंक एपीबीएस समर्पित है. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मुख्य रूप से एपीबीएस प्लेटफ़ॉर्म से ही संचालित होगा.

आधार समर्पित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) : दो वित्तीय समावेशन वेंडरों ने एईपीएस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है.

कियोस्क आधारित वित्तीय समावेशन मॉडल : बैंक द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान कियॉस्क वित्तीय समावेशन मॉडल के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है. इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को निधि-अंतरण, शेष राशि की जानकारी, लघु विवरणी, एपीबीएस, एईपीएस इत्यादि सुविधाएँ उपलब्ध होंगी. प्रारंभ में ये सुविधाएँ 50 कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी. इस मॉडल के प्रयोग से बैंक अकार्यशील बीसी की छंटाई कर सकेगा.

रिटेल ऋण

रिटेल ऋण योजना के अंतर्गत कुल बकाया राशियां दिनांक 31.03.2013 के रु.16915 करोड़ से बढकर रु. 22209 दिनांक 31.03.2013 हो गया, इस प्रकार इसमें रु.5294 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्शाते हुए तथा मार्च 2012 के ऊपर 31.30% की वृद्धि दर्ज की. बैंक के कुल अग्रिम में से रिटेल पोर्टफोलियो 12.60% है.

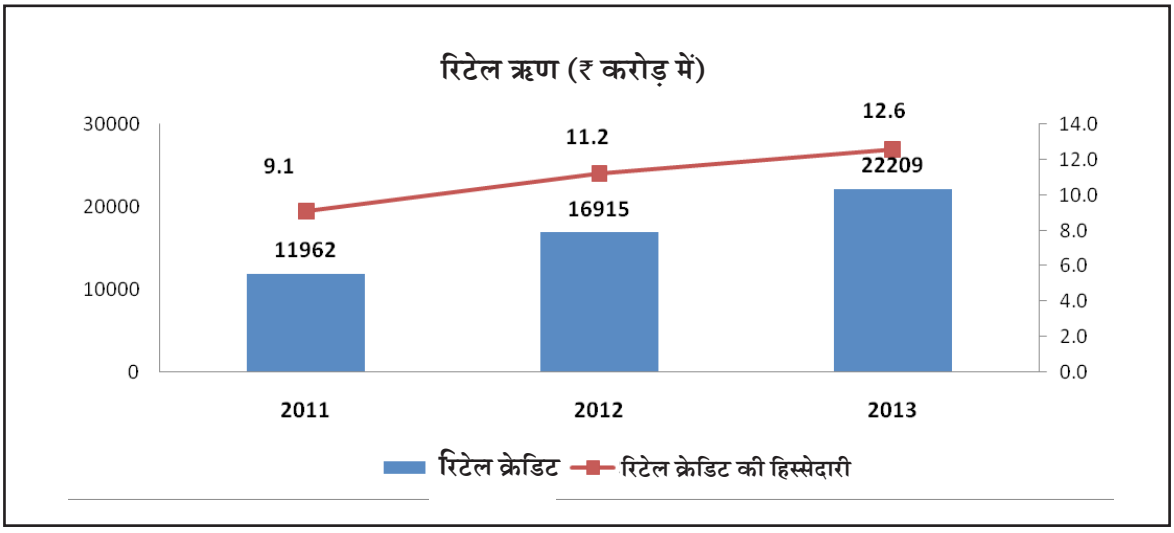

नये उत्पादों की शुरूआत

वित्त वर्ष में 2012-13, हमने विभिन्न नये उत्पाद की शुरूआत की है जो कि निम्न प्रकार हैं:

- "सेन्ट कॉम्बा" - आवास ऋण एवं वाहन ऋण का संयोजन आकर्षक दरों एवं वहन योग्य मासिक किश्त पर तथा झंझटमुक्त ऋण स्वीकृति प्रक्रिया. 30 वर्षों तक के आवस ऋण के लिए रु.896/- की सबसे कम मासिक किश्त, 84 माह तक के वाहन ऋण के लिए रु.1673 की सबसे निम्न मासिक किश्त. योजना की निर्माण कॉरपोरेट कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
- "सेन्ट होम - सीआरजीएफटीएलआईएच" - समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को झंझटमुक्त एवं संपार्श्विक मुक्त आवास ऋण.
- "सेन्ट होम स्वाभिमान प्लस"-वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशिष्ट रिवर्स मॉरगेज योजना.
- "सेन्ट विद्यार्थी - व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण"- व्यावसयिक शिक्षण एवं प्रशिक्षणों के वित्तपोषण हेतु आईबीआई मॉडल के अंतर्गत योजना.

उत्पाद/सेवाएं

- वर्तमान में रिटेल ऋण के अंतर्गत हमारे पास 30 उत्पाद/योजना हैं जिनमें से प्रमुख हैं सेन्ट होम, सेन्ट व्हीकल, सेन्ट विद्यार्थी, सेन्ट मॉरगेज, सेन्ट ट्रेड, सेन्ट सहयोग, सेन्ट पर्सनल गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, रिवर्स मॉरगेज उत्पाद हैं.
- ओद्यौगिक मानक एवं समकक्ष बैंकों के साथ कदम मिलाते हुए और ग्राहकों की विविध वित्तीय मानकों की पूर्ति हेतु हमारा बैंक वर्तमान ऋण योजनाओं को जैसे सेन्ट ट्रेड, सेन्ट मॉरगेज, सेन्ट होम, एमबीए कार्यपालकों के लिए शिक्षा ऋण, संशोधित आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत सेन्ट विद्यार्थी योजना, सेन्ट व्हीकल आदि में निरंतर संशोधन किया है.
- हमारे ग्राहकों की अंतर्हित मांग की पूर्ति हेतु हमने नई योजनाओं की शुरूआत की है जैसे कि सेन्ट कोम्बो, पेंशनधारकों को ओडी सुविधा, सेन्ट रेन्टल सेन्ट होम-सीआरजीएफटीएलआईएच योजना, व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण योजना इत्यादि.

तकनीकी पहलः

ए. क्लास सॉफ्टवेयरः-

- हमारे बैंक ने रिटल ऋणों की स्वीकृति में जोखिम न्यूनीकरण के कदमों का ध्यान रखते हुए गुणात्मक मूल्यांकन के लिए एक समान ऋण मूल्यांकन एवं निगरानी मॉड्यूल के रूप में एक स्वचालित सॉफ्टवेयर "क्लास" प्रारंभ किया है. यह ऋण स्वीकृति के दिन से ही ऋण खातों की निगरानी में सहायक होता है और इस प्रकार यह नये स्लीपेज कम करने में मदद देता है.
- इस सॉफ्टवेयर ने फील्ड फंक्शनरियों को ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में एकरूप तथा व्यवस्थित मूल्यांकन बनाए रखने में सहायक हुआ है तथा इससे ऋण प्रस्तावों के टर्न राउंड टाइम (टीएटी) को भी कम करने में मदद मिली है.
- सभी शाखाएं क्लास सॉफ्टवेयर से जुड़ चुकी हैं तथा सभी रिटेल उत्पाद परिचालन के लिए लाइव बनाए गए है.
- वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान रु.1647.60 करोड़ के कुल 21801 प्रस्ताव प्रसंस्कृत किए गए हैं. क्लास सॉफ्टवेयर के 100% उपयोग हेतु प्रभावी कदम उठाए गए है.

बी. सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रशन एंड सिक्यूरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई)

- हमारे बैंक में हमने सेन्ट्रल रजिस्ट्री का नया संस्करण मेकर-चेकर पद्धति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है तथा डिजिटल हस्ताक्षर पद्धति को अपनाया है.
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रदान किए हैं तथा संबंधित अधिकारी मॉरगेज डाटा सीईआरएसाई पर अपलॉड कर रहे हैं.
- हमने सीएबीएस पर बेच अपलॉडिंग सुविधा भी आरंभ की है जो कि शाखाओं को सीधे मॉरगेज विवरण भरने की सुविधा देगी तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्षेत्र विशेष की सभी 500 से 1000 प्रविष्टियों वाली बेच फाइल जनरेट हो सकेगी एक ही बार में अपलॉड हो जाएगी. यह फॉर्म 1 को भौतिक रूप में तथा सीईआरएसएआई पॉर्टल पर मॉरगेज की अपलॉडिंग के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करने के श्रम में कमी करेगा.यह सिस्तम परीक्षणाधीन है और इसे शीघ्र ही प्रचलित किया जाएगा.

सी. क्रेडिट इंफोर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (सिबिल)

- भारिबैं के दिशानिर्देशानुसार, हमारा बैंक हमारे विद्यमान ऋणियों के ऋण संबंधी (दोनों ग्राहक एवं वाणिज्यिक) सूचनाएं सिबिल को प्रस्तुत की जा रही है.
- सभी शाखा स्तर पर आंकडे निकालने तथा सिबिल में अपलोडिंग की प्रक्रिया स्वचालित है.

- इसके साथ ही "समुचित सावधानी" प्रक्रिया के भाग स्वरूप सिबिल के डाटाबेस से संभावी ऋणियों के डाटा तक पहुंच बनाने के लिए फील्ड फंक्शनरियों को पर्याप्त यूजर आईडी उपलब्ध कराए गए है.

डी. ऑन लाइन ऋण आवेदन सुविधा

- जेन वाई ग्राहकों में पहुंच बढाने हेतु सभी रिटेल ऋण उत्पादों के लिए ऑन लाइन आवेदन की सुविधा.
- ऋण के आवेदन से लेकर स्वीकृति तक ऋण आवेदनों की ऑन लाइन ट्रेकिंग.

व्यापार एवं मेलों में सहभागिता

- हमारी उपस्थिति को बढाने तथा हमारे उत्पादों के विपणन हेतु हमने मुम्बई में तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर आयोजित वर्ल्ड डेंटल शो, डिगिनिटी फ़ाउंडेशन, रियल एस्टेट एक्सपो, दलित उद्यमी व्यापार मेला आदि में सहभगिता की.
- आवास क्षेत्र में वित्त को और अधिक गति प्रदान करने की दिशा में हमारे बैंक ने देश के विभिन्न भागों में आवास एक्सपो आयोजित करने का निश्च्य किया है. तदनुसार, ऐसा पहला एक्सपो मुम्बई में बहुत बडे स्तर पर आयोजित किया गया जिसमें एक ही स्थान पर लगभग 40 बिल्डरों ने भाग लिया तथा एक्सपो का आयोजक होने नाते हमारा बैंक अकेला वित्तपोषक था. इसके पश्चात भारत भर के प्रमुख मुख्य केन्द्रों पर 24 एक्सपो आयोजित किए गए.

गठबन्धन व्यवस्थाएं

- रिटेल ऋण को बढावा देने के लिए हमने 160 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों, वाहन निर्मात्ताओं जैसे टाटा मोटर्स, मारूति सुजुकी से गठबन्धन किया है तथा हम हुंडई मोटर्स के साथ भी गठबन्धन की संभावनाओं पर कार्य कर रहे हैं.
- आवास ऋणों को बढावा देने के लिए हमने कॉरपोरेट स्तर पर प्रतिष्ठित बिल्डरों जैसे महिन्द्रा लाइफ स्पेस लि., गोदरेज ग्रुप न्याति, एमसीएचआई, तथा लोढा आदि देशभर में एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कई अन्य प्रतिष्ठित बिल्डरों गठबन्धन किया है.
- दंत चिकित्सों एवं उनके परिजनों को रिटेल ऋण उपलब्ध कराने के लिए हमने भारतीय डेंटल असोसिएशन (आईडीए) के साथ गठबन्धन किया गया है.
- हमारे विदेशी शैक्षणिक संस्थान ऋण पोर्टफोलियों में तेजी लाने के लिए विदेशी शैक्षणिक संस्थानों जैसे वारविक विश्वविद्यालय, यू.के. से गठबन्धन किया गया है.
- हमने विदेश में अध्ययन की आकांक्षा रखने वाले विद्यार्थियों को शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराने हेतु एडवाइज कन्सलटेंसी तथा एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लॉबल मेनेजमेंट के साथ गठबन्धन किया है.
- हमने प्रतिष्ठित वाहन निर्माताओं जैसे टाटा मोटर्स, मारूति सुजुकी, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, बजाज ऑटोमोबाइल्स तथा टीवीएस मोटर्स आदि से गठबन्धन किया है.
- हमने तिपहिया वाहनों के वित्तपोषण हेतु टीवीएस मोटर्स एवं बजाज ऑटो लि. से गठबन्धन किया है.

अभिनव पहलें

- शुरु में हमने वित्तवर्ष 2010-11 में 14 कार्यमूलक सीसीपीसी प्रारंभ किए थे तत्पश्चात द्वितीय चरण में वित्तवर्ष 2011-12 के दौरान 9 और सीसीपीसी शुरु किए जिससे कुल सीसीपीसी 23 हो गए हैं.
- इसके अतिरिक्त, माह दिसम्बर 2011 में, भा.रि.बै. से लाइसेंस प्राप्त कर सभी क्षे.का. में 54 सीसीपीसी प्रारंभ किए है.
- अब सभी विद्यमान सीसीपीसी को रिटेल आस्ति शाखाओं में परिणित कर कुल 79 रिटेल आस्ति शाखाएं बनाने की योजना बनाई है. जिनमें 77 क्षेत्रीय केन्द्र हैं तथा 2 गाजियाबाद व जमशेदपुर में हैं.
- आज की तारीख तक हमने पूरे भारतवर्ष में 21 आरएबी कार्यशील कर दिए हैं तथा शीघ्र ही अन्य आरएबी प्रारंभ कर दी जाएंगी.
- हमारे बैंक ने 31.03.2013 तक की रिटेल ऋण नीति भी बनाई है.
- दिनांक 01.09.2012 से उत्सव बोनान्जा प्रारंभ किया है.

- शैक्षणिक ऋणों के अंतर्गत शिकायतों को कम करने तथा बिना किसी उचित कारण के किसी भी विद्यार्थी को शैक्षणिक ऋण से वंचित न किया जाना सुनोश्चित करने के लिए हमने क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर कार्यपालक नामित किए हैं तथा सहायक महाप्रबन्धक, रिटेल बैंकिंग विभाग की अध्यक्षता में शैक्षणिक ऋण शिकायत निवारण कक्ष क्रियाशील किया है.

- फील्ड फंकशनरियों को बिना किसी आशंका के स्वर्ण ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण में सक्षम बनाने हेतु उन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ जैम एण्ड ज्यूलरी, एमआईडीसी, अन्धेरी, मुम्बई में सोने की मात्रा एवं गुणवता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि स्वर्ण ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण करने में शाखा प्रबंधकों के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि हो सके.

आगामी वित्त वर्ष 2017-18 तक की संभावी पंचवर्षीय योजना

- रिटेल पॉर्टफोलियों को मार्च 2016 तक दो गुना तथा मार्च 2018 तक लगभग चार गुना करने का इरादा है.

(₹ करोड़ में)

	मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 13	मार्च, 14	मार्च, 15	मार्च, 16	मार्च, 17	मार्च, 18
रिटेल ऋण	11962	16915	22209	30000	39000	48000	58000	71000
% वृद्वि (वर्ष-दर-वर्ष)		41.41%	31.30%	35.08%	30.00%	23.08%	20.83%	22.41%

- मार्च, 2018 तक रिटेल ऋणों के अंतर्गत कुल एनपीए को घटाकर 1.50% तक लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.

(₹ करोड़ में)

	मार्च, 11	मार्च, 12	मार्च, 13	मार्च, 14	मार्च, 15	मार्च, 16	मार्च, 17	मार्च, 18
बकाया एनपीए	316	938	752	780	750	900	1000	1100
रिटेल ऋण	11962	16915	22209	30000	39000	48000	58000	71000
एनपीए (सकल)का %	2.64%	5.55%	3.39%	2.60%	1.92%	1.88%	1.72%	1.55%

- हम अपने ग्राहक आधार को बढ़ाकर 1 मिलियन करने के प्रति भी आशान्वित हैं.

रिटेल ऋण की वृद्धि हेतु रणनीतियां

1. आवास ऋण :-

- आवास ऋणों के अंतर्गत बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढाने तथा हमारे उत्पादों को उद्योग में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तीव्र रणनीतिक कीमत निर्धारण.

- विद्यमान उत्पादों तथा योजना में सुधार एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादों की विशेषाताएं सुधारने के लिए उनकी सतत समीक्षा एवं संवर्धन.

- बाजार में हमारे आवास ऋणों को प्रचारित करने के लिए बिल्डरों व संभावित ग्राहकों को एक छत के नीचे लाने हेतु मुम्बई एवं अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों जैसे पुणे, चेन्नै, ठाणे, भुवनेशवर, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकात्ता आदि केन्द्रों पर प्रॉपर्टी प्रदर्शनी आयोजित करना.

- ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं का अध्ययन करना और तदनरूप ग्राहक विशेषी उत्पाद पेश करना.

- मुम्बई जैसे अन्य प्रथम दर्जे के शहरों जैसे चेन्नै, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकात्ता आदि एमसीएचआई में प्रतिष्ठित बिल्डर संगठनों जैसे एमसीएचआई तथा क्रेडाई एवं प्रतिष्ठित बिल्डर न्याती, लोढा, हीरांनन्दानी, रुस्तमजी, हसमुखभाई पटेल समूह और गोदरेज प्रॉपट्रीज लि. आदि से गठबन्धन करना है.

2. शैक्षणिक ऋण :-

- न्यूनतम ब्याज दर के संपूर्ण पूरे उद्योग में हमारे शैक्षणिक ऋण उत्पाद की सर्वाधिक स्वीकार्यता तक पहुंचाने के लिए गहन प्रचार करना.

- हमारे शैक्षणिक ऋण पोर्टफोलियो में अभिवृद्धि के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, तथा शैक्षणिक ऋण परामर्श केन्द्रों से गठबन्धन किया गया है.

- शैक्षणिक संस्थानों के साथ सीधे सहभागिता, परस्पर चर्चा संबंध बनाना. हालही में, हमने विभिन्न आईआईएम तथा एक्सएलआरआई के विद्यार्थी उत्सवों को प्रायोजित किया है.

- वर्तमान युग के टेक्नो सेवी नौजवान ग्राहकों तक पहुंच बनाने हेतु सोशियल मीडिया का उपयोग करना.

3. व्यक्तिगत स्वर्ण ऋण :-

- स्वर्ण ऋण खंड में हमारी पहुंच बढाने तथा स्वर्ण ऋण के अंतर्गत बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढाना. वर्तमान में अधिकांश स्वर्ण ऋण भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में स्वीकृत किए जा रहे हैं देश के अन्य भागों में इस पोर्टफोलियो में वृद्धि हेतु क्षेत्रीय प्रबंधकों को सभी प्रमुख केन्दों पर स्वर्ण मूल्यांककों की नियुक्ति के निर्देश दिए है ताकि ग्राहकों को स्वर्ण के विरुद्ध ऋणों की स्वीकृति त्वरित बनाई जा सके.

- हमारे स्वर्ण ऋण उत्पाद को पूरे उद्योग में न्यूनतम ब्याज दर के साथ सर्वोत्तम स्वीकार्य बनाने के लिए आक्रामक रूप से कार्य करना. व्यक्तिगत उद्देश्य (गैर प्राथमिकता) के लिए स्वर्ण ऋण की वर्तमान ब्याज दरें है:

  i. ओवरड्राफ्ट : आधार दर +2.00 %

  ii. मांग ऋण: आधार +1.00 % मासिक चक्रवृद्धि आधार पर.

  iii. फील्ड फंकशनरियों को बिना किसी आशंका के स्वर्ण ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण में सक्षम बनाने हेतु उन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ जैम एण्ड ज्यूलरी, एमआईडीसी, अन्धेरी, मुम्बई में सोने की मात्रा एवं गुणवता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि स्वर्ण ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण करने में शाखा प्रबंधकों के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि हो सके.

4. वाहन ऋण:-

वाहनों ऋणों के अंतर्गत बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढाने एवं उद्योग में अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रणनीतिक मूल्य निर्धारण.

- वाहन ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हेतु प्रतिष्ठित वाहन निर्माताओं से गठबन्धन किया है. हालही में, हमने प्रतिष्ठित वाहन निर्माताओं जैसे टाटा मोटर्स, मारूति सुजुकी, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, बजाज ऑटोमोबाइल्स एवं टीवीएस मोटर्स आदि से गठबन्धन किया है.

- हमारे बैंक की ब्रेंड जागरूकता तथा बाजार में वाहन ऋण उत्पाद को अधिक प्रचारित करने के लिए विभिन्न ऋण मेलों तथा ऑटो एक्स्पो में सहभगिता

- जेन वाए ग्राहकों में हमारे वाहन ऋण उत्पाद को प्रचारित करने हेतु फेसबुक, लिंकेडिन जैसे सोशियल मीडिया का उपयोग करना.

5. सेन्ट सहयोग :-

- तिपहिया वाहनों के वित्तपोषण हेतु टीवीएस मोटर्स एवं बजाज ऑटो लि. से गठबन्धन के द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों के एसएमई अग्रिमों में वृद्धि करना.
- विभिन्न व्यापार मेला तथा एसएमई ऋण मेला में सहभागिता करना. हालही में हमारे बैंक ने दलित श्रेणी के लिए डिग्निटि फाउंडेशन में सहभागिता करना.
- ऋणियों की पात्रता स्थिति में सुधार के लिए स्कोरिंग मॉडल में संशोधन करना.
- ऋण आवेदनों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्वीकृति के लिए प्रोसेस नोट का सरलीकरण.

6. अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

- बैंक का विदेशी विनिमय व्यवसाय देशभर में फैली 112 प्राधिकृत डीलर शाखाओं द्वारा संपादित किया जाता है. परिचालनीय कुशलता के लिए मुम्बई में बैंक का एक केन्द्रीकृत डीलिंग रूम है तकि कोष प्रबन्धन व परिचालन सुविधा में बेहतरी हासिल की जा सके.

- चालू वित्त वर्ष में, बैंक का निर्यात ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2012 के रु. 4262 करोड़ से बढ़कर 31.03.2013 को रु.5258 करोड हो गया है. वित्तवर्ष 2012-13 में हमारा निर्यात टर्नओवर पिछले वित्तवर्ष में रु. 12400 करोड की तुलना में रु.16500 करोड हो गया है.

- वित्तीय वर्ष 2012-13 में विदेशी विनिमय व्यवसाय का कुल टर्नओवर रु. 36758 करोड़ हो गया. जो वित्त वर्ष 2011-12 में रु. 33650 करोड़ था.

- बैंक ने आनन्द, मडगांव, हैदराबाद एवं भुज में अनिवासी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप पूरी तरह से विशेषीकृत अनिवासी शाखाएं खोली हैं.

- बैंक ने देशभर की शाखाओं के उपयोग हेतु इंट्रानेट पर ई.लर्निंग तथा निर्णय कार्यान्वयन सॉफ्टवेयर "इंस्टेंट एनआरआई" एवं "इनटेंट एलसी++" इंसटाइल किया है.

- बैंक ने दिनांक 09.08.2012 को केपीटल सर्विस ब्रांच, मुम्बई से गोल्ड बुलियन सेल तथा गोल्ड मेटल ऋण योजना का शुभारंभ किया है.

- बैंक ने वित्तवर्ष के दौरान दिनांक 22.02.2013 को नैरोबी, कीनिया रिपब्लिक में प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना की है. हांगकांग में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो गया है जो कि जुलाई 2013 से कार्यान्वित हो जाएगा.

- वित्तवर्ष 2013-14 में डीआईएफसी दुबई तथा बहरीन में भी शाखाएं खोलने का बैंक का प्रस्ताव है. इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के साथ मोजाम्बिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का भी बैंक का प्रस्ताव है.

ट्रेजरी, कोष एवं निवेश

- बैंक का निवेश पोर्टफोलियो दिनांक 31 मार्च 2013 को बढ़कर रु.72662 करोड़ हो गया है, जो मार्च, 2012 में 59577 करोड़ था. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 21.96% की वृद्वि दर्ज की गई है. 31.03.2012 की 8.57% की तुलना में दिनांक 31 मर्च, 2013 को दसवर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल 7.95% रहा है.

- ऋण बाजार में, आरबीआई द्वारा पॉलिसी दरों में लगातार वृद्वि तथा उधारियों में वृद्वि के करण ऋण बाजार के प्रतिफल कम हुए हैं. बढती हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो व रिवर्स रेपो दर 7.50% से घटाकर 6.50% कर दी गई है. अवधि के दौरान बेंचमॉर्क प्रतिफल 31 मार्च, 2012 को 8.57% के मुकाबले 31 मार्च, 2013 को घटकर 7.95% हो गया है.

- बढ़ते हुए तरलता दबाव को कम करने के लिए भा.रि.बैं. ने अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के दौरान खुले बाजार के परिचालनों द्वारा रु. 127179 करोड़ की तरलता सिस्टम में प्रविष्ट की. वित्तवर्ष के 2012-13 के दौरान सीआरआर में 75 आधार विन्दुओं की कमी करते हुए इसे 4.75% से घटाकर 4.00% किया गया.

- तरलता दबावग्रस्त परिस्थितियों तथ प्रतिफलों में कमी के परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष के ट्रेडिंग मुनाफा रु.320.06 करोड़ की तुलना में मामूली बढत के साथ रु.382.88 करोड़ रहा. यह संसाधनों की रणनीतिक आयोजना तथा दक्षता के साथ बाजार के अवसरों का उपयोग करने से हासिल हो सका. निवेशों में सिर्फ 21.96% की वृद्वि हुई तथा निवेशों के प्रतिफल 7.53% से बढकर 7.60% हुए.

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक ने सरकार तथा राज्य सरकारों को रु.2845.82 करोड़ की प्रतिभूतियां ईफएस से एचटीएम में अंतरित की तथा इनमें रु.91.83 करोड का मूल्यह्रास दर्ज किया. दिनांक 31 मार्च, 2013 बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का संघटन इस प्रकार था:

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	संघटन	31.03.2012	31.03.2013
1.	एसएलआर	50977.43	60172.25
2.	गैर एसएलआर	8599.33	12489.37
	कुल	59576.76	72661.62

वर्ष के दौरान, बैंक ने बट्टेखातों में रु. 18.80 करोड़ की वसूली की.

डेरीवेटिव्ज

बैंक ने ब्याज दर एवं मुद्रा डेरीवेटिव्ज दोनों में सक्रिय ट्रेडिंग की है. ब्याज दर डेरीवेटिव्ज में बैंक ने ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप्स में ट्रेडिंग की है. बैंक ने मौद्रिक डेरीवेटिव्ज खंड के अंतर्गत करेंसी फ्यूचर्स एवं फॉरवर्ड में भी सक्रिय ट्रेडिंग की. बैंक ने हेजिंग के लिए भी डेरिवेटिव्ज का उपयोग किया.

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम प्रबन्धन प्रणाली/संगठनात्मक संरचना

बैंक में अब सुस्थपित प्रबन्धन प्रणाली मौजूद है. ऋण बाजार, तथा परिचालन जोखिमों के अंतर्गत बैंक की जोखिम प्रबन्धन नीतियों/प्रथाओं का निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित पर्यवेक्षन किया जाता है. उत्पादों के कीमत निर्धारण तथा बाजार की घटनाओं से संबंधित जोखिम मॉडल के निर्धारण संबंधी नीतियों की समीक्षा के साथ समिति नई जोखिमों की पहचान व उनका नियंत्रण भी करती है. कॉरपोरेट स्तर पर संबंधित विभागों द्वाअरा विभिन्न जोखिम पैरामीटरों पर भी समिति द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है.

जोखिम प्रबन्धन संरचना

- परिचालन स्तर पर विभिन्न समितियां, यथा बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता समिति(आल्को) ऋण जोखिम के लिए क्रेडिट जोखिम नीति समिति(सीआरपीसी) तथा परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति(ओआरसीओ) गठित की गई है. जिसमें शीर्ष प्रबन्ध टीम के सदस्य शामिल हैं.

- ये समितियां विभिन्न बैंक परिचालनों के अंतर्गत जोखिम के स्तर के निगरानी के लिए वर्ष भर नियमित बैठकें करती हैं तथा आवश्यकतानुरूप उचित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय लागू करती हैं.

- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बैंक ने वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक श्रेणी के अधिकारियों को "जोखिम प्रबन्धक" के तौर पर अभिचिन्हित किया गया है. ये जोखिम प्रबन्ध, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबन्धन की विस्तारित भुजाओं के तौर पर कार्य करेंगे. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी भी अभिचिन्हित किए हैं, जो जोखिम प्रबन्धन से संबंधित आंकडों के प्रस्तुतीकरण एवं जोखिम प्रबन्धन की सहायता के लिए "नोडल अधिकारी" के रूप में कार्य करेंगे.

बाजार जोखिम प्रबन्धन

- मिड-आफिस, बाजार की स्थिति, वित्तपोषण पद्धति की समीक्षा कर एक्सपोजर, अवधि प्रतिपक्ष सीमा एवं विभिन्न संवेदनशील पैरमीटरों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करता है तथा नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबन्धन को रिपोर्ट को करता है.
- वीआर जैसे टूल्स तथा ड्यूरेशन विश्लेशण का उपयोग, अल्पकाल में बैंक की एनआईआई की जोखिम वहन करने के उपाय हेतु तथा दीर्घकाल में इक्विटी मूल्य के निरंतर किया जाता है.
- सतत रूप से ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर पूंजीगत प्रभार का अनुमान लगाने के लिए टीसीएस द्वारा बनाए गए मॉडल का क्रियान्वयन बाजार जोखिम के संबंध में बासल II के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है.
- बैंक द्वारा वर्तमान निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबन्धन नीति की समीक्षा की गई. विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए प्रति-पक्ष सीमाओं को उनकी नवीनतम प्रतिष्ठा एवं बाजार में रेटिंग के अनुरूप तय/संशोधित की गई है.

ऋण जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में सुस्पष्ट लिखित ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति है. जिसकी पिछली समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 29.03.2012 को की गई.
- बैंक ने क्रिसिल लि. से पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिफल (आरएआर), एलजीडी एवं ईएडी निर्धारक टूल्स सहित फैसलिटी रेटिंग मॉड्यूल प्राप्त करना अनुमोदित कर दिया है. रेटिंग मॉड्यूल सुविधा दिनांक 01.04.2012 से उपयोग में है.
- जहां वैयक्तिक ऋण एककों की रेटिंग सतत आधार पर व्यवहार्य नहीं है वहां बैंक रिटेल ऋण पोर्टफोलियो की ग्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो रेटिंग मॉडल्स विकसित कर रहा है.
- ऋण जोखिम प्रबन्धन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली ऋण जोखिम नीति समिति को निगरानी हेतु प्रस्तुत की जाती है.
- कॉरपोरेट एवं रिटेल दोनों पोर्टफोलियो के लिए विकसित दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी करते हुए बैंक पीडी, ईएडी एंड एलजीडी की गणना हेतु मॉडल्स विकसित करने की प्रक्रिया में है.

ऋण जोखिम प्रोफाइल/रेटिंग माइग्रेशन

31 मार्च, 2013 को बैंक का ऋण जोखिम प्रोफाइल पिछले वर्ष की तुलना में निम्नानुसार प्रस्तुत है.

राशि करोड में.

जोखिम श्रेणीकरण	मार्च 2012		मार्च 2013	
	एक्सपोजर	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %	एक्सपोजर-राशि	श्रेणीकृत एक्सपोजर का %
निम्न जोखिम	58640	62.87%	91451	56.14%
मध्यम जोखिम	33931	36.38%	66675	40.93%
उच्च जोखिम	696	0.75%	4770	2.93%
कुल श्रेणीकृत एक्सपोजर	93267	100%	162896	100%
अश्रेणीकृत एक्सपोजर	50184	34.98%	4882	2.91%
कुल मानक अग्रिम	143451		167778	

- यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान यद्धपि कुछ खाते निम्न जोखिम से मध्यम जोखिम श्रेणी ऋण में माइग्रेट हुए हैं, फिर भी अश्रेणीकृत एक्सपीयर घटक के मार्च, 2012 के 34.98% से मार्च, 2013 को 2.91% हो जाने से श्रेणीकृत खातों की समग्र हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अनरेटिड एक्सपोजर मुख्य रूप से स्टाफ के ऋण यहां तक सावधि जमा/एनएससी/केवीपी/बीमा पॉलिसी आदि के विरूद्ध है जो कि रेटिंग से मुक्त हैं.
- सभी पात्र कॉरपोरेट ऋणी खातों (रु.5.00 करोड़ एवं उससे अधिक) में से रु.59,452 करोड़ की राशि के 50.39% ऋण खाते बाह्य श्रेणीकृत की स्वीकृत सीमा वाले है तथा रु.1,17,983 करोड़ के खाते आंतरिक रूप से श्रेणीकृत हैं.

परिचालन जोखिम प्रबन्धन

- बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन पूरी तरह से सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबन्धन नीति के द्वारा मार्गदर्शित है.
- परिचालन जोखिम प्रबन्धन समिति (ओआरसीओ) तिमाही अंतराल में बैंक की जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा करती है एवं निदेशक मंडल द्वारा किया जाने वाला पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को और मजबूत करता है.
- बैंक, उन्नत माप दृष्टिकोण की ओर बढने के लिए मॉडल विकसित कर रहा है तथा भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने के लिए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सूचनाएं बना रहा है. नई उत्पाद अनुमोदन नीति की संरचना नए उत्पादों अथवा गतिविधियों से जुडी जोखिम को न्यून करने हेतु बैंक को मार्गदर्शित करती है.

पूंजी आयोजना

बैंक के पास सुदृढ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है बैंक के लिए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण 5 वर्षों के समय अंतराल के लिए किया जता है, पूंजी आवश्यकता का निर्धारण, न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता को बनाए रखने के लिए दृष्टिगत किया जाता है, पूंजी एवं प्राक्कलनों की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

आस्ति एवं देयता प्रबन्धन पद्धतियां

- एएलएम प्रमुखतया बैंक के लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से उसकी तरलता एवं ब्याज जोखिम को मापने तथा उनको व्यवस्थित रखने से संबंधित है. आलको (आस्ति एवं देयता समिति) ने वर्ष के दौरान बैंक की तरलता एवं अन्य संबंधित मामलों से संबंधित स्थिति की समीक्षा करने के लिए 19 बार बैठकें की.
- विनियामक रिपोर्ट के अलावा, जमाओं पर ब्याज निर्धारण करने के साथ-साथ बेस रेट और बीपीएलआर का निर्धारण भी एएलएम द्वारा किया जाता है. वर्ष 2012-13 के दौरान जमा ब्याज दरों को 9 बार और बेस रेट को दो बार संशोधित किया गया है.
- एएलएम विभाग, निष्क्रिय परिसंपत्तियों (हस्ते नकदी, अन्य बैंको के पास शेष शेष नकदी इत्यादि), ऋणों का ब्याज दर/बेस रेट/बीपीएलआर/स्थिर दर वार वर्गीकरण, हमारे बैंक व हमारे समकक्ष बैंकों के कार्यकारी परिणामों से संबंधित विभिन्न विश्लेषण रिपोर्टें, तर्कसंगत एवं अर्थपूर्ण निर्णयों के लिए शीर्ष प्रबन्धन के समक्ष रखता है.

बासल II दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

- भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2012 में पूंजी पर्याप्तता ढांचे के कार्यान्वयन पर अद्यतन परिपत्र जारी किया है. इन दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2009 से बासल II अपनाया है तथा ऋण जोखिम हेतु "मानकीकृत दृष्टिकोण" परिचालन जोखिम के लिए "मूलसंकेतक दृष्टिकोण" और बाजार जोखिम हेतु "मानकीकृत अवधि" पद्धति के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया है.
- बैंक ने संपूर्ण बैंक में बासल II मानदंडों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति एसएएस जोखिम प्रबन्धन सॉल्यूशन के क्रियान्वयन हेतु एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की नियुक्ति की है. उन्नत दृष्टिकोण तक उत्तरोत्तर बढ़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए समय सीमा निर्धारित की है.
- बैंको को परामर्श दिया गया है कि वे उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए अपनी तैयारी का आंतरिक मूल्यांकन करें. परिचालन जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए) अपनाने के लिए सभी वाणिज्यिक बैंको में से हमारे बैंक ने सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत किया गया है.
- बैंक ने सभी जोखिमों के संबंध में बैंक की तैयारी का मूल्यांकन/निर्धारण करने तथा विद्यमान जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, पद्धतियों, प्रक्रियाओं, एमआईएस, विश्लेषणों को बेहतर/सशक्त बनाने तथा बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबन्धन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार नियुक्त किया है.
- सभी आवश्यक नीतियां, जैसे ऋण जोखिम प्रबन्धन नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबन्धन नीति, बाजार अनुशासन तथा प्रगटीकरण नीति, आईसीएएपी इत्यादि. बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमिदित है.
- बैंक ने एफआईआरबी(फाउंडेशन आंतरिक रेटिड बेस्ड) दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है जिसका अनुमोदन अपेक्षित है.

बासल III के लिए हमारे बैंक की तैयारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 02 मई, 2012 को बासल III के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं. बैंक, पूंजी और आवश्यक प्रणाली के आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में है.

वसूली

अनर्जक आस्तियों के प्रबन्धन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ बैंक की सुपरिभाषित वसूली नीति है. इसमें एनपीए प्रबन्धन के सभी क्षेत्र, निगरानी, अनुवर्ती उपाय, स्टाफ जवाबदेही, सरफेसी अधिनियम इरादतन चूककर्त्ता तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली शामिल है. इस नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसमें नवीनतम परिवर्तन/सुधार तथा एनपीए समधान की प्रवृतियां समाविष्ट की जा सके.

1. वित्तवर्ष 2012-13 के दौरान, बैंक ने वसूली कार्यनिष्पादन में सुधार किया है तथापि, एनपीए स्तर बढा है मुख्य रूप से सूखे के कारण लघु/कृषि ऋणों कुछ निश्चित क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार, डायमंड, संरचनागत, टैक्सटाइल्स एवं रियल स्टेट में आर्थिक परिवर्तन के कारण का स्लीपेज हुआ है.

यद्यपि, बैंक ने वित्तवर्ष के दौरान नकद वसूली रू.1581 करोड़, रु.1751 करोड़ का अपग्रेडेशन, तथा बट्टाकृत खातों में रु.263 करोड़ की वसूली के साथ कुल मिलाकर रु. 3595 करोड़ का बेहतर कार्यनिष्पादन हुआ है परंतु उपर्युक्त कारणों के साथ उच्च मूल्य के नए जुड़ाव के कारण कार्यनिष्पादन प्रभावित हो गया.

- सकल एनपीए का स्तर रु.7273 से बढकर रु.8456 करोड हो गया है.
- शुद्व एनपीए पिछले वर्ष के रु.4557 करोड़ से बढ़कर रु.4988 करोड हो गया है.
- सकल एनपीए तथा शुद्व एनपीए अनुपात में क्रमश: 4.83% से 4.80% तथा 3.09% से 2.90% की कमी हुई है.
- नकद वसूली रु.754 करोड़ से बढकर 1581 करोड़ (109.68%) हो गई है.

2. रु.1.00 लाख तक देय एनपीए खातों के लिए विशेष एकमुश्त योजना के अंतर्गत रु.127 करोड़ स्वीकृति किया है.

3. वर्ष के दौरान रू.1.00 लाख से अधिक एवं रु.10 लाख तक बकाया राशि वाले एनपीए खातों में सरलीकृत ओटीएस के अंतर्गत बैंक ने रु.114 करोड़ स्वीकृत किए हैं.

4. वर्ष के दौरान कृषक राहत योजना के अंतर्गत रु.10.00 लाख तक की स्वीकृत सीमा वाले ट्रैक्टर/कृषि ऋणों के एनपीए खातों की वसूली हेतु रु.149 करोड़ स्वीकृति किए हैं.

5. उपर्युक्त तीनों योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत रु.390 करोड़ की की राशि में से वर्ष के दौरान रु.352 करोड़ वसूले गए. इसके अलावा, केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर कुल रू.254 करोड़ के 114 प्रस्ताव स्वीकृति किए गए हैं जिसमें से वित्तवर्ष 2012-13 के दौरान रु.99 करोड़ वसूल किए जा चुके हैं.

6. वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए के एक पोर्टफोलियो की बिक्री की जिससे 9 खातों में रू.50 करोड़ की प्राप्तियों हुई जिनमें से रु.41 करोड़ की वसूली बट्टे डाले खातों में हुई. दो खातों में दस्तावेजीकरण प्रक्रिया जारी है जिनमें रु. 1.25 करोड़ की राशि निहित हैं.

7. हमने सभी ऋणियों की बैठक बुलाई है तथा संभावी वसूली के लिए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है. इसकी प्रतिक्रिया स्वरुप फील्ड फंक्शनरियों ने अधिकतम ऋणियों से मुलाकात की, इससे वसूली को बल मिला. अत: इन प्रयासों को इस वर्ष भी जारी रखा जा रहा है.

8. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/कार्यपालक निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों ने विभिन्न अंचलों/क्षेत्रों का दौरा किया तथा समस्याग्रस्त ऋणियों से वसूली संभावनाओं पर चर्चा की. इसके अतिरिक्त, कार्यपालकों को वसूली केम्पों में सहभागिता हेतु फील्ड में प्रतिनियुक्त किया गया. नवम्बर 2012 से मार्च, 2013 तक उन्होंने 54 क्षेत्रों में आयोजित कैम्पों में भाग लिया. रु.198 करोड़ के कुल 18156 खातों का निपटान किया गया जिसमें से मार्च 2013 में ही रु. 102 करोड़ की वसूली हुई.

9. डीआरटी मामलों की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से, डीआरटी के मामलों में प्रगति की रिपोर्टिंग के लिए ही समर्पित एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है जो ऑनलाइन अद्यतन होता है. इससे डीआरटी मामलों को समयानुसार निपटाने में मदद मिली है.

10. 31.03.2012 को 439113 एनपीए खातों की राशि रु.7273 करोड़ में से 116919 खातों की रु. 1263 करोड़ की राशि वसूली/ उन्हें अपग्रेडे किया तथा अन्य खातों में रू.416 करोड़ की कमी गई थी. रु.5125 करोड़ के नए स्लीपेज में से रु.1656 करोड़ की वसूली/ उन्हें अपग्रेड किया गया. इस प्रकार वर्ष 2012-13 के दौरान कुल एनपीए वसूली 27% थी.

बैंकाश्युरेंस

जीवन बीमा के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एवं गैर बीमा उत्पादों के लिए चोला एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कॉरपोरेट एजेंसी के अंतर्गत बीमा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

31.03.2013 तक कार्यनिष्पादन की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- हमारा बैंक वर्ष दर दर 32इ की वृद्वि के साथ बीमा प्रीमियम संग्रह में भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी बैंकाश्योरेंस पार्टनरों में से द्वितीय स्थान पर रहा.
- बैंक ने रू 1,49,668 पॉलिसियां जीवन बीमा पॉलिसियां बेचकर रु.238.00 करोड प्रीमियम राशि संग्रहित की.

- बैंक ने रु.15.22 करोड़ का कमीशन अर्जित किया.
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा हमरे बैंक के सभी अंचल(16) तथा सभी क्षेत्र(77)बीमा जोन तथा बीमा क्षेत्र घोषित किए गए. वर्ष 2012-13 के दौरान 902 शाखाओं को बीमा शाखा के रूप से घोषित किया गया.
- बैंक ने जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय के तहत वर्ष दर 38% वृद्धि के साथ रु.83 करोड़ प्रीमियम संग्रह के साथ 1,89,956 पॉलिसियां बेची तथा रु.9.02 करोड़ कमीशन अर्जित किया.
- विशिष्ट रूरल हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट(चोला आरोग्य बीमा) के अंतर्गत, बैंक ने 2,59,952 पॉलिसियां संग्रहित की.

म्यूचुअल फंड उत्पाद संवितरण

बैंक ने 11 अग्रणी म्यूचुअल फन्ड के साथ उनके उत्पादों के संवितरण के लिए टाइ-अप व्यवस्था की है. तथा रु.0.48 करोड का कमीशन अर्जित किया.

डिपॉजिटरी सेवाएं

बैंक नोडल शाखा, केपीटल मार्केट सर्विसेस ब्रांच, मुम्बई के माध्यम से डिपॉजिटरी सेवाएं तथा 133 सेवा केन्द्रों के माध्यम से 24000 डी-मेट खाताधारकों को डिपॉजिटरी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. सीएमसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त वेब आधारित सॉल्यूशन के माध्यम से डिपॉजिटरी सर्विसेस लि.(सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था के तहत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में डिपॉजिटरी सेवा मुहैया कराई जाती है.

ऑनलाइन ट्रेडिंग

बैंक, अपने ट्रेड नाम "सेन्ट-ई-ट्रेड" के साथ "थ्री-इन-वन" ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिन ग्राहकों का बैंक के पास खाता है तथा जो डीमेट खाता रखते हैं, उन्हें प्रतिष्ठित ब्रोंकिंग फर्म एंजिल ब्रोंकिंग लि. के साथ टाई-अप व्यवस्था के जरिए इक्विटी शेयर्स एवं डेरीवेटिव्ज में ट्रेडिंग करने हेतु ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कर रहा है. 31.03.2013 को, बैंक के पास ऑनलाइन ट्रेडिंग के 155 डीमेट खाते हैं.

केपीटल मार्केट सुविधाएं जैसे असबा, डी-मेट, क्लियरिंग बैंक, मेतल गोल्द लोन, ब्रोकर लोन इत्यादि प्रदान करने हेतु मुम्बई में केपीटल मार्केट सर्विसेस शाखा खोली गई है तथा यह ऑन लाइन ट्रेडिंग हेतु नियंत्रक शाखा है.

सूचना प्रौद्योगिकी

1. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन:

- बैंक ने दिसम्बर, 2010 में केन्द्रीकृत बैंकिंग सॉल्यूशन(सीबीएस) के अंतर्गत 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है. 01 अक्तूबर, 2012 से 30 सितम्बर, 2017 तक 5 वर्ष के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन के लिए इंटीग्रेटर मे. टीसीएस के साथ संविदा को नवीकरण किया है.
- अगले 5 वर्षों और 1500 नई शाखाओं के अनुरूप बैंक की व्यावसायिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीबीएस तकनीकी संरचना का आकार आधारित है. इस नई सीबीएस संरचना से प्रतिदिन 8.5 मिलियन लेनदेनों का प्रसंस्करण तथा 125 मिलियन खातों को सर्विस प्रदान हो सकेगी.
- इंटरनेट बैंकिंग सॉल्यूशन वर्तमान से 10000 संगामी उपयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी वर्तमान क्षमता में 4400 संगामी उपयोगकर्ताओं की है.
- **बैंक ने डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की है तथा विनियामक दिशानिर्देशानुसार अनुपालन में बैंक की नीति के अनुरूप नियमित डिजास्टर ड्रिल आयोजित की जा रही है. इसके अतिरिक्त, शुन्य डाटा हानि के साथ व्यवसाय सातत्य सुनिश्चित करने हेतु नियर साइट स्थापना की जा रही है.**

2. नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी

- बैंक का कॉरपोरेट नेटवर्क में शाखाओं, विस्तार पटलों, एआरबी, सेवा सहयोग शाखाओं, रिटेल आस्ति शाखाओं, प्रशिक्षण कॉलेजों इत्यादि सहित कुल 4233 साइट्स हैं.
- शाखा कार्य दिवस के दौरान लगभग 100% अपटाइम के रखरखाव के लिए नियमित निगरानी तथा नियंत्रण करना.

3. इंटरनेट बैंकिंग

- इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को नये रूप और नये अनुभव के साथ हमारे ग्राहकों तक सभी सीबीएस शाखाओं में उपलब्ध कराया गया है, जो उत्पादों एवं सेवाओं की विशाल श्रेणी प्रदान करती हैं. इअनमें रिटेल ग्राहकों के लिए पासवर्ड जनरेशन, निधि अंतरण, ऑनलाइन टैक्स क्रेडिट व्यू, यूटिलिटी बिल भुगतान, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान, एयरलाइंसएवं सिनेमा के टिकट, शॉपिंग, मन्दिरों को दान, प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान, विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए शुल्क संग्रहण, सरकारी ई-भुगतान/प्राप्तियां, नियमित खातों के विवरण के साथ कस्टमाइज्ड खाता विवरण, मिस्ड कॉल एलर्ट, एनआरआई/एनआरओ खातों सहित ऑनलाइन जमा की सुविधाएं शामिल हैं.

- कॉरपोरेट ग्राहकों के लिये आईएमपीएस लेनदेनों, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग, ऑनलाइन रेलवे माल वाहन शुल्क बुकिंग के लिये ई-फ्रेटन इत्यादि के साथ इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा भी उपलब्ध है और वर्तमान में आईएनबी द्वारा 24 घंटे एनईएफटी सेवा उपल्ब्ध है.
- बैंक ने ओडिसा तथा बिहार सरकार के कर संग्रहण ले लिये भुगतान संग्रहक के माध्यम से एक बिल्कुल नये मोड्यूल को नियोजित किया है जिसमें 40 से भी अधिक बैंकों के ग्राहक कर का भुगतान कर सकते हैं. बैंक ने प्रशासनिक सेवा, खाद्य एवं अन्य ई-वेतन एवं लेखा के मंत्रालयों के लिये भुगतान प्रणाली का भी कार्यावयन किया है.
- कॉरपोरेट ग्राहकों के लिये ग्राहक विशेष खाता विवरणी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध है. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत एनईएफटी के माध्यम से थोक राशि अपलोड करने की भी सुविधा है. कॉर्पोरेट ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय अपनी सुविधानुसार विभिन्न विकल्पों को चुन सकते है.

4. एसएमएस बैंकिंग:

ग्राहकों द्वारा किए गए लेनदेन संबंधी रियल टाइम अलर्ट सहित उनके खातों की सूचना एसएमएस द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. वर्तमान में ग्राहकों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर 15 विभिन्न भारतीय भाषाओं में निम्नलिखित के लिए एसएमएस अलर्ट भेजे जाते है. 1) बचत खाते में रु.1000/- से अधिक तथा चालू/ओडी खाते में रु.10,000/- से अधिक की जमा/नामे 2) समाशोधन चेक नकारे जाने पर 3) निर्धारित न्यूनतम स्तर सेखाते की शेष राशि कम होने पर 4) सावधि जमा की परिपक्वता से 7 दिन से पूर्व सूचना.

- शाखा प्रबन्धकों तथा उच्च अधिकारियों को भी एसएमएस भेजे जाते हैं ताकि वे एनपीए सहित अन्य खातों की निगरानी बेहतर हाउसकीपिंग तथा शाखाओं की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण रखा जा सके.

5. मोबाइल बैंकिंग :

- जीपीआरएस का उपयोग करते हुए पूछताछ तथा निधियों के अंतरण के परिचालनों हेतु मोबाइल बैंकिंग प्रारंभ की गई है. मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए लेनदेन, एंड-टू-एंड इंस्क्रिप्शन और द्वि-स्तरीय प्रमाणन प्रक्रियाओं के साथ सुरक्षित होते हैं.
- बैंक अतिरिक्त विशिष्टताओं तथा ग्राहक पहुंच के साथ बैंक एक नया बैंकिंग सॉल्यूशन प्रारंभ करने की योजना बना रहा है.

6. फोन बैंकिंग:

फोन बैंकिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयन अंग्रेजी एवं हिन्दी में आवाज की रिकार्डिंग के साथ किया जाता है और सीबीएस शाखाओं के सभी ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध है.

7. मिस्ड कॉल अलर्ट:

यह सुविधा हमारे कासा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, जिसके द्वारा ग्राहक शेष राशि की जानकारी और विशिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल देते हुए अंतिम तीन लेनदेनों की नि:शुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस नई अभिनव ग्राहकोन्मुखी पहल के लिए हमें भारतीय बैंक संघ से प्रसंशा भी प्राप्त हुई है.

8. एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड राशि (अस्बा):

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयर्स के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की विद्यमान प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है और "एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट" (अस्बा) नामक पूरक प्रक्रिया शुरू की है. हमने अपने सभी ग्राहकों के लिए अस्बा सुविधाओं की शुरुआत की है, जिसके द्वारा निवेशक उनके खाते में आवेदन राशि को ब्लॉक करने तथा उसके पश्चात आवंटन राशि प्रेषित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत कर सार्वजनिक निर्गम का आवेदन कर सकते हैं.

9. कियोस्क बैंकिंग :

ई-लॉबी/कीऑस्क में नकद-जमा, चेक जमा, पासबुक प्रिंटिंग, लेनदेन की पूछताछ, इंतरनेट बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं. यह ई-लॉबी/कीऑस्क चार स्थानों अर्थात मुम्बई मुख्य कार्याल, सीबीडी, बेलापुर, पुणे केम्प, एवं प्रेस एरिया शाखा, दिल्ली में सफलता पूर्वक कार्य कर रही हैं. बैंक 150 स्व सर्विस कीऑस्क मशीन लगाने का प्रावाधान है तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 1000 अतिरिक कीऑस्क लगाने का प्रावधान है.

10. वेबसाइट :

ग्राहकों की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए, वेबसाइट के आकर्षण एवं अनुभूति में नए परिवर्तन हो रहे हैं. वेबसाइट में ग्राहकों के लिए ऑन-लाइन शिकायत मॉड्यूल शामिल हैं. बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग तथा बैंक की ऑफिसियल वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. सुरक्षा लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है.

11. भारतीय रिजर्व बैंक परियोजनाएं :

- स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) का उपयोग करते हुए सभी सीएबीएस शाखओं को आरटीजीएस तथा एनईएफटी समर्थित किया गया है. दिनांक 31 मार्च, 2013 को 4418 शाखाएं/विस्तार पटल/एनबीओ कार्यालयों को आरटीजीएस के लिए तथा 4417 शाखाओं/विस्तार पटल/एनबीओ/ कार्यालयों को एनईएफटी समर्थित किया है.

- रिटेल तथा कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा भी उपलब्ध है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी हमारे बैंक के भुगतान गेटवे के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसके अतिरिक्त, हम एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए सह सदस्य के तौर पर ऑन-बॉर्डिंग सहकारी बैंक का कार्य परिचालन की प्रक्रिया में है.

12. चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस)

- भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशानुसार के क्रम में, सीटीएस प्रणाली दक्षिण क्षेत्र को कवर करते हुए, चेन्नै, कोयम्बतूर, मदुरै, बंगलूरू एवं पांडिचेरी में आउटसोर्स्ड मॉडल का उपयोग करते हुए दक्षिण क्षेत्र में क्रियान्यन की गई है. चंडीगढ तथा कोलकाता के भी इस दक्षिण ग्रिड से जुड़ना अपेक्षित है.
- एनसीआर, नईदिल्ली में भी सीटीएस को नए सिरे से बनाया गया है.
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए आपूर्ति इंस्टॉल इंटीग्रेट तथा कर्यांवयन के लिए एक उपयुक्त सीटीएस एप्लिकेशन चुनने के लिए बैंक ने पश्चिम ग्रिड के लिए देना बैंक द्वारा प्रारम्भ किए गए यूनिफॉर्म आरएफपी का विकल्प है.

13. कॉल सेंटर

बैंक ने 6 जुलाई, 2011 से कॉल सेन्टर की स्थापना की है तथा सुगमता से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में कॉल सेन्टर विभिन्न सेवाएं जैसे बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की सूचना, शाखा/एटीएम लोकेशन की सूचना, ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों पर सूचना, शेष जानकारी, लेनदेन जानकारी, चेक नंबर की जानकारी, डेबिट कार्ड हॉट-लिस्टिंग, ब्याज अर्जित/ब्याज भुगतान की जानकरी, टीडीएस जानकारी, लेनदेन विवरण, चेक जारी या जमा की स्थिति, सीडी/सीसी/ओडी एवं ब्याज जानकारी, बैंक के ग्राहक शिकायत प्रणाली एवं इनके निपटान हेतु उपयुक्त स्तर पर शिकायतों की रिकर्डिंग तथा फीडिंग की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है.

- वर्ष के प्रारंभ में, प्रतिदिन कॉल वोल्यूम 18100 प्रतिदिन था जबकि वर्ष के अंत में, यह 28367 प्रति दिन तक हो गया है.

14. सिंगल डाटा सिंगल रिपोजिटरी (एसडीआर):

- बैंक ने सिंगल डाटा रिपॉजिटीरी की स्थापना कर एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया है, जो पूरे बैंक में सूचना/रिपोर्ट प्रदान करने का स्रोत होगा. यह उच्च प्रबंधन को सत्यतापूर्ण रिपोर्टिंग के विभिन्न डेशबोर्ड्स उपलब्ध कराते हुए रिपोर्टिंग की तारतम्यता सुनिश्चित करेगा, जिससे डिसिजन सपोर्ट प्रक्रिया में बढोत्तरी होगी.
- यह आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में समस्त संस्थान के लिए डाटा भंडारण/डाटा मायनिंग का समधान होगा. यह बैंक के स्वचलित डाटा प्रवाह, कॉर्पोरेट निष्पादन प्रबंधन समाधान, आस्ति देयता प्रबंधन इत्यादि में भी सहायक होगा.
- गुणवत्ता रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए बैंक डाटा क्लीनिंग गतिविधियों पर भी कार्य कर रहे हैं.

15. एचआरएमएस:

बैंक ने सभी कार्यों जैसे वेतन प्रसंस्करण, अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ऑन लाइन हॉलीडे होम/ट्रांजिट होम बुकिंग सुविधाएं इत्यादि को शामिल करते हुए पिपल सॉफ्ट के माध्यम से स्टेट ऑफ द आर्ट एचआरएमएस समाधान (स्व-दर्पण) को क्रियान्वित किया है. बढ़ती आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु इस प्रणाली को नया स्वरूप दिया जा रहा है.

16. पेमेंट इंट्रीगेशन सॉल्यूशन :

बैंक ने विभिन्न बेच प्रोसेसिंग फंक्शनलिटी जैसे केन्द्रीकृत वेतन प्रसंस्करण, केन्द्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण, एनईसीएस (इनवर्ड) प्रसंस्करण, त्वरित निधि लेनदेन प्रसंस्करण इत्यादि के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पेमेंट इंटीग्रेटर सॉल्यूशन (पीआईएस) स्थापित किया है.

17. इनहाउस डेवलपमेंट :

बैंक के पास एक सुदृढ़ आईटी डेवलपमेंट टीम है, जो बैंक के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं प्रभावी तौर पर पूर्ण करती है तथा यथासंभव उनकी आउटसोर्सिंग बचाती है. बैंक ने रेलवे, डिफेन्स तथा सिविल पेंशन के लिए केन्द्रीकृत पेंशन मॉड्यूल विकसित किये हैं, जो इस टीम की प्रथम उपलब्धि है.

कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

- टेलीकॉम में पेंशन मॉड्यूल का विकास पूर्ण हो चुका है तथा क्रियान्वयन हेतु तैयार है.
- सामान्य प्रशासन विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय के प्रयोग हेतु लीज डीड समाप्ति, नवीकरण इत्यादि संबंधी सूचनाओं को अद्यतन करने के लिए वेबपोर्टल बनाया गया है.
- घोष-जिलानी रिपोर्ट के लिए डाटा एकत्र करने हेतु ऑन लाइन वेब पोर्टल विकसित किया गया है.
- डीआरटी के लिए वेबपोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है और 30 डीआरटी इस पर मायग्रेट किए जा चुके हैं.
- 5 करेंसी चेस्ट में करेंसी चेस्ट संबंधी एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए वेबपोर्टल प्रारंभ कर दिया गया है.
- तुलन-पत्र विभाग के लिए एमओसी की ऑनलाइन पंचिंग प्रणाली का विकास पूर्ण हो चुका है.

18. नकदी प्रबन्धन प्रणाली (सीएमएस) :

- हमारे ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नकद संग्रह एवं भुगतान की सुविधा सीएमएस के अंतर्गत करा रहे हैं.
- हमारे पास कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए विशेष योजना है. हमारी सीएमएस कलेक्शन/भुगतान उत्पाद क्विक चेक कलेक्शन (सेन्ट-क्यूसीसी), सेन्ट एक्सप्रेस, सेन्टइंस्टेंट, नॉन क्यूसीसी लोकल चेक कलेक्शन(एलसीसी), बल्क लोकल चेक कलेक्शन(बीएलसीसी), सेंट्रलाइज्ड क्लीरिंग सर्विसेस (सीसीएस), डायरेक्ट डेबिट मेंडेट (ऑटो डेबिट मेंडेट), नकदी संग्रह सुविधा, यूटिलिटी बिल्स संग्रह, फीस संग्रह, मांग ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था, सममूल्य पर भुगतान-डीडी (पूर्व-निधियन), शाखाओं से लिंक करेंसी चेस्ट निकासी, लाभांश/आईडब्ल्यू खातों आदि का सममूल्य पर भुगतान.
- हम 85 कॉरपोरेट खातों जैसे टाटा समूह, भा.जी.नि., रेलवे, एमटीएनएल, फ्यूचर केपीटल होल्डिंग लि., समूह फर्मासिटिकल्स लि., जीएमआर समूह खातों आदि को सेवाएं प्रदान करते हैं

19. डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस (डीएसबीएस) :

हमारे उन 70 क्षेत्रीय कार्यालयों जहां करेंसी चेस्ट हैं, में डीएसबीएस क्रियान्वित किया गया. हमारे बैंक में अखिल भारतीय स्तर पर डीएसबीएस उपलब्ध कराने हेतु हमने मेसर्स चेकमेट सर्विसेज के साथ अनुबंध किया है.

20. बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेग्रावै.:

- बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 100% सीबीएस कवरेज प्राप्त कर लिया है. मंत्रालय के दिशानिर्देशानुसार बैंक अन्य बैंकों की कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया प्रगति पर है एवं हमरी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अन्य बैंकों के साथ समामेलन की प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं.
- बैंक में निर्धारित पहलों के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

21. वित्तीय समावेशन पहल :

- आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम(एपीबीएस): आधार नंबरों के आधार पर लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष नकदी अंतरण का क्रियान्वयन किया जा गया है.
- आधार इनेबिल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस): हमारे दो विद्यमान वेंडर अर्थात मे. इंटेग्रा एंड मे.एचसीएल ने सफलतापूर्वक एईपीएस के परीक्षण किया जा चुका है.
- कीऑस्क आधारित वित्तीय समावेशन मॉडल: बैंक द्वारा कीऑस्क एफआई वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन प्रक्रिया की एक अनूठी पहल है. यह हमारे ग्रामीण ग्राहक को सेवाओं के साथ जैसे निधि अंतरण, शेष जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, एईपीएस आदि उपलब्ध कराएगा. यह सेवा कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) के माध्यम से उपलब्ध कराएगा तथा सिस्टम प्रोवाइडर मे. टीसीएस है.
- केन्द्रीकृत बायो-मेट्रिक प्राधिकरण के साथ म.प्र. राज्य में समान्य बीसी आधारित एफआई समाधान को लागू करना; केन्द्रीकृत बायोमेट्रिक प्राधिकरण का उपयोग करते हुए ऑन लाइन लेनदेनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान्य एफआई समाधान को प्रोन्नत किया गया है. एफआई नामांकन को क्षेत्र स्तर पर शुरु किया गया है तथा सामान्य बीसी आधारित एफआई सोल्युशन के माध्यम से खाता खोलने कार्यविधि का क्रियान्वयन किया गया है.
- आधार सीडिंग तथा लिंकिंग तीन विकल्पों के साथ शुरू की गई है. 1.) शाखा सीबीएस प्रणाली 2) शाखाओं से बल्क अपलोडिंग. 3) यूआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार संख्या के लिए केन्द्रीय प्रसंस्करण के माध्यम से. वर्तमान में बैंक में 2.50 लाख आधार नंबरों को सीबीएस से जोड़ा गया है तथा एनपीसीआई मेपर के साथ अद्यतन किया गया है.

22. आईटी गवर्नेंस.

- सूचना प्रौद्योगिकी की रणनीति, सूचना प्रौद्योगिकी स्टियरिंग समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन समिति के साथ बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस के लिए आधारभूत आवश्यक ढांचा तैयार किया है. पीसी, प्रिन्टर, एटीएम आदि हार्डवेयरों के डिस्पोजल तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अनुमोदन स्टियरिंग समिति द्वारा किया गया था.
- संतुलित स्कोरकार्ड को नियमित आधार पर बनाना एवं प्रस्तुत करना एवं आईटी कार्यनीति समिति की सलाह के अनुसार आईटी परियोजना के विभिन्न पैरामीटर के अंतर्गत कार्यनिष्पादन की रेटिंग की जा रही है. आईएसओ-27001 प्रमाणन तथा बीएसएमएस-25999 प्रमाणन के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एवं पर्यवेक्षण किया गया.

लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण

- शाखाओं को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के अधीन रखा गया एवं 2012-13 में सख्त रेटिंग की गयी जिससे लेखा परीक्षा की प्रणाली सुदृढ़ हुई एवं अनुपालन संस्कृति में सुधार हुआ. इससे लेखापरीक्षा जोखिम रेटिंग में भी सुधार हुआ.
- दिनांक 31.03.2012 को 3449 मध्यम जोखिम एवं 390 निम्न जोखिम रेटिंग की शाखायें थी. इस स्थिति में सुधार आया और दिनांक 31.03.2013 को 2481 मध्यम जोखिम एवं 1648 निम्न जोखिम शाखाएं और सिर्फ 6 उच्च जोखिम वाली शाखाएं थीं.

- अब तक नियंत्रक कार्यालयों प्रबंधन लेखापरीक्षा में की जाती थी. अब उन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेस समीक्षा के अंतर्गत लाया गया है जो स्वॉट आंकलन देता है तथा नीतिगत पहलें एवं सुधार के लिए विशेष कार्य योजना सुझाता है.

- जोखिम आधारित संगामी लेखापरीक्षा आरम्भ की गयी एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया गया. सनदी लेखाकार फर्मों से संगामी लेखापरीक्षा के लिए 198 और शाखाएं सम्मिलित की गयीं जिससे 31.03.2013 को इसके अंतर्गत शाखाओं की संख्या बढ़कर 951 हो गयीं जो बैंक की कुल जमा का 63%, ऋण का 80% एवं कुल व्यवसाय का 70.5% भाग कवर करती हैं. संगामी लेखापरीक्षा की रिपोर्टें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से शाखा के सभी ऋणों पर केन्द्रित है. लेखापरीक्षा फर्में वेब पोर्टल पर आवेदन करती हैं एवं संगामी लेखापरीक्षकों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल नियुक्ति सूचित की जाती है.

शाखा विस्तार

- 31 मार्च 2013, को बैंक के नेटवर्क में कुल 4294 शाखाएं थी, 3612 अतिसूक्ष्म शाखायें, 2529 एटीएम, 29 सेटेलाइट कार्यालय एवं 5 विस्तार पटल है. बैंक की देश के सभी 28 राज्यों, 7 में से 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में, 561 जिला मुख्यालयों एवं 642 जिलों में से 568 जिलों में देशव्यापी उपस्थिति है.

- वर्ष के दौरान 283 शाखाएं खोली गयीं 13 विस्तार पटलों की पूर्ण शाखा में अपग्रेडेशन, 5 विशेषज्ञ मिड कॉर्पोरेट फायनेंस एवं 20 रिटेल आस्ति शाखाएं शामिल हैं.

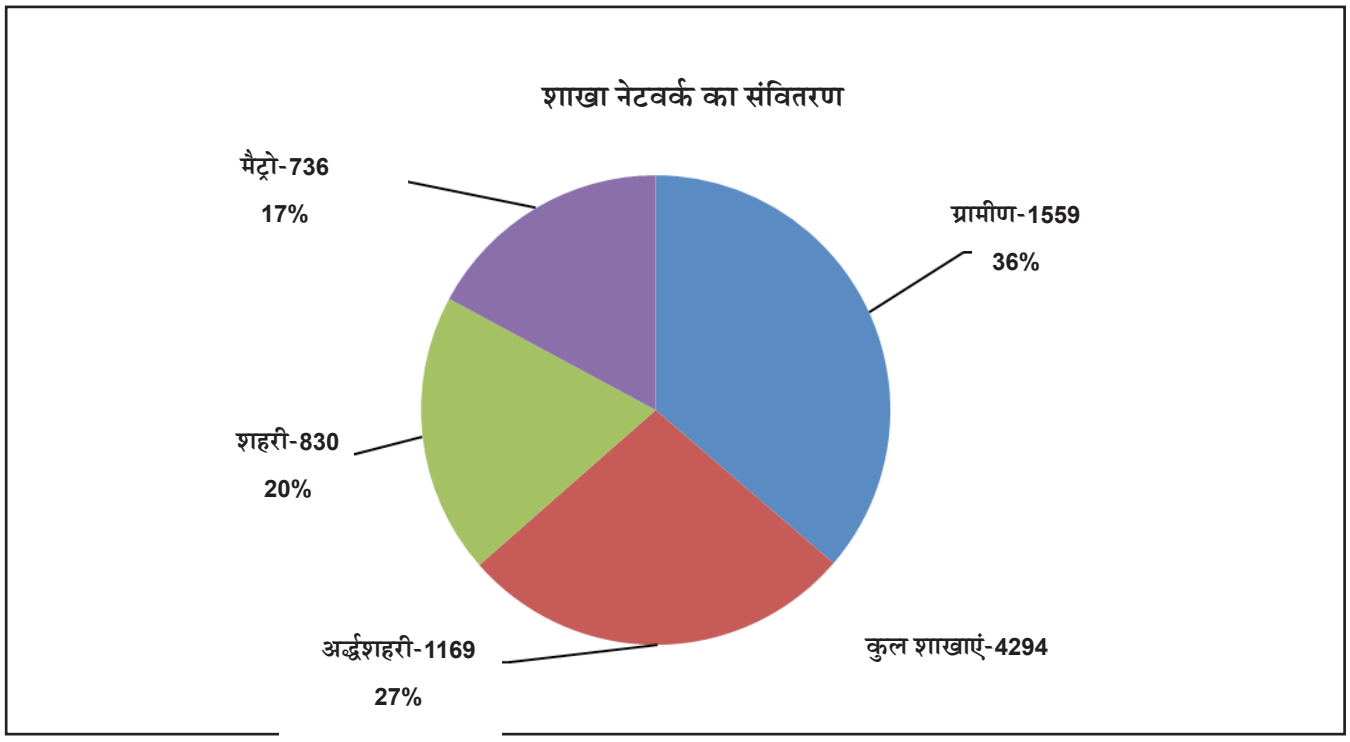

- शताब्दी दिवस को स्मरणीय बनाते हुए दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को बैंक ने 101 नई शाखाएं खोलीं.

परिचालन

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)

कॉल सेन्टर्स द्वारा ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रारम्भ किया है (सीआरएम) जिसके अंतर्गत एक ही स्थान पर ग्राहकों संबंधी निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध होती है :-

- ग्राहक से संबधित सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पता, जन्मतिथि, पैन विवरण, सम्पर्क नंबर, मेल आईडी.

- ग्राहक द्वारा ली गयी सुविधाओं का विवरण जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि.

- ग्राहक के सभी खातों जैसे बचत खाता/चालू खाता/ओडी/मीयादी ऋण/मीयादी जमा एवं आवर्ती खाता का विवरण.

- अंतिम पांच लेनदेन, चेक की स्थिति एवं चेक का "स्टॉप पेमेंट" अनुरोध .

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक ने इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित नयी संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया

- गैर होम शाखा से खाते में नकद जमा को नि:शुल्क किया गया.
- रू. 1.00 लाख तक की एनईएफटी पर कोई सेवा प्रभार नहीं.
- अपरिचालित खातों/अदावाकृत खातों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना.
- पेंशनर, बैंक की किसी भी शाखा में जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है. जीवन प्रमाण पत्र के ऑन लाइन फीडिंग की सुविधा सभी शाखाओं में उपलब्ध है.
- पेंशनर की मासिक पेंशन का विवरण, जो कि हर पेंशनर चाहता है, वह शाखा स्तर पर तुरंत प्राप्ति के लिए सुरक्षित डोमेन में उपलब्ध है.जिसका उपयोग पेंशन खाताधारक कर सकता है.

ग्राहक शिकायतें

ग्राहक की शिकायतों के बेहतर निवारण के लिए हमारे बैंक ने 24x7 समय टोल फ्री नंबर 1800 200 1911 सहित कॉल सेंटर प्रारंभ किए हैं. शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण रूप ऑनलाइन किया गया है. सभी प्राप्त शिकायतों को ट्रैकिंग सुविधा सहित एक विशेष पहचान नंबर आबंटित किया जाता है.

- सभी 77 क्षेत्रीय कार्यालयों में एक अधिकारी को "ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारी" नामित किया गया है ग्राहक की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए क्षेत्रीय नोडल अधिकारीयों के नाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गए है.
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम बैंक है जिसने दामोदरन समिति की अनुशंसा के अनुसार दिनांक 21/08/2012 से मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) की नियुक्ति की है. 30 दिनों के भीतर ग्राहक की शिकायत का निवारण बैंक द्वारा नहीं किए जाने अथवा निवारण से ग्राहक के संतुष्ट न होने के मामलों में, वह सीसीएसओ को अपील कर सकता है.
- शिकायत निवारण की औसत अवधि 31/03/2013 को 14 दिन है जबकि 31.03.2012 को यह 26 दिन थी.

ट्रांजेक्शन बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑन लाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने एवं अन्य ई- लेन देन सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं -

- पुन ग्रेन प्रोजेक्ट-यह पंजाब राज्य सरकार द्वारा अनाज की खरीदी के लिए आढतियों को ऑन लाइन भुगतान संबंधी परियोजना है. बैंक ने सरकार की इस पहल में सहयोग के लिए आढतियों को कार्ड जारी करने के साथ साथ पीओएस मशीनें भी स्थापित की हैं.
- ऑन लाइन टिकट बुकिंग-बैंक ने कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए ऑन लाइन टिकट बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराई है.
- बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को ऑन लाइन बिल भुगतान सुविधा.
- बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को ऑन लाइन मीयादी जमा खोलने की सुविधा.
- बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर रेलवे टिकट की ई- बुकिंग.
- भुगतान गेटवे का एक्टिवेशन एवं मर्चेन्टस का नामांकन.
- धनांतरण हेतु गैर ग्राहकों की सुविधा हेतु कैश एनईएफटी योजना.
- लेन देन के साथ साथ संप्रेषण में कागज के प्रयोग को कम करने के लिए गो ग्रीन योजना.
- इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 1.81 लाख से बढकर 6.02 लाख हो गई तथा ई- लेन देन प्रतिशत 13.37इ से बढकर 30इ हो गया.

व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास

वर्ष 2012-13 के दौरान बीपीआर विभाग द्वारा की गई मुख्य पहलें.

- **व्यक्ति विशेष चेक बुक :** सीटीएस-2010 स्टैंडर्ड व्यक्ति विशेष चेक बुक उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीकृत चेक बुक जारी सुविधा सभी शाखाओं में उपलब्ध करायी गयी है.
- **सेन्ट सुझाव :** बैंक के इंट्रानेट "फॉर स्टाफ ओनली" में स्टॉफ सदस्यों की सृजनात्मकता एवं अभिनव विचारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो बैंक की उत्पादकता, कार्यनिष्पादन एवं लाभप्रदता में लाभप्रद हो, "सेन्ट सुझाव" नामक एक पृथक वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है.
- **चालू एवं बचत खातों के नए स्वरूपों का अभिकल्पन :** अपने विशाल ग्राहक आधार में से संभाव्य ग्राहकों की पहचान कर उन्हें विशेष सेवाएं, अतिरिक्त लाभ देने एवं उनके खास होने का अनुभव कराने के लिए बैंक ने बचत खातों के विभिन्न स्वरूप- सेन्ट प्रीमियम एवं चालू खातों के स्वरूप-सेन्ट सिल्वर, सेन्ट गोल्ड एवं सेन्ट डायमंड नाम से प्रारंभ किए हैं.
- **ई-वोव (वाउचरों का ई-सत्यापन):** शाखाओं में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सप्लीमेंट्री की जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच बिन्दु है. सप्लीमेंट्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑन स्क्रीन जांचने के लिए एक ई-वोव (वाउचरों की जांच) नामक प्रोग्राम विकसित किया गया है.

- **शाखाओं का सेन्ट नवचेतना शाखाओं के रूप में रूपांतरण :**101 शाखाओं में कार्य प्रक्रिया को पुन:रूपांकित किया जान-इस प्रक्रिया के अंतर्गत शाखा के कार्यों को फ्रंट ऑफिस फंक्शन एवं बैक ऑफिस फंक्शन के तौर पर विभाजित किया गया है. तदनुसार अधिकतर परिचालनात्मक कार्यों को दो भागों में बांटा गया है- ग्राहकों से संबंधित कार्य फ्रंट ऑफिस के द्वारा किये जाने हैं एवं डाटा एन्ट्री कार्य बैक ऑफिस द्वारा किए जाएंगे.
- **सेन्ट सुविधा पॉइन्ट्स :** सेन्ट सुविधा पॉइन्ट एक प्रकार से 24x7 कार्य करने वाली पूर्ण रूप से स्वचालित छोटी (अप्रत्यक्ष) शाखा है. सेन्ट सुविधा पॉइन्ट में कुछ मशीनें होंगी जिनके द्वारा उपर्युक्त सभी बैंकिंग सुविधाएं 24x7 के आधार पर उपलब्ध होंगी.
  - ♦ एटीएम
  - ♦ चेक जमा मशीन, अधिसंख्य नगद जमा राशि मशीन, बार कोड सुविधा सहित पास बुक प्रिन्टिंग मशीन की सुविधाओं युक्त बहुउद्देश्यीय कियोस्क.

राजभाषा

- वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंक को 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड' से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मोहन वी.टांकसाले, ने शील्ड प्राप्त की.
- बैंक को भाषिक क्षेत्र "क" में भी राजभाषा के उत्तम कार्यान्वयन के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शील्ड' प्राप्त हुई .
- इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र एवं गुजरात में राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्तम निष्पादन के लिए महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं गुजरात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा भी हमें पुरस्कृत किया गया.
- वित्तीय वर्ष के दौरान, हमारे 31 आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखाओं को भारत सरकार,गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भोपाल एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर के हम समन्वयक बैंक हैं एवं इन दोनों ही समितियों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं.
- राजभाषा की संसदीय समिति ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु हमारी हरिद्वार शाखा (देहरादून क्षेका) एवं दिल्ली आंचलिक कार्यालय का निरीक्षण किया. तथा समिति ने हमारे बैंक द्वारा राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए किए गये प्रयासों एवं उपायों की प्रशंसा की.
- हमारे बैंक ने कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत हिन्दी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध करायी है. हम अपने ग्राहकों को पास बुक, ड्राफ्ट, मीयादी जमा रसीद एवं खाता विवरणियां हिन्दी में उपलब्ध करा रहे हैं. हमारे ग्राहकों को हिन्दी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस प्रेषित किये जा रहे हैं.
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए सेन्ट क्यूपीआर के नाम से इन हाउस वेब पोर्टल प्रारंभ किया है
- वर्ष के दौरान दिल्ली एवं सीबीडी बेलापुर में राजभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए.
- हमारे एचआरएमएस पोर्टल को भी हम द्विभाषिक करने की प्रक्रिया में हैं.

कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन्स

- हमारी कॉरपोरेट छविनिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष के दौरान हमने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से लगभग 15.41 करोड़ पाठकों तक अपनी पहुंच बनाई.
- हमारे देश भर कार्यालयों द्वारा शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों से अभिवर्धित ब्रांड इक्विटी एवं विजिबिलिटी को और बढ़ाया गया. वर्ष 2012-13 के दौरान इस अभिवृद्धि एवं प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा आउटडोर मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने में हमारा अंतर्निहित प्रयास इसे वास्तविक व्यवसाय में परिणित करता है. इन मार्केटिंग व ब्रांडेड उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बजट/गैर-बजट प्रचार अभियान चलाए गए.
- हमारे संस्थापक की 131 वीं जन्म जयंती के अवसर पर दिनांक 9 अगस्त 2012 को मुंबई में बैंक के संग्रहालय की स्थापना की गई. इस संग्रहालय का उदघाटन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उपगवर्नर श्री वी. लीलाधर की उपस्थिति में किया गया था.
- इसी अवसर पर तृतीय सर सोराबजी पोचखानावाला व्याख्यान माला भी आयोजित की गई ठीक जिसमें "सार्वजनिक क्षेत्रके बैंक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था" विषय पर सेबी के पूर्व चेयरमैन श्री एम. दामोदरन ने व्याख्यान प्रस्तुत किया.
- ग्रो-ट्री डॉट कॉम पर अनुबंधन के माध्यम से हमने महानुभवों का सम्मान पारंपारिक बुके के स्थान पर ई-प्रमाणपत्र द्वारा करना प्रारंभ किया है. इस तरह से हमने कंपनी के साथ 3000 वृक्षों का एक बैंक बना लिया है.
- बैंक के कर्मचारी कल्याण उपायों के अंतर्गत दिनांक 7 जुलाई 2012 को मुंबई के अलावा देश के विभिन्न केन्द्रों पर "सेन्ट स्टार गौरव" समारोह के भव्य आयोजन में एसएससी/एचएससी परीक्षाओं में उच्चगुणांकों से उत्तीर्ण होने वाले सेन्टूलाइट्स के बच्चों का सम्मान किया गया.
- बैंक का स्थापना दिवस पूरे देश भर के कार्यालयों में उत्साहपूर्वक मनाया गया. इस अवसर पर दिल्ली एवं मुंबई में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए. दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में आयोजित अथापना दिवस समारोह में श्री पी. चिदंम्बरम, माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, श्री नमोनारायण मीना, माननीय राज्यमंत्री (आर्थिक एवं वित्तीय सेवाएं), भारत सरकार, श्री डी के मित्तल, आईएएस, सचिव, आविसे, वित्त मंत्रालय की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा सुशिभित की.

- वर्ष के दौरान हमने कई नई अभिनव पहलें प्रारंभ की हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :
  - विज्ञापन के लिए कम लागत के अवसर तलाशना (जैसे-वॉटरशेड, ऑटोरिक्शा/शिकारा/बस शेल्टर/बसें/एचपीसीएल/पेट्रोल पंप/एफसीआई गोदाम की दीवारें)
  - सभी कार्यालयों के लिए एक समान नव वर्ष अभिनन्दन कार्ड डिजाइन करना.
  - सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ब्रांडेड सी4सी लपेल पिन.
  - सभी अधिकारियों के लिए लपेल पिन/ब्रौच.
  - बैंक एवं शाखाओं का स्थापना दिवस मनाया जाना.
  - नव वर्ष एवं अन्य अवसरों पर सभी रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पर आगन्तुक यात्रियों का ब्रांडेड गुलाब भेंट कर स्वागत करना.
  - चंदरमुखी भवन एवं आंचलिक कार्यालयों की लिफ्टों में ब्रांडिंग.
  - हमारे वीआईपी ग्राहकों के साथ घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए उन्हें पर्सनलाइज्ड टेबल कैलेंडर भेंट किए गए, जिसकी हमारे सम्माननीय ग्राहकों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई.
- वेबसाइट पर अपनी उपस्थिति प्रदर्शित कराने के लिए विधिक मामलों पर सूचनाएं उपलब्ध कराती वेबसाइट www.legalera.in तथा दिल्ली व आस-पास की विभिन्न सूचनाएं उपलब्ध कराती वेबसाइट www.eclubdelhi.in पर हम विद्यमान हैं. स्थापना दिवस समारोह, क्रिसमस, नव वर्ष के अवसरों पर हमने विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन दिये हैं. नियमित विज्ञापनों के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रीय चैनल भी चुने हैं.
- इन गतिविधियों से हमारी छवि में अभिवृद्धि हुई है.
- छवि निर्माण गतिविधियों से बैंक की विजिबिलिटी में निखार आया है. द इकॉनॉमिक टाइमस ने दिनांक 07 नवंबर 2012 को "ब्रैण्ड इक्विटि-मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैण्ड्स 2012" विषय पर प्रकाशित रिपोर्ट में भारत के अतिविश्वसनीय ब्रैंड्स प्रकाशित किए थे.
- जिसमें हमारे बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4था स्थान प्राप्त हुआ था. "इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड सर्विस ब्रैण्ड्स" की श्रेणी में हमारा स्थान ऊपर बढ़कर 14वां हो गया जो सन 2011 में 16 वें स्थान पर था.

सर्तकता

- वर्ष 2012-13 के दौरान, सतर्कता के मामलों एवं शिकायतों का त्वरित गति से निपटान किया गया. दिनांक 31.03.2012 को छ: माह से अधिक से लंबित मामलों की संख्या जो 132 थी वह दिनांक 31.03.2013 को घटकर 60 रह गए. अधिकारी सेवा विनियम 20.3 (iii) लागू करने के मामले बहुत कम रहे. इसके अलावा सतर्कता अधिकारियों को सीबीएस वातावरण में प्रभावी एवं त्वरित गति से मामलों को निपटाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है.
- सतर्कता मामलों के निवारण एवं सिस्टम की कमियों से निपटने के प्रभावी उपायों पर चर्चा करने हेतु संबंधित आंचलिक कार्यालय में धोखाधड़ी निवारक समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठक का आयोजन किया जा रहा है. इस समिति में आंचलिक प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक/सतर्कता अधिकारी एवं ग्रामीण/अर्धशहरी/शहरी शाखा के एक शाखा प्रबंधक होते हैं.
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के उद्देश्य से भारतभर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. अनाचार की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए "सेन्ट विजिल" पोर्टल प्रारंभ किया गया है जिससे स्टाफ सदस्य सचेतक के रूप में कार्य कर सके.
- सिस्टम को और सुदृढ करने के उद्देश्य से कई नयी पहलें जैसे ई-वीवीआर के माध्यम से दैनिक लेन- देन की जांच, बायोमेट्रिक लॉगिन प्रणाली एवं ई-रसीद वाउचर प्रणाली प्रारंभ की जा रहीं हैं.

मानव संसाधन विकास

1. मानवशक्ति :

मार्च 2013 के अंत में बैंक में स्टाफ की संख्या पिछले वर्ष 35,901 की तुलना में 37113 थी. स्टाफ का श्रेणीवार विघटन निम्नानुसार है :

श्रेणी	मार्च 2013	मार्च 2012
अधिकारी	14,043	12,375
लिपिक	13,475	15,167
अधीनस्थ स्टाफ	9,595	8,359
कुल योग	37,113	35,901

2. मानव संसाधन विकास :

(i) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 का अद्यतन संस्करण :

एचआर नीतियों में परिवर्तन/परिवर्धन से स्टाफ सदस्यों को सुसज्जित करने की प्रबंधन की सतत सक्रिय पहल के तहत प्रबंधन ने 31.12.2012 तक के सभी आशोधनों/परिवर्तनों/संशोधनों को समाहित करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 का अद्यतन संस्करण जारी किया है एवं उसे नये मेन्यु "मेजरएचआर पॉलिसीज एंड स्कीम" के अंतर्गत "फॉरस्टाफ ओनली" पोर्टल पर अपलोड किया गया है.

(ii) बैंक डकैती, वाम-चरमपंथियों सहित अन्य आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वाले बैंक कर्मचारियों के परिवार को क्षतिपूर्ति/पुरस्कार संबधी दिशा निर्देशों में संशोधन.

सरकार के संप्रेषण दिनांक 3.07.2012 के अनुसार बैंक डकैती, वाम-चरमपंथियों सहित अन्य आतंकवादी घटनाओं में मारे जाने वाले बैंक कर्मचारियों के परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/ पुरस्कार राशि में दिनांक 3.07.2012 से वृद्वि की गयी है.संशोधन द्वारा किये गये मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- बैंक डकैती, वाम-चरमपंथियों सहित अन्य आतंकवादी हमलों के कारण अथवा हमलों के दौरान मारे जाने वाले बैंक कर्मचारियों के परिवार को दी जाने वाली संशोधित क्षतिपूर्ति के अनुसार अधिकारी को रू.20लाख तथा लिपिकीय/अधीनस्थ कर्मचारी को रू. 10 लाख की गई है.
- डकैती/आतंकवादी हमले के दौरान अथवा उसके फलस्वरूप यदि बैंक कर्मचारी के अतिरिक्त कोई व्यक्ति मारा जाता है तो मृतक के परिवार को बैंक द्वारारू. 3 लाख की एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी
- बैंक डकैती एवं बैंक पर आतंकवादी हमलों का सक्रियता से सामाना करने वाले बैंक कर्मचारी/ग्राहक/सामान्य नागरिक को बैंक अधिकतम रू.2 लाख का नगद पुरस्कार दे सकती है.
- ये दिशा निर्देश देश के उत्तर-पूर्वी एवं वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों सहित देश भर में समान रूप से लागू होंगे

(iii) पात्र अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन में वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति योजना का शुभारंभ :

वरिष्ठ पंचाट कर्मचारियों को नये व्यवसाय, न्यून लागत जमा संग्रहण,ऋण वसूली में वृद्वि/एनपीए खातों का अनुवर्तन, बट्टे खाते में वसूली इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करने, उनके प्रयासों को मुख्य धारा के केन्द्रित व्यवसाय की ओर निर्दिष्ट करने के लिए उन्हें और अधिक गतिशील बनाने के लिए कार्यालयीन कार्यों के निर्वहन हेतु पात्र पंचाट कर्मचारियों द्वारा किए गए वाहन व्यय प्रतिपूर्ति की योजना प्रारंभ की गई है.

(iv) **महिला हॉस्टल में रह रही महिला अधिकारियों एवं पेंइग गेस्ट के रूप में रह रहे अधिकारियों (पुरूष एवं महिला दोनों) को किराया प्रतिपूर्ति सुविधा.**

बैंक ने सदभावना दर्शाते हुए को महिला हॉस्टल में रह रही महिला अधिकारियों एवं पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहे अधिकारियों (पुरूष एवं महिला दोनों के लिए किराया प्रतिपूर्ति सुविधा विस्तरित की है.

(v) दिनांक 1 अप्रैल 2013 से अधिकारियों की किराया प्रतिपूर्ति सीमा में पर्याप्त वृद्वि की है.

अधिकारियों के जीवन की गुणवत्ता एवं उनकी खुशहाली में वृद्वि के लिए दिनांक 1 अप्रैल 2013 से अधिकारियों की किराया प्रतिपूर्ति सीमा में पर्याप्त वृद्वि की गयी है.

(vi) कर्मचारियों को विस्तारित लाभ/सुविधायें :

कर्मचारियों को संस्था के लिए सर्वोत्तम करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु पंचाट कर्मचारियों के निवास पर खरीदे गये समाचार पत्र के मूल्य की प्रतिपूर्ति, अधिकारियों, प्रधान खजांची एवं विशेष सहायक इत्यादि ब्रीफकेस के मूल्यों की प्रतिपूर्ति में वृद्वि की गयी.

(vi) वित्तीय वर्ष के दौरान की गयी अन्य महत्वपूर्ण पहलें:

- एच आर नीतियों, विशेष तौर से पदोन्नति एवं कार्यनिष्पादन आकलन प्रणाली,में प्रोत्साहक संशोधन कर इसे अधिकारी अनुकूल बनाया गया है.
- एचआरएमएस प्रणाली को पूर्णत:क्रियान्वित कर दिया गया हैं जिससे पारदर्शिता बढी है एवं एचआर पद्धति एवं प्रक्रियाओं को सिस्टम ड्रिवन बनाया गया है.
- एच आर नीतियों को प्रतिभाएं रोकने एवं आकर्षित करने के अनुकूल बनाया गया है.
- "मुख्य एचआर नीतियां एवं योजनायें" शेयर करने के लिए एक विशेष पोर्टल प्रारंभ किया गया है- एचआर नीतियों एवं योजनाओं को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने का एक प्रयास.
- "निरंतर योजना" से "उत्तराधिकार योजना" में संक्रमण-सुदृढ एवं सतत उत्तरोत्तर योजना का निर्माण.

3. प्रशिक्षण:

सुदृढ प्रबंधन टीम के परिपोषण में गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण आधारशिला समान होता है, तदनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान "प्रशिक्षण एवं विकास" कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देना जारी रखा गया. इस परिप्रेक्ष्य में बैंक को एक "कौशलार्जन संगठन" के तौर पर रूपांतरण करने के संपूर्ण प्रयासों के एक भाग स्वरूप प्रशिक्षण माड्यूल, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि सहित संपूर्ण प्रशिक्षण गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं.

- **वर्ष 2012-13 के दौरान, नयी दिल्ली के आईएमआई के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रबंधन प्रोफेशनलस डॉ. प्रीतम सिंह एवं सुश्री आशा भंडारकर द्वारा "शाखा प्रबंधकों के लिए विजेता शाखा बनाने" एवं नये पदोन्नत समग्र/उमग्र के लिए "टूवर्डस कटिंग एज लीडरशिप" पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये.** जिनमें उनके वृहद अनुभव शेयर किए गए एवं समकालीन व्यवसायिक क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया. इसके अतिरिक्त, म्युच्युअल फंड/बीमा, मार्केटिंग पर उच्च प्रतिष्ठित बाहरी एजेन्सियों/विशेषज्ञों द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. रूपांतरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम "इन्सपायरिंग टू परफॉर्म एंड मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल बाय वर्क" इत्यादि के अलावा आदि, ऋण, एनपीए एवं वसूली प्रबंधन, प्राथमिकता क्षेत्र, रिटेल बैंकिंग/मार्केटिंग इत्यादि पर आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

नव नियुक्त स्टाफ का ऑन बोर्डिंग प्रशिक्षण:

- मानव शक्ति आयोजना के अंतर्गत, प्रवेश स्तर सहित प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भर्ती के अलावा, लिपिकों की भी भर्ती की जाती है. आधुनिक बैंकिंग की चुनौतियों का सामना करने एवं उन्हें सुरक्षा आवरण प्रदान करने के लिए इन नये भर्ती किये गये स्टाफ को बैंक के विद्यमान स्टाफ सदस्यों एवं नये भर्ती किये गये स्टाफ की आयु के अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में समूह चर्चा, रोल प्ले, चयनित विषय पर प्रस्तुति एवं अन्य विस्तारित कार्यकलापों जैसे सामाजिक संबंधित मुद्दे, डिबेट, खेल एवं विजिटस एवं अधिक सहभागिता जैसे प्रशिक्षण माड्यूल शामिल किए गए हैं.
- बैंक के विभिन्न कार्यों से परिचित कराने के लिए नये भर्ती अधिकारियों (एमबीए,सीए,प्रौ.अधिकारी एवं आईटी) के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इसी प्रकार से नये भर्ती पीओ एवं एएफओ को बाहरी विशेषज्ञों/एजेन्सियों से प्रशिक्षण के अलावा गहन क्लास रूम प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं 06 महीने के प्रशिक्षण पाठ्क्रम में बारी बारी से शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों में ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया गया. इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीएमडी/ईडी/जीएम ने सहभागियों को संबोधित किया.
- नव नियुक्तों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण संरचना एवं संकाय सदस्यों के अलावा बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं ज्ञानार्जन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों यथा सांदियनी बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी आईटी, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सोसायटी इत्यादि की प्रशिक्षण व्यवस्था आउटसोर्स की गई है. इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में सीबीएस प्लेटफॉर्म पर सामान्य बैंकिंग, हमारे बैंक के लिए विशेष रूप से निर्मित आधारभूत बैंकिंग परिचालन एवं सॉफ्टवेयर स्किल्स समाहित किए गए हैं.
- क्लासरुम प्रशिक्षण तथा ऑन द जॉब प्रशिक्षण को इस प्रकार सारणीबद्ध किया गया कि क्लास रुम प्रशिक्षण से हासिल ज्ञान को फील्ड अर्थात शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में परखा जा सके. क्लासरुम प्रशिक्षण कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी शिक्षण कार्ययोजना जैसे भूमिका निर्वहन, निरूपण प्रक्रिया, सामूहिक चर्चा इत्यादि ताकि प्रशिक्षण को एक महत्वपूर्ण ज्ञानार्जन अनुभव बनाया जा सके.
- फील्ड में अनुभव की गई कठिनाइयों/ समस्याओं पर क्लासरुम प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में ध्यानपूर्वक चर्चा की गई. नए भर्ती कर्मचारियों के बैंक में प्रवेश के समय इस प्रकार के प्रशिक्षण मॉडल को सहभागियों द्वारा अत्यंत सराहा गया एवं इस मॉडल से प्राप्त सफलता को देखते हुए हमारे समकक्ष बैंकों ने इस प्रक्रिया को अपने बैंकों में प्रतिरूपी तौर पर अपनों के लिए इस संबंध में उत्सुकतापूर्ण पूछताछ की है.
- वर्ष 2012-13 के दौरान, अधीनस्थ वर्ग से लिपिकीय वर्ग में, लिपिक से अधिकारी (एआईएस) एवं I से II, II से III, III से IV, में पदोन्नति के लिए 1774 अजाति एवं 488 अजजाति के सदस्यों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण दिया गया.
- वर्ष 2012-13 के दौरान, तीन प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं 16 आंचलिक स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कलास रूम, लोकेशनल, आरआरबी एवं विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए लगभग 2162 कार्यक्रम आयोजित किए गए 32031 प्रतिभागियों एवं 107084 मानव दिवसों को कवर किया गया.इसके अतिरिक्त 795 अधिकारियों को बाहरी प्रशिक्षण एजेन्सियों जैस एनआईबीएम,सीएबी, आईआईबीएम, आईडीआरबीटी इत्यादि द्वारा आयोजित विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया.इसके अलावा वर्ष 2012-13 में फैडाई, बैंकाश्यूरेंस, लीडरशिप कार्यक्रम, एंवांसड लीडरशिप कार्यक्रम, तनाव जांच, सूचना सुरक्षा, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन, सीआरएम/आकलन, बैंकिंग एवं वित्त में एडवांस्ड प्रबंधन कार्यक्रम ,एनालिटिकल एंड क्रियेटिव प्रॉबलम सॉल्विंग वीजा व्यवसाय के मूल सिद्वांत इत्यादि कार्यक्रमों के लिए 74 अधिकारियों को विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम/एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा गया.

4. भर्ती एवं पदोन्नति :

- संस्था में आवश्यक व्यावसायिकता लाने के लिए मुख्य धारा एवं विशिष्ट श्रेणी पदों पर नियमित भर्ती के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2012-13 में भी विभिन्न विषयों में एमबीए एवं सनदी लेखाकारों की भर्ती करने की प्रक्रिया जारी रही, तदनुसार विभिन्न व्यावसायिक /प्रबंधन संस्थानों जैसे एनआईआईएम, आईआईएफटी, आईबीएस हैदराबार आईसीएआई दिल्ली आदि से श्रेष्ठ अनुभव एवं समसामयियक ज्ञान/कौशल के बेहतर संयोजन के लिए वेतनमान-II में 54 नये एमबीए एवं वेतनमान-II में सीए की भर्ती की गई.
- वर्ष 2012-13 में 3145 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गयी जिसमें एमबीए व सीए, वेतनमान II में, वेतनमान I में एएफओ, आईटी अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी, वेतनमान II में सुरक्षा अधिकारी एवं लॉ अधिकारी, वेतनमान III एवं IV में तकनीकी अधिकारी, मुख्य प्रबंधक, आरएमडी(वेतनमान IV) परिवीक्षा अधिकारी, अधीनस्थ स्टाफ (सशस्त्र रक्षक सहित) सम्मिलित हैं.

- पदोन्नति निष्पादन को अधिक प्रोत्साहक बनाया गया एवं उसके अनुरूप कार्पोरेट लक्ष्य के आधार पर, सभी वेतनमान/श्रेणियों के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक पदोन्नति प्रक्रिया के आयोजना का निर्णय लिया गया. तदनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान अंतर वेतनमान एवं अंतर श्रेणी एवं अंतर संवर्ग पदोन्नति प्रक्रियाओं का आयोजन किया गया एवं 4375 कर्मचारी/अधिकारी उच्च संवर्ग/वेतनमान में पदोन्नत किए गए जिसमें से 510 अधीनस्थ स्टाफ लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नत हुए.

5. आरक्षण नीति का कार्यान्वयन :

- अजा/अजजा/ओबीसी/पीडब्ल्यूडीज/भूतपूर्व सेनानियों को आरक्षण नीति में स्वीकार्य विस्तारित रियायत एवं शिथिलता एवं भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ से प्राप्त आरक्षण नीति दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन बैंक द्वारा किया जा रहा है.
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में रिक्त पदों को भरने संबंधी अतारांकित प्रश्न संख्या 2221 पर दिये गये आश्वासनों पर हमारे बैंक से चर्चा करने के श्री प्यारी मोहन मोहपात्रा की अध्यक्षता में सरकारी आश्वासनों की संसदीय समिति ने दिनांक 23.01.2013 को मुंबई का दौरा किया.
- इसके अलावा, हमारे बैंक में ओबीसी के कल्याण के लिए उपायों एवं रोजगार में आरक्षण पर चर्चा करने के लिए श्री बिजोय कृष्ण हांडिक की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति के कल्याण की संसदीय समिति ने दिनांक 6 फरवरी 2013 को गोवा का दौरा किया.
- अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के माननीय सदस्य श्री एम. शिवन्ना ने दिनांक 15.11.2012 को मैसूर एवं दिनांक 01.02.2013 को रांची का दौरा किया एवं हमारे बैंक के प्रतिनिधियों से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन एवं अनुसूचित जाति की सेवा सुरक्षा पर चर्चा की.

6. स्टाफ कल्याण योजनाएं:

- "स्टाफ एवंउनके परिवार के कल्याण" प्रबंधन के प्रतिबद्ध प्रयासों में जारी है एवं यह प्रयत्न बैंक के एचआर एजेन्डा में हमेशा सबसे उपर रखा गया है. तदनुसार वर्ष 2012-13 में स्टाफ कल्याण की विभिन्न योजनाओं में व्यय के लिए रू. 15 करोड़ प्रभाजित रखे गये है.
- कुछ योजनाओं की मौद्रिक एवं गुणात्मकता को सुधारकर यह राशि विभिन्न योजनाओं में आवंटित की गयी है. स्टाफ कल्याण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण 3 क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आराम एवं स्वास्थ्यलाभ (कार्य जीवन संतुलन) पर जोर देना जारी है.

7. औद्योगिक संबंध:

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध आमतौर पर सौहार्दपूर्ण रहे.

एटीम/डेबिट कार्ड परिचालन

- बैंक का 31 मार्च 2013 को एटीएम/डेबिट कार्ड आधार 108% की वृद्वि दर्ज करते हुए दिनांक 41,93,703 है.
- मुख्य कार्ड संस्थाओं जैसे रूपे मास्टर कार्ड एवं वीजा के साथ बैंक एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करता है.
- अंतर्राष्ट्रीय शॉपिंग कम डेबिट कार्ड के मैस्ट्रो मास्टर कार्ड एवं वीजा कार्ड के प्रकारों में जारी किए गए है. इस कार्ड को शॉपिंग कार्ड की तरह रखा गया है.
- प्रीमियम वर्जन कार्ड- "प्लेटिनम डेबिट कार्ड" एचएनआई ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने लिए प्रारंभ किया गया है.
- अवयस्क (10 से 18 वर्ष की उम्र) ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेक्सजेन डेबिट कार्ड प्रारंभ किया गया.
- रूपे प्लेटफार्म के अंतर्गत सेन्ट्रल किसान कार्ड (आधार एवं गैर आधार स्वरूप) जारी किया गया है.
- दिनांक 31.03.2012 को 1682 एटीएम कार्ड की तुलना में दिनांक 31.03.2013 को कुल 2529 सक्रिय एटीएम कार्ड हैं अर्थात वर्ष के दौरान 847 नए कार्ड जोड़े गये हैं.
- एमओएफ के अंतर्गत हमने 596 एटीएम जोड़ें हैं एवं एमओएफ रोल आउट में एसबीआई के पश्चात हमारा बैंक रहा हैं.
- त्रिपुरा, नागालैंड, दमन एवं दीव में हमारे बैंक के प्रथम एटीएम स्थापित किए गए.
- फेज III में 1001 एटीएम पूर्ण होना.
- मार्च 2012 में प्रतिदिन लेन देन की संख्या जहां 2 लाख थी अब यहाँ संख्या 5 लाख हो गयी है.
- वर्तमान में अपटाइम 95.60% है जिसे सुधारकर 99% करने का लक्ष्य है.
- औसत हिट्स 2011-2012 के 109 के विरूद्व 123 हैं.
- औसत कैश आहरण लगभग रू. 40 करोड़ प्रतिदिन है.
- पीओएस लेनदेन रू. 293.95 करोड़ है.
- शुद्व फी आय रू. 8.62 करोड़ है.

सहायक एवं संयुक्त उद्यम

i सेन्ट बैंक होम फायनेंस लिमिटेड

- वर्ष 2012-13 के दौरान,सेन्ट बैंक होम फायनेंस (सीबीएचएफएल) ने संस्था की वृद्धि हेतु योगदान एवं कार्पोरेट गर्वनेस के लिये कंपनी की प्रतिबद्धता हेतु 2 वरिष्ठ आवासीय वित्त एवं बैंकिंग व्यावसायिकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में शामिल किया है.
- कंपनी ने बाजार से उत्तम उपलब्ध श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए वरिष्ठ कार्यपालक नियुक्त करने की प्रक्रिया भी आरंभ की है.
- कंपनी ने अपने व्यावसायिक विस्तार की योजना के लिये राइट इश्यू के माध्यम से इक्विटि प्रस्तावित किया है जिसे जिसे दिनांक 23 मई 2012 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में अनुमोदित किया गया है. कंपनी के राइट इश्यू जो कि इसके मुख्य प्रवर्तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा सब्सक्राइब किये गये हैं.
- वर्ष के दौरान कंपनी का कुल व्यवसाय मार्च 2012 को रू. 338.64 करोड़ की तुलना में मार्च 2013 में बढ़कर 629.20 करोड़ हो गया जोकि 85.80% की वृद्धि दर्शाता है.
- मार्च 2012 में बकाया ऋण 290.30 करोड़ से बढकर मार्च 2013 को 401.60 करोड़ हो गए.
- पब्लिक एवं संस्थागत मार्च 2012 जमा राशियाँ 48.34 करोड़ से बढकर मार्च 2013 को 227.60 करोड़ हो गया.
- कंपनी का शुद्व लाभ मार्च 2013 को 10.06 करोड़ हो गया जबकि मार्च 2012 को यह 5.72 करोड़ था. लाभ में वृद्वि का कारण चालू वर्ष के दौरान व्यक्तिगत के साथ साथ भवन निर्माताओं को नये ऋण देने से ब्याज आय में हुई वृद्वि रही. इसके अलावा वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रभावी तरीके से वसूली एवं एनपीए में गिरावट के लिए अनुवर्तन किया. लाभ में वृद्वि का कारण एनपीए पर प्रावधान का रिर्वसल भी है जो कि पुन: लाभ में जुड़ गया.
- कंपनी ने अपने लाभ को रिजर्व में जोड़कर सतत रूप से अपनी शुद्व स्व निधि को बढाया है.शुद्व मालियत मार्च 2012 में 57.44 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में 64.01 करोड़ हो गयी.
- वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी विद्यमान शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण आरंभ कर दिया है एवं मुम्बई शाखा में मार्च 2013 में सफलतापूर्वक पायलट प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया गया.

सेन्टबैंक वित्तीय सेवाएं

सेन्ट बैंक वित्तीय सेवाएं लि. आवश्यक रूप से अनुषंगी कार्पोरेट वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करा रही है. 2012-13 के दौरान सीएफएसएल ने अपनी व्यवसायिक प्रोफाइल को विशेष रूप से सीएफएसएल को पूर्ण सेवा निवेश बैंक बनाने के लिए विपथन किया है. सीएफएसएल सेवाओं में सम्मिलित हैं:

- परियोजना मूल्यांकन एवं ऋण समूहन
- पूंजी बाजार लेनदेन (इक्विटि एवं उधार दोनों)
- कॉर्पोरेट सलाहकार सेवाओं में एमएंडए एवं उधार पुर्नगठन,परियोजना सलाहकार,प्रतिभूतिकरण, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय मूल्यांकन,व्यक्तिगत इक्विटि एवं टीईवी रिपोर्ट शामिल हैं
- न्यासधारिता सेवाएं जिसमें डिबेंचर/सुरक्षा न्यास, निष्पादक ट्रस्टी, प्रबंध चेरीटेबल ट्रस्ट शामिल हैं.
- कंपनी ने पिछले वर्ष के शुद्व लाभ रू. 10.01 करोड़.के विरूद्व मार्च 2013 में रू; 7.88 करोड़ का शुद्व लाभ अर्जित किया, एवं अंकित मूल्य रू. 1000/- (यह 2011-12 के चुकता के बराबर है) के शेयर का रू. 200/- का प्रति शेयर लाभांश अनुमोदित किया जोकि 5.00 करोड़ की चुकता पूंजी पर संकलित रू.1.00 करोड़ है.
- वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने नयी दिल्ली एवं चैन्ने में अपने दो प्रतिनिधि कार्यालय खोले. कंपनी निकट भविष्य में बैंगलुरू में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की योजना बना रही है.
- वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड को मजबूत करने के लिए दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गयी है.
- कंपनी ने 2009 से रू. 10,000 करोड़ से अधिक समूहित किये है जबकि 2012-13 में समूहन राशि रू. 2700 करोड़ से अधिक है, समूहन से प्राप्त आय रू. 10.31 करोड है एवं पिछले वर्ष के दौरान यह राशि 9.91 करोड़ थी.
- वर्ष 2012-13 में शुद्व लाभ निम्नलिखित कारणों से कम रहा.:

वर्ष 2011-12 के दौरान, कंपनी ने बड़े कार्पोरेट ग्राहक के राइट निर्गम के सलाहाकारी के रूप में रू. 285.00 लाख की आय अर्जित की, जहां बाजार स्थिति अनुकूल न होने के कारण 2012-13 में कोई भी आय प्राप्त नहीं हो पाई. दूसरी ओर, सेबी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशकों को म्यूचुअल फंड में प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति प्राप्त हो गई है. अत:, कम्पनी को म्यूचुअल फंड उत्पादों की मार्केटिंग से नगण्य आय प्राप्त हुई है, जिससे 2012-13 के दौरान इससे आय रु. 182.96 लाख कम हुई है.

iii इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

- जाम्बिया सरकार एवं तीन भारतीय बैंकों यथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जाम्बिया में बैंक का संयुक्त उद्यम प्रवर्तित किया गया है. इसमें 3 भारतीय बैंकों की इक्विटी 20% तथा जाम्बिया प्रजातांत्रिक सरकार की इक्विटी 40% है.
- बैंक सभी मानदंडों पर अच्छा निष्पादन कर रहा है और वर्तमान में रु. 2124 करोड़ के कुल व्यापार मिश्र के साथ जाम्बिया का छठा बड़ा बैंक है.
- मार्च से दिसम्बर के लेखांकन वर्ष में परिवर्तन के साथ बैंक का 9 महीने की अवधि का शुद्ध लाभ रु.25.03 करोड़ था. हमारे कुल रु.60लाख के कुल निवेश के विपरीत पिछले चार सालों में हमारे बैंक द्वारा अर्जित किया गया कुल डिविडेंड अकेले ही रु. 440 लाख से अधिक है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

वर्ष के आरम्भ में 1806 शाखाओं के नेटवर्क के साथ देश के 7 राज्यों के 57 जिलों को कवर करते हुए बैंक के 7 प्रायोजित ग्रामीण बैंक है जिसमें से 2 क्षे.ग्रा. बैं. को अन्य क्षे.ग्रा.बैं. में विलय कर दिया गया है एवं अन्य बैंक द्वारा प्रायोजित 2 क्षे.ग्रा.बैं. को अपनी सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में विलय कर दिया गया. 31.03.2013 को हमारे पास 1799 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 5 राज्यों के 54 जिलों में फैले हुए 5 क्षे.ग्रा.बैं. हैं.

क्र. सं.	क्षे.ग्रा.बैं. के नाम	मुख्य कार्यालय	राज्य	कवर जिलों ही संख्या	शाखाओं की संख्या
1	सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	छिन्दवाड़ा	मध्य प्रदेश	25	423
2	सुरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अम्बिकापुर	छतीसगढ़	4	103
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	मुज्जफरपुर	बिहार	18	1001
4	बलिया इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बलिया	उत्तर प्रदेश	4	143
5	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल	3	129
	कुल		5	54	1799

31/03/2013 को हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन निम्नलिखित है:

क्र. सं.	क्षे.ग्रा.बैं. का नाम	जमा (₹ करोड़ में)	अग्रिम (₹ करोड़ में)	सकल एनपीए (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	ऋण जमा अनुपात%	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)
1	सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	4658.68	2616.43	312.94	3.10	56.16	0.18	0.73
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1490.92	462.48	35.70	22.45	31.02	5.64	21.80
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	8387.40	4344.85	136.54	50.01	51.80	1.34	5.00
4	बलिया इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1773.02	650.17	129.40	5.33	36.67	0.91	3.73
5	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1503.38	981.15	111.09	13.79	65.26	1.84	10.69
	कुल	17813.40	9055.08	725.67	94.68	50.83	9.91	41.95

- मार्च 2012 को जमा राशि 7.03% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 16643.78 करोड़ से बढ़कर रु. 17813.40 करोड़ हो गया है. सरगुजा क्षे.ग्रा.बैं. द्वारा 19.98 % की सबसे ऊंची वृद्धि दर दर्ज की है जबकि न्यूनतम वृद्धि उत्तर बिहार ग्रा.बैं. की -0.96% रही. उत्तर बिहार ग्रा.बैं. को छोड़कर वृद्धि 15.30% रही.
- मार्च 2012 को अग्रिम राशि में 11.59% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 8114.79 करोड़ से बढ़कर रु. 9055.08 करोड़ हो गया है. सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रा.बैं. द्वारा 18.23 % की सबसे ऊंची वृद्धि दर दर्ज की है जबकि न्यूनतम वृद्धि उत्तर बिहार ग्रा.बैं. की 6.50% रही. उत्तर बिहार ग्रा.बैं. छोड़कर वृद्धि 32.30% रही.
- मार्च 2012 को रु. 3477.33 करोड़ की कृषि अग्रिम राशि 20.00% वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2013 में बढ़कर रु. 4173.00 करोड़ हो गयी है. सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रा.बैं. द्वारा 22.84 % की सबसे ऊंची वृद्धि दर दर्ज है जबकि बलिया इटावा ग्रा.बैं. द्वारा सबसे कम वृद्धि दर 6.50% दिखाई गयी है.
- सकल एनपीए मार्च 2012 को 27.10% की वृद्धि के साथ रु. 570.92 से धीरे-धीरे बढ़कर रु. 725.67 करोड़ हो गया है और कुल ऋण का प्रतिशत 8.01% हो गया है.

- मार्च 2012 को शुद्ध लाभ रु. 166.59 करोड़ था जबकि मार्च 2013 में यह रु. 94.68 करोड़ हो गया. सबसे ऊंची वृद्धि सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रा.बैंक. द्वारा दिखाई गयी जो कि 41.55% है जबकि सबसे कम वृद्धि उत्तर बिहार ग्रा.बैं. द्वारा दिखायी गयी जो कि -60.18 है.
- वर्ष के दौरान ऋण जमा अनुपात भी 48.75% से सुधर कर 50.83% हो गया है.
- हमारे सभी आरआरबी सीबीएस प्लेटफार्म से जुड़ चुके है और लाभ में है.
- हम अपने आरआरबी के क्षमता निर्माण एवं तकनीकी विकास के लिये पूर्ण सहयोग को विस्तारित कर रहे हैं.
- हमार स्विच पर दिनांक 13/12/2011 से सभी आरआरबी ग्राहकों के लिये एनईएफटी सुविधा क्रियांवित की है एवं प्रतिदिन औसत संव्यवहार लगभग 1600 है.
- आरआरबी के ग्राहकों को एटीएम सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गयी है.
- बहुत जल्द इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान जायेगी.
- इस वर्ष आरआरबी में रुपे केसीसी कार्ड का भी शुभारंभ किया जायेगा.

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम बड़े महत्व की एक पहल है जो कि समाज के विभिन्न वर्गों पर ठोस प्रभाव डालता है जहां भी यह बैंक द्वारा कार्यांवित होता हैं.
- समाज के गरीब एवं दलित लोगों के उत्थान हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक आपदा एवं समाज के सभी सामाजिक कल्याण के लिये कार्य कर रही संस्थाओं/ ट्रस्ट के द्वारा सीएसआर के अंतर्गत दान प्रदान किये जाते है जो समाज कल्याण में हमारी भागीदारी को दर्शाता है एवं हमारे बैंक के साथ जुड़ी आम जनता के मन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव भी डालता है. यह प्राकृतिक रूप से हमारे कुल व्यावसायिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है.
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिये बैंक के बजट के अंतर्गत सीएसआर गतिविधि सहयोग रु. 5 करोड़ था. उपरोक्त बजट के विरुद्ध, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों की शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, खेल गतिविधियों, गरीब एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों के लिये विशेष रूप से कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं/ धर्मार्थ संस्थाओं के लिये कुल रु.2,08,14,990 स्वीकृत किये गये.

वर्ष 2012-2013 के दौरान सीएसआर गतिविधि की मुख्य बिन्दु निम्नांकित हैं:

- सीएसआर द्वारा ने 50 से अधिक मरीजों में अन्धेपन की रोकथाम के लिए अदित्य ज्योत फाउंडेशन के ट्वीनकल लिटिल आई, मुम्बई के सहयोग.
- सीएसआर ने सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत इस संस्थान को स्टेंडर्ड चार्टर मुम्बई मेराथन 2013 में भाग लेने के लिए रु. 7.60 लाख का सहयोग दिया है.
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने श्री कंची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट, शंकर आई सेंटर, कोयम्बटूर को विजन उपहार-आउटरीच कार्यक्रम के तहत गरीब मरीजों एवं ग्रामीणों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने एवं अस्पताल पहुंचाने के लिए, उपयोग हेतु एक 60 सीट की बस लेने में सहयोग किया है.
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने चैन्नै क्षेत्र के अंतर्गत थिरुवन्नामलाई जिले के पोलुर स्थित एक छात्रालया की देख-रेख के खर्च की वार्षिक आवश्यकताओं के लिए ऐम फॉर सेवा को सहयोग किया है.
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने अपकमिंग पेंन कंट्रोल एवं पलायटिव केयर सेंटर के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के आलावा 2 परीक्षण सहित पोर्टेबल अल्ट्रा-सोनोग्राफी मशीन की खरीद के लिए जवाहरलाल नेहरु केंसर हॉसपिटल एवं रिसर्च सेंटर, भोपाल का सहयोग किया है.
- हमने द अक्षया पत्र फाउंडेशन, हैदराबाद को अन्य लागत सहित ओक स्वराज माजदा कोस्मो व्हीकल के लिए सहयोग प्रदान किया है जिससे 5000 वंचित बच्चों को मध्याह्न भोजन पहुंचाया जा सकेगा. अक्षया पत्र मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को नि:शुल्क पौष्टिक मध्याहन भोजन प्रदान करता है, इसके अलावा उनके लिए कार्य भी करते हैं.
- हेल्प ऐज इण्डिया को वृद्ध एवं बीमारों को लाने ले जाने के लिए एक मोबाइल मेडीकेयर यूनिट वाहन प्रदान किया गया है.
- बैंक द्वारा भिवंडी शहर के स्लम क्षेत्रों में निम्न सामाजिक-आर्थिक परिवारों, अल्पसंख्यक समूह की महिलाओं एवं युवाओं को जीवनयापन हेतु जीवन कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की शर्त पर युरीवी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट को भी सहायता प्रदान की है.
- जिला अस्पताल, छिंदवाड़ा को ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले, जो ईलाज के लिए बाहर के बड़े शहरों में जाने में सक्षम नहीं हैं, उन जरूरतमंद एवं निर्धन लोगों के लिए उच्च क्षमता की स्कैनिंग कलर डूप्लर मशीन भी प्रदान की गई है.
- बैंक के द्वारा भारत-पाक सीमा पर तैनाती के दौरान शहीद हुए राजपूताना राइफल के (1) शहीद लांसनायक हेमराज एवं (2) शहीद लांसनायक सुधाकर सिंह, दोनों जांबांज सैनिकों के परिवार वालों को रु.2-2 लाख की सहायता राशि दी गई. हमारे बैंक ने इनकी बहादुरी को सलाम करते हुए इनके परिजनों को उक्त सहायता राशि प्रदान की.

अभिनव पहलें

- अभिनव पहल ग्रो ग्रीन ट्रीज - ग्रो ट्रीज डॉट कॉम के सहयोग से बंजर भूमि पर लगाए गए एक निश्चित संख्या के पेड़ों की प्रशंसा स्वरुप प्रमाणपत्र प्रदान.
- हरित पहल उपाय :- निदेशकों को बोर्ड एजेंडा के कागजातों का परिचालन ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एवं पेपर पर आगे पीछे छपाई द्वारा.
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के पर्वों के अवसर पर बैंक के ग्राहकों को एसएमएस एवं ई-मेल के माध्यम से शुभकामनाओं का प्रेषण.

- शाखाओं, एटीएम, कियोस्क, लिफ्ट एवं प्रवेश द्वारों की एकरुप ब्रैंडिंग.
- सार्वजनिक परिवहन की बसों एवं 200 टैब-कैब की ब्रैंडिंग करना.
- "सेंट संस्कृति" के अंतर्गत वर्ष के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, बुजुर्ग एवं बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य आदि के लिये देश भर के जाने माने एनजीओ के साथ जुड़कर विभिन्न सीएसआर गतिविधियाँ संपन्न की गयी.
- ग्राहकों के अवधारण, अपग्रेडिंग एवं नये एचएनआई (उच्च मालियत वाले ग्राहकों के लिये चालू एवं जमा पोर्टफोलियों में विशिष्ट रुप से निर्मित प्रीमियम उत्पादों का शुभारंभ.
- कस्टमाइज सेविंग उत्पाद (अनुकूलित बचत उत्पाद) - वैतनिक वर्ग के लिये अंतर्निहित ऑफर, रियायतों एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं युक्त सेंट सैलरी स्कीम का शुभारंभ.
- फ्लैक्सिबल आरडीएस स्कीम - परिवर्तनीय आय वाले ग्राहकों के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिये सेंट स्वशक्ति का शुभारंभ
- इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिये सावधि जमा खातों के ऑनलाइन खोलने की सुविधा का प्रस्ताव- इस सुविधा को प्रदान करने वाला प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक.
- सम्पूर्ण भारत में 21 खुदरा परिसम्पत्ति शाखाओं (आरएबीएस) का प्रचालन .
- देश भर में विशेष दरों पर झंझटमुक्त आवस ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रतिष्ठित बिल्डरों/डेवलपर से सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना.
- देश भर में विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों के एक्सपो एवं अन्य एक्सपो का आयोजन एवं भागीदारी के फलस्वरूप आवास ऋण एवं अन्य बैंक उत्पादों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी.
- किराये पर देने हेतु ट्रैक्टरों अन्य कृषि उपकरणों के वित्त पोषण के लिये "सेंट कस्टम हाइरिंग सेंटर"
- अपना उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवा उद्यमियों के लिये मध्य प्रदेश सरकार का "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना"
- एमएसई गतिविधियों में संलग्न लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये "सेंट्रल लघुउद्यमी क्रेडिट कार्ड (सीएलयूसीसी) योजना" में संशोधन एवं ब्याज दर को कम करना.
- खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण ईकाई के लिये "सेंट खाद्य प्रसंस्करण प्लस योजना"- योजना संशोधित की गयी एवं 100% सम्पार्श्विक प्रतिभूति वाली ईकाइयों की क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान दिए बिना ब्याज छूट.
- बेरोजगार/सतत एवं स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने वाले और आय में वृद्धि भी करने वाले पारम्परिक एवं भावी कारीगर अल्पसंख्यकों के लिये "सेंट प्रॉस्पेरिटी" (अल्पसंख्यक वर्ग हेतु). इस योजना के अंतर्गत '10 लाख तक के ऋणों पर बीआर +0.25% ब्याज दर है.
- कस्टमाइज्ड मेडी क्लेम इंश्योरेंस उत्पाद (चोला स्वस्थ परिवार) हमारे इंश्योरेंस चैनल के साझेदार चोला एमएस फैमिली फ्लोटर लाभ के साथ द्वारा डिजाइन किया गया है. यह उत्पाद ग्राहकों, स्टाफ सदस्यों एवं सेवानिवृत स्टाफ सदस्यों के लिये प्रतियोगी दरों पर डिजाइन की गयी है. बैंक ने 2012-13 के दौरान अगस्त माह 2012 में अपने शुभारंभ के बाद 8,047 पॉलिसियों को जुटाया.
- नये बचत खाते के प्रचार के मामले में, निवेश एवं बीमा लाभ के साथ हमारे ग्राहकों के लिये, बजाज अलायांज लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा डिजाइन किये गये इंश्योरेंस उत्पाद के एक समूह (सर्वशक्ति सुरक्षा) का शुभारंभ किया गया. सर्व शक्ति सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 26,832 ग्राहकों को कवर करते हुए रु. 30 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम का संग्रहण किया गया.

उपलब्धियां

- वर्ष के दौरान बैंक ने 2,529 एटीएम की लक्ष्य प्राप्ति के लिये 847 नये एटीएम जोड़े.
- वर्ष के दौरान कुल लेन देन में ई-लेन देन का अनुपात 13.37% से 30% तक बढ़ा.
- वर्ष के दौरान डेबिट कार्ड आधार 21 लाख से दुगुना होकर 42 लाख हो गया है.
- वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक आधार, 233% की प्रभावी वृद्धि दर्ज करते हुए 1.81 लाख से बढ़कर 6.02 लाख हो गया है.
- प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण सफलतापूर्वक 6 जिलों में कार्यान्वित
- एलआईसी के सभी बैंकाश्योरेंस भागीदारों में इन्श्योरेंस प्रीमियम जुटाने में वर्ष दर वर्ष आधार पर 32% की वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है. बैंक ने रु. 238 करोड़ के प्रीमियम के साथ 1,49,668 पॉलिसियों का प्रसार किया है.
- साधारण बीमा व्यवसाय के अंतर्गत बैंक ने 38% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ रु. 83 करोड़ के प्रीमियम के संग्रहण के साथ 1,89,956 पॉलिसियों को जुटाया.
- बैंक ने नये कार्ड अर्थात वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड, आईडीए को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड एवं बिग सिनेमा क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया.

एक कदम आगे.....

- कासा जमाओं को 34% से 35% तक बढ़ाना.
- कॉर्पोरेट एवं नॉन कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिये प्रारम्भ सेंट सेलरी सेविंग स्कीम कॉर्पोरेट खाते प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायक होगी.
- बैंक ने सकल एनपीए को 4.00% के नीचे एवं शुद्ध एनपीए को 2.50% से कम पर बनाये रखने के लिये एक ठोस योजना बनाई है.
- वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रतिष्ठित बिल्डरों, शिक्षण संस्थाओं एवं ऑटो डीलर्स के साथ गठजोड़ कर बड़ी मात्रा में ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिये और भी 50 रिटेल आस्ति शाखाएं प्रारंभ की जाएंगी.
- वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 5,000 एटीएम के स्तर को पाने के लिये 2,450 नये ऑनसाइट एटीएम को खोलने की योजना, जिनमें से 100 एटीएम शारीरिक विकलांगों की सुविधा युक्त होंगे.
- डेबिट कार्ड के आधार को 1 करोड़ के स्तर तक बढ़ाना.
- रुपे डेबिट कार्ड का शुभारंभ.
- वैतनिक वर्ग के लिये ओडी सुविधा के साथ वंडर कार्ड नाम से प्रीमियम डेबिट कार्ड का शुभारंभ करना.
- अप्राधिकृत वर्ग एवं सरकारी मदद पाने हेतु लाभार्थियों के लिये प्रीपेड कार्ड को प्रोत्साहित करना.
- प्रतिष्ठित स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन शुल्क संग्रहण हेतु मोड्यूल प्रारंभ करना.
- अतिरिक्त व्यापार को उत्पन्न करने हेतु बैंक की लेनदेन गतिविधियों पर जोर देना.
- वैकल्पिक वितरण चैनल के द्वारा लेन देन लागत को कम करने के लिये एवं पेपर की बचत के रूप में भी बचत खाता धारकों के बीच ऑनलाइन लेनदेनों के लिये प्रोत्साहन स्वरूप रिवार्ड प्वॉइंट कार्यक्रम की शुरुआत की गयी.
- उद्योग व्यवहारों के साथ में वर्तमान उत्पादों के उन्नयन का मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से ऑनलाइन उत्पाद हैं - बचत खातों को ऑनलाइन खोलने की शुरुआत करना.
- हमारे बैंक की गैर ब्याज आय को सहकर्मी बैंकों के समकक्ष लाया जाना.
- हमारी शाखाओं के नेटवर्क के अधीन सामान्य बीमा के अंतर्गत मेडीक्लेम पॉलिसी का प्रति-विक्रय .
- बैंक के उत्पादों एवं उसके प्रति विक्रय को बढ़ावा देने के लिये आंचलिक/क्षेत्रीय एवं शाखा स्तर तक विपणन कार्यक्षेत्र को मजबूत बनाना.

पुरस्कार एवं सम्मान

- सर्वोत्तम एचआर कार्यान्वयन के लिये गोल्डेन पीकॉक एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार-2012 .
- ग्रीनटेक फाउंडेशन से "बेस्ट एच आर स्ट्रेटजीज एण्ड इनोवेशन इन एम्पलॉई रिटेंशन स्ट्रेटजीज" अवार्ड प्राप्त.
- इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एण्ड इंश्योरेंस, हैदराबाद द्वारा "आउट स्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड
- वर्ष 2012- 2013 के दौरान बैंक को दो प्रतिष्ठित स्कोच गोल्ड पुरस्कार प्राप्त हुए.

  i. इनोवेटिव अर्बन फाइनेंशियल इनक्लूजन

  ii. रीचिंग लास्ट माइल
- वर्ष 2011-12 के दौरान पूरे देश में "आरसेटी" (ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान) की स्थापना के लिये "सर्टीफिकेट ऑफ एक्सीलेंस".
- "श्रेष्ठ आवास एवं शिक्षा ऋण प्रदाता" वर्ग "आउटलुक मनी अवार्ड 2012 का रनर अप पुरस्कार".
- "ब्रैण्ड इक्विटी- टॉप 100 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रैंड" के अंतर्गत भारत के श्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हमारे बैंक को 4थे स्थान की अनुशंसा की गई.
- बीएफएसाई में जी ब्रॉन्ड एक्सीलेंस पुरस्कार.
- "टॉप 500 बैंकिंग ब्रॉन्ड 2012" की सूची में 2011 में 390वीं पायदान से हमारे बैंक ने 61 पायदान ऊपर बढ़ते हुए हुए 2012 में 329वाँ स्थान प्राप्त किया.
- हाल ही में कोवलम केरल में आयोजित मास्टर कार्ड इनोवेशन में को-ब्रॉन्डेड कार्ड श्रेणी में हमारे बिग सिनेमा क्रेडिट कार्ड को श्रेष्ठ एन्ट्री अवार्ड प्राप्त हुआ.
- अलर्ट एवं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा खाता विशेष विवरणी उपलब्ध कराने के इन दो उत्पादों के लिए "फिनोवेटिव 2012" के अंतर्गत बैंक को दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए.
- अलर्ट एवं इंटरनेट बैंकिंग द्वारा खाता विशेष विवरणी उपलब्ध कराने के इन दो उत्पादों के लिए "फिनोवेटिव 2012" के अंतर्गत बैंक को दो प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य:

- बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय के संचलन में नैतिक संव्यवहार से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करना तथा प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों का अनुसरण करना है. बैंक ने सर्वोत्तम संव्यवहार को अपनाया है एवं गवर्नेंस के मानकों की निगरानी बोर्ड की विभिन्न समितियों द्वारा की जाती है. कॉर्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्य-निष्पादन में सुधार एवं शेयरधारकों की आय में वृद्धि हेतु बोर्ड, कार्यपालकों एवं अन्य पदाधिकारियों की विशिष्ट भूमिकायें हैं.

- बैंक के इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध है. हालांकि, बैंक एक कंपनी नहीं है, किन्तु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत निगमित निकाय है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित है. अत: बैंक स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्ध करार के खंड 49 के प्रावधानों के उस सीमा तक, जहां तक कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन करेगा.

- इक्रा लिमिटेड ने हमारे बैंक को कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं के लिए (उदघोषित सीजीआर 3 प्लस) रेटिंग प्रदान की है. इस रेटिंग से यह प्रकट होता है कि इक्रा की वर्तमान राय यह है कि रेटिंग प्रदत्त कंपनी ने इस तरह की प्रथाएं, परम्परा एवं संहिता को स्वीकार करते हुए अपनाया है, जिससे वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता पर अपने वित्तीय स्टेकधारकों को आश्वासन का उच्च स्तर प्रदान कर सके.

निदेशक मंडल

- बैंक का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (समय-समय पर यथा-संशोधित), के अनुरूप किया गया है. सामान्य देखरेख, दिशानिर्देश एवं बैंक के व्यवसाय प्रबंधन के अधिकार निदेशक मंडल के पास निहित हैं, जिनकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है.

- बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, यथा संशोधित एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यथा संशोधित के द्वारा अधिशासित होता है.

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान, निदेशक मंडल का संयोजन निम्नवत था:

श्री मोहन वी. टांकसाले (दिनांक 29.06.2011 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्रीमती वी.आर.अय्यर (दिनांक 01.09.2010 से 05.11.2012 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर.के. दुबे (दिनांक 01.09.2010 से 11.01.2013 तक)	कार्यपालक निदेशक
श्री मलय मुखर्जी (दिनांक 05.11.2012 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री आर के गोयल (दिनांक 11.01.2013 से)	कार्यपालक निदेशक
श्री आलोक टंडन (दिनांक 15.11.2011 से)	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री सलीम गंगाधरन (दिनांक 30.07.2010 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री बृजलाल क्षत्रिय (दिनांक 10.01.2012 से 20.03.2013 तक)	शेयरधारक निदेशक
प्रो. एन.बालकृष्णन (दिनांक 10.01.2012 से)	शेयरधारक निदेशक
श्री रोमेश सभरवाल (दिनांक 06.10. 2009 से 05.10.2012 तक)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश (दिनांक 20.10.2009 से 19.10.2012 तक)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक

श्री बी.एस.रामबाबू (दिनांक 16.03.2010 से 15.03.2013 तक)	कर्मकार कर्मचारी निदेशक
श्री गुमान सिंह (दिनांक 08.08.2011 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्री एम.पी.शोरावाला (दिनांक 03.01.2013 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक
श्री कृष्ण सेठी (दिनांक 28.02.2013 से)	अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकगण बैंक के पूर्णकालीन निदेशक हैं.

नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1. श्री मलय मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 26.07.1955)

श्री मलय मुखर्जी ने वर्ष 1976 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में इंडियन बैंक में कार्यग्रहण किया और उन्हें बैंकिंग उद्योग में सेवा के 35 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है. आपको असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात एवं नई दिल्ली में शाखा प्रबंधक के रूप में विभिन्न शाखाओं में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है. आपने इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में जोखिम प्रबंधन विभाग एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन विभाग में कार्य किया है. आपने महाप्रबंधक एवं आंचलिक प्रबंधक के रूप में बेंगलुरु एवं नई दिल्ली अंचलों में कार्य किया है और इस बैंक में आने से पूर्व इंडियन बैंक में आप कोलकाता में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे. उस दौरान आपने पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, अंडमान एवं निकोबार में सभी शाखाओं के परिचालन के प्रमुख रहे.

श्री मुखर्जी ने पदोन्नत होकर दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया.

2. श्री आर.के.गोयल, कार्यपालक निदेशक (जन्म तिथि 01.01.1957)

श्री राज कुमार गोयल ने दिनांक 12 मई, 1977 को बैंक ऑफ इंडिया में कार्यग्रहण किया. आप एक करियर बैंकर और सम्पूर्ण रूप से व्यावसायिक बैंकर हैं. आपने पिछले 35 वर्षों के दौरान विभिन्न पदों पर कार्य किया है. आपके विभिन्न पोर्टफोलियो में सामान्य परिचालन, ऋण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं मानव संसाधन विभाग प्रमुख है. आपने ऋण, विशेष तौर पर बड़े ऋण में बहुत ही सक्रियता से कार्य किया और सफलतापूर्वक बैंक ऑफ इंडिया की 3 बड़ी कॉर्पोरेट बैंकिंग शाखाओं के प्रभारी रहे. आपके कार्यकाल में बैंक ऑफ इंडिया की लंदन शाखा के 4 वर्ष शामिल है.आपने समूहन ऋण एवं निवेश सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो में सफलतापूर्वक कार्य किया. आपको प्रशासकीय क्षमता के लिए जाना जाता है और आप सदैव टीम वर्क में विश्वास रखते हैं.

श्री गोयल ने पदोन्नत होकर दिनांक 11 जनवरी, 2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया.

3. श्री एम.पी.शोरावाला, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 15.10.1947)

श्री शोरावाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एडवोकेट-ऑन-रेकॉर्ड के रूप में पिछले 25 वर्ष से कार्यरत हैं. आपने भारत संघ के लिए महा न्यायवादी (अटॉर्नी जनरल), सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य विधि अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सहयोग प्रदान किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न स्थानीय निकायों का भी प्रतिनिधित्व किया है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशिष्ट मामलों को देखने के अलावा, आपने विवाचन, संविदाओं/करारों के मसौदे, पेटेन्ट्स एंड ट्रेड मार्क, सायबर लॉ, विदेशी निवेश, फेरा, आपराधिक मामले, कस्टम्स, कॉर्पोरेट मामले, कंपनी लॉ बोर्ड, संयुक्त उद्यम, संपत्ति संबंधी मामले, बैंकिंग, आईटीएटी, इलेक्ट्रीसिटी, कराधान, औद्योगिक एवं श्रम विवाद और अन्य सभी विधिक एवं आपराधिक मामलों का कार्य भी सम्पन्न किया है.

श्री एम.पी.शोरावाला को दिनांक 03.01.2013 से हमारे बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

4. श्री कृष्ण सेठी, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 10.05.1954)

श्री सेठी पिछले 32 वर्षों से सनदी लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं. आप सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों के लिए वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा, कर परामर्शदाता, विवाचन कार्य कर रहे हैं. आपकी फर्म का नाम मेसर्स गुप्ता वर्मा एंड सेठी है, जो विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में पिछले 32 वर्षों से संगामी लेखा परीक्षा/निरीक्षण/स्टॉक लेखा परीक्षा/राजस्व लेखा परीक्षा का कार्य कर रही है.

श्री कृष्ण सेठी को दिनांक 28.02.2013 से हमारे बैंक के निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

अन्य निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

1 श्री मोहन वी. टांकसाले, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (जन्म तिथि 31.07.1953)

श्री मोहन वी. टांकसाले ने दिनांक 29 जून, 2011 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया.

श्री टांकसाले को इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्ट्स ऑफ़ इंडिया (एआईसीडब्लूए)के सहयोगी सदस्य, कम्पनी सेक्रेटरी (इंटर) ऑफ़ इन्स्टीट्यूट ऑफ़ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ़ इंडिया, सीएआईआईबी, विज्ञान में स्नातक तथा अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर जैसी व्यावसायिक पदवियां प्राप्त हैं.

श्री टांकसाले का जन्म 31 जुलाई 1953 को महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में हुआ था. आपने 26 अगस्त 1974 को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया(यूबीआई) में सहायक प्रबंधक के रूप में ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत में कार्यग्रहण किया. आपको फील्ड स्तर एवं प्रशासनिक स्तर दोनों ही क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है एवं उस बैंक में वे महाप्रबंधक के उच्च स्तर तक पदोन्नत हुए.

एक दिव्य द्रष्टा बैंकर के रूप में 38 वर्षों से अधिक के कार्यकाल में, आपने डेप्युटी/प्रमुख क्रेडिट मॉनिटरिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग और प्लानिंग, रिसर्च एण्ड डिवलपमेंट इत्यादि जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है.

आपने ई-बैंकिंग उत्पादों एवं तृतीय पक्ष के उत्पादों अर्थात बीमा एवं म्यूचुअल फंड इत्यादि के संवर्द्धन में गहन प्रयास किये हैं. यूबीआई के महाप्रबंधक के रूप में अपने अंतिम कार्य में आपने 'ट्रांजेक्शन बैंकिंग डिविजन की स्थापना की, जिसके तकनीक आधारित प्लैटफार्म के बल पर, बैंक अपने ग्राहकों के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की व्यापक श्रंखला उपलब्ध करा सका.

श्री टांकसाले ने दिनांक 26,मार्च 2009 को पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यग्रहण किया. श्री टांकसाले ने पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में योजना एवं विकास, मार्केटिंग, मानव संसाधन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन, आईटी, निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन डिवीजन, ट्रेजरी डिवीजन, इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन, वसूली विभाग, वित्तीय समावेशन, इत्यादि जैसे कार्यमूलक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य किया.

ग्राहक केन्द्रित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम उपयोग करना, उनकी कार्य-संस्कृति की प्रमुख पहचान है. ई-लॉबी की शुरूआत, डिजिटल मार्केटिंग, राज्य सरकारों से टाइ-अप व्यवस्था एवं ई-पेमेंट सॉल्यूशन के लिए कॉर्पोरेट्स, वित्तीय समावेशन उनके प्रमुख केन्द्र बिन्दु रहे हैं.

क्षेत्रीय प्रबंधकों को अधिकार-सम्पन्न करते हुए त्वरित निर्णय लेने के लिए मानव संसाधन ओरिएंटेशन के साथ आपने संरचनात्मक परिवर्तन लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है और आंचलिक कार्यालयों को बिजनेस फेसिलिटेशन तथा मार्केटिंग के लिए जवाबदेह बनाया है. इस प्रकार, संस्था के लिए ऐसे संरचनात्मक परिवर्तनों से प्रभावीपन एवं निर्णय लेने में सुधार हुआ है. आपके मानव संसाधन पहल के कारण, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 'गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2012 के विजेता के रूप में घोषित किया गया. दि संडे स्टैण्डर्ड (दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप) ने उन्हें 'बेस्ट बैंकर अवार्ड से नवाजा. आपको स्कॉच फाउंडेशन द्वारा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 'पर्सन ऑफ दि ईयर के सम्मान से भी नवाजा है. इसके अलावा श्री टांकसाले को फरवरी 2013 में 'द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित 'आईकॉन ऑफ दि ईयर सम्मान से नवाजा गया. यह पुरस्कार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्रेणी के उन प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जो उनके व्यवसायिक उद्यम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने की व्यावसायिकता में आदर्श भूमिका का प्रदर्शन करते हैं.

2. श्री आलोक टंडन (जन्म तिथि 22.09.1962)

श्री आलोक टंडन भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) से हैं तथा मिड-कैरियर व्यावसायिक है. शैक्षणिक प्रशिक्षण की दृष्टि से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं. वर्ष 1984 में आपने इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर से सभी इंजीनियरिंग वर्गों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल की. आपको इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति के करकमलों से स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था. तथापि, अपने करियर के समृद्ध अनुभव और समाज सेवा की तीव्र इच्छा ने वर्ष 1986 में उन्हें आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया.

आईएएस में आज तक 26 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान आप सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त सचिव एवं जिला मैजिस्ट्रेट, जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं. इलाहाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट के रूप में पर्यवेक्षण करते हुए, आपने गंगा नदी के सूखे पाट में लगभग एक मिलियन भक्तों को ठहरने की व्यवस्था का आयोजन मात्र 4 माह की रिकार्ड अवधि में कराने का अद्भूत कार्य किया. आप 5 जेनरेटिंग स्टेशन वाली 1 बिलियन डॉलर से अधिक के कुल राजस्व वाली थर्मल पॉवर जनरेशन कंपनी के मुख्य कार्यपालक के पद पर कार्य कर चुके हैं. इन सबके साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपने आपको अद्यतन रखा है. आप वर्ष 2005-07 तक अपने कार्यों से दूर रहें और शीर्ष यूएस विश्वविद्यालयों से (प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी तथा केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सैन डिएगो) से आर्थिक तथा सार्वजनिक नीतियों के उच्चस्तरीय टूल्स में ज्ञानार्जन किया. वर्तमान में, आप विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ हैं.

3. श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक (जन्म तिथि 24.03.1937)

श्री गुमान सिंह को दिनांक 08.08.2011 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है. आप एक सेवानिवृत्त रेल अधिकारी हैं और वर्तमान में आप नेशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के प्रेसिडेन्ट - इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉग्रेस, राजस्थान

राज्य के प्रेसिडेन्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के प्रेसिडेन्ट, नेशनल कौन्सिल ज्वाइंट कन्सल्टेटिव कमिटी, नई दिल्ली के सदस्य तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (राष्ट्रीय स्तर) के सचिव हैं.

4. पद्मश्री प्रॉफेसर एन.बालकृष्णन, शेयरधारक निदेशक (जन्म तिथि 01.06.1950)

पद्मश्री प्रो. एन.बालकृष्णन, शेयरधारक निदेशक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक हैं. आप मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ई.(इलेक्ट्रॉनिक्स में) हैं और वर्ष 1979 में आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स से पी.एच.डी. की है. इस समय आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स के सहयोगी निदेशक और डिपार्टमेन्ट ऑफ ऐरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रॉफेसर हैं. भारत का पहला सुपर कम्प्यूटर केन्द्र बनाने में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है. अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों एवं परिषदों में आपके 200 से अधिक प्रकाशन प्रकाशित हुए हैं. वर्ष 2002 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति से पद्मश्री पुरस्कार, वर्ष 2004 में एप्लाइड साइंस के लिए होमी जे. भाभा अवार्ड व वर्ष 2007 में जे.सी.बोस.नेशनल फेलोशिप, जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से आप सम्मानित हो चुके हैं. इस समय आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं. सूचना प्राद्योगिकी आयोजना तथा सूचना सुरक्षा से संबंधित अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवर्तनों में आपने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में आप 20 नवम्बर, 2008 को 19 नवम्बर, 2011 तक के लिए निर्वाचित हुए थे तथा आपका दिनांक .01.2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में पुन: निर्वाचित हुए हैं.

5 श्री सलीम गंगाधरन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक (जन्म तिथि 13.10.1953), आप एमए, सीएआईआईबी हैं तथा 30 वर्ष से भी अधिक समय से भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यरत हैं तथा इस समय भारतीय रिज़र्व बैंक तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय निदेशक हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने करियर के दौरान आपने विभिन्न परिचालन विभागों, विशेष तौर पर बैंक पर्यवेक्षण तथ वित्तीय बाजार में कार्य किया है. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय में संकाय सदस्य के रूप में पांच वर्ष कार्यरत थे और आपने जोखिम प्रबंधन, भुगतान प्रणाली तथा ट्रेजरी प्रबंधन पर कई सेमिनारों एवं परिषदों का आयोजन किया है. आप सेन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान में पांच वर्षों के लिए विदेशी कार्यालय में प्रतिनियुक्त थे. प्रस्तावित, मौद्रिक यूनियन के एक हिस्से के रूप में जीसीसी देशों में पर्यवेक्षण व्यवहारों में अभिमुखता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए आप आईएमएफ टीम के सहयोगी रहे हैं. आप रिज़र्व बैंक/भारत सरकार के कई आंतरिक कार्य समूहों का हिस्सा रहे हैं. सेन्टर फॉर सेन्ट्रल बैंकिंग स्टडीज, बैंक ऑफ इंग्लैंड सहित कई सेमिनारों में आपने आलेख प्रस्तुत किए हैं.

आपको दिनांक 30.07.2010 से सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के बोर्ड पर भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

निदेशकों के अन्य विवरण

निदेशकों के नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख	विशेषज्ञता वाले क्षेत्र	सेन्ट्रल बैंक आफ़ इंडिया बोर्ड समिति के सदस्य		अन्य कंपनियों में निदेशक
			सदस्य	अध्यक्ष	
श्री मोहन वी.टांकसाले	29.06.2011	बैंकिंग	एमसीबी,आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी,आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस आईटीपीए, वीआईजी, सीएसी, सीआरसी, आरईसी, एचआर	एमसीबी,आरएमसी, एलवीएफसी,सीएससी, आईटीपी, आईएफआरएस आईटीपीए,वीआईजी, सीएसी, सीआरसी, आरईसी, एचआर	i) सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. ii) इन्डो-ज़ाम्बिया बैंक लि. iii) लाइफ इन्श्योरेंस कार्पोरेशन ऑ. फ इंडिया iv) सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि.
श्री मलय मुखर्जी	05.11.2012	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी,आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस आईटीपीए, सीएसी, सीआरसी, आरईसी, एचआर,	-निरंक-	सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि.

श्री आर.के.गोयल	11.01.2013	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एफवीएफसी सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस आईटीपीए, सीएसी, सीआरसी, आरईसी, एचआर,	-निरंक-	i) सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. ii) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि.
श्री आलोक टंडन	15.11.2011	प्रशासन	एसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी.,आरसी, वीआईजी, एनसी, आरईसीवी, एचआर	आरसी, एनसी	-निरंक-
श्री सलीम गंगाधरन	30.07.2010	बैंकिंग	एमसीबी, एसीबी, आरसी वीआईजी	-निरंक-	-निरंक-
प्रो.एन बालकृष्णन	20.11.2008 से 19.11.2011 तक एवं 10.01.2012 से	सूचना प्रौद्योगिकी	एमसीबी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईटीपीए	-निरंक-	i) सी-डॉट अल्काटेल रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.. ii) डाटा सिक्यूरिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया.
श्री गुमान सिंह	08.08.2011	सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी	एमसीबी, आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आईटीपी, एसआईजीसी, आईएफआरएस एचआर, एनसी	एसआईजीसी, एसीबी	-निरंक -
श्री एम.पी.शोरावाला	03.01.2013	सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता	आरएमसी, एलवीएफसी, सीएससी, आरसी, आईएफआरएस आईटीपीए	-निरंक -	विश्वलक्ष्मी एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
श्री कृष्ण सेठी	28.02.2013	सनदी लेखाकार	एसीबी, आरएमसी	-निरंक -	-निरंक -

दिनांक 23.04.2013 से

एमसीबी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
एलवीएफसी - बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
आईटीपी - सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना समिति
एसआईजीसी - शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
आरसी - पारिश्रमिक समिति
आईएफआरएस - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक समिति
आईटीपीए - आंतरिक प्रशिक्षण नीति परामर्श समिति
वीआईजी - सतर्कता समिति
सीएसी - ऋण अनुमोदन समिति

एचआर	-	मानव संसाधन समिति
सीआरसी	-	पूंजी जुटाने संबंधी समिति
एनसी	-	नामांकन समिति
आरईसीवी	-	वसूली समिति

निदेशकों का पारिश्रमिक :

- गैर अधिकारिक स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए रु.10,000/- बैठक फीस और बोर्ड की विभिन्न उप समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रु.5000/- का भुगतान किया जाता है, जोकि सामान्य यात्रा एवं विराम भत्ता व्यय के अलावा है. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं निदेशकगणों, जो भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है.
- वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशकों को कुल वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियों के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया.

क्र.	नाम	रु लाख में
1.	श्री मोहन .वी.टांकसाले (सीएमडी)	16.90
2.	श्रीमती वी.आर.अय्यर (भूतपूर्व ईडी)	10.51
3.	श्री आर.के.दुबे (भूतपूर्व ईडी)	15.00
4.	श्री मलय मुखर्जी (ईडी)	5.94
5.	श्री आर.के.गोयल (ईडी)	3.05

- उक्त वेतन, भत्तों तथा परिलब्धियों के अतिरिक्त, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये श्री मोहन वी. टांकसाले, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को कार्य-निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि रु.4,50,000/-, श्रीमती वी.आर.अय्यर, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को रु.4,00,000/- एवं श्री आर.के.दुबे, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक को रु.4,00,000/- भुगतान किए.
- समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने पात्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित रहने के लिये रु. 5,20,000/- (रुपये पांच लाख बीस हजार मात्र) तथा बोर्ड की उप-समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिये रु.4,35,000/- (रुपये चार लाख पैंतीस हजार मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया.

बोर्ड की बैठकों का आयोजन

वर्ष के दौरान,बोर्ड की 13 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गई :

27.04.2012	27.06.2012	25.09.2012	21.12.2012	28.03.2013
08.05.2012	27.07.2012	22.10.2012	30.01.2013	---
24.05.2012	29.08.2012	06.11.2012	09.03.2013	---

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण:

निदेशक का नाम	दर्ज की गयी उपस्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	अवधि (से - तक)	क्या दिनांक 29 जुलाई 2011 को आयोजित पिछली एजीएम में भाग लिया
श्री मोहन वी.टांकसाले	13	13	01.04.2012 - 31.03.2013	हां
श्रीमती वी.आर.अय्यर	08	08	01.04.2012 - 05.11.2012	हां
श्री आर.के.दुबे	09	10	01.04.2012 - 11.01.2013	नहीं
श्री मलय मुखर्जी	05	05	05.12.2012 - 31.03.2013	एजीएम की तिथि को निदेशक नहीं थे

श्री आर.के.गोयल	02	03	11.01.2013 -31.03.2013	एजीएम की तिथि का निदेशक नहीं थे
श्री आलोक टंडन	10	13	01.04.2012 - 31.03.2013	नहीं
श्री सलीम गंगाधरन	10	13	01.04.2012 - 31.03.2013	हां
श्री बृजलाल क्षत्रिय	12	12	01.04.2012 - 20.03.2013	हां
प्रो.एन.बालाकृष्णन	11	13	01.04.2012 - 31.03.2013	हां
श्री रोमेश सभरवाल	07	07	01.04.2012 - 05.10.2012	हां
मेजर(सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	06	07	01.04.2012 - 19.10.2012	हां
श्री बी.एस.रामबाबू	12	12	01.04.2012 - 15.03.2013	नहीं
श्री गुमान सिंह	13	13	01.04.2012- 31.03.2013	एजीएम की तिथि को निदेशक नहीं थे
श्री एम.पी.शोरावाला	03	03	03.01.2013 - 31.03.2013	एजीएम की तिथि को निदेशक नहीं थे
श्री कृष्ण सेठी	02	02	28.02.2013 -31.03.2013	एजीएम की तिथि को निदेशक नहीं थे

निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 सहपठित बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार किया गया है एवं यह बोर्ड में निहित वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते प्रस्तावों और वाद दायर/अपील इत्यादि संबंधी शक्तियों का प्रयोग करती है,दिनांक 31.03.2013 को इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 2 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक एवं 2 गैर सरकारी अंशकालीन निदेशकगण सहित कुल 6 सदस्य हैं.

- वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की इस प्रबंधन समिति की निम्नानुसार 23 बैठकें आयोजित की गई

18.04.2012	27.07.2012	22.10.2012	14.01.2013	09.03.2013
08.05.2012	16.08.2012	10.11.2012	21.01.2013	21.03.2013
08.06.2012	28.08.2012	30.11.2012	29.01.2013	28.03.2013
27.06.2012	26.09.2012	11.12.2012	13.02.2013	--
12.07.2012	10.10.2012	22.12.2012	26.02.2013	--

- सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	प्रबंधन समिति की अवधि(से-तक)
श्री मोहन वी.टांकसाले	23	23	01.04.2012 - 31.03.2013
श्रीमती वी.आर.अय्यर	10	11	01.04.2012 - 05.11.2012
श्री आर.के.दुबे	15	15	01.04.2012 - 11.01.2013
श्री मलय मुखर्जी	12	12	05.11.2012 - 31.03.2013
श्री आर.के.गोयल	07	08	11.01.2013 - 31.03.2013
श्री सलीम गंगाधरन	21	23	01.04.201 - 31.03.2013
श्री बृजलाल क्षत्रिय	10	10	10.06.2012 - 09.12.2012
श्री रोमेश सभरवाल	04	04	01.04.2012 - 01.07.2012
श्री मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	06	06	02.07.2012 - 19.10.2012
श्री बी.एस. रामबाबू	10	11	20.10.2012 - 15.03.2013
श्री गुमान सिंह	02 02	03 02	01.04.2012 - 09.06.2012 16.03.2013 - 15.09.2013
प्रो. एन. बालकृष्णन	06	08	22.12.2012 - 21.06.2013

ऋण अनुमोदन समिति:

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 में जोड़े गये नये खंड 13ए के अनुसार, दिनांक 31.01.2012 से बोर्ड की एक ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक ऋण,वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक एवं जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक शामिल हैं. साथ ही, परिसर नीति में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें परिसर प्रस्तावों को सीएसी में प्रस्तुत किया जाना है, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक को दिनांक 20.11.2012 से सीएसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया.

- वर्ष के दौरान, ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 34 बैठकें आयोजित की गई:

10.04.2012	22.06.2012	18.09.2012	20.11.2012	31.01.2013
18.04.2012	30.06.2012	22.09.2012	30.11.2012	15.02.2013
23.04.2012	10.07.2012	29.09.2012	07.12.2012	02.03.2013
05.05.2012	28.07.2012	06.10.2012	19.12.2012	22.03.2013
12.05.2012	16.08.2012	18.10.2012	20.12.2012	26.03.2013
25.05.2012	30.08.2012	25.10.2012	04.01.2013	30.03.2013
08.06.2012	07.09.2012	09.11.2012	21.01.2013	--

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा किया गया है. एसीबी दिशानिर्देश देने के साथ-साथ बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण के संगठन, परिचालन पद्धति तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई सहित बैंक के समग्र लेखा कार्य के परिचालनों का पर्यवेक्षण करती है.लेखा परीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं:

- अंतर-शाखा समायोजन खातों,अंतर-बैंक एवं नॉस्ट्रो खातों में लंबे समय से बकाया पुरानी प्रविष्टियों,बही संतुलन का पुराना बकाया कार्य,धोखाधड़ी एवं हाउसकीपिंग के अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा,आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा की समीक्षा:
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशानुसार, बैंक में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उनकी समीक्षा करना.
- बोर्ड को प्रस्तुत करने के पूर्व लेखा परीक्षकों के अवलोकनों सहित स्वतंत्र लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की समीक्षा और तिमाही, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की समीक्षा करना
- तिमाही/अर्द्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पूर्व सांविधिक लेखा परीक्षा के संबंध में, लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये समस्त मुद्दों एवं बाह्य लेखा परीक्षकों से चर्चा करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करना
- लेखों, लेखांकन नीतियों एवं प्रकटीकरणों की नियमित समीक्षा;
- प्रबंधतंत्र के निर्णय की कार्रवाई पर आधारित प्रमुख प्रविष्टियों की समीक्षा एवं लेखा परीक्षा से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजनों की समीक्षा करना.
- मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कमियां.
- लेखा परीक्षा के पश्चात किसी महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य क्षेत्र का पता लगाने के लिये लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना.
- आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र आवश्यकता और बारंबारिता निश्चित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना.
- जहां तक लागू हो, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू स्टॉक एक्सचेंज की विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन
- सांविधिक, अनुबंधित अथवा विनियामकों की अपेक्षाएं पूरी करने के कार्य लेखा परीक्षा समिति देखेगी.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में कार्यपालक निदेशकगण, भारत सरकार के नामित निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक एवं दो गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से कम से कम एक सनदी लेखाकार होना चाहिये, शामिल होंगे. स्टाफ निदेशक एसीबी में शामिल नहीं किये जायेंगे

दिनांक 31.03.2013 को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं:

1	श्री मलय मुखर्जी	सदस्य
2	श्री आर.के.गोयल	सदस्य
3	श्री आलोक टंडन	सदस्य
4	श्री सलीम गंगाधरन	सदस्य
5	श्री कृष्ण सेठी	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, श्री रोमेश सभरवाल, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक, दिनांक 05.10.2012 तक बैंक के निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण लेखापरीक्षा के अध्यक्ष रहे, तत्पश्चात, श्री बृजलाल क्षत्रिय, शेयरधारक निदेशक ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष का प्रभार लिया. श्री क्षत्रिय दिनांक 20.03.2013 से बैंक के निदेशक पद पर नहीं रहे. तत्पश्चात, श्री गुमान सिंह, अंशकालीन गैर-सरकारी निदेशक दिनांक 23.04.2013 से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष संभाल रहे हैं.

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित हुई:

07.05.2012	30.06.2012	08.09.2012	05.11.2012	29.01.2013
24.05.2012	26.07.2012	26.09.2012	22.12.2012	--

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार रहा है:

निदेशकों के नाम	उपस्थिति अभिलेख	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की अवधि(से-तक)
श्रीमती वी आर अय्यर	06	07	01.04.2012 - 05.11.2012
श्री आर के दुबे	08	08	01.04.2012 - 11.01.2013
श्री मलय मुखर्जी	02	02	05.11.2012 - 31.03.2013
श्री आर.के.गोयल	01	01	11.01.2013 - 31.03.2013
श्री आलोक टंडन	05	09	01.04.2012 - 31.03.2013
श्री सलीम गंगाधरन	08	09	01.04.2012 - 31.03.2013
श्री बृजलाल क्षत्रिय	08	09	01.04.2012 - 20.03.2013
श्री रोमेश सभरवाल	06	06	01.04.2012 - 05.10.2012

बैंक के गैर-लेखा परीक्षित तिमाही परिणाम और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की समीक्षा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी.

शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों के तहत सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होने इत्यादि से संबंधित शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिये शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया गया है. वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त सभी संदर्भों/शिकायतों का उत्तर दिया जा चुका है/निपटान किया जा चुका है.सामान्यत: निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई,सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कर ली जाती है. इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण एवं दो स्वतंत्र निदेशक हैं. इस समिति के अध्यक्ष बैंक के एक स्वतंत्र निदेशक हैं.

वर्ष के दौरान, समिति की निम्नलिखित 4 बैठकें आयोजित हुई :

26.06.2012	26.09.2012	30.11.2012	21.03.2013

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	**उपस्थिति अभिलेख**	**उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें**	**समिति की कालावधि (से-तक)**
श्री मोहन वी.टांकसाले	04	04	01.04.2012 - 31.03.2013
श्रीमती वी. आर. अय्यर	02	02	01.04.2012 - 05.11.2012
श्री. आर के. दुबे	02	03	01.04.2012 - 11.01.2013
श्री मलय मुखर्जी	02	02	05.11.2012 - 31.03.2013
श्री आर.के.गोयल	01	01	11.01.2013 - 31.03.2013
श्री बृजलाल क्षत्रिय	03	03	01.04.2012 - 20.03.2013
मेजर (सेवानिवृत्त) वेद प्रकाश	02	02	01.04.2012-19.10.2012
श्री बी. एस. रामबाबू	01	01	20.10.2012-15.03.2013
श्री गुमान सिंह	01	01	16.03.2013 - 15.03.2014
प्रो. एन. बालकृष्णन	00	01	19.01.2013 - 18.01.2014

वर्ष 2012-13 (01.04.2012 से 31.03.2013 तक) के लिए निवेशकों की शिकायतों के विवरण निम्नानुसार हैं:

1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायत	निरंक
2	लाभांश वारण्ट प्राप्त न होने संबंधी	174
3	डीमेट क्रेडिट/रिफंड आर्डर प्राप्त न होने संबंधी	51
4	वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने संबंधी	07
5	शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त न होने संबंधी	04
6	अस्वीकृत डीमेट अनुरोध फॉर्म प्राप्त न होने संबंधी	निरंक
7	अन्य	निरंक
8	एनएससी	01
9	बीएसई	01
10	सेबी	02
11	कुल प्राप्त शिकायतें	240
12	कुल ध्यान दी/निपटाई गई शिकायतें	240
13	वर्ष की समाप्ति पर कुल लंबित शिकायतें	निरंक

हम पुष्टि करते हैं कि निवेशक की कोई भी शिकायत 30 दिन से अधिक अवधि हेतु बिना ध्यान दिए/लंबित नहीं रही है.

अनुपालन अधिकारी

श्री आनंद कुमार दास, सहायक महाप्रबंधक-एमबीडी/कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए इक्विटी सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

पारिश्रमिक समिति

- पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए, निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन वित्त मंत्रालय के संप्रेषण एफ.नं.20.1.2005-बीओ-I दिनांक 09.03.2007 के अनुसार किया गया. इस समिति में आलोक टंडन, भारत सरकार के नामिती निदेशक (दिनांक 15.11.2011 से), श्री सलीम गंगाधरन, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक, श्री गुमान सिंह एवं प्रो.एन.बालकृष्णन शामिल हैं.
- वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन- सम्बद्ध प्रोत्साहन देने पर विचार करने के लिए इस पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 24.05.2012 एवं 27.07.2012 को किया गया.

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमान निर्गमों इत्यादि से प्राप्तियां

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत सरकार को 308,461,538 इक्विटी शेयर्स के आबंटन से, अधिमान आधार पर, रु.10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर, रु.78.00 प्रति इक्विटी निर्गम मूल्य (प्रति इक्विटी शेयर रु.68.00 के प्रीमियम सहित) शेयर्स के आबंटन से रु.2405.99 करोड़ (प्रीमियम सहित) जुटाए हैं. साथ ही, बैंक ने अरक्षित बेमीयादी टियर I बॉण्ड्स (सीरीज II) के रूप में रु.500 करोड़ भी जुटाए हैं. निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य टियर - I एवं टियर- II पूंजी बढ़ाकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत करना तथा बैंक के दीर्घावधि स्रोतों में अभिवृद्धि करना है. जुटाई गई निधियों का उपयोग उपर्युक्त उद्देश्यों हेतु किया जा रहा है.

संप्रेषण के माध्यम:

तिमाही वित्तीय परिणाम (गैर-लेखापरीक्षित; परंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम सामान्यतया इकॉनामिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, पुढारी (मराठी), इत्यादि जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी एवं अनेक स्थानीय भाषा से विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे. इन परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया.

आचार संहिता

- बैंक ने निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता अपनाई है. इसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.inपर उपलब्ध है. समीक्षाधीन वर्ष के लिए,सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है और अनुपालन की पुष्टि का प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है.
- बैंक की प्रतिभूति में इनसाइट ट्रेडिंग रोकने के लिए, बैंक ने अपने निदेशकों एवं नामित कर्मचारियों के लिए आचार संहिता बनाई है.

दिनांक 31 मार्च, 2013 को निदेशकों द्वारा धारित बैंक के शेयर्स की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारित कुल शेयर्स	
		संख्या	सकल योग का %
1.	प्रो.एन.बालकृष्णन	160	0.000015
	कुल	160	0.000015

बैंक में किसी अन्य निदेशक के पास कोई शेयर नहीं है.

अन्य प्रकटीकरण

- बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहारों के अलावा, बैंक ने इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधतंत्र, उनकी सहायक कंपनियों अथवा रिश्तेदारों इत्यादि से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बैंक के व्यापक हितों पर प्रतिकूलता संभावित हो. वर्ष के दौरान, बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशकों के बीच कोई आर्थिक संबंध संव्यवहार नही हुआ है.
- बैंक में यह सुस्थापित प्रथा है कि जिन निदेशक, जिनके संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित जब कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता है, तब वे बोर्ड एवं बोर्ड की उप-समितियों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं.
- बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या अन्य सांविधिक प्राधिकारी को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है. समीक्षा वर्ष के दौरान, पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी अथवा किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक पर कोई अर्थदंड अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है.
- बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 की अनुबद्ध आवश्यकताओं का, जहां तक खंड की आवश्यकताओं से, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपकमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों, प्रावधानों, विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है, अनुपालन किया है.

गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं (सूचीकरण करार का अनुलग्नक I डी)

बैंक ने सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुलग्नक - I डी में निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को वर्तमान में अंगीकार नहीं किया है.

सामान्य शेयरधारक सूचना

बैंक की छठवीं वार्षिक साधारण बैठक:

दिन एवं दिनांक: शनिवार, 29 जून, 2013 को सुबह 11.00 बजे सर सोराबजी पोचखानवाला बैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 4000561.

1. साधारण वार्षिक बैठक वित्तीय वर्ष 2012-13 से संबंधित है
2. बही-बंदी की तारीख: 22 जून, 2013 से 29 जून, 2013 (दोनों दिवस सहित)
3. लाभांश भुगतान तारीख: दिनांक 29 जुलाई, 2013 को अथवा उससे पूर्व

साधारण बैठक:

क्र.सं.	बैठक की प्रकृति	दिनांक एवं समय	स्थान
1.	पांचवीं वार्षिक साधारण बैठक	27 जून, 2012, सायं 4.00 बजे	सर सोराबजी पोचखानवाला बैकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर हॉस्पिटल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), - मुंबई - 400056
2.	चौथी वार्षिक साधारण बैठक	29 जुलाई, 2011, दोपहर 3.00 बजे	--- तदैव ---
3.	तृतीय वार्षिक साधारण बैठक	14 जुलाई, 2010, दोपहर 3.00 बजे	--- तदैव ---

स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकरण

बैंक के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दोनों में सूचीबद्ध किए जाते हैं, स्क्रिप कोड निम्नवत है:

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532885
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	सीईएनटीआरएएलबीके
आईएसआईएन नंबर	आईएनई 483A01010

दोनों स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड (टियर - II पूंजी) जारी किए हैं. तत्संबंधी बकाया विवरण निम्नवत है:

दिनांक 31.03.2013 को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स- टियर - II पूंजी की स्थिति:

सीरीज विवरण	जारी दिनांक	कुल मूल्य (रु.करोड़ में)	आईएसआईएन
लोअर टियर-II-सीरीज IX	08.10.2004	200.00	आईएनई 483A09138
लोअर टियर-II-सीरीज X	28.03.2006	578.00	आईएनई 483A09146
लोअर टियर-II-सीरीज XI	04.10.2006	700.00	आईएनई 483A09153
लोअर टियर-II-सीरीज XII	03.03.2008	389.10	आईएनई 483A09161
लोअर टियर-II-सीरीज XIII	10.02.2009	270.00	आईएनई 483A09187
लोअर टियर-II-सीरीज XIV	21.12.2011	500.00	आईएनई 483A09245
अपर टियर-II-सीरीज I	14.11.2008	300.00	आईएनई 483A09179
अपर टियर-II-सीरीज II	17.02.2009	285.00	आईएनई 483A09195
अपर टियर-II-सीरीज III	23.06.2009	500.00	आईएनई 483A09203
अपर टियर-II-सीरीज IV	20.01.2010	500.00	आईएनई 483A09211
अपर टियर-II-सीरीज V	11.06.2010	1000.00	आईएनई 483A09229
अपर टियर-II-सीरीज VI	21.01.2011	300.00	आईएनई 483A08015
कुल		**5522.30**	

ये सभी बॉण्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अथवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किए गए हैं. बैंक ने वर्ष 2013-14 के लिए एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है.

बाजार मूल्य आंकड़े:

मासिक उच्च एवं न्यून भाव एवं एनएसई पर शेयरों के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की एनएसई निफ्टी से तुलना सहित) निम्नवत है:

एनएसई					
माह	अधिकतम मूल्य (रु.)	न्यूनतम मूल्य (रु.)	शेयर्स की संख्या (रु.)	एनएसई निफ्टी	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2012	106.40	93.55	274.72	5378.75	5154.30
मई, 2012	99.90	69.20	323.45	5279.60	4788.95
जून, 2012	82.95	72.30	303.83	5286.25	4770.35
जुलाई, 2012	84.60	67.75	267.25	5348.55	5032.40
अगस्त, 2012	73.00	62.75	275.19	5448.60	5164.65
सितम्बर, 2012	79.90	62.20	334.80	5735.15	5215.70
अक्तूबर, 2012	81.40	68.10	275.21	5815.35	4888.20
नवम्बर, 2012	78.50	68.80	230.04	5885.25	5548.35
दिसम्बर, 2012	86.80	77.00	240.61	5965.15	5823.15
जनवरी, 2013	95.60	80.25	307.54	6111.80	5935.20
फरवरी, 2013	85.05	70.10	308.13	6052.95	5671.90
मार्च, 2013	76.00	65.00	287.90	5971.20	5604.85

मासिक उच्च एवं निम्न भाव एव बीएसई पर शेयर्स के क्रय-विक्रय की प्रमात्रा (बैंक के शेयर मूल्य की सेंसेक्स से तुलना सहित) निम्नवत है:

बीएसई					
माह	अधिकतम मूल्य (₹)	न्यूनतम मूल्य (₹)	शेयर्स की संख्या (₹)	सेंसेक्स	
				अधिकतम	न्यूनतम
अप्रैल, 2012	106.50	93.75	14,93.181	17664.10	17010.16
मई, 2012	99.35	69.25	48,59,931	17432.33	15809.71
जून, 2012	82.90	72.55	20,56,129	17448.48	15748.98
जुलाई, 2012	85.40	68.00	30,56,681	17631.19	16598.48
अगस्त, 2012	73.00	63.00	21,74,492	17972.54	17026.97
सितम्बर, 2012	79.90	62.30	64,85,369	18869.94	17250.80
अक्तूबर, 2012	81.40	68.30	41,93,168	19137.29	18393.42
नवम्बर, 2012	78.50	76.75	41,71,465	19372.70	18255.69
दिसम्बर, 2012	85.00	77.00	46,49,639	19612.18	19149.03
जनवरी, 2013	95.60	80.40	54,30,862	20203.66	19508.93
फरवरी, 2013	84.70	70.80	17,29,352	19966.69	18793.97
मार्च, 2013	76.20	65.10	18,35,788	19754.66	18568.43

शेयर अंतरण एवं शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, धन-वापसी आदेश, लाभांश भुगतान एवं निवेशकों से संबंधित अन्य गतिविधियों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के कार्यालय में की जाती है. इनमें से किसी भी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायतों/कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्न पते पर संपर्क करने का अनुरोध है:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेडसी-13,
पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)मुंबई- 400 078
टेलीफोन: 022-25963838
फैक्स: 022-25946969
ई-मेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

बैंक के साथ पत्राचार करने का पता:

सहायक महाप्रबंधक- एमबीडी/कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9वीं मंजिल, चंदरमुखी
नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021
संपर्क नं. 022-66387818
फैक्स : 022-22835198
ई-मेल आईडी: agmcompsec@centralbank.co.in; investors@centralbank.co.in

दिनांक 31.03.2013 को शेयरधारित का संवितरण

शेयरधारित का संवितरण (शेयर्स)				
शेयर्स की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1-500	177414	93.05	20478674	1.96
501-1000	7536	3.95	5824688	0.56
1001-2000	3067	1.61	4590618	0.44
2001-3000	936	0.49	2378538	0.23
3001-4000	475	0.25	1700004	0.16
4001-5000	285	0.15	1347522	0.13
5001-10000	513	0.27	3712307	0.35
10001 एवं इससे अधिक	442	0.23	1004544603	96.17
कुल	**190668**	**100**	**1044576954**	**100.00**

'सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारित कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है

'सार्वजनिक' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारित कुल शेयर्स की संख्या के 1% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	**शेयर्स की संख्या**	**%**
भारतीय जीवन बीमा निगम	73420914	7.03

'सार्वजनिक" की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारित कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है

'सार्वजनिक' की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की शेयरधारिता, जिनकी शेयरधारित कुल शेयर्स की संख्या के 5% से अधिक है, को दर्शाने वाला विवरण		
शेयरधारक का नाम	**शेयर्स की संख्या**	**%**
भारतीय जीवन बीमा निगम	73420914	7.03

दिनांक 31.03.2013 को शेयरधारिता का स्वरूप

दिनांक 31.03.2013 को शेयरधारिता का स्वरूप						
शेयरधारकों की श्रेणी	**शेयर्स की संख्या**		**शेयरधारकों की संख्या**		**कुल शेयर्स धारिता का %**	
	डीमेट	भौतिक	डीमेट	भौतिक		
केन्द्र सरकार	891096964	0	1	0	891096964	85.31
क्लियरिंग सदस्य	645847	0	312	0	645847	0.0618
अन्य कॉर्पोरेट निकाय	6442087	90	1257	1	6442177	0.6167
निदेशकगण	160	0	1	0	160	0.0000
वित्तीय संस्थाएं	73420914	0	16	0	73420914	7.0288
विदेशी निवेशक संस्थाएं	18118642	0	54	0	18118642	1.7345
हिंदू अविभाजित परिवार	100822	0	2	0	100822	0.0097
म्युच्युअल फंड	43015	0	2	0	43015	0.0041
राष्ट्रीयकृत बैंक	886857	0	7	0	886857	0.0849
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	772304	0	5	0	772304	0.0739
अनिवासी भारतीय	969831	69600	1064	1	1039431	0.0995
अनिवासी (अप्रत्यवर्तनीय)	179354	0	282	0	179354	0.0172
जनसामान्य	46935393	16861	187502	131	46952254	4.4948
ट्रस्ट	43974	0	25	0	43974	0.0042
जीआईसी एवं उसकी अनुषंगियां	4834239	0	5	0	4834239	0.4628
कुल	1044490403	86551	190535	133	1044576954	100.00

अवरुद्ध शेयर्स के ब्यौरे दर्शाता विवरण

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	अवरुद्ध शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स के प्रतिशत के रूप में रूद्ध शेयर्स (अर्थात (ए) +(बी) +(सी) का योग
i	भारत के राष्ट्रपति	891096964	85.31
i i	जीवन बीमा निगम	25500000	2.44
	कुल	**916596964**	**88.75**

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण

क्र. सं.	**बकाया डीआर (एडीआर,जीडीआर,एसडीआर आदि) के प्रकार**	**बकाया डीआर की संख्या**	**बकाया डीआर के विचाराधीन शेयर्स की संख्या**	**कुल शेयर्स (अर्थात(ए) +(बी)+(सी) का योग) के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर**
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

डिपॉजिटरी रसीद (डीआर) के ब्यौरे दर्शाता हुआ विवरण, जहां विचाराधीन शेयर्स, कुल शेयर्स के 1% से अधिक है.

क्र. सं.	डी आर धारक का नाम	बकाया डीआर (एडीआर,जीडीआर,एसडीआर आदि) के प्रकार	विचाराधीन बकाया डीआर शेयर्स की संख्या	कुल शेयर्स (अर्थात(ए) +(बी) +(सी) के कुल योग)के प्रतिशत के रूप में विचाराधीन बकाया डीआर
	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

शेयर्स का डिमेटेरियलाइजेशन

बैंक के शेयर्स का क्रय-विक्रय अनिवार्यत: डीमेट रूप में किया जाता है, बैंक ने पहले से ही शेयर्स के डीमेट रियलाइजेशन के लिए दोनों डिपॉजिटरी नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है.

दिनांक 31.03.2013 को शेयरधारकों द्वारा डीमेट एवं भौतिक स्वरूप में धारित शेयर्स के विवरण:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयर्स की संख्या	धारिता %
भौतिक स्वरूप में	133	86551	0.01
एनएसडीएल	122546	910998640	87.21
सीडीएसएल*	67989	133491763	12.78
कुल	190668	10445576954	100

*केन्द्र सरकार द्वारा डीमेट रूप से धारित 891096964 (85.31%) सहित.

कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारण्ट अथवा परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है.

अदावाकृत उचंत खातें में शेयर्स :

सूचीकरण करार के खंड 5 ए की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2013 को **"अदावाकृत उचंत खाता"** में बकाया शेयर्स निम्नवत हैं:

क्र;सं.	विवरण	शेयरधारकों की समग्र संख्या	समग्र बकाया शेयर्स
(i)	वर्ष के प्रारंभ में अदावाकृत उचंत खाता में समग्र शेयरधारकों की संख्या एवं बकाया शेयर्स	266	35047
(ii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने अदावाकृत उचंत खातों में शेयर्स के अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क किया	2	196
(iii)	वर्ष के दौरान, शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें अदावाकृत उचंत खातों में शेयर अंतरित किए गए	2	196
(iV)	वर्ष के अंत में अदावाकृत उचंत खातों में बकाया कुल शेरयधारकों एवं शेयर्स की संख्या	264	34851

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अनिवार्य अनुबंधों के अनुपालन से संबंधित बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न है.

अनुलग्नक I

आचार संहित के अनुपालन की घोषणा

मैं पुष्टि करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधतंत्र ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बैंक की आचार संहिता का निश्चित रूप से अनुपालन किया है.

हस्ताक्षर

(मोहन वी.टांकसाले)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 मई 2013

सूचीकरण करार के खंड 49 के अंतर्गत प्रमाणन

प्रति,

निदेशक मंडल
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

ए. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वित्तीय वर्ष 2012-13 के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की जांच की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणियों में तथ्यत: कोई गलत विवरण अथवा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है अथवा ऐसा विवरण नहीं है, जोकि भ्रामक है.

ii. ये विवरण समग्र रूप में बैंक की कार्य-पद्धति का सत्य एवं सही चित्रण करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुसार हैं.

बी. हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है, जो कि कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

सी. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित एवं इसे व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हम स्वीकारते हैं तथा यह कि वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के सम्बंध में हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाव्यता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को प्रक्रिया अथवा परिचालन की आंतरिक नियंत्रण की खामियां, यदि कोई है, जिससे हम परिचित हैं, का प्रकटन किया तथा इन कमियों को दूर करने के लिए उन उपायों की जानकारी दी, जिन्हें हमने किया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति का ध्यान निम्न पर आकृष्ट किया है:

i. वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन;

ii. लेखांकन नीतियों में वर्ष के दौरान किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों में भी किया गया है; एवं

iii. धोखाधडियों की अहम् घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका है, की संलिप्तता, यदि कोई हो.

मो. जावेद
महाप्रबंधक-सीएडी

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2013

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

प्रति,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण,

हमने दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपानल की जांच कर ली है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कथित कंपनी के सूचीकरण-करार के खंड 49 में निर्धारित है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधतंत्र का है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी यह जांच सीमित थी. यह कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर न तो लेखापरीक्षा है और न ही उन पर अभिव्यक्ति है.

हमारी राय तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप, हम यह प्रमाणित करते हैं कि उल्लिखित सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का कंपनी ने अनुपालन किया है.

हम यह प्रमाणित करते हैं कि शेयरधारक समिति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के विरूद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है.

साथ ही, हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधतंत्र द्वारा बैंक के कारोबार संबंधी उनके कौशल तथा प्रभाविता का आश्वासन है.

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्लू

(सीए शांतनु घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 050927

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. धिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय धिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए यू सुरेन्द्र प्रभु)
भागीदार
सदस्यता सं. 027601

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 10 मई 2013

मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखाकार # एफ-7, लक्ष्मी मिल्स शक्ति मिल्स लेन , (डॉ.ई.मोसेस रोड के अंत में) महालक्ष्मी, मुंबई - 400011	मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं. सनदी लेखाकार आर.सी.टॉवर्स, II मंजिल, न्यू 82, ओल्ड नं.27 जोजियर स्ट्रीट , नंगमबक्कम चेन्नै- 600 034	मे. घिया एण्ड कं. सनदी लेखाकार ई-68, घिया हॉस्पिटल कॉम्पलैक्स सेक्टर 12, मालवीय नगर जयपुर - 302017
मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार 4800/24, भारत राम रोड दरियागंज , नई दिल्ली - 110002	मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स बी-12, भूतल कालिंदी कॉलोनी नई दिल्ली - 110065	मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. 11-5-23, कार्तिक कॉम्पलैक्स विजया बैंक ब्रेस्थवरपेट के ऊपर रायचूर - 584101

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के महामहिम राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दिनांक 31 मार्च, 2013 की संलग्न वित्तीय विवरणियों जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2013 का तुलन-पत्र, उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सन्निहित हैं, की लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणियों में 20 शाखाओं, कुल 77 क्षेत्रीय कार्यालयों में से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 34 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1358 शाखाओं एवं 53 सेवा सहयोग शाखाओं/कार्यालयों की विवरणियां समाहित है. इसके अलावा इनमें उन 2863 शाखाओं, 43 क्षेत्रीय कार्यालयों के तुलन-पत्र एवं लाभ हानि खाते भी शामिल हैं, जो कि लेखा परीक्षाधीन नहीं है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में कुल अग्रिमों की 9.76%, जमाओं का 42.05%, ब्याज आय का 8.45% तथा ब्याज व्यय की 26.33% हिस्सेदारी है. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का बैंक द्वारा चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुरूप किया गया है.

वित्तीय विवरणियों के प्रति प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. बैंक का पबंधतंत्र इन वित्तीय विवरणियों, जो बैंकिंग अधिनियम, 1949 के अनुसरण तथा समय समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित करने के लिए तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है. इस उत्तरदायित्व में समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है, जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी प्रकार के त्रुटिवश अथवा कपटता से महत्त्वपूर्ण अपकथन से मुक्त हें.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित अश्वासन प्रकट हो सके.

4. एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. इन जोखिमों के आकलों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करते हैं, जोकि प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें. एक लेखा परीक्षा में अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

5. हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है.

अभिमत

6. बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा पेंशन की अपरिशोधित राशि (रु.479.96 करोड़) तथा ग्रेच्युटी देयताओं (रु.110.80 करोड़) को केन्द्र सरकार की अनुमति के अधीन, बट्टे खाते डाले बिना की गई है.

7. हम समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट सं.5.3.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बैंक की पेंशन देयता एवं ग्रेच्युटी देयता के आस्थगन के

संबंध में "सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुन: खुलना तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वद्धि विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार" पर कर्मचारी लाभ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी.बीसी./80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांमन मानक (एएस) 15 "कर्मचारियों के लाभार्थ" के प्रावधानों को लागू करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में हैं, की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं. तदनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को अपरिशोधित राशि रु.886.15 करोड़ में से बैंक ने रु.239.98 करोड़ पेंशन के लिए तथा रु.55.40 करोड़ ग्रेच्युटी के लिए परिशोधित किए हैं, जो 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आनुपातिक राशि है तथा पेंशन के लिए शेष रु.479.97 करोड़ तथा ग्रेच्युटी के लिए शेष रु.110.80 करोड़ को आगामी वर्षों में परिशोधित किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप बैंक ने पेंशन एवं ग्रेच्युटी की अपरिशोधित राशि को बट्टे डाले बिना लाभांश प्रस्तावित किया है.

8. बैंक की पुस्तकों में यथा प्रदर्शित एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अभिमत में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र एक संपूर्ण एवं निष्पक्ष तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समाहित हैं, को समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धन्तों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2013 को बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं निष्पक्ष चित्रण प्रदर्शित किया जा सके.

(ii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि खाता भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धन्तों के अनुरूप उस वर्ष कवर किये गए लेखों में लाभ की सही स्थिति दर्शाता है.

(iii) नकद प्रवाह विवरणी उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सही एवं निष्पक्ष नकद प्रवाह को प्रदर्शित करती है.

अन्य वैधानिक एवं विनियामक अपेक्षाएं

9. तुलन-पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमश: फॉर्म "ए" एवं फॉर्म "बी" में तैयार किये गए हैं.

10. उपर्युक्त पैरा 1 से 5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा सीमाओं के अधीन एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा उनमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे तथा वे संतोषप्रद पाए गए.

(बी) हमारे संज्ञापन में आए बैंक के लेनदेन बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हुए हैं.

(सी) प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के साथ बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाया गया.

11. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं.

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.	कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.	कृते मे. घिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186 डब्ल्यू	एफ.आर.नं. -003073एस	एफ.आर.नं. -001088 सी
(सीए सान्तनु घोष)	(सीए बी.रमानी)	(सीए संजय घिया)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 050927	सदस्यता सं. 019603	सदस्यता सं. 072467
कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स	कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स	कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708एन	एफ.आर.नं. 000131एन	एफ.आर.नं. -004135एस
(सीए आनंद प्रकाश)	(सीए आर.के. अग्रवाल)	(सीए यू सुरेन्द्र प्रभु)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 082735	सदस्यता सं. 081510	सदस्यता सं. 027601

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2013

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र

(000 छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च 2013 ₹	31 मार्च 2012 ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	26,615,769	23,531,154
आरक्षित एवं अधिशेष	2	126,512,743	100,984,104
जमा राशियां	3	2,260,383,148	1,961,733,268
उधारियां	4	183,055,117	129,195,961
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	84,728,713	82,552,905
कुल		**2,681,295,490**	**2,297,997,392**
आस्तियां			
नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष	6	135,601,667	131,141,772
बैंकों के साथ शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर राशियां	7	5,320,449	10,124,236
निवेश	8	726,037,937	592,432,651
अग्रिम	9	1,719,358,433	1,475,128,503
सावधि आस्तियां	10	26,847,546	24,739,090
अन्य आस्तियां	11	68,129,458	64,431,140
		2,681,295,490	**2,297,997,392**
आकस्मिक देयताएं	12	595,190,339	593,913,114
संग्रहण के लिए बिल	-	60,955,707	56,771,907
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का आवश्यक भाग है.

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन निदेशक | **सलीम गंगाधरन** निदेशक | **गुमान सिंह** निदेशक | **प्रो. एन. बालकृष्णन** निदेशक | **एम.पी. शोरावाला** निदेशक | **कृष्ण सेठी** निदेशक | **एस.बी. रोड़े** निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्ल्यू

(सीए सान्तनु घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 050927

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. घिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708 एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए यू सुरेन्द्र प्रभु)
भागीदार
सदस्यता सं. 027601

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2013

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 ₹	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2012 ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	218,606,505	191,494,994
अन्य आय	14	16,673,296	13,953,016
कुल		**235,279,801**	**205,448,010**
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	161,230,808	139,808,592
परिचालन व्यय	16	42,323,273	37,489,952
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		21,576,125	22,819,075
कुल		**225,130,206**	**200,117,619**
III. लाभ / हानि			
वर्ष का शुद्ध लाभ		10,149,595	5,330,391
लाभ आगे ले जाया गया		14,789	14,789
कुल		**10,164,384**	**5,345,180**
IV. विनिनियोजन			
निम्न को अंतरित :			
सांविधिक प्रारक्षित		2,537,399	1,332,598
निवेश प्रारक्षित		375,216	439,466
विशेष आरक्षित u/s 36(1)(viii)		-	-
कर्मचारी कल्याण निधि		404,700	150,000
राजस्व प्रारक्षित		2,000,000	205,630
बीमा के बदले निधि		20,000	-
प्रस्तावित लाभांश - अधिमानी पूंजी		1,504,993	1,285,921
प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी पूंजी		2,611,442	1,472,231
लाभांश कर		694,855	444,545
तुलनपत्र में ले जाया गया शेष		15,779	14,789
कुल		**10,164,384**	**5,345,180**
ईपीएस (मूल एवं तनुकृत)		11.24	5.95
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

संदर्भित अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का आवश्यक भाग है.

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन निदेशक | **सलीम गंगाधरन** निदेशक | **गुमान सिंह** निदेशक | **प्रो. एन. बालकृष्णन** निदेशक | **एम.पी. शोरावाला** निदेशक | **कृष्णा सेठी** निदेशक | **एस.बी. रोड़े** निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्ल्यू

(सीए सान्तनु घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 050927

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. घिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708 एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए यू सुरेन्द्र प्रभु)
भागीदार
सदस्यता सं. 027601

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2013

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31/03/2013 को ₹	₹	31/03/2012 को ₹	₹
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		**30,000,000**		**30,000,000**
प्रत्येक रु. **10/-** के **300,00,00,000** शेयर				
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :				
इक्विटी शेयर	10,445,769		7,361,154	
प्रत्येक रु. 10/- के 1,04,45,76,954 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 736115416 इक्विटी शेयर) (सहित केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 89,10,96,964 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 582635426 इक्विटी शेयर)				
बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयरपूंजी				
(प्रत्येक रु.10/- के 161,70,00,000 के अधिमानत शेयर)	16,170,000		16,170,000	
कुल		**26,615,769**		**23,531,154**
अनुसूची 2 : : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. सांविधिक प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	16,582,480		15,249,882	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,537,399		1,332,598	
		19,119,879		**16,582,480**
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	18,969,569		19,284,291	
वर्ष के दौरान कटौती	293,748		314,722	
		18,675,821		**18,969,569**
ii) निवेश प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	4,070,501		3,631,035	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	375,216		439,466	
		4,445,717		**4,070,501**
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	38,467,132		7,360,000	
वर्ष के दौरान परिवर्धन /समायोजन	20,975,385		31,107,132	
		59,442,517		**38,467,132**
IV. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
i) राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष राशि	21,879,633		21,725,781	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,000,000		205,630	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	66,603		51,778	
		23,813,030		**21,879,633**
V. विशेष प्रारक्षित निधियां आयकर अधिनियम के यू/एस		1,000,000		1,000,000
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि		15,779		14,789
कुल		**126,512,743**		**100,984,104**

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31/03/2013 को ₹	₹	31/03/2012 को ₹	₹
अनुसूची 3 : जमाराशियां				
ए. I. मांग जमाराशियां				
i) बैंक से	10,147,875		2,156,771	
ii) अन्य से	134,764,060		124,647,165	
		144,911,935		**126,803,936**
II. बचत बैंक जमाराशियां		**590,904,649**		**525,946,590**
III. सावधि जमाराशियां				
i) बैंक से	51,165,883		32,834,428	
ii) अन्य से	1,473,400,681		1,276,148,314	
		1,524,566,564		**1,308,982,742**
कुल		**2,260,383,148**		**1,961,733,268**
बी. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**2,260,383,148**		**1,961,733,268**
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	55,430,752		2,500,700	
ii) अन्य बैंक	136,960		25,604	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	46,625,904		37,414,716	
iv) अनारक्षित प्रतिदेय बॉन्ड्स (गौण ऋण)	26,373,000		26,373,000	
v) अपर टियर II बॉन्ड्स	28,850,000		28,850,000	
vi) नवान्मेष बेमियादी ऋण लिखत	10,830,000		5,830,000	
		168,246,616		**100,994,020**
II. **भारत के बाहर उधारराशियां**		**14,808,501**		**28,201,941**
कुल		**183,055,117**		**129,195,961**
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधारराशियां		निरंक		निरंक
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल		7,021,299		8,878,315
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		-		-
III. उपचित ब्याज		13,694,287		13,058,828
IV. आस्थगित कर देयता		2,587,500		4,550,200
V. अन्य (प्रावधान सहित)		61,425,627		56,065,562
कुल		**84,728,713**		**82,552,905**

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31/03/2013 को ₹	₹	31/03/2012 को ₹	₹
अनुसूची 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नकदी (विदेशी मुद्रा सहित)		**17,578,283**		**16,676,309**
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	117,023,384		113,465,463	
अन्य खातों में	1,000,000		1,000,000	
		118,023,384		114,465,463
कुल		**135,601,667**		**131,141,772**
अनुसूची 7 : बैंकों में जमाराशियां एवं मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
ए) चालू खातों में	4,177,351		6,481,831	
बी) अन्य जमा खातों में	74,397		37,229	
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
ए) बैंकों के पास	500,000		-	
बी) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		4,751,748		**6,519,060**
II. भारत के बाहर				
ए) चालू खातों में	568,701		3,603,834	
बी) अन्य जमा खातों में	-		1,342	
सी) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
		568,701		**3,605,176**
कुल		**5,320,449**		**10,124,236**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	601,302,467		507,238,240	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	440,080		603,668	
iii) शेयर्स	14,316,332		9,424,314	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	44,411,987		41,016,662	
v) अनुषंगियां एवं प्रायोजित संस्थान	2,629,150		2,541,662	
vi) अन्य (यटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यकि पेपर्स म्यूचुअल फंड आदि)	62,931,327		31,601,511	
		726,031,343		**592,426,057**
II. भारत के बाहर निवेश**				
विदेशों में अनुषंगियां एवं असोशिएट्स		**6,594**		**6,594**
कुल		**726,037,937**		**592,432,651**

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31/03/2013 को		31/03/2012 को	
	₹	₹	₹	₹
*** भारत में निवेश**				
सकल मूल्य	726,609,642		595,765,455	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	578,299		3,339,398	
शुद्ध मूल्य		**726,031,343**		**592,426,057**
**** भारत के बाहर निवेश**				
सकल मूल्य	6,594		6,594	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध मूल्य		**6,594**		**6,594**
अनुसूची 9 : अग्रिम				
ए. i) खरीदे गए एवं भुनाए गऐ बिल	22,996,755		22,538,880	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	627,468,995		490,609,919	
iii) मीयादी ऋण	1,068,892,683		961,979,704	
कुल		**1,719,358,433**		**1,475,128,503**
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,408,205,658		1,033,347,079	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	95,109,944		78,838,452	
iii) अरक्षित	216,042,831		362,942,972	
कुल		**1,719,358,433**		**1,475,128,503**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	500,284,418		385,221,816	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	218,917,588		97,603,765	
iii) बैंक	3,527,637		749,653	
iv) अन्य	996,628,790		991,553,269	
कुल		**1,719,358,433**		**1,475,128,503**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनसूची10 :अचल आस्तियां				
I. **परिसर**				
(लागत/पुनर्मूल्यांकि लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	23,973,412		23,858,143	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	758,052		115,269	
कुल	24,731,464		23,973,412	
इस दिनांक को मूल्यहास	4,390,842		4,043,752	
कुल		**20,340,622**		**19,929,660**

31 मार्च 2013 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31/03/2013 को		31/03/2012 को	
	₹	₹	₹	₹
II. **अन्य अचल आस्तियां**				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	13,734,595		11,734,975	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,931,801		2,155,582	
कुल	**17,666,396**		**13,890,557**	
वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	591,227		155,962	
कुल	17,075,169		13,734,595	
इस दिनांक को मूल्यहास	10,568,245		8,925,165	
कुल		**6,506,924**		**4,809,430**
कुल (I & II)		**26,847,546**		**24,739,090**
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	13,799,194		12,676,296	
II. अग्रिम कर भुगतान/ स्त्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	20,934,746		23,310,995	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	136,105		131,680	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग अस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन	9,021,695		2,946,039	
VI. अन्य	24,237,718		25,366,130	
कुल		**68,129,458**		**64,431,140**
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है.		635,671		1,556,441
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		9,126,021		14,245,860
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता				
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		357,696,828		416,474,984
IV. ग्राहकों की आरे से प्रदत्त गारंटी				
ए) भारत में	92,483,533		70,631,212	
बी) भारत के बाहर	8,313,332		5,518,890	
		100,796,865		76,150,102
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		126,372,490		85,062,529
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		562,464		423,198
कुल		**595,190,339**		**593,913,114**

दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 को छोड़कर)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 ₹	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2012 ₹
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	169,225,350	144,204,764
II. निवेशों पर आय	47,786,609	43,473,461
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	786,862	3,393,498
IV. अन्य	807,684	423,271
कुल	**218,606,505**	**191,494,994**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	8,156,681	6,634,990
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	3,828,750	3,200,628
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)	-	-
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ / (हानि) (शुद्ध)	(6,536.00)	(4,167.00)
V. विनमय लेन देनों पर लाभ (शुद्व)	608,772	1,868,242
VI. भारत/विदेश में अनुषंगी कंपनियों एवं अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश इत्यादि के द्वारा आय	27,850	23,560
VII. विविध आय	4,057,779	2,229,763
कुल	**16,673,296**	**13,953,016**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर ब्याज	149,398,880	129,961,070
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज	1,745,635	1,490,560
III. अन्य	10,086,293	8,356,962
कुल	**161,230,808**	**139,808,592**
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	28,915,488	25,062,428
II. किराया, कर एवं बिजली	2,664,709	2,567,790
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	303,976	264,764
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	286,938	352,177
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	1,844,497	1,435,363
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	8,751	9,359
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस व खर्चे सहित)	108,159	205,152
VIII.विधि प्रभार	147,406	115,701
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	366,654	394,471
X. मरम्मत एवं रखरखाव	573,950	833,115
XI. बीमा	1,712,403	1,645,970
XII. अन्य व्वय	5,390,342	4,603,662
कुल	**42,323,273**	**37,489,952**

अनुसूची 17 - मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन रीतियां :

परिसर के पुनर्मूल्यन द्वारा संशोधन के अलावा वित्तीय विवरणियां परंपरागत लागत आधार पर लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए तैयार की गई हैं तथा सभी तात्विक पहलुओं से, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी उदघोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करती हैं.

2. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

2.1 विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

2.2 आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

2.3 विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

2.4 बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

3. निवेश :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "व्यापार हेतु धारित" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

i) सरकारी प्रतिभूतियां

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

iii) शेयर्स

iv) डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स

v) अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थान एवं

vi) अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

3.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) **परिपक्वता तक धारित**

इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.

ii) **व्यापार के लिए धारित**

प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

iii) विक्रय के लिए उपलब्ध

वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

3.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

3.4 मूल्यांकन :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य

का आधिक्य शेष परिपक्वता की शेष अवधि के ऊपर परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार में, स्क्रिपवार निम्नवत अंकित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	बाजार मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंज/ एफआईएमएमडीए / पीडीएआई द्वारा निकाले गए कोटेशन के अनुसार
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता के आधार पर उचित आय के अनुसार
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर
iv)	इक्विटी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या रु. 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v)	अधिमानी शेयर	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्यूच्युअल फंड	ए) उद्धृत : बाजार मूल्य पर बी) अनुद्धृत : पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुनः क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	उद्यम के लिए पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए रु.1/-

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा यदि कोई मूल्य वृद्धि है, तो उसे गणना में नहीं लिया गया है.

3.5 लागत निर्धारण :

भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

3.6 आय निर्धारण :

i) निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूंजी प्रारक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है.

ii) निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

iii) यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती हो, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं.

iv) प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है.

v) प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है.

vi) प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि का ब्याज, आय मद माना गया है.

4. डेरिवेटिव्ज

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज का निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

i) दैनिक बाजार-मूल्य - जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित की गई हैं, परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

ii) जहां अभिचिन्हित आस्तियां/देयताएं दैनिक बाजार मूल्य पर अंकित नही की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

iii) स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

5. अग्रिम :

5.1 अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं.

5.2 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है. तथापि, वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है.

5.3 अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं. मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं.

5.4 बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है.

यदि बिक्री एनबीवी से उच्चतर कीमत पर है तो अधिशेष प्रावधान अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने के लिए रखा गया है.

6. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :

6.1 अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यह्रास "मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट,	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर (अभिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)	33.33%

6.2 उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यह्रास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे "पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि" में समायोजित किया गया है.

6.3 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

6.4 पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है. पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और "पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि" में समायोजित किया गया है.

6.5 जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यह्रास लगाया गया है.

7. कर्मचारी - लाभ :

7.1 ग्रॅच्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है. पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है.

7.2 अर्जित छुट्टी के लिए देयताओं का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.

7.3 उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है.

7.4 बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य से तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है.

8. आय एवं व्यय का निर्धारण :

8.1 जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय एवं व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है.

8.2 अनर्जक आस्तियों पर आय की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार की गई है.

8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीओडी सं बीपीबीसी 89/21.04.018/2002-03 दिनांक 29.03.2003 दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्चे के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है.

8.4 अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रावधान किए जाते हैं.

9. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि "वास्तविक निश्चितता" न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी.

अनुसूची 18 : लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. पूंजी:

भारत सरकार को रु. 68.00 प्रति शेयर प्रीमियम के साथ रु.308.47 करोड़ के नए इक्विटी शेयर्स जारी करने के परिणाम स्वरूप पिछले वर्ष इक्विटी शेयर पूंजी रु.736.11 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2013 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु.1044.58 करोड़ थी.

2. बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन-देन के लिए खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नामिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, तो वह अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

3. आय कर / आस्थगित कर :

3.1 वर्ष के लिए आयकर का प्रावधान विवादित मामलों से संबंधित सांविधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद किया गया है.

3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में रु. 912.60 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1424.58 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे विवादित मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए रु.912.60 करोड़ के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बंधित विवादों में शामिल रु. 5.98 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है. इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है.

4. परिसर :

बैंक के स्वामित्व के परिसरों में रु. 39.93 करोड़ मूल्य (पिछले वर्ष रु. 9.95 करोड़) की पुनर्मूल्यांकन कीमत रु. 130.02 करोड़ शामिल है, जिसके पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी भी प्रक्रियाधीन है.

5. अग्रिम / प्रावधान :

5.1 पोषण / पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

5.2 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बैंक ने रु. 312.42 करोड़ (गत वर्ष रु. 312.42 करोड़) के अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान की बफर राशि रु. 141.30 (पिछले वर्ष रु. 141.30 करोड़) को शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए सकल एनपीए से नेट किया है.

5.3 अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में रु. 2515 करोड़ (गत वर्ष रु. 2515 करोड़) एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल रु. 2515 करोड़ (गत वर्ष रु.2080 करोड़) प्राथमिकता क्षेत्र/ प्रत्यक्ष कृषि का निवेश शामिल है.

6 नवोन्मेषी बेमीयादी उधारी लिखत:

वर्ष के दौरान बैंक ने नवोन्मेषी बेमीयादी उधारी लिखत जारी कर रु. 500 करोड़ जुटाए हैं, जिससे इनका शेष रु. 1083.00 करोड़ हो गया है.

7. **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए है.**

ए. पूंजी :

क्र.सं.संख्या	मदें	31.03.2013	31.03.2012
1.	सीआरएआर (%)		
	बासल-I	11.33	11.96
	बासल-II	11.49	12.40
2.	सीआरएआर-टियर-I पूंजी (%)		
	बासल-I	7.95	7.50
	बासल-II	8.09	7.79
3.	सीआरएआर-टियर-II पूंजी (%)		
	बासल-I	3.38	4.46
	बासल-II	3.40	4.61
4.	भारत सरकार की इक्विटी शेयर धारिता का प्रतिशत	85.31%	79.15%
5.	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई अपर टियर-II लिखतों की राशि (₹ करोड़ में)	--	500
6.	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त की गई नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) की राशि (₹ करोड़ में)	500	निरंक
7.	क्यूआईपी रूट के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम (₹ करोड़ में) शेयर पूंजी शेयर प्रीमियम	निरंक	निरंक

उपर्युक्त आंकड़ों का संकलन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और तुलनपत्र में शामिल होने वाली कुछ मदों में प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अनुमानों के आधार पर किया गया है और लेखा परीक्षकों ने इस पर विश्वास किया है. बासल II के संदर्भ में प्रणालीगत कमियां/ध्यान में आई/रिपोर्ट की गई आंकड़ों की त्रुटियां केन्द्रीय कार्यालय को बताई गई हैं. अपनाई गई व्यापक कार्य प्रणाली के आधार पर बैंक का मत है कि असंशोधित कमियां, यदि कोई हैं, तो उनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव रिपोर्ट की गई समग्र पूंजी पर्याप्तता पर नहीं होगा.

बी.(i) **निवेश**

(₹ करोड़ में)

मदें				31.3.2013	31.3.2012
1)	निवेशों का मूल्य				
	i)	**निवेशों का सकल मूल्य**		72661.62	59577.21
		ए)	भारत में	72660.96	59576.55
		बी)	भारत के बाहर	0.66	0.66
	ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		333.94	57.82
		ए)	भारत में	57.82	333.94
		बी)	भारत के बाहर	0.00	0.00
	iii)	निवेशों का शुद्ध मूल्य		59243.27	72603.80
		ए)	भारत में	72603.14	59242.61
		बी)	भारत के बाहर	0.66	0.66
2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी**				
	i)	प्रारंभिक शेष		333.94	342.60
	ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		128.16	0.00
	iii)	घटाएं : बट्टे खाते डाले गए		404.28	8.66
	iv)	अंतिम शेष		57.82	333.94

(ii) **रेपो लेन-देन**

(₹ करोड़ में)

विवरण	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**	**31 मार्च, 2013 को बकाया**
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
I) सरकारी प्रतिभूतियां	**0.00**	**7000.00**	**1467.88**	**7000**
II) कॉरपोरेट उधारी प्रतिभूतियां	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
I) सरकारी प्रतिभूतियां	**0.00**	**4800.00**	**53.42**	**1500.00**
II) कॉरपोरेट उधारी प्रतिभूतियां	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(ii) **गैर-एसएलआर निवेश पोर्ट फोलिओ**
गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता-वार संकलन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**जारीकर्ता**	**राशि**	**निजी नियोजन सीमा**	**'निवेश श्रेणी से कम' सीमा तक प्रतिभूतियां**	**'गैर-श्रेणीकृत' प्रतिभूतियां**	**'गैर-सूचीबध्द' प्रतिभूतियां**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	629.49	246.21	0.00	0.00	1.44
ii)	वित्तीय संस्थाएं	470.15	357.91	0.00	0.00	78.96
iii)	बैंक	579.56	188.47	10.00	0.00	0.00
iv)	निजी कॉर्पोरेट	2806.48	2490.75	208.85	21.64	94.49
v)	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम	262.92	262.92	0.00	262.92	262.92
vi)	अन्य	7740.77	5093.43	0.00	5842.92	6885.37
	आरआईडीएफ/ आरएचडीएफ/ सिडबी	4152.91	4152.91	0.00	4152.91	4152.91
	सीपी/सीडी/ आईबीपीसी/एसआर	2028.66	525.89	0.00	251.78	2028.66
	म्यूच्युअल फंड	20.26	0.00	0.00	20.26	20.26
	उद्यम पूंजी	95.56	95.56	0.00	95.56	95.56
	शेयर (ट्रस्टी शेयरों सहित)	1443.38	319.07	0.00	1322.41	587.98
योग		**12489.37**	**8639.69**	**218.85**	**6127.48**	**7323.18**
घटायें :	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	57.82				
शुद्ध		**12431.55**	**8639.69**	**218.85**	**6127.48**	**7323.18**

कॉलम संख्या 4, 5, 6 एवं 7 के अधीन सूचित राशियां पारस्परिक रूप से अलग नहीं हैं.

(iv) **गैर निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश**
(परिपक्व निवेशों सहित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2013	31.3.2012
प्रारंभिक शेष	15.77	29.31
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	114.87	0.37
वर्ष के दौरान कमी	34.35	13.91
अंतिम शेष	96.29	15.77
धारित कुल प्रावधान	14.82	15.77

सी. डेरिवेटीव्ज

(i) गैर वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2013	31.3.2012
i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	775.00	1046.10
ii)	करारों के अंतर्गत यदि प्रति पार्टी अपनी बाध्यताएं पूरी नहीं करती है तो इस संदर्भ में होने वाली हानि.	निरंक	निरंक
iii)	स्वैप में शामिल होने के लिए बैंक द्वारा वांछित संपार्श्विक प्रतिभूति	-	-
iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का केंद्रीकरण संपार्श्विक प्रतिभूति	712.50	933.60
	- घरेलू बैंक	62.50	112.50
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	(-) 26.18	(-) 47.45

ii) शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटीव्ज :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान, शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटीव्ज के लिए लिया गया आनुमानिक मूलधन (लिखत-वार)	निरंक
ii)	31मार्च, 2013 को शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटीव्ज की आनुमानिक मूल राशि (लिखत-वार)	निरंक
iii)	शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटीव्ज की बकाया आनुमानिक मूल राशि तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं थी (लिखत-वार)	लागू नहीं
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की बकाया शेयर बाजार में खरीदी/बेची गई ब्याज दर डेरिवेटीव्ज तथा जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं रहीं (लिखत-वार)	लागू नहीं

डेरिवेटिव्ज में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

iii) गुणात्मक प्रकटीकरण

- वायदा बाजार में बचाव व्यवस्था / व्यापार में डेरिवेटिव लिखतों के प्रयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ट्रेजरी जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है.
- बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में स्थायी ब्याज दर, शून्य कूपन तथा अस्थायी ब्याज दरों के वैशिष्ट्य वाली आस्तियां शामिल है और वह ब्याज दर जोखिम के अधीन है. बैंक के पास ब्याज दर स्वैप हेतु टियर II बॉण्ड भी हैं, जिनमें निकास विकल्प उपलब्ध नहीं हैं. यह नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम के लिए बचाव व्यवस्था भी अनुमत करती है.
- वायदा दर करार, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा -वायदे तथा ब्याज दर वायदों का निवेश पोर्टफोलियो में प्रयोग ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए और बाजार बढ़ाने के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है.
- निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, जोखिम प्रबंधन नीतियां तथा प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे हानि रोध सीमाएं, काउन्टर पार्टी एक्सपोजर सीमाएं इत्यादि, मौजूद हैं. इन जोखिमों की निगरानी तथा समीक्षा नियमित रूप से की जाती है. प्रबंध सूचना प्रणाली/रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है.
- **वित्तीय हानि से बचाव की स्थिति**
  - ब्याज दर स्वैप आईआरएस पर ब्याज खर्च/आय के कारण उपचय को लेखागत किया जाता है तथा आय/व्यय के रूप में अभिचिन्हित किया जाता है.
  - यदि स्वैप को परिपक्वता के पूर्व समाप्त किया जाता है, तो दैनिक एमटीएम हानि/लाभ तथा उपचय के ऐसे आंकड़ों का ब्याज दर स्वैप पर प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज के तहत व्यय/आय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है.
- **व्यापारिक स्थिति**
  - एमसीएक्स-एक्स तथा एनएसई के विनियम दिशानिर्देशों के अनुसार, मुद्रा वायदे तथा ब्याज दर वायदे दैनंदिन आधार पर बाजार मूल्य की स्थिति पर अंकित किए जाते है
  - मार्जिन खाते को दैनिक आधार पर जमा/नामे करते हुए एमटीएम लाभ/हानि का लेखा किया जाता है तथा उसे बैंक के लाभ एवं हानि खाते में लेखागत किया जाता है.
  - व्यापारिक स्वैप को थोड़े-थोड़े अंतरालों में बाजार मूल्य की स्थिति के अनुसार अंकित किया जाता है. कोई भी एमटीएम हानियां लेखागत तथा लाभ, यदि कोई है का हिसाब नहीं रखा जाता है.
  - स्वैप के खत्म होने पर लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त शीर्ष में तत्काल आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

iv) गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण		करेंसी डेरिवेटिव्ज	ब्याज दर डेरिवेटिव्ज
i)	**डेरिवेटिव्ज** (आनुमानिक मूल धन राशि)			
	ए)	बचाव व्यवस्था के लिए	निरंक	525.00
	बी)	व्यापार के लिए	निरंक	250.00
ii)	प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति (1)			
	ए)	आस्ति (+)	-	(-) 0.13
	बी)	देयता (-)	-	(-) 26.31
iii)	ऋण जोखिम (2)		-	52.88
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)			0.22
	ए)	बचाव व्यवस्था पर डेरिवेटिव्ज	-	0.14
	बी)	व्यापार पर डेरिवेटिव्ज	-	0.08
v)	वर्ष के दौरान नोट किए गए अधिकतम एवं न्यूनतम (100*पीवी01)			
	ए)	बचाव व्यवस्था पर	-	0.21/ 0.14
	बी)	व्यापार पर	-	0.09/ 0.08

डी. आस्ति गुणवत्ता

i) गैर निष्पादक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

मदें			31.3.2013	31.3.2012
i)	शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम(%)		2.90%	3.09%
ii)	एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी (सकल)			
	ए)	प्रारंभिक शेष	7273	2394
	बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5125	6849
	सी)	वर्ष के दौरान कमी	3942	1970
	डी)	अंतिम शेष	8456	7273
iii)	शुद्ध एनपीए में कमी/बढ़ोत्तरी			
	ए)	प्रारंभिक शेष	4600	856
	बी)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3676	5470
	सी)	वर्ष के दौरान कमी*	3288	1726
	डी)	अंतिम शेष	4988	4600
iv)	शुद्ध एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/बढ़ोत्तरी (मानक आस्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)			
	ए)	प्रारंभिक शेष**	2220	1085
	बी)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1449	1379
	सी)	बट्टे खाते डाले गए/प्रतिलेखन/अंतरण	738	244
	डी)	अंतिम शेष**	2931	2220

* दिनांक 31.03.2012 के शुद्ध एनपीए में संचलन के आंकड़े पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं. उधारकर्ता समायोजन लंबित रहते ईसीजीसी एवं कोर्ट से प्राप्त एवं सांकेतिक खातों में रखी रु. 84.00 करोड़ की निवल करने के पश्चात.

** अस्थाई प्रावधान रु. 312.43 करोड़ (पिछले वर्ष रु 312.43 करोड़) एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान रु. 141.30 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 141.30 करोड़ छोड़कर

पुर्नगठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2013 को)

(रू. करोड में)

Sl No	पुर्नगठन का प्रकार ->		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई उधार पुर्नगठन प्रणाली के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण ->		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																					
1	वित्त वर्ष के अप्रैल माह में पुर्नगठित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	25	0	3	0	28	1010	546	30	0	1586	25765	1819	919	0	28503	26800	2365	952	0	30117
		शेष राशि	2349.41	0	206.92	0	2556.33	1586.5	604.41	155.09	0	2346	11367.86	1042.19	35.05	0	12445.1	15303.77	1646.6	397.06	0	17347.43
		उस पर प्रावधान	334.31	0	0	0	334.31	47.61	18.12	4.65	0	70.38	94.13	1.06	7.25	0	102.44	476.05	19.18	11.9	0	507.13
2	वर्ष के दौरान नया पुर्नगठन	उधारकर्ताओं की संख्या	17	1	1	0	19	13	0	1	0	14	8646	0	0	0	8646	8676	1	2	0	8679
		शेष राशि	1485.09	269.29	23.33	0	1777.71	40.69	0	19.11	0	59.8	4845.82	0	0	0	4845.82	6371.6	269.29	42.44	0	6683.33
		उस पर प्रावधान	174.33	21.73	0	0	196.06	0.49	0	6.14	0	6.63	120.83	0	0	0	120.83	295.65	21.73	6.14	0	323.52
3	वित्त वर्ष के दौरान पुर्नगठित मानक श्रेणी में अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	2	-2	0	0	2
		शेष राशि	29.45	-29.45	0	0	0	0	0	0	0	0	31.16	-31.16	0	0	0	60.61	-60.61	0	0	60.61
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.51	-1.51	0	0	0	1.51	-1.51	0	0	1.51
4	वित्त वर्ष के अंत में ऐसे पुर्नगठित मानक ऋण खाते जिनमें उच्चतर प्रावधान और/ अथवा अतिरिक्त जोखिम भारिता समाप्त हो गया हो, अत: जिन्हें अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुर्नगठित मानक खातों में दिखाना आवश्यक नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	6				6	19				19	35				35	60				-60
		शेष राशि	151.31				151.3	65.42				65.42	473.8				473.8	690.53				-690.53
		उस पर प्रावधान	8.81				8.81	2.1				2.1	8.95				8.95	19.86				-19.86
5	वित्त वर्ष के दौरान पुर्नगठित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	-3	3	0	0	0	-8	8	0	0	0	-11	11	0	0	11
		शेष राशि	0	0	0	0	0	-5.51	5.51	0	0	0	-275.2	275.2	0	0	0	-280.71	280.71	0	0	280.71
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	-0.03	0.03	0	0	0	-1.04	1.04	0	0	0	-1.07	1.07	0	0	1.07
6	वित्त वर्ष के दौरान पुर्नगठित खातों को बड़े खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		शेष राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	वित्त वर्ष के 31 मार्च में पुर्नगठित खाते (अंतिम आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	41	1	4	0	46	354	45	72	0	471	11273	1080	2303	0	14656	11668	1126	2379	0	15173
		शेष राशि	4451.56	269.29	198.11	0	4918.96	113.53	10.13	76.64	0	200.3	15577.29	309.33	1675	0	17561.62	20142.38	588.75	1949.75	0	22680.88
		उस पर प्रावधान	628.49	21.73	2.14	0	652.36	6.55	0.33	6.65	0	13.53	206.34	3.02	31.25	0	240.61	841.38	25.08	40.04	0	906.5

* मानक पुनर्गठित ऋणों के आंकड़ों के अलावा जिन पर उच्चतर प्रावधान अथवा जोखिम नहीं हो (यदि लागू हो)
* धारित प्रावधान के आंकड़े अधित्याग के हैं

(iii) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठित कम्पनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2013	31.3.2012
i)	खातों की संख्या	8	3
ii)	एससी/आरसी को बिक्रीत खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	11.36	62.03
iii)	कुल प्रतिफल	44.00	74.80
iv)	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के लिए आगत अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	32.64	12.77

(iv) खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

ए. क्रय की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

		विवरण	31.3.2013	31.3.2012
1	ए	वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी	कुल बकाया राशि	निरंक	निरंक
2	ए	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	निरंक	निरंक
	बी	कुल बकाया	निरंक	निरंक

बी. बिक्री की गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.3.2013	31.3.2012
1	खातों की संख्या	8	3
2	कुल बकाया	18.33	70.90
3	प्राप्त कुल प्रतिफल	44.00	74.80

(v) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मदें	31.3.2013	31.3.2012
धारित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	665.28	574.59

एफ. व्यावसायिक अनुपात

(₹ करोड़ में)

	मदें	2012-13	2011-12
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय *	9.46	9.22
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय *	0.72	0.67
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ *	1.37	1.36
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल **	0.44	0.26
(v)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय *** (जमा + अग्रिम) (₹ लाख में)	973.04	861.56
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ व्यवसाय (₹ लाख में)	2.83	1.51

* कार्यशील निधि में वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

** कार्यशील निधियों में कुल आस्तियों का औसत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों को छोड़कर) शामिल है.

*** जमाओं (अंतर-बैंक जमाओं को छोड़कर) एवं अग्रिम के पाक्षिक औसत के आधार पर

जी. आस्ति देयता प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार विविध परिपक्वता अवधि समूह के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2012 को कुल घरेलू जमाओं, घरेलू उधार, घरेलू अग्रिमों एवं कुल निवेश का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

	एक दिन	2 दिन से 7 दिन	8 दिन से 14 दिन	15 दिन से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 12 माह तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
कुल घरेलू जमाए	744.59	7082.70	6371.54	5367.31	15096.28	20163.89	37903.94	81106.85	24617.70	26752.76	225307.56
कुल घरेलू अग्रिम	1183.40	1432.31	2201.00	1788.84	8320.83	6023.02	10977.39	85469.88	25619.02	26092.46	169108.15
कुल निवेश	5.00	470.21	166.57	95.74	2715.42	3712.57	1291.26	9390.79	8805.08	45951.15	72603.79
कुल घरेलू उधारी	0.00	5620.47	0.00	0.00	434.36	1579.13	638.48	694.84	1252.04	0.04	10219.36
विदेशी मुद्रा में आस्तियां	37.58	35.51	38.33	333.53	1224.74	933.72	17.17	80.45	47.54	79.13	2827.70
विदेशी मुद्रा में देयताएं	85.59	9.28	12.47	11.26	60.81	74.57	230.31	220.92	25.55	0.00	730.76

नोट : - * टियर II पूंजी में सम्मिलित किए गए के अलावा
उपर्युक्त आंकडे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं प्रबंधन के प्रमुख अनुमानों के आधार पर संकलित किए गए हैं तथा लेखा-परीक्षकों द्वारा इन पर विश्वास व्यक्त किया गया है.

एच.संवेदनशील क्षेत्र को उधारी

(i) स्थावर सम्पदा क्षेत्र सम्बंधी एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.3.2013	31.3.2012
ए)	**प्रत्यक्ष निवेश**		
	(i) आवासीय मार्गेज - आवासीय सम्पत्ति पर बंधक के द्वारा ऋण पूरी तरह से रक्षित है, अर्थात या तो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में है अथवा किराये पर है : (उपर्युक्त में शामिल व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने के लिए पात्र है)	7698.84	6281.61
	(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -	(6042.97) 11131.37	(5237.36) 7940.94
	(iii) मॉर्गेज आधारित प्रतिभूतियां (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश		

	आवासीय	1.35	2.29
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	0.00	0.00
बी)	अप्रत्यक्ष निवेश		
	(i) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश.	4684.08	4381.02
	(ii) अन्य	123.38	174.46
	योग	23639.02	18780.32

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	मदें	**31.3.2012**	**31.3.2011**
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई हो.	917.88	882.00
(ii)	वैयक्तिकों को शेयर/बॉण्ड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा गैर-प्रतिभूति आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं म्यूच्युअल फंड की इक्विटी उन्मुख इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम.	4.27	6.18
(iii)	किसी भी अन्य प्रयोजन हेतु अग्रिम जिनमें शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	-	-
(iv)	अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की सीमा तक रक्षित अग्रिम अर्थात जहां पर शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिट अग्रिमों को पूरी तरह रक्षित नहीं करती हैं.	527.77	1016.44
(v)	स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों एवं गौण बाजार के प्रमुख की ओर से जारी गारंटियां.	312.38	133.38
vi)	कॉर्पोरेट को शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अथवा बेजमानती आधार पर प्रवर्तकों के भावी संसाधनों की प्रत्याशा के तहत उनके इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए स्वीकृत ऋण	0.00	0.00
(vii)	इक्विटी प्रवाह/निर्गम की प्रत्याशा के समक्ष कंपनियों को पूरक वित्त.	0.00	0.00
(viii)	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंडों की यूनिटों के सम्बंध में बैंकों द्वारा लिए गए हामीदारी वायदे.	0.00	0.00
(ix)	स्टॉक-ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण	0.00	0.00
(x)	उद्यम पूंजी फंड (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) सम्बंधित सभी निवेश, इक्विटी के साथ सममूल्य पर माने जाएंगे, अत: इसका पूंजी बाजार निवेश की उच्चतम सीमा (अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ अनुपालन हेतु गणना में लिया जाएगा.	141.81	128.52
	पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	1904.11	2166.52

(iii) जोखिम श्रेणीवार देशीय निवेश:

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	दिनांक 31मार्च, 2013 को निवेश (शुद्ध)	दिनांक 31मार्च, 2013 को धारित प्रावधान	दिनांक 31 मार्च, 2012 को निवेश (शुद्ध)	दिनांक 31 मार्च, 2012 को धारित प्रावधान
अप्रयोज्य	1326.72	निरंक	962.01	निरंक
निम्न	1503.71	निरंक	518.59	निरंक
मध्यम	204.80	निरंक	130.84	निरंक
उच्च	208.13	निरंक	6.96	निरंक
अत्यधिक	391.32	निरंक	55.57	निरंक
सीमित	0.94	निरंक	0.19	निरंक
ऋणेतर	0.00	निरंक	0.00	निरंक
योग	3635.62		1674.16	

चूंकि वर्ष हेतु बैंक का निवल निधि निवेश, विदेशी विनिमय लेनदेन के सम्बंध में बैंक की कुल आस्तियों के 1% से कम है, अत:प्रावधान आवश्यक नहीं है.

(iv) ऋण जोखिम का विवरण, जहां वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक निवेश किया है तथा जिसके लिए बोर्ड का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया गया.

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उधारकर्ता का नाम	दिनांक 31.3.2013 को ऋण एक्सपोजर		दिनांक 31.03.2013 को बकाया		दिनांक 31.03.13 को निवेश	दिनांक 31.03.13 को कुल एक्सपोजर
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	निधि आधारित	गैर निधि आधारित		
1.	विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लि.	2738.00	24.50	2763.08	18.52	9.59	2797.17
2.	एचडीएफसी लि.	2000.00	0.00	502.95	0.00	133.72	2133.72
3.	डीएचएफएल	1752.09	225.00	1752.09	0.00	5.00	1982.09

(v) ऋण एवं अग्रिमों का विवरण जोकि अमूर्त आस्तियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन आदि द्वारा रक्षित है.

रु. 495.74 करोड़ के ऋण (गत वर्ष रु. 291.52 करोड़), जिनका प्रभार अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, अधिप्रमाणन इत्यादि पर है, उन्हें अरक्षित माना गया है.

अमूर्त प्रतिभूतियों का मूल्य रु. 232.74 करोड़ है.

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्ड़ो का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत रु. 28.85 लाख का दंडात्मक ब्याज लगाया है.

9. जमाएं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए के संकेन्द्रण से सबंधित प्रकटीकरण :

9.1 जमाओं का संकेन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

(ए) बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	26601.78
(बी) बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का बैंक की कुल जमा में प्रतिशत	11.77

9.2 अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	39198.49
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम का बैंक के कुल अग्रिम में प्रतिशत	22.24

9.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण

(ए) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	39622.15
(बी) बीस बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल एक्सपोजर का बैंक के कुल एक्सपोजर में प्रतिशत	16.40

9.4 एनपीए का केन्द्रीकरण

(ए) शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोजर	1434

II: क्षेत्रवार एनपीए

क्र.	क्षेत्र	इस क्षेत्र के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत
1	कृषि एवं सम्बध्द गतिविधियां	4.48
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	8.90
3	सेवाएं	9.22
4	व्यक्तिगत ऋण	4.77

III. एनपीए में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2012		31.032011	
सकल एपीए का प्रारंभिक शेष		7273		2394
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी		5125		6849
उप-योग (ए)		**12398**		**9243**
घटाएं:-				
(i) अपग्रेडेशन	1751		587	
(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	1581		754	
(iii) बटटे खाते डाली गई राशि	610		226	
(iv) यूआरआई में अंतर	0	3942	403	1970
सकल **एनपीए**		8456		7273

IV. ओवरसीज आस्तियां, एनपीए तथा आय

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
कुल आस्तियां	निरंक
कुल एनपीए	निरंक
कुल आय	निरंक

V. तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुरुप समेकित कराना जरुरी है.)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशीय	**विदेशी**
निरंक	निरंक

VI. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण

क्र.	विवरण			सं. / राशि रु. करोड़ में
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी से *			निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि			निरंक
3.	तुलनपत्र की तारीख को एम आर आर के अनुपालन में रोके गए एक्सपोजर की राशि			निरंक
	ए)	तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
	बी)	तुलनपत्र एक्सपोजर		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
4	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के एक्सपोजर की राशि			निरंक
	ए)	इतर तुलनपत्र एक्सपोजर		
		i)	स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	
			हानि	
		ii)	तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	
			हानि	
	बी)	तुलनपत्र एक्सपोजर		
		i)	स्वयं के प्रतिभूतीकरण का एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	
			हानि	
		ii)	तृतीय पक्ष प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर	
			प्रथम हानि	
			हानि	
*बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेनों से संबंधित एसपीवी की ही रिपोर्ट की जाएं.				

10 अन्य प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंकाश्युरैन्स व्यवसाय के सम्बंध में शुल्क/परिलब्धियां निम्नानुसार रहीं.

(₹ करोड़ में)

	2012-13		2011-12	
	पॉलिसियों की संख्या	**राशि**	**पॉलिसियों की संख्या**	**राशि**
जीवन	149668	15.22	127540	13.53
गैर जीवन बीमा	189956	9.02	164181	6.30
योग		**24.24**		**19.83**

11. दि इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंड ऑफ इंडिया के द्वारा जारी लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की गई है:

ए) लेखांकन मानक - 5

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एलएएफ रेपो का लेखांकन

अब तक वर्षांत लेखांकन के उद्देश्य से बैंक निवेशों के कुल मूल्य में से एल ए एफ रेपो के अंतर्गत उधारियों की शुद्ध राशि घटाने की नीति अपना रहा था. वर्तमान लेखावर्ष से प्रभावी लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण बैंक ने आरबीआई को एलएएफ रेपो के अंतर्गत देय शुद्ध राशि को आरबीआई को उधारियों के रूप में दर्शाया है. यदि पिछले वर्ष की नीति अपनाई गई होती तो ऋण एवं निवेश रु. 5500 करोड़ कम होते.

बी) लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

सी) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुन: पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को 31.03.2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, 01.04.2012 को अपरिशोधित राशि रु. 886.15 करोड़ में से बैंक ने रु. 239.98 करोड़ पेंशन के लिए एवं ग्रेच्युटी के लिए रु. 55.40 करोड़ दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर परिशोधित की है. शेष पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए भविष्य में परिशोधित की जाने वाली राशि पेंशन के लिए रु. 479.97 करोड़ एवं ग्रेच्युटी के लिए रु. 110.80 करोड़ है.

कर्मचारी लाभ :

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31मार्च, 2013 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	6537.56	891.22	5997.12	1047.34
सेवा लागत	127.74	41.25	125.72	39.70
ब्याज लागत	578.91	73.98	498.13	83.24
बीमांकिक लाभ/हानि	412.20	95.94	441.59	(63.58)
प्रदत्त लाभ	(465.85)	(124.28)	(525.00)	(215.48)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	-	-	-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
देयता अंतरण	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2013 को दायित्व	7190.56	978.11	6537.56	891.22

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2013 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	5349.39	855.53	4228.00	832.89
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	510.12	68.92	413.53	72.41
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(23.88)	15.99	29.25	(14.29)
अंशदान	1260.00	68.15	1203.61	180.00
प्रदत्त लाभ	(465.85)	(124.28)	(525.00)	(215.48)
अन्य न्यास से अंतरण	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2013 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	6629.78	884.31	5349.39	855.53

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	127.74	41.25	125.72	39.70
ब्याज लागत	578.91	73.98	498.13	83.24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(510.12)	(68.92)	(413.53)	(72.41)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	240.00	55.40	240.00	55.40
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	436.08	79.95	412.34	(49.29)
शुद्ध लागत	872.61	181.66	862.66	56.64

पूर्वधारणाएं:

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	उपदान	पेंशन	उपदान
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8.70%	8.70%	8%	8%

डी) लेखांकन मानक 17 - खंडवार रिपोर्टिंग

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए खंडवार रिपोर्ट

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	दिनांक 31.03.13 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)	दिनांक 31.03.12 को समाप्त वर्ष (लेखा परीक्षित)
ए.	खंडवार आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	5188.80	4964.07
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	5816.99	44462.63
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	12441.42	11075.77
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर आबंटित	80.77	42.33
	कुल	**23527.98**	**20544.80**
बी.	खंडवार परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	326.43	683.49
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	902.60	600.03
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	1862.77	1489.10
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	कुल	**3091.80**	**2772.62**

सी.	गैर -आबंटित आय / (व्यय)	**80.77**	**42.33**
डी.	परिचालन लाभ	**3172.57**	**2814.95**
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**1852.81**	**2168.61**
एफ.	आय कर	**304.80**	**113.30**
जी.	शुद्ध लाभ	**1014.96**	**533.04**
एच.	अन्य जानकारी		
आई.	**खंडवार आस्तियां**		
	1. ट्रेजरी परिचालन	37306.28	26859.05
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	72559.91	57872.35
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	156169.88	142737.25
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर-आबंटित आस्तियां	2093.47	2331.10
	कुल	268129.54	229799.75
जे.	खंडवार देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	37364.12	28661.19
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	68093.39	53963.94
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	146576.83	133932.80
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0	0
	5. गैर-आबंटित देयताएं	16095.20	13241.82
	कुल	**268129.54**	**229799.75**

ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं..

iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में रु. 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश सहित) की सीमा तक के सभी निवेश शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक निवेश के अधीन है.

iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

iv) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

v) सामान्य बैंकिंग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियो के लिए पूरक का कार्य करता है.

vi) लागत का आबंटन :

ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी एक विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न रखने वाले खर्चों को नियोजित फंड में विवेकपूर्ण आधार पर आबंटित किया जाता है.

ई) लेखा मानक 18 के अनुसार संबध्द पार्टी प्रकटीकरण - सम्बद्ध पार्टी

1 सम्बध्द पार्टियों की सूचीः

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पद
i)	श्री एम.वी.टांकसाले	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	सुश्री वी.आर.अय्यर (दिनांक 01/09/2010 से 05/11/2012)	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री आर.के.दुबे (दिनांक 01/09/2010 से 11/01/2013)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री मलय मुखर्जी (दिनांक 05/11/2012 से)	कार्यपालक निदेशक
v)	श्री आर.के.गोयल (दिनांक 11/01/2013 से)	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां -

i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.

ii) सेन्ट बैंक फाइनैन्शियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) असोशिएट्स-

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - -

i) सेंट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक

ii) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर

iii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

iv) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

v) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया

vi) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

vii) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार

(II) **इंडो - जाम्बिया बैंक लिमिटेड.**

2. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

(₹ लाख में)

मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2012 -13	**2011-12**
प्रदत्त पारिश्रमिक	64.55	66.50

(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन का विवरण

दिनांक 31.03.2012 एवं दिनांक 31.03.2013 को सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन की विवरणी **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं	सम्बद्ध पार्टियां	दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.ग्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था		आईबीपीसी के अंतर्गत सहभागिता			
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्राप्त ब्याज	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलिओ का क्रय	
											बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक को प्रदत्त ब्याज	बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक से प्राप्त ब्याज
1	सेन्ट्रल एम पी जी बी	31.03.13	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	18.74	630.00	21.55
		31.03.12	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	7.40	380.00	8.51
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.95	100.00	4.54
		31.03.12	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.22	80.00	2.55
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,	31.03.13	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	57.21	1400.00	65.79
		31.03.12	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	2.62	1160.00	41.92	1160.00	48.21
4	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.12	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	2.07	130.00	4.93	130.00	5.67
5	बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक	31.03.13	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	145.00	5.42	145.00	6.24
		31.03.12	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	5.42	110.00	6.24
6	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	10.49
		31.03.12	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	7.89	185.00	9.07
7	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.73	40.00	1.98
		31.03.12	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	1.23	35.00	1.42
8	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	31.03.13	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.62	200.00	6.41	200.00	7.37
		31.03.12	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल	**31.03.13**	**263.70**	**263.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**2.62**	**2515.00**	**102.58**	**2515.00**	**117.96**
		31.03.12	**237.27**	**237.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.25**	**4.69**	**2080.00**	**71.01**	**2080.00**	**81.67**

नोट : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.नं.7/9/2011-आरआरबी (महाराष्ट्र) दिनांक 28 फरवरी, 2013 के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित वैनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय अनुमोदित किया है. साथ ही, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2013 के द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित बलिया इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में विलय अनुमोदित कर दिया है.

विलय की औपचारिकताएं एवं वित्तीय लेनदेनों के लंबित प्रकरण पूरा हो जाने तक, हमारी लेखा बहियों में बैंक का वर्ष के अंत में कथित निवेश का दर्शाया जाना जारी रहेगा.

(सी) सम्बंधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं. साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

(एफ) लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय निम्नानुसार हुई है:

	31.3.2013	**31.3.2012**
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	891.31	463.92
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	746256617	644194814
प्रति शेयर मूल आय (₹)	11.94	7.20
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	11.94	7.20
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

(जी) लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं.

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013	**31.03.2012**
आस्थगित कर आस्तियां :		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	113.01	**84.36**
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	59.20	**145.28**
निवेश पर मूल्यह्रास	6.72	-
अन्य	33.99	**23.71**
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	--	**6.24**
योग (ए) :	**212.92**	**259.65**
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	**2.64**	--
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	**469.03**	**411.28**
निवेश पर मूल्यह्रास	--	**303.33**
योग (बी):	**471.67**	**714.61**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**258.75**	**455.02**

(एच) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक - 28 लागू नहीं है. प्रबंधन के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2013 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है. जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

(आई) प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों पर - लेखांकन मानक 29

i) उधार के रुप में न माने गए दावों के लिए प्रावधानों को संचरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2012 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2013 को अंतिम शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	3.90	0.51	--	4.41

ii) अतिरिक्त प्रकटीकरण
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

	31.3.2012	31.3.2011
निवेश पर प्रावधान/ह्रास	(162)	149
एनपीए हेतु प्रावधान	1358	1375
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	91	54
कर हेतु किए गए प्रावधान (गत वर्ष के अधिक प्रावधान रु. 112.38 करोड़ के रिवर्सल का नेट)	305	113
पुनर्गठित ऋणों पर प्रावधान	572	587
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	(6)	4
योग	**2158**	**2282**

iii) अस्थायी प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2013	31.3.2012
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	312.43	312.43
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	--	--
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	--	--
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	312.43	312.43

iv) प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.3.2013	31.3.2012
ए	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	141.30	141.30
बी	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	--	--
सी	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की गई राशि	--	--
डी	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	141.30	141.30

v) देयताओं हेतु प्रावधान में कमी/बढ़ोत्तरी :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.3.2013	31.3.2012
	अन्य विधिक मामले	अन्य विधिक मामले
प्रारंभिक शेष	3.90	3.83
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.51	0.07
अवधि के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-
अंतिम शेष	4.41	3.90
परिणामी आउटफ्लो का समय	लागू नहीं	लागू नहीं

12 शिकायतों का विवरण

	ग्राहकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2013	31.03.2012
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	234	514
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	5992	5793
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	6073	6073
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	153	234

	बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णय	संख्या	
		31.03.2013	31.03.2012
ए)	वर्ष की शुरुआत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	2
बी)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की संख्या	3	7
सी)	वर्ष के दौरान लागू अधिनिर्णयों की संख्या	3	9
डी)	वर्ष के अंत में लागू न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0

प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किए गए अनुसार

	निवेशकों की शिकायतें	शिकायतों की संख्या	
		31.03.2013	31.03.2012
ए)	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित	0	0
बी)	वर्ष के दौरान प्राप्त	240	238
सी)	वर्ष के दौरान निवारण	240	238
डी)	वर्ष के अंत में लम्बित	0	0

13 **दिनांक 31.03.2013 को जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र एवं बकाया का विवरण**

कुल संख्या	बकाया राशि (₹करोड़ में)
589	2497.04

उपर्युक्त उल्लेखित चुकौती आश्वासन पत्र, स्वीकृत व्यापार साख सीमा के तहत जारी किए गए हैं

14. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

पीसीआर (प्रावधान-सकल एनपीए अनुपात) 47.75% था.पिछले वर्ष 40.62% था.

15 प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार वे वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे व्यष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

16 **सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों पर दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार सीबीएस में साइबर धोखाधड़ियों की नीतियां निर्धारित की है, जिनकी प्रबंधतंत्र द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है.**

17 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत स्वीकार्यता, बेचान एवं अन्य जवाबदेही में कुछ व्यापारी निर्यातकों एवं हीरे/आभूषण उत्पादकों को प्रदत्त ऋणों से संबंधी वास्तविक नियत तारीख से पूर्व स्टैण्डबाय साख पत्र को लागू करने से उत्पन्न राशियां सम्मिलित हैं. प्रबंधतंत्र की राय है कि इस तारीख को इससे बैंक पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा.

18 पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ आवश्यक है, वर्तमान वर्ष के अनुरुप, पुनर्समूहित / पुनर्गठित किए गए हैं.

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन	सलीम गंगाधरन	गुमान सिंह	प्रो. एन. बालकृष्णन	एम.पी. शोरावाला	कृष्ण सेठी	एस.बी. रोड़े
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्ल्यू

(सीए सान्तनु घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 050927

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. घिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708 एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए यू सुरेन्द्र प्रभु)
भागीदार
सदस्यता सं. 027601

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरणी	31-03-2013	31-03-2012
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ	**1,319.76**	**646.37**
I	**समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	184.45	143.54
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	(169.28)	153.72
	गैर निष्पादन आस्तियों के मामलों में अशोध्य कर्ज / अपलिखित कर्ज	1,358.26	1,374.98
	मानक आस्तियों /निर्बाधित के लिए प्रावधान	662.63	640.91
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	1.19	(1.05)
	आयकर वापसी पर ब्याज	(0.65)	(0.41)
	अचल आस्तयिों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/हानि	582.86	522.54
	गोण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान	(80.77)	43.00
	अनुषंगियों/ अन्यों से प्राप्त लाभांग (अलग से माने गए)	(2.79)	(2.35)
	उप योग	**3,855.66**	**3,521.25**
II	**समायोजन हेतु**		
	जमा में वृद्धि/ कमी	29,864.98	16,817.31
	उधारों में वृद्धि/कमी	5,385.91	(468.38)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/कमी	14.24	1,527.49
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(26,443.88)	(19,803.33)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(13,191.24)	(4,892.50)
	अन्य आस्तियों में (न)/कमी	(437.53)	1,329.33
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	(156.86)	(108.65)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	**(4,964.38)**	**(5,598.74)**
	परिचालन गतिविधियों से नकद शुद्ध प्रवाह	**(1,108.72)**	**(2,077.49)**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	1.27	3.19
	अचल आस्तियों की खरीद	(425.95)	(227.32)
	अनुषंगियों एवं सहयोगियों से लाभांग आदि के माध्यम से प्राप्त आय	2.79	2.35
	व्यवसाय संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगियां एवं अन्य)	-	-
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(421.89)**	**(221.78)**
सी	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी /आवेदन राशि	2,406.00	1,417.01
	गौण ऋण टियर II पूंजी की प्राप्तियां /पुन: प्राप्तियां	-	500.00
	लाभांश भुगतान (पूर्व वर्ष के अंतरिम लाभांश सहित)	(275.81)	(211.86)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरणी	31-03-2013	31-03-2012
	लाभांश कर भुगतान	(44.45)	(34.37)
	जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	(6.66)	(5.18)
	गौण कर्ज पर ब्याज	(582.86)	(522.54)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**1,496.22**	**1,143.07**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि**	**(34.39)**	**(1,156.20)**
ई	**वर्ष के प्रारंभ पर नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	13,114.18	14,081.99
	बैंक में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर राशि	1,012.42	1,200.81
	वर्ष के प्रारंभ पर शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	**14,126.60**	**15,282.80**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	13,560.17	**13,114.18**
	बैंक में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर राशि	532.04	**1,012.42**
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,092.21	**14,126.60**

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन निदेशक | **सलीम गंगाधरन** निदेशक | **गुमान सिंह** निदेशक | **प्रो. एन. बालाकृष्णन** निदेशक | **एम.पी.शोरावाला** निदेशक | **कृष्ण सेठी** निदेशक | **एस.बी.रोडे** निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-100186डब्ल्यू

(सीए सान्तनु घोष)
भागीदार
सदस्यता सं. 050927

कृते मे. डी.रंगास्वामी एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-003073एस

(सीए बी. रामानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. घिया एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.001088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं.072467

कृते मे. सैमसंद एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-003708एन

(सीए आनंद परकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. कुमार चौपड़ा एंड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-000131एन

(सीए आर.के.अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं.081510

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं.-004135एस

(सीए यू. सूरेन्द्र प्रभु)
भागीदार
सदस्यता सं.027601

स्थान : मुम्बई

दिनांक : 10 मई 2013

टेबल डीएफ - 1

1. संभावित प्रयोज्य क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण:

ए. **मूल बैंक:** सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इस शीट में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एकल आधार में प्रकटीकरण है.

बी. समेकित खातों में, बैंक की अनुषंगी/सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार है:

(बी i) बैंक की अनुषंगी: बैंक की अनुषंगियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	स्वामित्व
1	सेन्ट बैंक होम फाइनेन्स लिमिटेड	59.50 %
2	सेन्ट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड	100 %

मूल बैंक की अनुषंगियों का समेकन, मूल बैंक की संबंधित मदों के समान अनुषंगियों की आस्तियों, देयताएं, आय एवं खर्चों के मदवार समामेलन में से लेखांकन नीतियों की पुष्टि करने के लिए अंत: समूह शाखाओं/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानि आवश्यक समायोजनों, अनुषंगियों से संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किया गया है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तारीख मूल बैंक के अनुसार ही अर्थात् 31 मार्च, 2013 रखी गई है. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों के समेकन में एएस-21 लेखांकन मानक अपनाए गए है.

(बी ii) सहयोगी संस्थाएं: बैंक की सहयोगी संस्थाएं निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्वामित्व
I	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**	35%
1	सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	35%
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर	35%
3	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर	35%
4	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार	35%
5	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक*	35%
6	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**	35%
7	हड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक***	0%

* बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का पूर्वांचल बैंक में दिनांक 01.04.2013 को विलय हुआ तथा हमने अपनी शेयर पूंजी तथा अतिरिक्त इक्विटी सपोर्ट वापिस मांगा है राशि अभी प्राप्त होनी है.

** विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में दिनांक 28/02/2013 से विलय हुआ है तथा हमें दिनांक 25.04.2013 को बैंक ऑफ इंडिया से रु. 6.22 करोड़ का हमारा हिस्सा प्राप्त हुआ.

*** हड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में दिनांक 01.01.2013 से विलय हुआ है तथा हमें दिनांक 15.03.2013 को बैंक ऑफ बड़ौदा से रु. 23.80 करोड़ का हमारा हिस्सा प्राप्त हुआ.

II	इंडो-जाम्बिया बैंक लि., जाम्बिया	20%

समेकित वित्तीय विवरणियों में असोशिएट्स में निवेशों के लेखाकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक एएस-23 अपनाए गए हैं.

इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड एक असोशिएट्स के वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक असोशिएट्स वित्तीय संस्थाओं की प्रकृति के है.

बैंक के सीआरएआर की गणना के लिए, अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, बैंक के निवेश को टियर I एवं टियर II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है.

बैंक के सीआरएआर की गणना एकल आधार पर की गई है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(सी) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि, जो समेकन में शामिल नहीं है अर्थात् जो घटाई गई है तथा ऐसी अनुषंगियों के नाम : निरंक

(डी) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की समग्र राशि (उदाहरणार्थ वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारिता वाले है तथा उनके नाम, निगमन अथवा निवास के उनके देश, स्वामित्व हित का समानुपात और, यदि अलग है, इस संस्थानों में मताधिकार का समानुपात है: निरंक

टेबल डीएफ - 2

1. पूंजी विन्यास

गुणात्मक प्रकटीकरण

ए) इक्विटी पूंजी

दिनांक 31 मार्च, 2013 में बैंक की अधिकृत पूंजी रु. 3000.00 करोड़ है. बैंक द्वारा जारी रु.10 मूल्य के 1044576954 शेयरों के साथ, अभिदत्त तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी रु.1044.58 करोड़ है.

दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति को उक्त में से 85.30% शेयरधारिता भारत सरकार के अधीन है, जिसमें कुल 891096964 शेयर्स हैं.

2.1 ऋण पूंजी लिखत

2.2.1 टियर I पूंजी का विवरण

टियर I पूंजी	जारी तिथि	अवधि माह में	प्रतिदेय की तिथि	राशि (रु करोड़ में)	ब्याज दर
आईपीडीआई	30.03.2009	अविरत	अविरत	583.00	सरकारी प्रतिभूति + 250 बीपीएस प्रति वर्ष, मार्च में पुनर्मूल्यांकित
पी डीआई (सीरीज़ II)	28.09.2012	अविरत	अविरत	500.00	9.40% वार्षिक
पीएनसीपीएस	26.11.2006	अविरत	अविरत	800.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	30.03.2009	अविरत	अविरत	117.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	31.03.2010	अविरत	अविरत	450.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
पीएनसीपीएस	04.06.2010	अविरत	अविरत	250.00	रेपो+100 बीपीएस प्रति वर्ष एक संगत तिथि में पुनर्मूल्यांकित
			कुल	**2700.00**	

2.2.2 अपर टियर II बॉण्ड का विवरण

सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि (रु करोड़ में)	ब्याज दर
अपर टियर II (क्र)	14.11.2008	14.11.2023	300.00	11.45% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 11.95%)
अपर टियर II (क्र-II)	17.02.2009	17.02.2024	285.00	9.40% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.90%)
अपर टियर III	23.06.2009	23.06.2024	500.00	8.80% वार्षिक (परिपक्वता तक 9.30%)
अपर टियर II (क्र-IV)	20.01.2010	20.01.2025	500.00	8.63% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.13%)
अपर टियर II (क्र-V)	11.06.2010	11.06.2025	1000.00	8.57% वार्षिक 11वें वर्ष से 50 आधार बिंदुओं तक वृद्धि (परिपक्वता तक 9.07%)
अपर टियर II (क्र-VI)	21.01.2011	21.01.2026	300.00	9.20% वार्षिक प्रतिदेय तक
		कुल	**2885.00**	

2.2.3 गौण बॉण्ड का विवरण

सीरीज़	जारी तिथि	प्रतिदेय की तिथि	राशि(रु करोड़ में)	ब्याज दर
IX	08.10.2004	08.06.2014	200.00	7.05% वार्षिक
X	28.03.2006	28.06.2015	578.20	8.15% वार्षिक
XI	04.10.2006	04.10.2016	700.00	8.95% वार्षिक
XII	03.03.2008	03.05.2017	389.10	9.20% वार्षिक
लोअर टियर II (क्र-XIII)	10.02.2009	10.04.2018	270.00	9.35% वार्षिक
XIV	21.12.2011	21.12.2026	500.00	9.33% वार्षिक
		कुल	**2637.30**	

परिमाणात्मक प्रकटीकरण	**रु. करोड़ में**
(बी) टियर 1 पूंजी	**14369.60**
निम्न के अलग प्रकटीकरण के साथ:	
▪ प्रदत्त शेयर पूंजी	1044.58
▪ आरक्षित निधियां	10762.40
▪ नवोन्मेष लिखत: आईपीडीआई -	1083.00
पीएनसीपीएस -	1617.00
▪ टियर 1 पूंजी से घटाई गई राशि	
निवेश -	135.23
अमूर्त आस्तियां -	2.15
(सी) टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी से कटौती का शुद्ध):	6051.46
(डी) अपर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखत	
▪ कुल बकाया राशि-	2885.00
▪ इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	निरंक
▪ पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -	2885.00

(ई) लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल करने के लिए गौण ऋण	
▪ कुल बकाया राशि -	2637.30
▪ इसमें से वर्तमान वर्ष के दौरान उगाही गई राशि -	0.0
▪ पूंजी कोष के रूप में परिकलित की जाने वाली पात्र राशि -	1718.56
(एफ) पूंजी से अन्य कटौतियां -	135.23
(जी) कुल पात्र पूंजी	20421.06

टेबल डीएफ - 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

(ए) वर्तमान तथा भावी गतिविधियों को संचालित करने के लिए बैंक की पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण हेतु बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा का सारांश:

पूंजी जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए बैंक नियमित रूप से समय-समय पर पूंजी की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है. व्यवसाय वृद्धि तथा सीआरएआर को ध्यान में रख कर पूंजी आयोजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है.

बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है.

बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया है जो बैंक को उसके व्यवसाय प्रक्षेपण के संबंध में आने वाली पूंजी आवश्यकताओं की योजना के लिए तथा व्यवसाय में निहित जोखिमों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है. आईसीएएपी प्रयास का प्रमुख उद्देश्य है उन जोखिमों की पहचान तथा निर्धारण करना जो पिलर I में विनिर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी अनुपात के अंतर्गत पूरी तरह से पकड़ में न आएं, ऐसे जोखिम जो पिलर I के तहत बिल्कुल ध्यान में न ली गई तथा जो बैंक के बाहरी घटक हो तथा इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिमों के लिए पूंजी का प्रावधान करना तथा बैंक के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में आंतरिक पूंजी के उपयुक्त स्तर को मापना. बैंक ने पिलर II के अंतर्गत अपने सीआरएआर पर प्रतिकूल दबाव के प्रभाव को मापने के लिए स्ट्रैस परीक्षण नीति लागू की है.

बैंक आईसीएएपी की समीक्षा तिमाही आधार पर कर रहा है.

	रु.करोड़ में
<u>परिमाणात्मक प्रकटीकरण</u>	
(बी) 9% ऋण जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो :	
▪ निधि आधारित	13052.24
▪ गैर-निधि आधारित	803.20
▪ प्रतिभूति एक्सपोजर	निरंक
(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
▪ मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण:	
- ब्याज दर जोखिम -	770.40
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) -	4.05
- इक्विटी जोखिम -	500.21
(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी-आवश्यकताएं:	
▪ मूल संकेतक दृष्टिकोण -	859.13
(ई) कुल पूंजी अनुपात -	11.49%
टियर 1 पूंजी अनुपात	8.09%

सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता

निदेशक मंडल की एक समिति बैंक के विविध जोखिम के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन नीतियों/कार्यप्रणाली का नियमित रूप से अवलोकन करती है जैसे ऋण, परिचालन, बाजार आदि, बैंक ने प्रत्येक जोखिम के समझौते के लिए शीर्ष प्रबंधतंत्र की जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक समिति निदेशक को टीम में शामिल करते हुए अलग समिति का गठन किया है, जैसे आस्तियां देयता प्रबंधन समिति, ऋणनीति समिति, परिचालन जोखिम समिति. इन समितियों द्वारा विभिन्न बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत जोखिम स्तर का निर्धारण तथा मॉनिटरिंग करने हेतु पूरे वर्ष नियमित बैठकें की जाती हैं तथा जहां आवश्यक हो, वहां जोखिम कम करने हेतु उचित उपाय किए जाते हैं.

केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर जोखिम प्रबंधन विभाग के शीर्षस्थ महाप्रबंधक हैं, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड नियंत्रण तथा जोखिम की सीमा के अंदर प्रबंध कराते है तथा विविध समितियों द्वारा निर्धारित जोखिम पैरामीटर के साथ अनुपालन कराते है. महाप्रबंधक को सहायक महाप्रबंधक, मुख्य प्रबंधक तथा वरिष्ठ प्रबंधकों की टीम के साथ उप महाप्रबंधक द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है.

आंचलिक कार्यालय स्तर पर ये अभिनिर्धारित जोखिम प्रबंधक, केन्द्रीय कार्यालय के जोखिम प्रबंधन विभाग की विस्तारित भुजाओं के रूप में कार्य करेंगे.

बैंक में विविध नीतियां है जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियां, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति, स्ट्रैस टेस्ट नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, एएलएम नीति तथा बाजार जोखिम नीति.

इसके अलावा, ऋण नीति शासी ऋण कार्य-पद्धति के बृहद मापदंड, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मूल्यमापन, प्रत्यायोजित प्राधिकारी के ऋण अधिकारों, प्रकटीकरण मानदंड, विवेकपूर्ण सीमाएं तथा ऋण पोर्टफोलियो दस्तावेजीकरण की निगरानी एवं नियंत्रण पर दिशानिर्देश भी सुव्यवस्थित है.

ऋण मॉनिटरिंग विभाग के प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक हैं, जो ऋण प्रस्तावों की गुणवत्ता, विशेष उल्लिखित खातों की पहचान एवं उनके सुधारक उपाय, विभिन्न क्षेत्रों के लिए मॉनिटर एक्सपोजर मानदण्ड तथा विवेकसम्मत मानदण्ड, ऋण सीमाओं की समीक्षा तथा नवीकरण की मॉनिटरिंग इत्यादि करते हैं.

टेबल डीएफ - 4

ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम

अति देय तथा अनर्जक की परिभाषाएं

अनर्जक आस्तियां वह है जहां ऋण या अग्रिम-

(i) मियादी ऋण के संबंध में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए ब्याज और/या मूलधन की किस्त बकाया रहे;

(ii) 90 दिनों के लिए खाता अनियमित रहे,

(iii) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(iv) कृषि के उद्देश्य से स्वीकृत अग्रिम के मामले में

ए) अल्पावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहती हो,

बी) दीर्घावधि फसल के मामले में मूलधन की किस्त या ब्याज एक फसल मौसल तक अतिदेय रहती हो,

(v) नवीनीकरण के लिए खाता 180 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहता हो,

(vi) स्टॉक विवरणी की प्रस्तुति 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो.

अनियमित:

कोई खाता तब ''अनियमित'' दर्शाया जाता है, जब बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक हो, उन मामलों में भी जहाँ मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा, आहरण शक्ति से कम हो, परंतु तुलन-पत्र की तिथि को लगातार 90 दिनों तक कोई जमा नहीं हो या इस अवधि में नामे ब्याज को कवर करने योग्य पर्याप्त जमा न हो.

अतिदेय:

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय कहलाएगी, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि को अदा नहीं की जाती है.

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुस्पष्ट ऋण जोखिम नीति को अपनाया है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करती है:

- ऋण जोखिम - निर्धारण, नीति एवं कार्यनीति
- जोखिम पहचान तथा मापन,
- जोखिम श्रेणीकरण तथा समेकीकरण,
- ऋण जोखिम रेटिंग, रूपरेखा तथा रिपोर्टिंग
- जोखिम नियंत्रण तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- न्यूनीकरण तकनीक,
- समस्यामूलक खातों का प्रबंधन,
- लक्ष्य बाजार तथा आर्थिक गतिविधियों के प्रकार,
- ऋण अनुमोदन प्राधिकारी,
- किसी देश में किसी बैंक का ऋण एवं मुद्रा,
- परिपक्वता का स्वरूप, विविधीकरण का स्तर,
- अर्थव्यवस्था का चक्रीय पहलू,
- ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर में ऋण जोखिम,
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रियाएं
- अंतर बैंक एक्सपोजर में ऋण जोखिम प्रबंधन,
- किसी देश में किसी बैंक के ऋण तथा परिचालन सम्बंधी मामले.

(रु. करोड़ में)

परिमाणात्मक प्रकटीकरण:		
(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर:		
निधि आधारित:		251601.46
गैर-निधि आधारित:		60584.51
(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण:		
▪ विदेशी		56.87
▪ घरेलू		312185.50
(सी) उद्योग का नाम	**एक्सपोजर**	
	निधि	**गैर-निधि**
ए. खनन एवं उत्खनन (ए.1 + ए.2)	**210.35**	**410.57**
ए.1 कोयला	101.92	285.00
ए.2 अन्य	108.43	125.57
बी. खाद्य प्रसंस्करण	**5768.78**	**1298.19**
बी.1 चीनी	2274.30	215.33
बी.2 वनस्पति तेल एवं वनस्पति	1363.21	156.76
बी.3 चाय	279.00	0.40
बी.4 कॉफी	0.00	0.00
बी.5 अन्य	1852.27	925.70

(रु. करोड़ में)

(सी) उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि	गैर-निधि
सी. पेय (चाय एवं कॉफी के अतिरिक्त) एवं तम्बाकू	**8.11**	**0.00**
जिसमें से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	1.20	0.00
डी. टेक्सटाईल (ए से एफ तक)	**5711.61**	**674.33**
ए. सूती	1871.51	150.22
बी. जूट	104.09	11.70
सी. हस्तशिल्प/खादी (गैर-प्राथमिकता)	25.76	0.00
डी. सिल्क	128.93	166.83
ई. ऊनी कपड़ा	10.52	0.00
एफ. अन्य	3570.80	345.58
डी. में से (अर्थात, कुल कपड़ा) कताई मिल को	20.00	0.00
ई. चमड़ा एवं चमड़े के उत्पाद	**88.98**	**6.25**
एफ. लकड़ी एवं लकड़ी के उत्पाद	**122.54**	**1.10**
जी. कागज एवं कागज के उत्पाद	**479.60**	**85.14**
एच. पेट्रोलियम (गैर-इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) एवं न्यूक्लिर इंधन	**2321.03**	**51.89**
आई. रसायन एवं रसायन उत्पाद (डाई, पेंट इत्यादि)	**2900.41**	**719.00**
आई.1 उर्वरक	721.45	44.28
आई.2 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकल्स	2019.59	499.68
आई.3 पेट्रो कैमीकल्स (बुनियादी संरचना के अंतर्गत को छोडकर)	61.68	138.00
आई.4 अन्य	97.69	37.04
जे. रबर प्लास्टिक एवं उसके उत्पाद	**345.89**	**49.70**
के. कांच एवं कांच के सामान	**33.57**	**0.00**
एल. सीमेंट एवं सीमेंट के उत्पाद	**1504.87**	**114.64**
एम. मूल धातु एवं धातु के उत्पाद (एम.1 + एम.2)	**9348.67**	**1412.38**
एम.1 लोहा एवं स्टील	7944.14	1379.07
एम.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	1404.53	33.31
एन. सभी अभियान्त्रिकी (एन.1 + एन.2)	**7126.77**	**4780.12**
एन.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	577.90	94.64
एन.1 अन्य	6548.87	4685.49
ओ. वाहन, वाहक पार्ट एवं परिवहन उपस्कर	**1010.66**	**1246.23**
पी. रत्न एवं आभूषण परिवहन उपस्कर	**1574.13**	**875.93**
क्यू. निर्माण	**4293.35**	**1350.25**

(रु. करोड़ में)

(सी) उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि	गैर-निधि
आर. बुनियादी संरचना (ए से डी तक)	**52488.10**	**4819.73**
ए. परिवहन (ए.1 से ए.5 तक)	**13731.70**	**1462.03**
ए.1 रेलवे	375.00	50.00
ए.2 रोड़वेज	9685.82	1256.77
ए.3 विमानन	1472.85	35.12
ए.4 जलमार्ग	2188.03	120.11
ए.5 अन्य	10.00	0.03
बी. ऊर्जा(बी1 से बी6 तक)	**30798.14**	**2312.00**
बी.1 विद्युत (उत्पाद)	**15541.55**	**2010.51**
बी.1.1 केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	261.92	0.00
बी.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	2082.01	57.75
बी.1.3 निजी क्षेत्र	13197.62	1952.76
बी.1 विद्युत (प्रसारण)	**655.92**	**31.49**
बी.2.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
बी.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	304.78	6.46
बी.2.3 निजी क्षेत्र	351.14	25.03
बी.1 विद्युत (वितरण)	**14066.35**	**270.00**
बी.3.1 केन्द्र सरकार के उपक्रम	500.00	0.00
बी.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (एसईबी सहित)	12022.40	0.00
बी.3.3 निजी क्षेत्र	1543.95	270.00
बी.4 तेल (भंडारण एवं पाइप लाईन)	74.26	0.00
बी.5 गैस/एलएनजी (भंडारण एवं पाइप लाईन)	215.09	0.00
बी.6 अन्य	244.97	0.00
सी. दूरसंचार	3133.76	979.89
डी. अन्य	4824.50	65.81
जिसमें से पानी स्वच्छता	0.00	0.00
जिसमें से सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी संरचना	980.89	0.00
एस. अन्य उद्योग	14087.86	1405.65
सभी उद्योग (ए से एस तक)	**109425.27**	**19301.10**
अवशिष्ट अन्य अग्रिम (कुल अग्रिम से मिलान के लिए)	**89798.56**	**3416.40**
कुल ऋण एवं अग्रिम	**199223.83**	**22717.50**

	(रु. करोड़ में)
(डी) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता संबंधी विश्लेषण:	
1 दिन :	1225.98
02 दिनों से 07 दिनों तक:	1938.03
08 दिनों से 14 दिनों तक:	2405.90
15 दिनों से 28 दिनों तक:	2218.11
29 दिनों से 3 माहों तक:	12260.99
3 माहों से अधिक, परंतु 6 माहों तक:	10669.31
6 माहों से अधिक, परंतु 12 माहों तक:	12285.82
12 माहों से अधिक, परंतु 36 माहों तक:	94941.12
36 माहों से अधिक, परंतु 60 माहों तक:	34471.64
60 माहों से अधिक	72122.74
(ई) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) -	**8456**
▪ अवमानक	3893
▪ संदिग्ध	4480
▪ हानि	83
(एफ) निवल अनर्जक आस्तियां	**4988**
(जी) अनर्जक आस्तियों का अनुपात	
▪ सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां	**4.80%**
▪ निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां	**2.90%**
(एच) अनर्जक आस्तियों (सकल) में संचलन	
▪ प्रारम्भिक शेष	7273
▪ परिवर्धन	5125
▪ कमियां	3942
▪ अनर्जक आस्तियां (सकल)	8456
(आई) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों (शुद्ध) में परिवर्तन	
▪ प्रारम्भिक शेष	2220
▪ अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	1449
▪ अधिक प्रावधान को वापस लेना/बट्टे खाते डालना	738
▪ अंतिम शेष	2931
(जे) अनर्जक निवेश की राशि	**96.29**
(के) अर्नक निवेश के लिए धारित प्रावधान की राशि	**14.82**
(एल) निवेश पर प्रावधान/मूल्यह्रास में परिवर्तन:	
▪ प्रारम्भिक शेष	334
▪ इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	128
▪ अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना /वापस लेना	404
▪ अंतिम शेष	58

टेबल डीएफ - 5

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऋण जोखिम के लिये पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है, ये दिशानिर्देश विभिन्न आस्ति वर्गीकरण के लिये अलग-अलग जोखिम भारिता प्रदान करते हैं, जिन्हें विधिवत रूप से लागू किया गया है.

(बी) बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिचिन्हित चार बाह्य ऋण रेटिंग एजेन्सियों यथा, क्रिसिल लि. केयर, इक्रा लि. तथा फिच रेटिंग (आई) लि. के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, जो बासल **II** मानदंडों के तहत अपने ग्राहकों के एक्सपोजर का निर्धारण करते हैं..

(सी) ये एजेन्सियां सभी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर की रेटिंग करती हैं, इन एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों को प्रदत्त रेटिंग, जोखिम भारिता निर्धारित करने के लिये स्वीकार की जाती हैं..

(डी) कॉर्पोरेट के किसी विशिष्ट निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में, रेटिंग एजेंसी की विशिष्ट निर्गम रेटिंग की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्थिति पैमाने के अनुसार की जायेगी.

	रु. करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात एक्सपोजर राशि के लिये, बैंक की बकाया (श्रेणीकृत तथा अश्रेणीकृत) राशि तथा वे, जिनमें कटौती की जाती है, निम्न तीन जोखिम श्रेणियों में निम्नवत है:	
▪ 100 % जोखिम भारिता से कम:	185744
▪ 100 % जोखिम भारिता:	92240
▪ 100 % जोखिम भारिता से अधिक:	30493
▪ घटाई गई राशि - सीआरएम	13183

टेबल डीएफ - 6

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिये नीतियां एवं प्रक्रियायें;**
  बैंक के पास सुपरिभाषित ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, नकदी तथा नकदीतुल्य प्रतिभूतियां, भूमि एवं भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक हैं.
- **बैंक द्वारा ली जाने वाली प्रमुख संपार्श्विक का विवरण;**
  बैंक द्वारा, व्यक्तिगत गारंटियां, कॉर्पोरेट गारंटियां तथा शासन एवं बैंकों द्वारा जारी गारंटियां स्वीकार की जाती हैं. नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन नियमित अंतराल में उचित बाजार मूल्य पर किया जाता है.
  भारतीय रिज़र्व बैंक के नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा पर दिशानिर्देश, ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार वित्तीय संपार्श्विक का अभिनिर्धारण करते हैं, साथ ही, ये दिशानिर्देश गारंटी को एक ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं इस प्रकार के तत्वों का पता लगाने के लिये बैंक ने उचित नीतिगत उपाय किये हैं.

	रु. करोड़ में
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	
(बी) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पोर्टफोलिया के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिये, कुल एक्सपोजर कवर किया गया है:	
▪ हेयरकट्स अनुप्रयोग के बाद; पात्र वित्तीय संपार्श्विक-	
निधि आधारित	9860
गैर-निधि आधारित	2112

टेबल डीएफ - 7

प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिये प्रकटीकरण

रु. करोड़ में

गुणात्मक प्रकटीकरण:	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण:	निरंक
बैंकिंग बही	
(डी) बैंक द्वारा प्रतिभूतित एक्सपोजर की कुल राशि.	निरंक
(ई) एक्सपोजर प्रकृति द्वारा विखंडित वर्तमान अवधि, (अर्थात् क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण इत्यादित अंतर्निहित प्रतिभूति) में चिन्हित एक्सपोजर प्रतिभूतित हानियां	निरंक
(एफ) एक वर्ष के भीतर आस्तियों की राशि को प्रतिभूतित किए जाने की मंशा.	निरंक
(जी) उपर्युक्त (एफ), में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के भीतर सृजित की गई आस्तियों की राशि	निरंक
(एच) प्रतिभूतित एक्सपोजर (एक्सपोजर के प्रकार द्वारा) की कुल राशि तथा एक्सपोजर प्रकार द्वारा बिक्री पर गैर अभिचिन्हित लाभ या हानियां	निरंक
(आई) निम्न की समेकित राशि :	
- रोके गए अथवा एक्सपोजर द्वारा खंडित स्वरूप में क्रय किए गए, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजन टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(जे) रोकी गई अथवा क्रय की गई तथा सहायक पूंजी प्रभारों के बीच विभाजित किया गया और प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भारिता समूहों में विभाजित, ऐसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की समेकित राशि.	निरंक
ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया है, कुल पूंजी से वृध्दिगत ऋण आई/ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों को घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
ट्रेडिंग बही :	
(के) बैंक द्वारा प्रतिभूतित समेकित एक्सपोजर राशि, जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर रोके रखे हैं एवं जो एक्सपोजन टाइप द्वारा बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं,	निरंक
(एल) निम्न की समग्र राशि :	
- रोके गए अथवा एक्सपोजर द्वारा खंडित स्वरूप में क्रय किए प्रकार के, तुलन पत्र प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, एवं	निरंक
- एक्सपोजर टाइप द्वारा विखंडित तुलन पत्र इतर प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एम) निम्न के लिए पृथक से रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की कुल राशि :	
- विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन रोके अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर तथा :	निरंक
- विभिन्न जोखिमों के विभिन्न भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	निरंक
(एन) निम्न की समग्र राशि :	
- विभिन्न जोखिम भारित समूहों में विखंडित प्रतिभूतिकरण ढांचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए अपेक्षित पूंजी	निरंक
- ऐसे एक्सपोजर, जिन्हें टियर I पूंजी से पूर्णत: घटाया गया हैं, कुल पूंजी से वृध्दि गत ऋण आई /ओ को घटाया गया तथा कुल पूंजी के अन्य एक्सपोजरों से घटाया गया (एक्सपोजर प्रकार द्वारा)	निरंक

टेबल डीएफ - 8

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक के पास सुस्पष्ट निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है. जो बाजार जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है.

बैंक, बाजार जोखिम को व्यापार-प्रक्रिया में गतिविधियों विशेष रूप से, ब्याज दरों में परिवर्तन, विनिमय दरों तथा इक्विटी एवं पण्य मूल्यों में परिवर्तन से तुलन पत्र तथा तुलनपत्र बाह्य स्थितियों में हानि होने की जोखिम के रूप में परिभाषित करता है.

बाजार जोखिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी की आवश्यकता के मापन हेतु बैंक ने मानक अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां:

बैंक ने बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है., जो बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोगी है, आस्ति-देयता प्रबंधन नीति एवं विदेशी विनिमय परिचालन नीति, ऐसी अन्य नीतियां है जो बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित है.

नीतियों में विभिन्न विवेकसम्मत एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समुचित बाजार जोखिम प्रबंधन एवं आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम के समक्ष बैंक को अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने के लिए परिचालन यथास्थिति में है.

आस्ति-देयताएं प्रबंधन :

एएलएम नीति, एएलएम प्रक्रिया की एक रूपरेखा है. बैंक के तुलनपत्र में वित्तीय जोखिम के विभिन्न स्तरों के एक्सपोजर का मिश्रण है. बैंक का लक्ष्य अपनी लाभप्रदता को अधिकतम करना है, परन्तु इसे इस तरीके से किया गया, जिससे बैंक को जोखिम के उन अत्यधिक स्तरों का सामना न करना पड़े, जो अन्ततोगतवा लाभप्रदता पर प्रभाव डालते हैं. यह नीति, जोखिम सीमा के प्रमुख उपायों के लिए, उन सीमाओं को परिभाषित करती है, जो विशेष रूप से बैंक की एकमेव शेषराशि, नीतिगत दिशा तथा जोखिम प्रवत्ति के समायोजन के लिए बनाई गई है.

तरलता जोखिम:

तरलता जोखिम का प्रबंध आस्तियों तथा देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता /स्थिति पर आधारित अंतर विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है. बैंक के पास अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि व्यवस्था योजना प्रणाली मौजूद है. बैंक की कुशल आस्ति देयता प्रबंधन तरलता प्रोफाइल हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता निर्धारण अवधि के लिए विवेकसम्मत सीमाएं निर्धारित की गई है. इन्हें विभिन्न तरलता अनुपातों के माध्यम से भी बैंक की तरलता प्रोफाइल की जांच की जाती है.

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम का प्रबंध दर-संवेदी आस्तियों एवं देयताओं के अंतर विश्लेषण से किया जाता है एवं विवेकसम्मत सीमाओं के द्वारा इनकी निगरानी की जाती है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव के मूल्यांकन हेतु ब्याज दर में विपरित परिवर्तन के सापेक्ष भी बैंक जोखिम का आवधिक प्राक्कलन करता है

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम हेतु पूंजी की आवश्यकता	**पूंजी प्रभार**
ब्याज दर का जोखिम	रु. 770.40 करोड़
इक्विटी का स्थिति- जोखिम	रु. 500.21 करोड़
विदेशी मुद्रा का जोखिम	रु. 4.05 करोड़
कुल	**रु. 1274.66 करोड़**

टेबल डीएफ - 9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम, हानियों से संबंधित जोखिम है, जो बाहरी घटनाओं से अथवा आंतरिक प्रक्रिया, व्यक्तियों तथा प्रणालियों की विफलता अथवा अपर्याप्तता से प्रकट होती है. परिचालन जोखिम में विधि जोखिम शामिल होता है, परंतु इसमें नीतिगत एवं प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं होते. बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए सुस्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. बैंक ने परिचालन जोखिम के तहत समुन्नत दशा में पहुंचने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने हेतु अनुकूल सकारात्मक कदम उठाए हैं तथा हानि आंकड़ा प्रबंधन, जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) एवं परिस्थियों के विश्लेषण के माध्यम से परिचालन जोखिम हानि की घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है. बैंक बाह्य हानि डाटा आधार के लिए हानि डाटा कंसोर्टियम "**कोरडेक्स**" का सदस्य भी है.

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए पहले से ही आरबीआई से संपर्क साधा हुआ है और एडवांस मेजरमेंट एप्रोच अपनाने के लिए सीधे प्रयासरत है.

बैंक ने मूल संकेतक संकल्पना के अनुसार परिचालन जोखिम हेतु पूंजी उपलब्ध कराई है. तदनुसार, दिनांक 31.03.2013 को परिचालन जोखिम के लिए रु. 859.13 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता है.

टेबल डीएफ - 10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का मापन एवं निगरानी करने की दो पद्धतियां हैः

1. जोखिम पर आय (परम्परागत अंतर विश्लेषण) इस पद्धति के अंतर्गत शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और यील्ड कर्व पद्धति से इसकी गणना की जाती है. इस पद्धति के अंतर्गत 1% का समानान्तर अंतरण, आस्तिओं एवं देयताओं दोनों में ही मान लिया जाता है.
2. इक्विटी का आर्थिक मूल्यः
   इक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि का अलग से परिकलन किया जाता है. इक्विटी के आर्थिक मूल्य की गणना के लिए यील्ड कर्व में 200 बेसिस पाइंट का समानान्तर अंतरण मान लिया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

परिवर्तन के पैरामीटर	रु. **करोड़ में**
1. समग्र आस्ति एवं देयता की ब्याज दर में 100 बीपीएस की वृद्धि पर आय पर प्रभाव	113.23
▪ इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बीपीएस का परिवर्तन	-3792.08

यू. मोहपात्रा
महाप्रबंधक - आरएमडी

(मोहन वी.टांकसाले)	**(मलय मुखर्जी)**	**(आर.के.गोयल)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

दिनांक : 30.05.2013

This page has been left blank intentionally

मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं. सनदी लेखाकार # एफ-7, लक्ष्मी मिल्स , शक्ति मिल्स लेन (डॉ.ई.मोसेस रोड के अंत में) महालक्ष्मी , मुंबई - 400011	मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं. सनदी लेखाकार आर.सी.टॉवर्स, छ मंजिल, न्यू 82, ओल्ड नं.27 , जोजियर स्ट्रीट नंगमबक्कम , चेन्नै- 600 034	मे. घिया एण्ड कं. सनदी लेखाकार ई-68, घिया हॉस्पिटल कॉम्पलैक्स सेक्टर 12, मालवीय नगर जयपुर - 302017
मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स सनदी लेखाकार 4800/24, भारत राम रोड दरियागंज , नई दिल्ली - 110002	मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स बी-12, भूतल कालिंदी कॉलोनी नई दिल्ली - 110065	मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं. 11-5-23, कार्तिक कॉम्पलैक्स विजया बैंक ब्रेस्थवरपेट के ऊपर रायचूर - 584101

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

का निदेशक मंडल :

1. हमने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("द बैंक"), इसकी अनुषंगियों और असोशिएट्स (सामूहिक रूप से इन्हें समूह के रूप में संबोधित किया गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2013 का समेकित तुलन-पत्र तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ हानि खाता एवं समेकित नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखांकन नीतियां एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, का लेखा परीक्षण किया है, जिनमें निम्नलिखित समाहित हैं :

   (i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ("द बैंक") के लेखापरीक्षित लेखे.

   (ii) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा इसकी 2 अनुषंगियों, 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 1 अन्य असोशिएट के लेखापरीक्षित लेखे.

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधतंत्र का दायित्व

2. प्रबंधतंत्र इन समेकित वित्तीय विवरणियों, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्रण करती है, तथा जो भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुसरण में तैयार की गई हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की संरचना, क्रियान्वयन एवं रखरखाव सन्निहित है तथा जो एक सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा जो किसी भी प्रकार के कपट अथवा त्रुटिवश महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त हैं.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3.1 हमारा दायित्व हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारा अभिमत व्यक्त करना है. हमने हमारी लेखा परीक्षा "इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया" द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की है. ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम आवश्यक नैतिकता का अनुपालन करते हुए लेखा परीक्षा को इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि इन समेकित वित्तीय विवरणियों के सही एवं किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अपकथन से मुक्त होने का समुचित आश्वासन विदित हो सके.

3.2 एक लेखा परीक्षा में वे प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, जिनसे समेकित वित्तीय विवरणियों में दी गई राशियां एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षित साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें. इन प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण अपकथन, चाहे त्रुटिवश अथवा कपटतापूर्ण हों, से होने वाली जोखिम का आकलन भी शामिल होता है. इन जोखिमों के आकलनों में लेखा परीक्षा की समेकित वित्तीय विवरणियों के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में बैंक के उन संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार किया जाता है, जोकि प्रदत्त परिस्थितियों में इस प्रकार की उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यमान हैं, जो सही एवं निष्पक्ष चित्रण कर सकें. एक लेखा परीक्षा में, अपनाई गई नीतियों की उपयुक्तता का आकलन एवं प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ, समेकित वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है.

3.3 हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के पर्याप्त एवं उपयुक्त होने के लिए आधार उपलब्ध कराता है.

अभिमत

4. हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा अनुषंगियों व असोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की नीचे दी गई रिपोर्टों के अवलोकन के आधार पर ये समेकित विवरणियां भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन

नीतियों के अनुरूप एक सही व निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करती हैं :

(i) समूह के क्रियाकलापों की दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के समेकित तुलन-पत्र पर,

(ii) समेकित लाभ हानि खाता, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए प्रदर्शित लाभ एवं

(iii) समेकित नकद प्रवाह विवरणी के मामले में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह

विषय का महत्व

5.1 हम समेकित वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 के नोट सं.5.3.1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बैंक की पेंशन देयता एवं ग्रेच्युटी देयता के आस्थगन के संबंध में "सार्वजनिक क्षेत्रके बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुन: खुलना तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वद्धि विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार" पर कर्मचारी लाभ संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या डीबीओडी.बीपी. बीसी./80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से लेखांकन मानक (एएस) 15 "कर्मचारियों के लाभार्थ" के प्रावधानों को लागू करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त छूट के अनुसरण में हैं. तदनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को अपरिशोधित राशि रु.886.15 करोड़ में से बैंक ने रु.239.98 करोड़ पेंशन के लिए तथा रु.55.40 करोड़ ग्रेच्युटी के लिए परिशोधित किए हैं, जो 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आनुपातिक राशि है तथा पेंशन के लिए शेष रु.479.97 करोड़ तथा ग्रेच्युटी के लिए शेष रु.110.80 करोड़ को आगामी वर्षों में परिशोधित किया जाएगा. इसके परिणामस्वरूप बैंक ने पेंशन एवं ग्रेच्युटी की अपरिशोधित राशि को बट्टे डाले बिना लाभांश प्रस्तावित किया है.

5.2 समेकित वित्तीय विवरणी, जिसमें एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात सेंन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (सीएमपीजीबी, एक असोशिएट) के लाभ की हिस्सेदारी रु.0.28 करोड़ शामिल है, पर केन्द्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक ने अपनी राय को सीमित किए बिना, कुछ अग्रिमों पर अपर्याप्त प्रावधान, दो क्षेत्रों के व्ययों का प्रावधान न करने, आयकर/आस्थगित कर का अपर्याप्त प्रावधान एवं कंप्यूटरों पर अधिमूल्यह्रास के कारण सीएफपीजीबी की वित्तीय विवरणी पर हुए शुद्ध प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है.

समेकित विवरणियों पर इन सामंजस्यों का शुद्ध प्रभाव महत्वपूर्ण न होने के कारण इस मामले में हमारी राय सीमित नहीं है.

6. **अन्य मामले**

हमने अग्रलिखित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा नहीं की है (i) दो अनुषंगियां, जिनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2013 को कुल आस्तियां रु.466.35 करोड़ तथा कुल राजस्व रु.60.17 करोड़ तथा शुद्ध नकद प्रवाह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु.11.60 करोड़ दर्शाया गया है; तथा (ii) असोशिएट्स (5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं 1 अन्य असोशिएट), जिनका उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ रु.132.02 करोड़ (बैंक की हिस्सेदारी रु.41.34 करोड़) दर्शाया गया है. ये वित्तीय विवरणियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं तथा जिनकी रिपोर्टें हमें प्रबंधतंत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई है, तथा हमारी राय उन अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर पूर्णत: आधारित है. इस मामले में हमारी रिपोर्ट सीमित नहीं है.

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.	**कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.**	**कृते मे. घिया एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186 डब्ल्यू	एफ.आर.नं. -003073एस	एफ.आर.नं. -001088 सी
(सीए सतीश केलकर)	**(सीए बी.रमानी)**	**(सीए संजय घिया)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 038934	सदस्यता सं. 019603	सदस्यता सं. 072467
कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स	**कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स**	**कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708एन	एफ.आर.नं. 000131एन	एफ.आर.नं. -004135एस
(सीए आनंद प्रकाश)	**(सीए आर.के. अग्रवाल)**	**(सीए वेंकटेशकृष्ण)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 082735	सदस्यता सं. 081510	सदस्यता सं. 023488

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2013

31 मार्च 2013 को समेकित तुलन पत्र

(000 छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च 2013 को ₹	31 मार्च 2012 को ₹
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	26,615,769	23,531,154
आरक्षित एवं अधिशेष	2	128,768,583	103,092,369
अल्पसंख्यक ब्याज	2ए	271,405	244,766
जमा राशियां	3	2,262,190,697	1,962,353,203
उधारियां	4	183,952,887	129,185,961
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	85,017,751	83,355,336
कुल		**2,686,817,092**	**2,301,762,789**
आस्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष	6	135,601,691	131,142,476
बैंकों में शेष एवं अल्प सूचना तथा मांग पर जमा	7	5,323,134	10,124,236
निवेश	8	727,513,600	593,876,959
ऋण एवं अग्रिम	9	1,723,219,420	1,477,180,831
सावधि आस्तियां	10	26,858,796	24,747,203
अन्य आस्तियां	11	68,242,443	64,633,076
समेकन पर गुडविल		58,008	58,008
कुल		**2,686,817,092**	**2,301,762,789**
आकस्मिक देयताएं	12	595,346,678	594,126,254
संग्रहण के लिए बिल		60,955,707	56,771,907
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
लेखों पर टिप्पणियां	18		

संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का आवश्यक भाग है.

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन निदेशक | **गुमान सिंह** निदेशक | **प्रो. एन. बालकृष्णन** निदेशक | **एम.पी. शोरावाला** निदेशक | **कृष्ण सेठी** निदेशक | **एस.बी. रोड़े** निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्ल्यू

(सीए सतीश केलकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 038934

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708 एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. घिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए एस वेंकटेशकृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2013

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष समेकित लाभ हानि

(000 छोड़कर)

विवरण	अनुसूची संख्या	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 ₹	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज एवं लाभांश	13	218,967,604	191,689,278
अन्य आय	14	16,766,667	14,093,724
कुल		**235,734,271**	**205,783,002**
II. व्यय			
प्रदत्त ब्याज	15	161,409,047	139,860,499
परिचालन व्यय	16	42,399,793	37,557,007
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		21,624,267	22,901,447
कुल		**225,433,107**	200,318,953
III. लाभ/हानि			
अल्पसंख्यक ब्याज के पूर्व मूल एवं अनुषंगियों का वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ		**10,301,164**	**5,464,049**
घटायें : अल्पसंख्यक ब्याज		(40,759)	(23,143)
अल्पसंख्यक ब्याज को घटाने के पश्चात वर्ष का समेकित शुद्ध लाभ		**10,260,405**	**5,440,906**
जोड़ें: असोशिएट्स की आय में हिस्सेदारी		413,425	692,774
समूह के लिए स्त्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ		10,673,829	6,133,680
जोड़ें: समूह के स्त्रोतजन्य वर्ष का समेकित लाभ आगे लाया गया.		2,298,889	1,534,061
घटायें : असोशिएट्स में निवेश के अंतरण के कारण आगे लाये गये समेकित लाभ में कमी		(372,142)	—
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**12,600,576**	**7,667,741**
IV. विनियोजन को अंतरण			
सांविधिक आरक्षित		2,537,399	1,332,598
निवेश आरक्षित		375,216	439,466
राजस्व आरक्षित		2,011,600	217,530
स्टाफ कल्याण निधि		404,700	150,000
बीमा के स्थान पर निधि		20,000	—
प्रस्तावित लाभांश -अधिमानी शेयर पूंजी		1,504,993	1,285,921
प्रस्तावित लाभांश -इक्विटी शेयर पूंजी		2,611,442	1,472,231
लाभांश पर कर		699,372	444,545
विशेष आरक्षित U/S 36 (1) (viii)		22,187	17,060
शेष तुलन पत्र में लाया गया		2,413,667	2,308,390
कुल		**12,600,576**	**7,667,741**
प्रति शेयर आय (रुपये में.)		11.94	7.20
विशेष लेखांकन नीतियां	17		
लेखा की टिप्पणियां	18		

संदर्भित अनुसूचियां लाभ हानि का आवश्यक भाग है

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन निदेशक | **गुमान सिंह** निदेशक | **प्रो. एन. बालकृष्णन** निदेशक | **एम.पी. शोरावाला** निदेशक | **कृष्ण सेठी** निदेशक | **एस.बी. रोड़े** निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्ल्यू

(सीए सतीश केलकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 038934

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. घिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए एस वेंकटेशकृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2013

31 मार्च 2013 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2013 को ₹.	₹.	31 मार्च 2012 को ₹.	₹.
अनुसूची 1 : पूंजी				
प्राधिकृत पूंजी		30,000,000		30,000,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी :	10,445,769		7,361,154	
1044576954 (P.Y. 736115416) प्रत्येक रू. 10 के इक्विटी शेयर (केन्द्र सरकार द्वारा धारित 891096964 P.Y. 582635426)				
बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर पूंजी (प्रत्येक रू. 10/- के 1617000000)	16,170,000		16,170,000	
		26,615,769		23,531,154
कुल		**26,615,769**		**23,531,154**
अनुसूची 2 : प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष				
I. **सांविधिक प्रारक्षित निधियां**				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	16,695,632		15,363,034	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,537,399		1,332,598	
		19,233,031		16,695,632
II. पूंजीगत प्रारक्षित निधियां				
i) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	18,969,569		19,284,291	
वर्ष के दौरान कटौती	293,748		314,722	
		18,675,821		18,969,569
ii) निवेश प्रारक्षित निधि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	4,070,501		3,631,035	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	375,216		439,466	
		4,445,717		4,070,501
III. शेयर प्रीमियम				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	38,467,132		7,360,000	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	20,975,385		31,107,132	
		59,442,517		38,467,132
IV. आय एवं अन्य प्रारक्षित निधियां				
राजस्व प्रारक्षित निधियां				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	21,573,586		21,407,834	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,011,600		217,530	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	66,603		51,778	
जोड़ें : अन्य परिवर्धन	-		-	
		23,518,583		21,573,586
V. **विशेष प्रारक्षित निधियां** U/S 36 (1)(viii)		1,039,247		1,017,060
VI. **लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि**		2,413,667		2,298,889
कुल		**128,768,583**		**103,092,369**

31 मार्च 2013 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
	₹.	₹.	₹.	₹.
अनुसूची 2 ए : अल्पसंख्यक ब्याज				
मूल/अनुषंगी का जिस तारीख संबंध हुआ उस तारीख को अल्पसंख्यक ब्याज	24,500		24,500	
परिणामस्वरूप बढोत्तरी/कमी	246,905		220,266	
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक ब्याज		**271,405**		**244,766**
अनुसूची 3 : जमा राशियां				
ए. I. मांग जमा राशियां				
i) बैंकों से	10,147,875		2,156,771	
ii) अन्य से	134,573,476		124,925,021	
		144,721,351		127,081,792
II. **बचत बैंक जमाराशियां**		590,904,649		525,946,590
III. **सावधि जमा राशियां**				
i) बैंकों से	53,180,836		33,325,436	
ii) अन्य से	1,473,383,861		1,275,999,385	
		1,526,564,697		1,309,324,821
कुल		**2,262,190,697**		**1,962,353,203**
बी. i) भारत मे स्थित शाखाओं की जमाराशियां		2,262,190,697		1,962,353,203
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		-		-
अनुसूची 4 : उधार राशियां				
I. भारत में उधार राशियां				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	55,430,752		2,500,700	
ii) अन्य बैंक	136,960		25,604	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेन्सियां	47,533,674		37,404,716	
v) अरक्षित प्रतिदेय बॉन्ड (गौण ऋण)	26,363,000		26,373,000	
vi) अपर टियर II बांडस	28,850,000		28,850,000	
vi) नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत	10,830,000		5,830,000	
		169,144,386		100,984,020
II. भारत के बाहर उधार राशियां		14,808,501		28,201,941
कुल		**183,952,887**		**129,185,961**
उपर्युक्त I एवं II में शामिल रक्षित उधार राशियां		**निरंक**		**निरंक**
अनुसूची 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान				
I. देय बिल	7,021,299		8,878,315	
II. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-		-	
III. उपचित ब्याज	13,684,968		13,066,480	
IV. आस्थगित कर देयता (न)	2,589,499		4,552,028	
V. अन्य (प्रावधान सहित)	61,721,985	85,017,751	56,858,513	83,355,336
कुल		**85,017,751**		**83,355,336**

31 मार्च 2013 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2013 को ₹.	₹.	31 मार्च 2012 को ₹.	₹.
अनुसूची 6 : भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकदी एवं शेष राशि				
I. हस्ते नगदी (विदेशी मुद्रा सहित)		17,578,307		16,677,013
II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष राशि				
चालू खातों में	117,023,384		113,465,463	
अन्य खातों में	1,000,000		1,000,000	
		118,023,384		114,465,463
कुल		**135,601,691**		**131,142,476**
अनुसूची 7 : बैंकों में जमा राशियां और मांग व अल्प सूचना पर राशि				
I. भारत में				
i) बैंकों के पास शेष राशि				
a) चालू खातों में	4,180,036		6,481,831	
b) अन्य जमा खातों में	74,397		37,229	
		4,254,433		6,519,060
ii) मांग व अल्प सूचना पर राशि				
a) बैंकों के पास	500,000		-	
b) अन्य संस्थाओं के पास	-		-	
		500,000		-
कुल I		**4,754,433**		**6,519,060**
II. भारत के बाहर				
a) चालू खातों में	568,701		3,603,834	
b) अन्य जमा खातों में	-		1,342	
c) मांग व अल्प सूचना पर राशि	-		-	
कुल.... II		**568,701**		**3,605,176**
कुल.... (I + II)		**5,323,134**		**10,124,236**
अनुसूची 8 : निवेश				
I. भारत में निवेश*				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	601,337,859		507,283,560	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	440,080		603,668	
iii) शेयर्स	14,279,474		9,424,314	
iv) डिबेंचर एवं बांड्स	44,411,987		41,016,662	
v) असोशिएट्स में निवेश	3,625,943		3,562,053	
vi) अन्य (यूटीआई शेयर्स एवं वाणिज्यकि पेपर्स म्यूचुअल फंड आदि)	62,968,187		31,601,514	
		727,063,530		593,491,771
II. भारत के बाहर निवेश**				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	
ii) असोशिएट्स में निवेश	450,070		385,188	
		450,070		385,188
कुल		**727,513,600**		**593,876,959**

31 मार्च 2013 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2013 को ₹.	₹.	31 मार्च 2012 को ₹.	₹.
* **भारत में निवेश**				
निवेश का सकल मूल्य	727,641,829		596,831,169	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	578,299		3,339,398	
शुद्ध निवेश		727,063,530		593,491,771
** **भारत के बाहर निवेश**				
निवेश का सकल मूल्य	450,070		385,188	
घटाएं : मूल्यहास हेतु प्रावधान	-		-	
शुद्ध निवेश		450,070		385,188
कुल		**727,513,600**		**593,876,959**
अनुसूची 9 : ऋण एवं अग्रिम				
A. i) खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल	22,996,755		22,538,880	
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	627,471,580		490,554,536	
iii) मीयादी ऋण	1,072,751,085		964,087,415	
		1,723,219,420		1,477,180,831
कुल		**1,723,219,420**		**1,477,180,831**
बी. अग्रिमों का विवरण				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही ऋण के समक्ष अग्रिमों सहित)	1,412,042,138		1,035,421,382	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	95,109,944		78,838,452	
iii) अरक्षित	216,067,338		362,920,997	
		1,723,219,420		1,477,180,831
कुल		**1,723,219,420**		**1,477,180,831**
C. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण				
(I) भारत में अग्रिम				
i) प्राथमिकता क्षेत्र	503,019,401		386,926,254	
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	218,917,588		97,603,765	
iii) बैंक	3,527,637		749,653	
iv) अन्य	997,754,794		991,901,159	
		1,723,219,420		1,477,180,831
कुल		**1,723,219,420**		**1,477,180,831**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		-		-
अनसूची 10 :अचल आस्तियां				
I. परिसर				
(लागत/पुनर्मूल्यांकित लागत पर)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	23,973,412		23,858,143	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	758,052		115,269	
कुल	24,731,464		23,973,412	
इस दिनांक को मूल्यहास	4,390,842		4,043,752	
कुल.... I		**20,340,622**		**19,929,660**

31 मार्च 2013 को समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	31 मार्च 2013 को ₹.	₹.	31 मार्च 2012 को ₹.	₹.
II. अन्य अचल आस्तियां				
(फर्नीचर एव जुडनार सहित)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को शेष राशि	13,756,360		11,755,970	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	3,938,680		2,157,248	
कुल	17,695,040		13,913,218	
वर्ष के दौरान कटौतियां / समायोजन	593,183		156,858	
कुल	17,101,857		13,756,360	
इस दिनांक को मूल्यहास	10,583,683		8,938,817	
कुल.... II		6,518,174		4,817,543
कुल.... (I + II)		**26,858,796**		**24,747,203**
अनुसूची 11 : अन्य आस्तियां				
I. उपचित ब्याज	13,799,726		12,678,895	
II. अग्रिम कर भुगतान/ स्त्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध प्रावधान)	21,004,273		23,471,741	
III. स्टेशनरी एवं स्टाम्प	136,105		131,680	
IV. दावों की पूर्ति से अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां	-		-	
V. अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	9,021,695		2,946,039	
VI. अन्य	24,280,644		25,404,721	
		68,242,443		64,633,076
कुल		**68,242,443**		64,633,076
अनुसूची 12 : आकस्मिक देयताएं				
I. (ए) बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है		635,671		1,556,441
(बी) अपील, संशोधन आदि के अंतर्गत विवादित आयकर मांग		9,282,360		14,245,860
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता		-		-
III. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के कारण देयता		357,696,828		416,474,984
IV. ग्राहकों की ओर से प्रदत्त गारंटी				
a) भारत में	92,483,533		70,631,212	
b) भारत के बाहर	8,313,332		5,518,890	
		100,796,865		76,150,102
V. भारत स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व		126,372,490		85,062,529
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से देनदार है		562,464		636,338
कुल		**595,346,678**		**594,126,254**

दिनांक 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते की अनुसूचियां

(000 छोड़कर)

विवरण	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 ₹.	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2013 ₹.
अनुसूची 13 : अर्जित ब्याज		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	169,573,745	144,394,011
II. निवेशों पर आय	47,789,672	43,478,276
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज	796,810	3,393,498
IV. अन्य	807,377	423,493
कुल	**218,967,604**	**191,689,278**
अनुसूची 14 : अन्य आय		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	8,162,556	6,661,523
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (शुद्ध)	3,828,750	3,200,628
III. विनिमय लेन देनों पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	608,772	1,868,242
IV. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से	(6,471)	(4,092)
V. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) (शुद्ध)	-	-
VI. विविध आय	4,173,060	2,367,423
कुल	**16,766,667**	**14,093,724**
अनुसूची 15 : प्रदत्त ब्याज		
I. जमाराशियों पर **ब्याज**	149,466,455	129,949,040
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	1,856,299	1,554,497
III. अन्य	10,086,293	8,356,962
कुल	**161,409,047**	**139,860,499**
अनुसूची 16 : परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	28,952,218	25,090,425
II. किराया, कर एवं बिजली	2,667,405	2,569,786
III. मुद्रण एवं लेखनसामग्री	305,077	265,484
IV. विज्ञापन एवं प्रचार- प्रसार	287,836	353,376
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	1,846,700	1,436,879
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं खर्चे	13,881	9,678
VII. लेखापरीक्षकों की फीस एवं खर्चे (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस व खर्चों सहित)	108,639	205,578
VIII. विधि प्रभार	153,769	119,151
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	367,837	395,197
X. मरम्मत एवं रखरखाव	574,867	833,692
XI. बीमा	1,712,866	1,646,939
XII. अन्य व्यय	5,408,698	4,630,822
कुल	**42,399,793**	**37,557,007**

टिप्पाणी : गत वर्ष के लाभ का अंतिम शेष एवं वर्तमान वर्ष के लाभ के प्रारंभिक शेष में ₹ 95.01 लाख का अंतर पिछले वर्ष से संबंधित है और वह अनुषंगी कंपनियों के लाभांश वितरण कर से संबंधित है. इसे समायोजित कर शेष को आगे ले जाया गया है.

अनुसूची 17 - समेकित खातों की मुख्य लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार :

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा का अनुसरण करते हुए सामान्यतया परंपरागत लागत सिद्धांत पर तैयार की गई हैं. वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है, जो लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट विनियामक मानदंडों, लेखांकन मानकों (एएस) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्सऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी उद्घोषणाओं तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को समाविष्ट करते हैं.

2. प्राक्कलनों का उपयोग :

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधतंत्र को वित्तीय विवरण की तिथि को सूचित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए सूचित आय एवं व्ययों में प्राक्कलनों और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है. प्रबंधतंत्र को यह विश्वास है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए गए प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं समुचित हैं.

3. समेकन प्रकिया :

3.1 समूह [2 अनुषंगियों एवं 6 असोशिएट्स के साथ (5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)] के समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है: समेकन प्रकिया :

ए. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां

बी. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-21 "समेकित वित्तीय विवरणों" के अनुसार, सभी महत्त्वपूर्ण अंत:समूह शेषों/लेनदेनों, गैर वसूले लाभ/हानियों को समाप्त करने के पश्चात एवं इन अनुषंगियों से उनके सम्बंधित लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर मूल बैंक की समरूप लेखांकन नीतियों के अनुरूप, जहां कहीं आवश्यक रहा है, का समायोजन करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की संगत मदों के साथ पंक्ति दर पंक्ति समेकन किया गया है.

सी. असोशिएट्स में निवेश, जहां समूह के पास 20% अथवा उससे अधिक का मतदान अधिकार प्राप्त है और इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-23 "समेकित वित्तीय विवरणों में असोशिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन" के अनुसार इक्विटी प्रणाली का उपयोग करने के लिए निकाला गया है तथा जहां समायोजन करना आवश्यक हुआ है, समायोजन करने के पश्चात मूल बैंक की एकरूप लेखांकन नीतियों के समनरूप. इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड, एक असोशिएट्स, की वित्तीय विवरणियां स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप तैयार की गई हैं. इन असोशिएट्स से प्राप्त वित्तीय विवरणियां ही उनके इन समेकित विवरणियों में समावेशन का संपूर्ण आधार तैयार करती हैं.

डी. असोशिएट्स जैसे इंडो जाम्बिया बैंक का लेखांकन वर्ष परिवर्तित होकर कैलेन्डर वर्ष हो गया है.

3.2 समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी हितों में निम्न शामिल है:

i. अनुषंगी में किए गए निवेश की तिथि को माइनॉरिटी को आरोप्य इक्विटी की राशि, एवं

ii. मूल बैंक एवं अनुषंगी के सम्बंध अस्तित्व में आने की तिथि से इक्विटी में माइनॉरिटी के हिस्से में संचलन.

4. विदेशी मुद्रा से सम्बंधित लेन-देन :

ए. विदेशी मुद्राओं में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

बी. आय एवं व्यय की मदों का निर्धारण लेन-देन की तारीख को लागू विनिमय दरों पर किया जाता है.

सी. विदेशी मुद्रा में गारंटी, साखपत्र, स्वीकृतियां, पृष्ठांकन, तथा अन्य दायित्व वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं.

डी. बकाया वायदा संविदाएं वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित दरों पर निर्धारित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है.

5. निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेशों को "परिपक्वता तक धारित", "व्यापार हेतु धारित" तथा "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तथापि, तुलनपत्र में दर्शाने के लिए निवेशों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है :

i)	सरकारी प्रतिभूतियां
ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
iii)	शेयर्स
iv)	डिबेंचर्स एवं बॉण्ड्स
v)	अनुषंगी एवं प्रायोजित संस्थानों में निवेश एवं
vi)	अन्य (यूटीआई शेयरों, वाणिज्यिक पेपर एवं म्यूच्युअल फंड की यूनिट्स).

5.2 वर्गीकरण का आधार :

खरीद के समय निवेश का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया जाता है :

i) **परिपक्वता तक धारित**
इनमें वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है.

ii) **व्यापार के लिए धारित**
प्रतिभूतियां, जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर पुन: बिक्री के लिए रखी जाती हैं.

iii) **विक्रय के लिए उपलब्ध**
वे निवेश जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किए जा सकते हैं.

5.3 श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, निवेशों की तीन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण/बदलाव अंतरण की तारीख पर अधिग्रहण लागत/बही मूल्य तथा बाजार मूल्य, इनमें से जो कम है, पर लेखागत किया जाता है. ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसका पूर्णतया प्रावधान किया जाता है.

5.4 मूल्यनिर्धारण :

ए) परिपक्वता तक धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को अधिग्रहण लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत/बही मूल्य के आधिक्य को परिपक्वता की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

बी) विक्रय के लिए उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार बाजार के लिए निम्नवत चिन्हित किया जाता है :

i)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	स्टॉक एक्सचेंज/एफआईएमएमडीए/ पीडीएआई द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर	
ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारन्टीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बॉण्ड	परिपक्वता आय पर विनियोजन के आधार पर	
iii)	ट्रेजरी बिल/जमा-प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पेपर	रखाव लागत पर	
iv)	इक्विटी शेयर	ए)उद्धृत : बी) अनुद्धृत :	बाजार मूल्य पर प्रति शेयर बही मूल्य पर, यदि, नवीनतम (एक वर्ष से पुराना नहीं) तुलन पत्र उपलब्ध हो, या रु. 1.00 प्रति कंपनी, यदि, नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो.
v)	अधिमानी शेयर	ए)उद्धृत : बी) अनुद्धृत :	बाजार मूल्य पर परिपक्वता पर उचित आय
vi)	डिबेंचर एवं बॉण्ड	ए)उद्धृत : बी) अनुद्धृत :	बाजार मूल्य पर परिपक्वता पर उचित आय
vii)	म्युच्युअल फंड	ए)उद्धृत : बी) अनुद्धृत :	बाजार मूल्य पर पुन: क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य (जहां पुन: क्रय मूल्य उपलब्ध न हो)
viii)	वेंचर पूंजी	घोषित शुद्ध परिसम्पत्ति मूल्य अथवा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र के आधार पर, शुद्ध परिसम्पत्ति के विश्लेषित आंकड़े, जोकि 18 माह से पुराने न हों. यदि शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य / लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम लगातार 18 माह से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध न हों, तब प्रति वेंचर पूंजी निधि (वीसीएफ) के लिए रु.1/-.	

प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर, प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

सी) व्यापार के लिए धारित :

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन मासिक अंतराल पर बाजार दरों पर, जहां उपलब्ध हैं, अथवा एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है. प्रतिभूति के बही मूल्य को समायोजित किए बगैर प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत शुद्ध मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि को गणना में नहीं लिया गया है.

5.5 लागत निर्धारण :

भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निवेश लागत निर्धारित की गई है.

5.6 आय निर्धारण :

ए. निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है. तथापि "परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर लाभ के मामले में, समतुल्य राशि "पूंजी प्रारक्षित निधि" में विनियोजित की गयी है.

बी. निवेशों की तीन श्रेणियों में से किसी में भी शामिल प्रतिभूतियों के सम्बंध में, जहां ब्याज/मूल धन 90 दिन से अधिक समय के लिए बकाया है, वहां आय की गणना नहीं की गई है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए निवेशों के मूल्यह्रास हेतु उपयुक्त प्रावधान किया गया है. अग्रिम की प्रकृति के डिबेंचर/बॉण्ड, अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन रखे गए हैं.

सी. यदि बैंक को देय ब्याज एवं/अथवा मूल धन या अन्य कोई राशि 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहे, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण जोखिम को अवमानक/संदिग्ध/हानि के रूप में, जैसा भी मामला हो, वर्गीकृत किया गया है तथा विवेकसम्मत मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान किये गए हैं.

डी. प्रतिभूतियों की खरीद पर प्राप्त दलाली, प्रोत्साहन राशि, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क आदि को निवेशों की लागत में से घटाया गया है.

ई. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय किए गए खर्चों जैसे दलाली, फीस, कमीशन या करों को आय में प्रभारित किया गया है.

एफ. प्रतिभूतियों के क्रय या बिक्री पर खंडित अवधि के ब्याज को आय मद माना गया है.

6. डेरिवेटिव्ज

वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था के लिए प्रयुक्त डेरिवेटिव्ज को निम्नानुसार लेखांकन किया गया है.

ए. जिनमें अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार को चिन्हित हैं, उन्हें बाजार चिन्हित माना गया है तथा परिणामी लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी. जहां अंतर्निहित आस्तियां/देयताएं बाजार मूल्य को चिन्हित नहीं की गई हैं उन मामलों में, ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज धारित आस्तियों/देयताओं का वित्तीय हानि से बचाव करते हैं, उन्हें उपचित आधार पर लेखागत किया गया है.

सी. स्वैप समाप्ति पर हुए लाभ अथवा हानि को स्वैप के शेष संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि में से, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

7. अग्रिम :

ए. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध अथवा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा इस सम्बंध में अपेक्षित प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गये हैं.

बी. अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में हुई वसूली को पहले ब्याज में विनियोजित किया जाता है. तथापि, वाद दायर, डिक्रीकृत खातों तथा समझौता मामलों में वसूली पहले मूल धन में अथवा डिक्री/समझौते की शर्तों के अनुसार विनियोजित की गई है.

सी. अग्रिम प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज एवं उधारकर्ताओं से वसूल की गई राशि जो विविध खाते में रखी गई है तथा सीजीटीएसआई/ईसीजीसी से वसूल की गई राशि को घटाकर अग्रिम दर्शाये गये हैं.

मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयताएं एवं प्रावधान - (अन्य) में शामिल हैं.

डी. बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

यदि बिक्री प्राप्तियां निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम कीमत पर है तो वह कमी लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित की गई है.

यदि बिक्री प्राप्तियां शुद्ध बही मूल्य से उच्चतर कीमत पर है तो अधिशेष प्रावधान अन्य गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी/हानि को पूरा करने के लिए रखा गया है.

ई. सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों के आधार पर आय निर्धारण एवं ऋण तथा अग्रिमों पर प्रावधान किए जाते हैं.

एफ. सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लिमिटेड के मामले में, आवास ऋणों, होम इक्विटी ऋण, टॉप-अप ऋण तथा संपत्ति के विरुद्ध ऋण का भुगतान मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर समान मासिक किस्तों (ईएमआई) के द्वारा किए जाते हैं. स्थिर दर वाले ऋणों के सम्बंध में, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेष राशि पर ब्याज की गणना की जाती है; अस्थिर दर वाले ऋणों के मामले में, पिछले माह के अंतिम दिन के बकाया शेष राशि पर प्रत्येक माह की 1ली तारीख को ब्याज की गणना की जाती है. जैसे ही संपूर्ण ऋण संवितरित हो जाता है, ईएमआई शुरू हो जाती है. ईएमआई शुरू होने के लंबित रहते, पूर्व-ईएमआई ब्याज प्रत्येक माह देय होता है.

8. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास :

ए. अचल आस्तियों (कम्प्यूटरों के अतिरिक्त, जिनका मूल्यह्रास सीधी कटौती पद्धति पर किया गया है) का मूल्यह्रास "मूल्यह्रासित मूल्य प्रणाली" के अंतर्गत निम्न दरों पर किया गया है :

i)	परिसर	अनुमानित जीवन काल के आधार पर आधारित परिवर्तनीय दरों पर
ii)	फर्नीचर, लिफ्ट, सुरक्षित जमा कक्ष	10%
iii)	वाहन	20%
iv)	वातानुकूलन यंत्र, कूलर, टाइपराइटर आदि	15%
v)	सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	33.33%
(अधिग्रहण वर्ष के दौरान एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को आय में प्रभारित किया जाता है.)		

बी. उन आस्तियों के मामले में, जिनका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन राशि पर किया गया है तथा वृद्धिशील मूल्यह्रास, जो पुनर्मूल्यन राशि के लिए उत्तरदायी है, उसे "पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि" में समायोजित किया गया है.

सी. 30 सितंबर तक आस्तियों में परिवर्धन के लिए पूरे वर्ष मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है तथा उसके बाद परिवर्धित आस्तियों हेतु आधे वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है. 30 सितंबर से पूर्व बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है तथा 30 सितंबर के बाद बेची गई आस्तियों के लिए अर्द्ध वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है.

डी. पट्टेवाली भूमियों का मूल्य पट्टे की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है. पुनर्मूल्यन के मामले में, मूल लागत और पुनर्मूल्यन मूल्यों के अंतर को पट्टे की बाकी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है और "पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि" में समायोजित किया गया है.

ई. जहां पर भूमि व परिसर के मूल्य को अलग-अलग करना संभव नहीं है, वहां सम्मिश्रित लागत पर मूल्यह्रास लगाया गया है.

एफ. अनुषंगियों के मामले में, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विनिर्दिष्ट दरों पर सीधी लाइन प्रणाली पर लगाया जाता है.

9. कर्मचारी - लाभ :

ए. ग्रेच्युइटी एवं पेंशन निधियों में वार्षिक अंशदान का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर किया है. पेंशन निधि के लिए अंशदान परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत किया गया है.

बी. अर्जित छुट्टी के लिए देयताओं का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.

सी. उन कर्मचारियों के सम्बंध में जिन्होंने भविष्य निधि योजना हेतु विकल्प दिया है, समतुल्य का अंशदान किया गया है.

डी. बैंक ने अपनी लेखा बहियों में, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न देयताओं को बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य तुलन पत्र में योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटाकर दर्शाया है.

ई. सेन्ट बैंक होम फाइनैंस लि. के मामले में ग्रेच्युइटी राशि का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम के समूह परिपक्वता योजना में निवेश किया गया है.

10. आय एवं व्यय की पहचान :

ए. जब तक अन्यथा सूचित नहीं किया गया हो, आय एवं व्यय की मदों को उपचित आधार पर लेखागत किया जाता है.

बी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों पर आय प्राप्त होने पर उसकी गणना आय में की गई है.

सी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, यदि कोई भी मद, जो लाभ एवं हानि लेखे में लेखागत किए कुल आय/कुल खर्चे के एक प्रतिशत से अधिक है तो उसका अवधि पूर्व प्रकटीकरण किया जाता है.

डी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिदेय जमाओं पर देय ब्याज हेतु प्रावधान प्रावधान किए जाते हैं.

11. आय कर :

इस वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान में आस्थगित कर तथा लागू कर कानून के अनुसार वर्तमान कर देयता की गणना की गई है, जो कर योग्य आय तथा लेखा आय के बीच समय अंतर की पहचान करते हैं, जो एक समय में प्रारंभ होते हैं तथा एक या अधिक तदनन्तर अवधि में प्रत्यावर्तित होते हैं. आस्थगित कर आस्तियों की तब तक पहचान नहीं की जाती है जब तक कि 9वास्तविक निश्चितता" न हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय, ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की वसूली के समक्ष उपलब्ध होगी.

12. प्रति शेयर आय :

भारित औसत प्रणाली पर आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखांकन मानक-20 के अनुसार, मूल बैंक आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर आय की गणना की जाती है.

अनुसूची 18 : समेकित लेखों से सम्बंधित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल अनुषंगियाँ एवं असोशिएट्स

समेकित वित्तीय विवरणियों में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (मूल बैंक), इसकी दो अनुषंगियाँ एवं 6 असोशिएट्स, जिनमें मूल बैंक द्वारा प्रायोजित 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)और इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (जिन्हें सम्मिलित रूप से "दि ग्रुप" के नाम से संदर्भित किया गया है) का विवरण निम्नानुसार है :

अनुषंगी/असोशिएट का नाम	निगमन-देश	दिनांक 31 मार्च, 2013 को स्वामित्व हित	दिनांक 31 मार्च 2012 को स्वामित्व हित
सेन्टबैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	59.50%	59.50%
सेन्टबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (अनुषंगी)	भारत	100.00%	100.00%
सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
बलिया इटावा ग्रामीण बैंक (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार (असोशिएट)	भारत	35.00%	35.00%
हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा(असोशिएट) (टिप्पणी संख्या 1.4 का संदर्भ लें)	भारत	निरंक	35.00%
विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक(असोशिएट) (पूर्व में विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना गया((टिप्पणी संख्या 1.4 का संदर्भ लें)	भारत	निरंक	35.00%
सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(असोशिएट) (टिप्पणी संख्या 1.3 का संदर्भ)	भारत	निरंक	35.00%
सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (असोशिएट) (टिप्पणी संख्या 1.3 का संदर्भ)	भारत	35.00%	निरंक
इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड (असोशिएट)	जाम्बिया	20.00%	20.00%

1.2 अनुषंगियों एवं असोशिएट्स की वित्तीय विवरणियों, जो समेकित में उपयोग किए गए हैं, को उसी तारीख को तैयार किया गया है, जिस तारीख को मूल बैंक की तैयार की गई हैं अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2013 को सिवाय इंडो जाम्बिया बैंक लि. के जिसकी रिर्पोटिंग अवधि वित्त वर्ष से परिवर्तित होकर कैलेन्डर वर्ष हो गई है. तदापि लाभ की राशि 9 माह की लेखापरीक्षित एवं 3 माह के अलेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर ली गई है.

1.3 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 7/9/2011- आरआरबी (एमपी.1) दिनांक 08 अक्टूबर 2012 के अनुसार, सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित), विदिशा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित) एवं महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (यूको बैंक) एक बैंक में समाहित कर दिये गए हैं जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अंतर्गत से "सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक" कहलाया जायेगा. परिणामस्वरूप सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थान पर सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण में बैंक का निवेश किया गया एवं विदिशा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संबंधित प्रायोजक बैंक से अंकित मूल्य पर 35% इक्विटि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ले ली गई.

1.4 वर्ष के दौरान, हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) में निवेश बैंक ऑफ इंडिया में अंतरित हो गया, एवं विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेश वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी 2013 एवं 28 फरवरी 13 क्रमश: के अनुसार अंकित मूल्य पर बैंक ऑफ इंडिया में अंतरित हो गया.

1.5 कथित आरआरबी का संचित लाभ निवेश का रखाव लागत एवं संचित आरक्षित के कारण कम हो गया.

1.6 सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में निवेश की गणना निम्नानुसार की गई है :

31 मार्च 2013 को रखाव लागत		70.76
घटाएं : आरक्षित पूंजी		18.16
शुद्ध निवेश		52.60
निवेश में दर्शाया गया	34.92	
अन्य आस्तियों में दर्शाया गया (शेयर आवेदन)	17.68	

1.7 दिनांक 9 अक्टूबर 2013 को मूल बैंक का हिस्सा अर्थात सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के शुद्व आस्तियों 35% रू. 18.16 करोड़ था.

2. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित आरआरबी में अतिरिक्त पूंजी दी.

अनुषंगी का नाम	पूंजी निषेचित राशि
उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार	रू. 11.20 करोड़
सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा	रू. 17.68 करोड़

"स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं यूको बैंक" द्वारा अन्य आस्तियों (शेयर आवेदन मनी) के अंतर्गत शेयर खरीदने के लिए सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा में पूंजी का निवेश किया गया जबकि तुलन पत्र की तारीख तक आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है.

3. समेकित वित्तीय विवरणियां को तैयार करने में, अनुषंगियों के संबंध में कुल मामलों में सामान लेनदेनों के लिए अलग लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं, जिनके बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उपयुक्त समायोजन नहीं किए गए हैं. प्रबंधतंत्र के अभिमत में यह महत्त्वपूर्ण नहीं है. मूल बैंक की तुलना में अनुषंगियों द्वारा जिन मदों के लिए अलग लेखांकन नीतियों को अपनाया गया है, वे निम्नानुसार दी जा रही हैं :

	मूल बैंक	सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लि. (अनुषंगी)	सेन्ट बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लि. (अनुषंगी)
मूल्यह्रास	बैंक ने सिर्फ कंप्यूटरों के लिए मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति को छोड़कर अवलेखन मूल्य प्रणाली को अपनाया है	सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास लागू किया गया है. मूल्यह्रास रु.8.05 लाख .प्रभारित किया गया है.	सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यह्रास लागू किया गया है. मूल्यह्रास रु 13.98 लाख प्रभारित किया गया है.
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	बीमांकिक आधार पर	कंपनी द्वारा मूल्यांकित रु.(0.51). लाख	अगले वर्ष से लागू

4. मूल बैंक

4.1 पूंजी

4.1.1 बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है.

दिनांक 31.03.2013 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार को ₹ 68/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर ₹ 308.47 करोड़ के नए इक्विटी शेयर्स जारी करते हुए, पिछले वर्ष के ₹ 736.11 करोड़ से बढ़कर ₹ 1044.58 करोड़ हो गई है.

4.1.2 नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत :

वर्ष के दौरान, बैंक ने नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखतों को जारी करते हुए ₹ 500 करोड़ जुटाए, इससे ₹ 1083.00 करोड़ का शेष हो गया.

4.2 बहियों का समतुलन / मिलान :

निम्नलिखित मदों का समतुलन प्रगति पर है :

- अंतर शाखा/कार्यालय शेष
- सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) लेन-देन खाते
- अंतर बैंक खाते
- प्रणाली उचंत खाता
- उचंत खाता
- समाशोधन एवं अन्य समायोजन खाते
- एटीएम से संबंधित शेष
- नामिनल खातों में रखे विशिष्ट शेष
- नोस्ट्रो खाते

प्रबंधन का मत है कि खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई है, महत्त्वपूर्ण नहीं होगा.

4.3 आय कर / आस्थगित कर :

4.3.1 इस वर्ष के लिए आय कर का प्रावधान, संगत सांविधिक प्रावधानों एवं विवादित मामलों पर न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में विधिवत विचार-विमर्श के बाद किया गया है.

4.3.2 अन्य आस्तियां [अनुसूची 11 (ii)] में ₹ 912.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1424.58 करोड़) शामिल हैं, जो बैंक द्वारा भुगतान किए गए या आयकर विभाग द्वारा समायोजित विवादित आय कर के संदर्भ में हैं. ऐसे मामलों पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों/काउंसेल के मतों के आधार पर उपर्युक्त विवादित मांगों के लिए कर की विवादित राशि का प्रावधान किया जाना बैंक द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया.

4.3.3 विवाद के अंतर्गत भुगतान किए गए ₹ 912.60 करोड़ के कर में से, विभिन्न निर्धारण वर्षों से सम्बंधित विवादों में शामिल ₹ 5.98 करोड़ की कर राशि, अपीलकर्ता प्राधिकारियों द्वारा बैंक के पक्ष में निर्णीत की गई है. इसके लिए अपील का प्रभाव लम्बित है.

4.4 परिसर :

बैंक के स्वामित्व वाले परिसरों में ₹ 39.93 करोड़ (गत वर्ष ₹ 9.95 करोड़) की लागत की संपत्ति शामिल है, जिसे ₹ 130.02 करोड़ (गत वर्ष ₹ 122.31 करोड़) पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है. इसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं अभी भी प्रगति पर हैं.

4.5 अग्रिम / प्रावधान :

4.5.1 पोषण/ पुनर्वसन / पुनर्विन्यास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित रुग्ण इकाइयों को दिए गए अग्रिम और संदिग्ध / हानि आस्तियों में वर्गीकृत अन्य अग्रिमों को, बैंक के पास बंधक रखी गई सम्पतियों /आस्तियों के मूल्यांककों द्वारा दिए गए तथा बैंक के पास उपलब्ध अन्य आंकड़ों के आधार पर प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार धारण करने वाली प्रतिभूतियों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य तक प्रतिभूत / वसूली योग्य माना जाएगा.

4.5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने ₹ 312.42 करोड़ (गत वर्ष ₹312.42 करोड़) के अस्थायी प्रावधान को शुद्ध एनपीए की गणना करने के लिए सकल एनपीए से नेट किया है और सकल एनपीए से ₹ 141.30 की प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर राशि (गत वर्ष ₹ 141.30 करोड़) शुद्ध एनपीए निकालने के लिए गणना में ले गई है.

4.5.3 अच्छे एवं रक्षित माने गए अग्रिमों में आईबीए द्वारा जारी (गैर प्राथमिकता क्षेत्र) यूनिफॉर्म कोड गवर्निंग इंटर बैंक पार्टिसिपेशन द्वारा अधिशासी आईबीपीसी में ₹ 2515 करोड़ (गत वर्ष ₹ 3000 करोड़) एवं आरआरबी द्वारा जारी आईबीपीसी में कुल ₹ 2515 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2080 करोड़) प्राथमिकता क्षेत्र/प्रत्यक्ष कृषि का निवेश शामिल है.

4.6 आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

बैंकिंग विनियम अधिनियम,1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर ₹ 28.85 लाख का दंडस्वरूप ब्याज लगाया है.

5. लेखांकन मानकों का अनुपालन

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है :

5.1 लेखांकन मानक - 5

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एलएएफ रेपो के लिए लेखांकन

अब तक, बैंक वर्ष की समाप्ति के लेखांकन के लिए निवेशों के सकल मूल्य से एलएएफ रेपो के अंतर्गत उधारी की शुद्ध राशि कम करने की नीति का अनुसरण कर रहा था. वर्त्तमान वर्ष में लेखांकन नीति में परिवर्तन होने के कारण, बैंक ने एलएएफ रेपो के अंतर्गत आरबीआई को बकाया शुद्ध राशि आरबीआई से उधारी के रूप में दर्शाई है. यदि पूर्ववर्ती वर्ष लेखांकन नीति का अनुसरण किया जाता तो ऋण एवं निवेश रु.5500 करोड़ से कम हो गए होते. इस परिवर्तन के कारण वर्ष के लिए लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

5.2 लेखांकन मानक - 9

मूल लेखांकन नीति क्र. 8 के अनुसार आय की कुछ मदों की पहचान वसूली के आधार पर की गई है. तथापि, कथित आय को महत्त्वपूर्ण नहीं माना गया है.

5.3 लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) मूल बैंक

5.3.1 वर्ष 2010-11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी:बीसी:80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के अनुसार, बैंक ने उन विद्यमान कर्मचारियों, जिन्होंने पूर्व में पेंशन का विकल्प नहीं लिया था, उन्हें पुन: पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया था एवं ग्रेच्युटी में अभिवृद्धि से उत्पन्न अतिरिक्त देयता को 31.03.2011 को समाप्त वर्ष से 5 साल की अवधि में परिशोधन करने का बैंक ने विकल्प चुना है. तदनुसार, 01.04.2012 को अपरिशोधित राशि ₹ 886.15 करोड़ में से बैंक ने ₹ 239.98 करोड़ पेंशन के लिए एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 55.40 करोड़ दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान आनुपातिक आधार पर परिशोधित की है. शेष पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए भविष्य में परिशोधित की जाने वाली राशि पेंशन के लिए ₹ 479.97 करोड़ एवं ग्रेच्युटी के लिए ₹ 110.80 करोड़ है.

5.3.2 कर्मचारी लाभ : मूल बैंक

बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी लाभार्थ सुपरिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का मिलान

नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
दिनांक 31 मार्च, 2013 को सुपरिभाषित लाभ दायित्व देयताएं				
प्रारंभिक दायित्व	6537.56	891.22	5997.12	1047.34
सेवा लागत	127.74	41.25	125.72	39.70
ब्याज लागत	578.91	73.98	498.13	83.24
बीमांकिक लाभ (हानि)	412.20	95.94	441.59	(63.58)
प्रदत्त लाभ	(465.85)	(124.28)	(525.00)	(215.48)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	-	-	-	-
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
देयता अंतरण	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2013 को दायित्व	7190.56	978.11	6537.56	891.22

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
दिनांक **31** मार्च, **2013** को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां				
उचित मूल्य पर प्रारंभिक योजना आस्तियां	5349.39	855.53	4228.00	832.89
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	510.12	68.92	413.53	72.41
बीमांकिक [लाभ]/हानि	(23.88)	15.99	29.25	(14.29)
अंशदान	1260.00	68.15	1203.61	180.00
प्रदत्त लाभ	(465.85)	(124.28)	(525.00)	(215.48)
अन्य ट्रस्ट से अंतरण	-	-	-	-
दिनांक 31 मार्च, 2013 को उचित मूल्य पर योजना आस्तियां	6629.78	884.31	5349.39	855.53

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
दिनांक **31** मार्च, **2013** को समाप्त वर्ष के लिए लागत				
सेवा लागत	127.74	41.25	125.72	39.70
ब्याज लागत	578.91	73.98	498.13	83.24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(510.12)	(68.92)	(413.53)	(72.41)
गत सेवा लागत (परिशोधित/ अ-निहित)	240.00	55.40	240.00	55.40
गत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक [लाभ]/हानि	436.08	79.95	412.34	(49.29)
शुद्ध लागत	872.61	181.66	862.66	56.64

पूर्वधारणाएं :

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष		दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष	
	पेंशन	ग्रेच्युइटी	पेंशन	ग्रेच्युइटी
ब्याज दर	8%	8%	8%	8%
वेतन वृद्धि दर	4%	4%	4%	4%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	8.70%	8.70%	8%	8%

5.3.3 सीबीएचएफ लि. ने अपने कर्मचारियों की समेकित ग्रेच्युइटी देयता को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पॉलिसी ली है और इस पॉलिसी पर प्रदत्त प्रीमियम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है. अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान की गणना दिनांक 31 मार्च, 2013 को कर्मचारियों के साधिकार अवकाश के शेष पर की है. इसके लिए निधियां उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं.

5.4 लेखांकन मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्ट			
			(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.13 को समाप्त वर्ष	दिनांक 31.03.12 को समाप्त वर्ष
ए.	सेगमेंट आय		
	1. ट्रेजरी परिचालन	5188.79	4964.07
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	5898.89	4555.54
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	12446.35	11085.64
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. अनाबंटित	76.66	40.04
	कुल	**23610.69**	**20645.29**
बी.	सेगमेंट परिणाम		
	1. ट्रेजरी परिचालन	326.42	683.49
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	951.58	677.38
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	1875.15	1502.61
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	**3153.15**	**2863.48**
सी.	गैर -आबंटित आय / (व्यय)	**76.66**	40.04
डी.	परिचालन लाभ	**3229.81**	**2903.52**
ई.	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**1850.96**	2169.57
एफ.	आय कर	**311.47**	120.58
जी.	शुद्ध लाभ	**1067.38**	**613.37**
एच.	अन्य जानकारी		
आई.	सेगमेंट आस्तियां		
	1. ट्रेजरी परिचालन	37453.85	27003.48
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	73038.70	58127.63
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	156082.92	142692.19
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. अनाबंटित	2106.24	2352.98
	कुल	**268681.71**	**230176.28**

जे.	सेगमेंट देयताएं		
	1. ट्रेजरी परिचालन	37364.12	28661.19
	2. खुदरा बैंकिंग परिचालन	69699.19	54270.28
	3. थोक बैंकिंग परिचालन	146793.87	134102.78
	4. अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	5. अनाबंटित	15824.53	13142.03
	कुल	**268681.71**	**230176.28**

i) भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्राथमिक रिपोर्टिंग क्षेत्र के रूप में ट्रेजरी परिचालन, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग व्यवसाय का निर्धारण किया है. द्वितीयक रिपोर्टिंग क्षेत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं है.

ii) ट्रेजरी परिचालनों में सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन शामिल हैं.

iii) रिटेल बैंकिंग क्षेत्र में ₹ 5 करोड़ (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर सहित) की सीमा तक के सभी एक्सपोजर शामिल हैं, यह अभिमुखताएं, उत्पाद, ग्रेनुलरिटी मानदंड तथा वैयक्तिक एक्सपोजर के अधीन है.

iv) कॉर्पोरेट/समग्र खंड में ट्रस्ट/भागीदार फर्म, कम्पनियों तथा सांविधिक निकायों के वे सभी अग्रिम शामिल हैं, जो कि रिटेल बैंकिंग के तहत शामिल नहीं किए गए हैं.

iv) अन्य बैंकिंग क्षेत्र में वे सभी अन्य बैंकिंग परिचालन शामिल हैं, जो उपर्युक्त तीनों श्रेणियों में शामिल नहीं हैं.

v) सामान्य बैंकिग परिचालन प्रमुख संसाधन संग्रहण इकाई है तथा ट्रेजरी खंड, प्रयुक्त औसत फंड को गणना में लेते हुए उधार दी गई निधियों के लिए पूरक का कार्य करता है.

vii) लागत का आबंटन :

ए एक विशिष्ट खंड से संबंधित खर्चे सीधे उस खंड को आबंटित किए जाते हैं.

बी किसी विशिष्ट खंड से सीधे सम्बंध न किए जा सकने वाले खर्चों को विवेकपूर्ण आधार पर आबंटित किया गया है.

5.5 लेखांकन मानक 18- सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण -

1. सम्बद्ध पार्टियों की सूची - मूल बैंक

(ए) प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी

	नाम	पद
i)	श्री मोहन वी. टांकसाले	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii)	सुश्री वी.आर.अय्यर (दिनांक 01/09/2010 से दिनांक 05/11/2012 तक)	कार्यपालक निदेशक
iii)	श्री आर.के.दुबे (दिनांक 01/09/2010 से दिनांक 11/01/2013 तक)	कार्यपालक निदेशक
iv)	श्री मलय मुखर्जी (दिनांक 05/11/2012 से)	कार्यपालक निदेशक
v)	श्री आर.के.गोयल (दिनांक 11/01/2013 से)	कार्यपालक निदेशक

(बी) अनुषंगियां -

i) सेन्ट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड.

ii) सेन्ट बैंक फाइनेंशियल एण्ड कस्टोडियल सर्विसेस लिमिटेड.

(सी) असोशिएट्स -

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - -

i) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

ii) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर

iii) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर

iv) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया

v) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

vi) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (पूर्व में विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

vii) हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा

(II) इंडो-जाम्बिया बैंक लिमिटेड.

II. सम्बद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन:

(₹ लाख में)

(ए)

मद	प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी	
	2012-13	2011-12
प्रदत्त पारिश्रमिक	64.55	66.50

(बी) सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन का विवरण

दिनांक 31.03.2012 एवं दिनांक 31.03.2013 को सम्बद्ध पार्टियों के लेनदेन की विवरणी

क्र.सं	सम्बद्ध पार्टियां	दिनांक को	निवेश		ऋण आस्तियों की खरीद		ऋण आस्तियों की बिक्री		क्षे.ग्रा.बैं.को ऋण व्यवस्था		आईबीपीसी के अंतर्गत सहभागिता			
			संचयी	वर्ष के दौरान अधिकतम	बकाया राशि	प्राप्त ब्याज	बिक्री राशि	प्रदत्त ब्याज	राशि	प्राप्त ब्याज	प्रवर्तक बैंक को प्रत्यक्ष कृषि आस्तियों की बिक्री		प्रवर्तक बैंक से गैर-प्राथमिकता क्षेत्र पोर्टफोलिओ क्रय	
											बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक को प्रदत्त ब्याज	बकाया राशि	प्रवर्तक बैंक से प्राप्त ब्याज
1	सेन्ट्रल एम पी जी बी	31.03.13	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	18.74	630.00	21.55
		31.03.12	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	7.40	380.00	8.51
2	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.95	100.00	4.54
		31.03.12	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.22	80.00	2.55
3	उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,	31.03.13	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	57.21	1400.00	65.79
		31.03.12	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	2.62	1160.00	41.92	1160.00	48.21
4	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31.03.12	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.29	2.07	130.00	4.93	130.00	5.67
5	बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक	31.03.13	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	145.00	5.42	145.00	6.24
		31.03.12	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	5.42	110.00	6.24
6	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	10.49
		31.03.12	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	7.89	185.00	9.07
7	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	31.03.13	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.73	40.00	1.98
		31.03.12	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	1.23	35.00	1.42
8	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	31.03.13	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.62	200.00	6.41	200.00	7.37
		31.03.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		31.03.13	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.62	2515.00	102.58	2515.00	117.96
		31.03.12	237.27	237.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25	4.69	2080.00	71.01	2080.00	81.67

नोट : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ.नं.7/9/2011-आरआरबी (महाराष्ट्र) दिनांक 28 फरवरी, 2013 के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित वैनगंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय को अनुमोदित किया है. साथ ही, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2013 के द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित बलिया इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित पूर्वांचल ग्रामीण बैंक में विलय को अनुमोदित कर दिया है.

विलय की औपचारिकताएं एवं वित्तीय लेनदेनों के लंबित प्रकरण पूरा हो जाने तक, हमारी लेखा बहियों में बैंक का वर्ष के अंत में कथित निवेश का दर्शाया जाना जारी रहेगा.

(सी) सम्बंधित पार्टियों के सम्बंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो एएस-18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार सरकारी नियंत्रणाधीन उद्यम हैं. साथ ही, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक एवं प्रमुख प्रबंधतंत्र कार्मिक रिश्तेदार सहित, बैंकर-ग्राहक सम्बंध की प्रकृति के लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है.

5.6 लेखांकन मानक 20 - समूह का प्रति शेयर आय

लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है :

	31.03.2013	31.03.2012
इक्विटी शेयरधारक के लिए कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ	891.31	463.92
भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	746256617	644194814
प्रति शेयर मूल आय (₹)	11.94	7.20
प्रति शेयर की डाइल्यूटेड आय (₹)	11.94	7.20
प्रति शेयर सांकेतिक आय (₹)	10.00	10.00

5.7 लेखांकन मानक 22 - आय पर कर का लेखांकन (समूह का)

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं मान्य की हैं.

आस्थगित कर आस्तियां एवं आस्थगित कर देयताओं के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31.03.2013	31.03.2012
आस्थगित कर आस्तियां :		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	113.06	84.41
पेंशन एवं ग्रेच्युइटी के लिए प्रावधान	59.21	145.29
निवेश पर मूल्यह्रास	6.72	
अन्य	33.99	23.71
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	--	6.24
योग (ए):	**212.98**	**259.65**
आस्थगित कर देयताएं :		
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	2.90	0.25
उपचित ब्याज; परंतु निवेश पर प्राप्य नहीं	469.03	411.28
निवेश पर मूल्यह्रास	--	303.33
योग (बी):	**471.93**	**714.86**
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	**258.95**	**455.21**

5.8 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

बैंक की आस्तियों का एक बड़ा भाग वे वित्तीय आस्तियां है, जिन्हें आस्तियों पर हानि का लेखांकन मानक-28 लागू नहीं है. प्रबंधतंत्र के मत में, दिनांक 31 मार्च, 2013 को वित्तीय आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों पर कोई बड़ी हानि परिलक्षित नहीं हुई है, जिसे मान्य करने की आवश्यकता है.

5.9 लेखांकन मानक - 29 : प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों (मूल बैंक) पर

(1) ऋण के रूप में न माने गए दावों में प्रावधान संचालन

(₹ करोड़ में)

विवरण	दिनांक 01.04.2012 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	प्रत्यावर्तित/ समायोजित प्रावधान	दिनांक 31.03.2013 को अंतिम शेष
उधार के रूप में पहचान न किए गए दावों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान	4.22	0.51	--	4.73

6. प्रबंधतंत्र द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, वे वेंडर्स, जिनकी सेवाएं बैंक द्वारा उपयोग में ली गईं एवं जिनसे खरीद की गई है, वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत नहीं हैं. इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है

7 **आरबीआई के परिपत्र डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.नं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक अप्रैल 29 2011 के पैरा एफ में अपेक्षित सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर धोखाधड़ियों के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश.**

बैंक ने आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2010-11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.नं.6/31.02.008/2010-11 दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसार सीबीएस में साइबर धोखाधड़ी पर नीतियां निर्धारित की हैं. प्रबंधतंत्र द्वारा इन नीतियां की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है

8. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अन्य स्वीकार्यता, बेचान एवं अन्य जवाबदेही में कुछ व्यापारी निर्यातकों एवं हीरे/आभूषण उत्पादकों को प्रदत्त ऋणों से संबंधी वास्तविक नियत तारीख से पूर्व स्टैण्डबाय साख पत्र को लागू करने से उत्पन्न राशियां सम्मिलित हैं.

9. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है वहां पर पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुन:वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से समरूपण हो सके.

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन
निदेशक

गुमान सिंह
निदेशक

प्रो. एन. बालकृष्णन
निदेशक

एम.पी. शोरावाला
निदेशक

कृष्ण सेठी
निदेशक

एस.बी. रोड़े
निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्ल्यू

(सीए सतीश केलकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 038934

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708 एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. घिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय घिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए एस वेंकटेशकृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरणी	31-03-2013	31-03-2012
ए	**परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करों पूर्व लाभ	**1,341.59**	**666.99**
I	**समायोजन हेतु :**		
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	184.67	143.69
	निवेशों पर मूल्यह्रास (परिपक्व डिबेंचरों सहित)	(162.25)	153.72
	गैर निष्पादन आस्तियों के मामलों में अपलिखित /प्रावधान अशोध्य ऋण	1,358.27	1,376.26
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	663.70	641.87
	अन्य मदों (शुद्ध) के लिए प्रावधान	5.85	1.05
	आयकर (शुद्ध) पर ब्याज	80.77	43.00
	अचल आस्तयिों (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/हानि	0.65	0.41
	गौण ऋण पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान (अलग से लिए गए)	582.86	522.54
	उप योग	**4,056.11**	**3,549.53**
II	**समायोजन हेतु**		
	जमा में वृद्धि/ कमी	29,983.75	16,856.77
	उधारों में वृद्धि/कमी	5,476.69	(468.38)
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/कमी	(38.50)	1,564.86
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(26,625.83)	(19,895.64)
	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	(13,188.54)	(4,884.93)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(120.04)	1,322.78
	प्रत्यक्ष करों का भुगतान (वापसी का शुद्ध आदि)	(638.99)	(113.32)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद(ए)	**(5,151.45)**	**(5,617.85)**
	परिचालन गतिविधियों से नकद शुद्ध प्रवाह	**(1,095.35)**	**(2,068.32)**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान	43.37	3.28
	अचल आस्तियों की खरीद	(469.67)	(227.33)
	आरआरबी में निवेश	(8.75)	(7.00)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(435.05)**	**(231.05)**
सी	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर पूंजी	2,406.00	1,417.01
	गौण ऋण की प्राप्तियां /पुन: प्राप्ति टियर II पूंजी	-	500.00
	इक्विटी शेयर्स पर लाभांश- अंतरिम लाभांश सहित	(275.82)	(211.86)
	लाभांश कर	(44.45)	(34.37)
	जेएनवाई स्वैप कूपन पर ब्याज	(6.66)	(5.18)
	गौण ऋण पर ब्याज	(582.86)	(522.54)
	वित्तपोषित गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह	**1,496.21**	**1,143.06**
डी	**नकद एवं नकद तुल्य (ए+बी+सी) या (एफ -ई) में शुद्ध वृद्धि**	**(34.19)**	**(1,156.31)**

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरणी	31-03-2013	31-03-2012
ई	**वर्ष के प्रारंभ पर नकद तथा नकद तुल्य**		
	नकद एवं भारिबै के साथ शेष	13,114.25	14,082.11
	बैंक में जमा तथा मांग एवं अल्प सूचना में शेष	1,012.42	1,200.87
	वर्ष के प्रारंभ पर शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	**14,126.67**	**15,282.98**
एफ	**वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समकक्ष**		
	नकद एवं भारिबैं के साथ शेष	13,560.17	13,114.25
	बैंक एवं मांग पर धनराशि तथा अल्प सूचना में शेष	532.31	1,012.42
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकद तथा नकद समकक्ष	14,092.48	**14,126.67**

मोहन वी. टांकसाले
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मलय मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर.के.गोयल
कार्यपालक निदेशक

आलोक टंडन निदेशक | **गुमान सिंह** निदेशक | **प्रो. एन. बालकृष्णन** निदेशक | **एम.पी. शोरावाला** निदेशक | **कृष्ण सेठी** निदेशक | **एस.बी. रोड़े** निदेशक

कृते मे. के.एस.अय्यर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -100186डब्ल्यू

(सीए सतीश केलकर)
भागीदार
सदस्यता सं. 038934

कृते मे. सैमसंद एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 003708 एन

(सीए आनंद प्रकाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 082735

कृते मे. डी. रंगास्वामी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -003073एस

(सीए बी.रमानी)
भागीदार
सदस्यता सं. 019603

कृते मे. कुमार चोपड़ा एण्ड असोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. 000131एन

(सीए आर.के. अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 081510

कृते मे. धिया एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -001088सी

(सीए संजय धिया)
भागीदार
सदस्यता सं. 072467

कृते मे. पी.के. सुब्रमणियम एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.नं. -004135एस

(सीए एस वेंकटेशकृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 023488

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2013

नोट्स

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

फॉर्म "बी"

प्रॉक्सी का फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाए)

6ठी वार्षिक सामान्य बैठक

पन्ना सं. या डीपी आईडी # / ग्राहक आईडी #	
धारित शेयरों की संख्या	

मैं/हम_____निवासी_____जिला_____,राज्य_____, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के/ की शेयरधारक की हैसियत से श्री/सुश्री_____ निवासी_____जिला_____, राज्य_____, को अथवा उसकी अनुपस्थिति में श्री/सुश्री_____निवासी _____ जिला _____, राज्य _____, को शनिवार, 29 जून, 2013 पूर्वाह्न 11.00 बजे, स्थान: सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की आयोजित होने वाली 6ठी वार्षिक सामान्य बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मत देने के लिए नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ वर्ष 2013 को यह हस्ताक्षरित किया गया.

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम_____
(स्पष्ट अक्षरों में)

पता_____

_____

कृपया रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म को हस्ताक्षरित एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्रॉक्सी का कोई भी प्रपत्र तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि;
   (ए) वैयक्तिक शेयरधारक की स्थिति में, यह उसके स्वयं के या उसके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत किए गए अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
   (बी) संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर पर लिखे हुए प्रथम नाम वाले शेयरधारक द्वारा स्वयं या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
   (सी) कॉर्पोरेट निकाय की स्थिति में, यह उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
2. ऐसे शेयरधारक जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उनके प्रॉक्सी फार्म पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माने जाएंगे यदि उन प्रपत्रों पर उनके अंगूठे की छाप लगी हो एवं जिसे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेन्स के रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
3. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैद्य नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह विधिवत स्टैम्पित नहीं है और उसे बैंक के चन्दरमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 स्थित प्रधान कार्यालय में बैठक की तय तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात 24 जून, 2013 को सायं: 5.00 बजे से पूर्व मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या अन्य प्राधिकार, (यदि कोई है), जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित की गई हो या नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटार्नी) या प्राधिकार की प्रति के साथ प्रस्तुत न कर दिया जाए.
4. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का प्रपत्र अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा.
5. प्रॉक्सी का प्रपत्र यदि विकल्प के साथ दो लोगों के पक्ष में दिया गया है तो केवल एक ही प्रपत्र निष्पादित किया जाएगा.
6. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित कर दिया हो, वह उस बैठक में स्वयं मतदान हेतु पात्र नहीं होगा, जिसके लिए लिखत निष्पादित किया गया हो.
7. बैंक के अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता.
8. प्रॉक्सी फार्म की सभी कांट-छांटों पर निष्पादनकर्ता द्वारा अपने लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
9. प्रॉक्सी का प्रपत्र "फॉर्म बी" में न होने पर वैद्य नहीं माना जाएगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय: चन्दरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई 400 021

उपस्थिति पर्ची

6ठी वार्षिक सामान्य बैठक -29 जून, 2013

दिन और दिनांक	शनिवार, 29 जून, 2013
स्थान	सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज कूपर अस्पताल/रिलायंस एनर्जी कार्यालय के पास, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400 056

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
पन्ना संख्या या डीपी आईडी #/ग्राहक आईडी #	
स्पष्ट अक्षरों में प्रॉक्सीधारक का नाम / उपस्थित प्रतिनिधि (यदि कोई हो)	
उपस्थित सदस्य/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

— —

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान पूरे समय अपने पास रखें)

पन्ना क्रमांक या डीपी आईडी #/ग्राहक आईडी #	
सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	

उपस्थित सदस्य/प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि के नाम एवं हस्ताक्षर

बैंक की मुहर एवं हस्ताक्षर

शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे मीटिंग हाल में प्रवेश करने के लिए इस उपस्थिति सह-प्रवेशपत्र पास पर विधिवत हस्ताक्षर कर इसे प्रस्तुत करें. प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों/ प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जो मीटिंग के समापन तक इसे अपने पास रखेंगे. तदापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के आधार पर ही प्रवेश अनुमत होगा. किसी भी परिस्थिति में मीटिंग हाल में प्रवेश हेतु डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा.

नोट्स

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR's MESSAGE

Dear Shareholder,

I am delighted to present the Annual Report for the year ended 31st March, 2013, while the Bank completed its 101 years of service to nation.

As committed in last Annual General Meeting that we are a strong Bank and have potential to come back, we have turned around in our overall performance.

Heartiest Congratulations to all of you on your great Bank crossing another milestone of business mix of ₹ 4, 00,000 crore as on March 31, 2013. During the year, your Bank has also shown robust performance in improvement in productivity and profitability. The Net Profit of the Bank has registered an impressive growth of 90.43% Y-o-Y as on March, 31, 2013. The Business per Employee improved to ₹ 973 lakhs from ₹ 862 lakhs in 2011-12. The Net Profit per Employee improved to ₹ 2.83 lakh from ₹ 1.51 lakh in 2011-12.

During the FY 2012-13 both domestic and global factors had impact on Indian economy's growth. Indian Economy faced many concerns such as moderation in GDP growth, high inflation, high fiscal deficit and widening Current Account Deficit (CAD). The GDP growth has been estimated to be 5% in 2012-13 as per latest estimates of CSO as compared to a growth of 6.2% in 2011-12. The slowdown is attributed to deceleration of growth in all three major sectors viz, agriculture, manufacturing, and service sectors.

The growth in manufacturing has been impacted severely. For 2012-13, growth in the Index of Industrial Production (IIP) decelerated to 1% from 2.9% in the 2011-12 due to disappointing performance of capital goods sector. The inflation which has been a concern for last couple of years has shown some respite. The WPI inflation rate has come down from around 7.5 % at the beginning of financial year to 5.96% in March 2013. The RBI monetary stance during the year reflected a calibrated approach to balance growth and inflation dynamics. The overall liquidity position during the year remained tight. On the external front, the pace of export growth has slowed down to 2% compared to last year, resulting in widening of the Trade Deficit and Current Account Deficit. Apart from it, the rupee during the year witnessed high volatility and depreciated against US$ as compared to the previous year.

Despite all these odds your Bank has exhibited stunning performance in both top line and bottom line. The Business of the Bank increased to ₹ 4,02,272 crore from ₹ 3,46,898 crore in 2011-12 registering a growth of 15.96% Y-o-Y. The Deposit and Credit growth of the Bank stood at 15.22% and 16.92% respectively. The CASA share as a percentage of Total Deposits stood at 32.55% which is well placed in the industry. To ensure organic growth in the Business, ***High Cost Deposits*** has been shed. The share of high cost deposits as a proportion of Total deposits has been reduced to 24.37% as on Mar-2013 from as high as 32% as on March-2012. This is well reflected in robust growth of Aggregate Core Deposits at 27.84 % Y-o-Y. Further, our efforts shall continue to reduce the proportion of high cost deposits to 15% of the total deposits by the end of FY 2013-14.

The operating profit of the Bank increased to ₹ 3173 crore from ₹ 2815 crore in 2011-12 registering a growth of 12.72% Y-o-Y whereas the Net profit of the Bank increased to ₹ 1015 crore from ₹ 533 crore in 2011-12 registering a marvelous growth of 90.43% Y-o-Y.